



सत्यमेव जयते

# वित्त लेखे

## खण्ड-II

### 2021-2022



**SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA**  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार



**वित्त लेखे**

**खण्ड-II**

**2021-22**

**संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार**



## विषय सूची

		पृष्ठ
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	(v-vii)
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका ....	(ix-xvi)
<b>खण्ड-I</b>		
1	वित्तीय स्थिति का विवरण ....	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण ....	4-6
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश ....	7-9
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि) ....	10-13
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
	(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय ....	14-17
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय ....	18-19
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण ....	20-32
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण ....	33-38
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण ....	39-46
8	सरकार के निवेशों का विवरण ....	47
9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण ....	48
10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण ....	49
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण ....	50-51
12	राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण ....	52-58
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश ....	59-61
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ ....	62-79

## विषय सूची (जारी)

## खण्ड-II

पृष्ठ

## भाग-I

14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण ....	82-111
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण ....	112-162
16	लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण ....	163-247
17	उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण ....	248-263
18	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण ....	264-291
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण ....	292-316
20	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण....	317-324
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण ....	325-343
22	चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण ....	344-347

## भाग-II

## परिशिष्ट-

I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय ....	350-356
II	सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय ....	357-358
III	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्थान-वार और योजना-वार) ....	359-362
IV	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण ...	363-364
V	योजनाओं पर व्यय-	
	क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं) ....	365-367
	ख. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं....	368-371

## विषय सूची (समाप्त)

<b>भाग-II</b>		<b>पृष्ठ</b>
<b>परिशिष्ट- (समाप्त)</b>		
VI	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े) ....	372-374
VII	शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है).....	375-376
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम ....	377-378
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची ....	379-397
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय ....	398-404
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं ....	405
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं ....	406-407
XIII	संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है .....	408-412





---

**खण्ड-II**

**भाग-I**

---



## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)</b>			
<b>क- कर राजस्व #-</b>			
<b>(क) वस्तु एवं सेवा कर-</b>			
<b>0006- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)-</b>			
101- कर	1,98,470.99	1,47,230.09	(+35)
102- ब्याज	1,823.66	377.87	*
103- दण्ड	263.23	173.83	(+51)
104- शुल्क	567.44	933.71	(-39)
106- आईजीएसटी का प्रभाजन-एसजीएसटी को कर घटक का हस्तांतरण	4,33,463.28	3,31,099.60	(+31)
500- अन्य लघु शीर्षों में हस्तांतरण हेतु प्रतीक्षित प्राप्तियाँ	4,838.72	4,118.59	(+17)
800- अन्य प्राप्तियाँ	3.24	1.65	(+96)
	<b>कुल-0006</b>	<b>4,83,935.34</b>	<b>(+32)</b>
	<b>(क) वस्तु एवं सेवा कर</b>	<b>4,83,935.34</b>	<b>(+32)</b>
<b>(ग) संपत्ति, पूँजीगत एवं अन्य संव्यवहारों पर कर-</b>			
<b>0029- भू-राजस्व-</b>			
101- भू-राजस्व/ कर	3,651.22	1,249.03	*
103- भूमि पर दरें तथा उपकर	2,145.22	2,244.55	(-04)
800- अन्य प्राप्तियाँ	5,531.99	2,563.01	*
	<b>कुल- 0029</b>	<b>6,056.59</b>	<b>(+87)</b>

(#) धन प्रतिदाय पर विचार करने के बाद ऑफ़े नुम्वर हैं।

(\*) विवरण में सौ प्रतिशत से अधिक

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
क- कर राजस्व-(जारी)			
(ग) संपत्ति, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों पर कर-(समाप्त)			
0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-			
01- स्टाम्प- न्यायिक-			
101- स्टाम्प से वसूलीकृत न्यायालय शुल्क	113.59	134.75	(-)16
102- स्टाम्प की बिक्री	311.83	310.12	(+)01
800- अन्य प्राप्तियाँ	18.72	2.09	*
	<b>कुल-01</b> 444.14	446.96	(-)01
02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-			
102- स्टाम्प की बिक्री	38,034.23	25,695.67	(+)48
103- दस्तावेजों की छपाई पर शुल्क	17.92	130.84	(-)86
800- अन्य प्राप्तियाँ	329.28	31.22	*
	<b>कुल-02</b> 38,381.43	25,857.73	(+)48
03- पंजीकरण शुल्क-			
104- दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए शुल्क	7,105.14	2,654.52	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	5,270.81	3,594.42	(+)47
	<b>कुल-03</b> 12,375.95	6,248.94	(+)98
	<b>कुल-0030</b> 51,201.52	32,553.63	(+)57
<b>कुल-(ग)-संपत्ति, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों पर कर</b>	<b>62,529.95</b>	<b>38,610.22</b>	<b>(+)62</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>क- कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-</b>			
<b>0039- राज्य उत्पाद शुल्क-</b>			
101- देशी स्पिट्स	35.90	631.34	(-)/94
105- विदेशी शराब तथा स्पिट्स	1,73,464.11	1,33,167.53	(+)/30
800- अन्य प्राप्तियाँ	4,779.31	943.20	*
<b>कुल-0039</b>	<b>1,78,279.32</b>	<b>1,34,742.07</b>	<b>(+)/32</b>
<b>0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-</b>			
102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1,90,631.34	1,49,561.04	(+)/27
103- मोटर स्पिट्स एवं लुब्रीकेंट्स की बिक्री पर कर	0.15	0.06	*
<b>कुल-0040</b>	<b>1,90,631.49</b>	<b>1,49,561.10</b>	<b>(+)/27</b>
<b>0041- वाहनों पर कर-</b>			
102- राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	61,623.67	48,838.04	(+)/26
<b>कुल -0041</b>	<b>61,623.67</b>	<b>48,838.04</b>	<b>(+)/26</b>
<b>0042- माल एवं यात्रियों पर कर-</b>			
102- सड़कों पर पथकर	391.14	86.13	*
106- स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर	1.91	-	@
800- अन्य प्राप्तियाँ	179.93	4.30	*
<b>कुल -0042</b>	<b>572.98</b>	<b>90.43</b>	<b>*</b>

(@) विवरण में लागू नहीं

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>क- कर राजस्व-(समाप्त)</b>			
<b>(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-(समाप्त)</b>			
<b>0043- विद्युत पर कर एवं शुल्क-</b>			
101- विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर	37,660.21	31,921.54	(+)18
103- सिनेमा घरों के विद्युतीय निरीक्षण हेतु शुल्क	-	0.08	(-)100
<b>कुल-0043</b>	<b>37,660.21</b>	<b>31,921.62</b>	<b>(+)18</b>
<b>0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क</b>			
101- मनोरंजन कर	0.01	-	@
<b>कुल-0045</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>@</b>
<b>कुल-(घ)-वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर</b>	<b>4,68,767.68</b>	<b>3,65,153.26</b>	<b>(+)28</b>
<b>कुल-क-कर राजस्व</b>	<b>11,70,728.19</b>	<b>8,87,698.82</b>	<b>(+)32</b>
<b>ख- गैर-कर- राजस्व-</b>			
<b>(ख) ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ</b>			
<b>0049- ब्याज प्राप्तियाँ-</b>			
<i>04- राज्य विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार की ब्याज प्राप्तियाँ-</i>			
107- खेतीहरों से ब्याज	0.14	-	@
110- रोकड़ शेर्षों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	-	10.63	(-)100
118- सरकारी सेवकों को ऋणों पर ब्याज	12.78	-	@
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,641.12	1,775.54	(-)08
<b>कुल-04</b>	<b>1,654.04</b>	<b>1,786.17</b>	<b>(-)07</b>
<b>कुल-0049</b>	<b>1,654.04</b>	<b>1,786.17</b>	<b>(-)07</b>
<b>कुल(ख)-ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ</b>	<b>1,654.04</b>	<b>1,786.17</b>	<b>(-)07</b>
<b>(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-</b>			
<b>(झ) सामान्य सेवाएं-</b>			
<b>0051- लोक सेवा आयोग</b>			
105- राज्य पीएससी परीक्षा	1.00	-	@
<b>कुल-0051</b>	<b>1.00</b>	<b>-</b>	<b>@</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(झ) सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>0055- पुलिस-</b>			
101- अन्य सरकारों को भेजी गयी पुलिस	187.10	2.39	*
102- अन्य दलों को भेजी गयी पुलिस	1,102.74	499.71	*
103- शुल्क, जुर्माना एवं जब्ती	71.58	4.32	*
105- राज्य-मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियाँ	4,847.73	3,302.73	(+)47
800- अन्य प्राप्तियाँ	658.63	182.26	*
<b>कुल -0055</b>	<b>6,867.78</b>	<b>3,991.41</b>	<b>(+)72</b>
<b>0056- कारावास-</b>			
102- कारावास में विनिर्माण की बिक्री	45.94	45.55	(+)01
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.01	-	@
<b>कुल-0056</b>	<b>45.95</b>	<b>45.55</b>	<b>(+)01</b>
<b>0058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-</b>			
101- लेखन सामग्री प्राप्तियाँ	286.31	156.43	(+)83
102- राजपत्रों इत्यादि की बिक्री	285.90	172.20	(+)66
200- अन्य मुद्रणालय प्राप्तियाँ	147.38	176.39	(-)16
<b>कुल-0058</b>	<b>719.59</b>	<b>505.02</b>	<b>(+)42</b>
<b>0059- लोक निर्माण-</b>			
<i>01- कार्यालय भवन-</i>			
011- किराया	1,079.23	586.00	(+)84
102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार	12.58	32.18	(-)61
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,041.11	1,687.66	(-)38
<b>कुल-01</b>	<b>2,132.92</b>	<b>2,305.84</b>	<b>(-)07</b>
<i>60- अन्य भवन-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	319.90	142.84	*
<b>कुल-60</b>	<b>319.90</b>	<b>142.84</b>	<b>*</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
ख- गैर-कर- राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(झ) सामान्य सेवाएं-(जारी)			
<b>0059- लोक निर्माण-(समाप्त)</b>			
80- सामान्य-(समाप्त)			
011- किराया	13.06	0.68	*
102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार	67.09	12.23	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	429.48	87.60	*
	<i>कुल-80</i> 509.63	100.51	*
	<b>कुल-0059 2,962.45</b>	<b>2,549.19</b>	<b>(+)16</b>
<b>0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-</b>			
01- न्याय प्रशासन-			
102- जुर्माना एवं जब्ती	912.01	405.84	*
501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क	2.41	1.18	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,157.25	930.68	*
	<i>कुल-01</i> 3,071.67	1,337.70	*
02- चुनाव-			
101- निर्वाचन प्रपत्रों और दस्तावेजों की विक्रय प्राप्तियाँ	0.01	0.03	(-)/67
104- शुल्क, जुर्माना एवं जब्ती	61.76	8.05	*
105- मतदाता पहचान पत्रों को जारी करने के प्रति अंशदान	0.59	0.87	(-)/32
800- अन्य प्राप्तियाँ	77.68	28.44	*
	<i>कुल-02</i> 140.04	37.39	*
60- अन्य सेवाएं-			
101- केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ	0.02	0.57	(-)/96
102- नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	9.59	1.95	*



## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)	
	2021-22	2020-21		
(1)	(2)	(3)	(4)	
(₹ लाख में)				
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>				
<b>ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)</b>				
<b>(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)</b>				
<b>(झ) सामान्य सेवाएं-(समाप्त)</b>				
<b>0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-(समाप्त)</b>				
103- विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	0.04	-	@	
105- होम गार्ड	0.11	0.04	*	
109- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण	1.95	1.60	(+)22	
111- मादक द्रव्य नियंत्रण	0.40	0.71	(-)44	
114- मोटर गैराजों इत्यादि से प्राप्तियाँ	80.67	76.30	(+)06	
115- अतिथि गृहों, सरकारी छात्रावासों आदि से प्राप्तियाँ	275.30	116.79	*	
118- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	-	0.45	(-)100	
800- अन्य प्राप्तियाँ	583.32	341.54	(+)71	
	<i>कुल-60</i>	951.40	539.95	(+)76
	<b>कुल-0070</b>	<b>4,163.11</b>	<b>1,915.04</b>	<b>*</b>
<b>0071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति अंशदान एवं वसूलियाँ-</b>				
<i>01- नागरिक-</i>				
101- अभिदान एवं अंशदान	307.17	543.24	(-)43	
800- अन्य प्राप्तियाँ	511.98	2.48	*	
	<i>कुल-01</i>	819.15	545.72	(+)50
	<b>कुल-0071</b>	<b>819.15</b>	<b>545.72</b>	<b>(+)50</b>
<b>0075- विविध सामान्य सेवाएं-</b>				
101- अदावी जमा	1,133.31	12.27	*	
800- अन्य प्राप्तियाँ	242.77	60.29	*	
	<b>कुल-0075</b>	<b>1,376.08</b>	<b>72.56</b>	<b>*</b>
	<b>कुल-(i)-सामान्य सेवाएं</b>	<b>16,955.11</b>	<b>9,624.49</b>	<b>(+)76</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>(ii) समाज सेवाएं-</b>			
<b>(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-</b>			
<i>01- सामान्य शिक्षा-</i>			
101- प्रारंभिक शिक्षा-			
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	47,108.68	3,923.49	*
102- माध्यमिक शिक्षा-			
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	124.89	143.85	(-13)
103- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा-			
प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	120.67	32.06	*
105- भाषा विकास	-	1.56	(-100)
600- सामान्य	1.27	0.28	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	3.27	(-100)
	<b>कुल-01</b>	<b>47,355.51</b>	<b>4,104.51</b>
			<b>*</b>
<i>02- तकनीकी शिक्षा-</i>			
101- ट्यूशन एवं अन्य शुल्क	9.94	5.03	(+98)
800- अन्य प्राप्तियाँ	16.79	6.90	*
	<b>कुल-02</b>	<b>26.73</b>	<b>11.93</b>
			<b>*</b>
<i>03- खेल एवं युवा सेवाएं-</i>			
101- शारीरिक शिक्षा-खेल एवं युवा कल्याण	-	5.15	(-100)
800- अन्य प्राप्तियाँ	4.69	5.21	(-10)
	<b>कुल-03</b>	<b>4.69</b>	<b>10.36</b>
			<b>(-55)</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)			
<b>0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)</b>			
<i>04- कला एवं संस्कृति-</i>			
101- अभिलेखागार और संग्रहालय	0.35	1.10	(-)68
102- सार्वजनिक पुस्तकालय	0.23	-	@
800- अन्य प्राप्तियाँ	24.42	5.06	*
<i>कुल-04</i>	25.00	6.16	*
<b>कुल-0202</b>	<b>47,411.93</b>	<b>4,132.96</b>	<b>*</b>
<b>0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-</b>			
<i>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</i>			
020- अस्पताल और औषधालय सेवाओं हेतु रोगियों से प्राप्तियाँ	1,615.31	1,413.05	(+)14
104- चिकित्सा भण्डार आगार	-	80.07	(-)100
107- औषध विनिर्माताओं से प्राप्तियाँ	-	209.66	(-)100
800- अन्य प्राप्तियाँ	505.64	246.14	*
<i>कुल-01</i>	2,120.95	1,948.92	(+)09
<i>02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	192.13	12.29	*
<i>कुल -02</i>	192.13	12.29	*
<i>03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान</i>			
105- एलोपैथी	5.51	1.85	*
200- अन्य प्रणाली	0.41	-	@
<i>कुल-03</i>	5.92	1.85	*

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)			
<b>0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(समाप्त)</b>			
<i>04- जन स्वास्थ्य-</i>			
104- शुल्क एवं जुर्माना इत्यादि	382.16	319.94	(+)19
501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क	-	0.07	(-)100
800- अन्य प्राप्तियाँ	322.06	51.97	*
<i>कुल-04</i>	<u>704.22</u>	<u>371.98</u>	<u>(+)89</u>
<i>80- सामान्य-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	76.04	46.61	(+)63
<i>कुल-80</i>	<u>76.04</u>	<u>46.61</u>	<u>(+)63</u>
<b>कुल-0210</b>	<b><u>3,099.26</u></b>	<b><u>2,381.65</u></b>	<b><u>(+)30</u></b>
<b>0211- परिवार कल्याण-</b>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	3.79	0.34	*
<b>कुल-0211</b>	<b><u>3.79</u></b>	<b><u>0.34</u></b>	<b><u>*</u></b>
<b>0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-</b>			
<i>01- जलापूर्ति-</i>			
102- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	9,960.09	8,383.75	(+)19
103- शहरी जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	741.67	142.31	*
104- शुल्क, जुर्माना इत्यादि	42.91	33.59	(+)28
800- अन्य प्राप्तियाँ	342.88	823.57	(-)58
900- कटौती- प्रतिदाय	-	(-)1.39	(-)100
<i>कुल-01</i>	<u>11,087.55</u>	<u>9,381.83</u>	<u>(+)18</u>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(जारी)			
0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-(समाप्त)			
02- सीवरेज एवं स्वच्छता-			
103- सीवरेज योजनाओं से प्राप्तियाँ	100.62	7.14	*
कुल -02	100.62	7.14	*
कुल-0215	11,188.17	9,388.97	(+)19
0216- आवास-			
01- सरकारी आवासीय भवन-			
106- सामान्य पूल आवास	-	0.02	(-)100
700- अन्य आवास	239.15	159.20	(+)50
कुल-01	239.15	159.22	(+)50
03- ग्रामीण आवास-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	321.27	165.11	(+)95
कुल-03	321.27	165.11	(+)95
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	13.87	84.09	(-)84
कुल-80	13.87	84.09	(-)84
कुल-0216	574.29	408.42	(+)41

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी)</b>			
<b>अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(ii) समाज सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>0217- शहरी विकास-</b>			
<i>03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,217.45	26.87	*
	<b>कुल-03</b>	<b>1,217.45</b>	<b>26.87</b>
<i>60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	13.19	10.41	(+27)
	<b>कुल-60</b>	<b>13.19</b>	<b>10.41</b>
	<b>कुल-0217</b>	<b>1,230.64</b>	<b>37.28</b>
<b>0220- सूचना एवं प्रचार-</b>			
<i>60- अन्य-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.58	0.98	(-41)
	<b>कुल -60</b>	<b>0.58</b>	<b>0.98</b>
	<b>कुल-0220</b>	<b>0.58</b>	<b>0.98</b>
<b>0230- श्रम एवं रोजगार-</b>			
101- श्रम कानून के अंतर्गत प्राप्तियाँ	225.22	554.99	(-59)
102- व्यापार संगठनों के पंजीकरण हेतु शुल्क	0.65	0.34	(+91)
103- स्टीम बॉयलर के निरीक्षण हेतु शुल्क	0.02	-	@
104- कारखाना अधिनियम के अंतर्गत शुल्क वसूली	0.06	-	@
105- खान अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा शुल्क	0.10	-	@
800- अन्य प्राप्तियाँ	532.32	379.89	(+40)
	<b>कुल-0230</b>	<b>758.37</b>	<b>935.22</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
			(₹ लाख में)
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) समाज सेवाएं-(समाप्त)			
0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
01- पुनर्वास			
800- अन्य प्राप्तियाँ	279.32	219.99	(+27)
कुल-01	279.32	219.99	(+27)
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	283.34	127.23	*
कुल-60	283.34	127.23	*
कुल-0235	562.66	347.22	(+62)
0250- अन्य समाज सेवाएं-			
		-	
800- अन्य प्राप्तियाँ	2.52	8.06	(-69)
कुल-0250	2.52	8.06	(-69)
कुल-(ii)-समाज सेवाएं	64,832.21	17,641.10	*
(iii) आर्थिक सेवाएं-			
0401- फसल पैदावार-			
103- बीज	627.60	196.22	*
104- कृषि फार्मों से प्राप्तियाँ	52.54	66.97	(-22)
108- वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियाँ	2.45	8.05	(-70)
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलों से प्राप्तियाँ	927.87	923.38	(एन)
800- अन्य प्राप्तियाँ	8.53	134.29	(-94)
कुल-0401	1,618.99	1,328.91	(+22)

(एन) विवरण में नगण्य

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख. गैर-कर राजस्व (जारी)</b>			
<b>(ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>0403- पशुपालन-</b>			
102- मवेशी एवं भैंस विकास से प्राप्तियाँ	343.70	418.89	(-18
103- मुर्गी पालन विकास से प्राप्तियाँ	77.29	96.79	(-20
104- भेड़ एवं ऊन विकास से प्राप्तियाँ	272.80	294.52	(-7
105- सुअर पालन विकास से प्राप्तियाँ	8.47	1.78	*
106- चारा और खादय विकास से प्राप्तियाँ	1.19	9.03	(-87
108- अन्य पशुधन विकास से प्राप्तियाँ	12.79	4.43	*
501- सेवाएं और सेवा शुल्क	24.16	70.24	(-66
800- अन्य प्राप्तियाँ	492.51	223.89	*
<b>कुल-0403</b>	<b>1,232.91</b>	<b>1,119.57</b>	<b>(+10</b>
<b>0405- मत्स्यपालन-</b>			
102- लाइसेन्स शुल्क, जुर्माना इत्यादि	72.26	61.73	(+17
103- मछली, मछली के बीज आदि की बिक्री	470.27	444.47	(+06
800- अन्य प्राप्तियाँ	445.55	275.50	(+62
<b>कुल-0405</b>	<b>988.08</b>	<b>781.70</b>	<b>(+26</b>



## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>0406- वानिकी एवं वन्य जीवन-</b>			
<i>01- वानिकी-</i>			
101- इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री	6,011.08	8,695.83	(-31
102- सामाजिक एवं कृषि वानिकी से प्राप्तियाँ	19.67	88.15	(-78
103- पर्यावरण वानिकी से प्राप्तियाँ	209.12	206.82	(+01
104- वन वृक्षारोपण से प्राप्तियाँ	0.07	-	@
800- अन्य प्राप्तियाँ	8,800.30	3,842.03	*
	<b>कुल-01</b>	<b>15,040.24</b>	<b>(+17</b>
<i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i>			
112- सार्वजनिक उद्यान	382.05	208.02	(+84
800- अन्य प्राप्तियाँ	4,700.70	2,256.28	*
	<b>कुल-02</b>	<b>5,082.75</b>	<b>*</b>
	<b>कुल-0406</b>	<b>20,122.99</b>	<b>(+32</b>
<b>0408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण-</b>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	266.47	755.27	(-65
	<b>कुल-0408</b>	<b>266.47</b>	<b>(-65</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>0425- सहायता-</b>			
101- लेखापरीक्षा शुल्क	22.98	6.74	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.20	0.28	(-)29
<b>कुल-0425</b>	<b>23.18</b>	<b>7.02</b>	<b>*</b>
<b>0435- अन्य कृषिगत कार्यक्रम-</b>			
501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क	32.21	23.85	(+)35
800- अन्य प्राप्तियाँ	17.35	8.84	(+)96
<b>कुल-0435</b>	<b>49.56</b>	<b>32.69</b>	<b>(+)52</b>
<b>0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-</b>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	359.10	33.86	*
<b>कुल-0515</b>	<b>359.10</b>	<b>33.86</b>	<b>*</b>
<b>0701- मध्यम सिंचाई-</b>			
<i>01- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक-</i>			
601- रणबीर नहर	-	-	-
602- प्रताप नहर	-	-	-
619- मार्तण्ड नहर	-	-	-
631- आजी नहर	-	-	-
632- जैनगीर नहर	-	-	-
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	1.15	(-)100
<b>कुल-01</b>	<b>-</b>	<b>1.15</b>	<b>(-)100</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0701- मध्यम सिंचाई-(समाप्त)			
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	88,662.28	99,664.85	(-11)
	<i>कुल-80</i>	88,662.28	(-11)
	<b>कुल -0701</b>	<b>88,662.28</b>	<b>(-11)</b>
0702- लघु सिंचाई-			
01- सतही जल-			
101- जल टैंकों से प्राप्तियाँ	128.49	66.47	(+93)
102- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से प्राप्तियाँ	0.84	8.94	(-91)
103- दिक्परिवर्तन योजनाओं से प्राप्तियाँ	0.08	1.49	(-95)
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.40	3.70	(-89)
	<i>कुल-01</i>	129.81	(+61)
02- धरातलीय जल-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.07	1.24	(-94)
	<i>कुल-02</i>	0.07	(-94)
04- बाढ़ नियंत्रण-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	0.11	(-100)
	<i>कुल-04</i>	-	(-100)

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0702- लघु सिंचाई-(समाप्त)			
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	963.57	860.15	(+)12
कुल-80	963.57	860.15	(+)12
कुल-0702	1,093.45	942.10	(+)16
0801- विद्युत-			
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,71,577.37	2,34,973.94	(+)16
900- कटौती-प्रतिदाय	(-)2.69	-	@
कुल-80	2,71,574.68	2,34,973.94	(+)16
कुल-0801	2,71,574.68	2,34,973.94	(+)16
0851- ग्राम एवं लघु उद्योग-			
101- औद्योगिक संपदा	36.24	26.79	(+)35
102- लघु पैमाना उद्योग	3.71	6.31	(-)41
103- हथकरघा उद्योग	0.23	3.26	(-)93
104- हस्तशिल्प उद्योग	299.65	104.89	*
107- रेशम उत्पादन उद्योग	0.79	87.67	(-)99
800- अन्य प्राप्तियाँ	4.96	33.64	(-)85
कुल-0851	345.58	262.56	(+)32

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)</b>			
<b>(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>			
<b>0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-</b>			
102- खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी	3,260.68	5,137.88	(-37)
103- कैल्शियम कार्बाइड नियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	-	1.15	(-100)
104- खदान विभाग	1,440.39	1,754.60	(-18)
800- अन्य प्राप्तियाँ	8,176.72	15,896.89	(-49)
<b>कुल-0853</b>	<b>12,877.79</b>	<b>22,790.52</b>	<b>(-43)</b>
<b>1452- पर्यटन-</b>			
103- पर्यटक परिवहन से प्राप्तियाँ	-	0.10	(-100)
105- किराया एवं खानपान प्राप्तियाँ	5.20	2.06	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	984.33	210.80	*
<b>कुल-1452</b>	<b>989.53</b>	<b>212.96</b>	<b>*</b>
<b>1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-</b>			
012- सांख्यिकी	20.71	19.06	(+09)
101- एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के अंतर्गत वसूल किया गया शुल्क	1.80	2.24	(-20)
102- एकस्व शुल्क	0.01	0.02	(-50)
103- व्यापार चिह्नों के पंजीकरण हेतु शुल्क	4.47	1.77	*
104- प्रमाणीकरण चिहनीकरण और परीक्षण शुल्क से प्राप्तियाँ	2.13	2.50	(-15)

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
ख- गैर-कर राजस्व-(समाप्त)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)			
<b>1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)</b>			
106- तौल और माप पर मोहर लगाने का शुल्क	140.81	91.85	(+)53
200- अन्य व्यवसाय उपक्रमों का विनियमन	0.19	0.01	*
202- माप विज्ञान	134.07	120.76	(+)11
800- अन्य प्राप्तियाँ	94.92	144.02	(-)34
<b>कुल-1475</b>	<b>399.11</b>	<b>382.23</b>	<b>(+)04</b>
<b>कुल-(iii)-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>4,00,603.70</b>	<b>3,78,586.46</b>	<b>(+)06</b>
<b>कुल-(ग)-अन्य गैर-कर राजस्व</b>	<b>4,82,391.02</b>	<b>4,05,852.05</b>	<b>(+)19</b>
<b>कुल-ख-गैर-कर राजस्व</b>	<b>4,84,045.06</b>	<b>4,07,638.22</b>	<b>(+)19</b>
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-</b>			
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान -</b>			
06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-			
कृषि मंत्रालय-			
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	271.59	395.34	(-)31
राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन	6,775.00	7,218.06	(-)06
राष्ट्रीय कृषि-वैज्ञानिक परियोजना	-	74.99	(-)100
राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता परियोजना	-	592.27	(-)100

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>			
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
<b>101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)</b>			
<i>कृषि मंत्रालय-</i>			
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-प्रति बूंद अधिक फसल	-	1,000.00	(-)100
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	-	100.00	(-)100
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	-	-	
कृषिगत विस्तारण पर उप-योजना	-	807.47	(-)100
कृषिगत यंत्रोपकरण पर उप-योजना	1,400.00	700.00	(+)100
बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन	139.43	841.79	(-)83
	<i>कुल-कृषि मंत्रालय</i>	11,729.92	(-)27
<i>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय-</i>			
हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वन-रोपण कार्यक्रम	-	2,572.70	(-)100
वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास	-	80.93	(-)100
	<i>कुल-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</i>	2,653.63	(-)100
<i>खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय-</i>			
पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण पीएम-एफएमई	125.07	-	@
	<i>कुल-खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय</i>	125.07	@
<i>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</i>			
भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण 2"	27,848.00	-	@
भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण ईएसी	318.00	-	@
स्वास्थ्य देखरेख कार्यकर्ताओं (एचसीडब्ल्यू) एवं फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं (एफएलडब्ल्यू) का कोविड-19	-	413.14	(-)100
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	-	34,099.00	(-)100
पीएम - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	1,611.00	-	@
राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	1,313.10	2,285.75	(-)43
तृतीयक देखभाल कार्यक्रम	2,700.00	-	@
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	55,337.98	78,036.87	(-)29
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	341.00	1,107.00	(-)69
	<i>कुल-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</i>	1,15,941.76	(-)23

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>			
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)			
<i>गृह मंत्रालय-</i>			
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)		-	
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1,66,610.00	85,535.00	(+)95
	<i>कुल-गृह मंत्रालय</i>	85,535.00	(+)95
<i>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय-</i>			
राष्ट्रीय वृत्ति सेवा	-	54.85	(-)100
	<i>कुल-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</i>	54.85	(-)100
<i>विधि एवं न्याय मंत्रालय-</i>			
न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	2,000.00	664.64	*
राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (निर्भया निधि)	263.50	-	@
	<i>कुल-विधि एवं न्याय मंत्रालय</i>	664.64	*
<i>पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय-</i>			
जल जीवन मिशन (जेजेएम)/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	-	5,372.49	(-)100
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम -ग्रामीण)	12,000.00	2,488.91	*
	<i>कुल-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</i>	7,861.40	(+)53



## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>			
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
<b>101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)</b>			
<i>मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय-</i>			
पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	100.00	-	@
मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन	-	1,828.68	(-)100
पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	-	1,858.69	(-)100
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	1,287.03	1,747.25	(-)26
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	1,493.26	2,378.51	(-)37
<i>कुल-मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय</i>	<u>2,880.29</u>	<u>7,813.13</u>	<u>(-)63</u>
<i>आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय</i>			
100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु कार्यक्रम	13,600.00	13,600.00	-
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- राज्य घटक	624.53	366.94	(+)70
राज्य/ यूटी घटक की अन्य मदें-पीएमएवाई शहरी	14,653.46 (क)	152.63	*
स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-शहरी	2,798.10	-	@
शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-500 शहर	10,587.75	40.00	*
<i>कुल-आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय</i>	<u>42,263.84</u>	<u>14,159.57</u>	<u>*</u>
<i>कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</i>			
कौशल विकास	-	1,010.89	(-)100
संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण	5,876.00	-	@
औद्योगिक मूल्य वृद्धि हेतु कौशल सशक्तिकरण	88.00	612.00	(-)86
<i>कुल-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</i>	<u>5,964.00</u>	<u>1,622.89</u>	<u>*</u>
<i>पंचायती राज मंत्रालय -</i>			
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	4,000.00	2,500.00	(+)60
<i>कुल-पंचायती राज मंत्रालय</i>	<u>4,000.00</u>	<u>2,500.00</u>	<u>(+)60</u>

(क) 31 मार्च 2021 को मंत्रालय द्वारा निर्माचित परंतु अप्रैल 2021 में सरकारी खाले में जमा किये गये ₹ 10507.20 लाख को सम्मिलित नहीं करता है।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>			
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
<b>101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)</b>			
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय-</b>			
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेन्शन योजना	67.47	52.05	(+30)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	3,506.85	3,553.43	(-01)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना	202.40	194.79	(+04)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	9,524.25	34,215.26	(-72)
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	33.27	17.46	(+91)
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	11,608.02	13,192.17	(-12)
प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई)	12,342.60	62,272.22	(-80)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	1,32,834.46	1,72,729.61	(-23)
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास घटक	1,186.99	9,121.00	(-87)
<i>कुल-ग्रामीण विकास मंत्रालय</i>	1,71,306.31	2,95,347.99	(-42)
<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय-</b>			
विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	12,221.88	15,960.26	(-23)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूसए)	78.67 (ख)	413.02	(-81)
अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा	-	105.30	(-100)
समग्र शिक्षा	95,498.01 (ख)	30,458.24	*
<b>कुल-मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	1,07,798.56 (ख)	46,936.82	*

(ख) 31 मार्च 2021 को मंत्रालय द्वारा निर्माचित परंतु अप्रैल 2021 में सरकारी खाते में जमा ₹ 8177.86 लाख (आरयूसए के कारण ₹ 78.67 लाख और समग्र शिक्षा के कारण ₹ 80.99 लाख) किये गये को सम्मिलित नहीं करता है।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>			
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i>			
<b>101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी)</b>			
<i>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय-</i>			
ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - पीएम यशस्वी	530.25	-	@
एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5.00	-	@
प्रधानमंत्री अनसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	615.63	-	@
ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति - पीएम यशस्वी	80.00	-	@
एससी विद्यार्थियों हेतु-पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	23.00	260.37	(-)91
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	-	230.00	(-)100
दिव्यांगजनों के लिए योजना		-	
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढीकरण	93.20	-	@
	<b>कुल-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>490.37</b>	<b>*</b>
<i>जनजातीय मामले मंत्रालय-</i>			
उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति- जनजातीय	-	805.44	(-)100
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	200.00	206.51	(-)03
	<b>कुल-जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>1,011.95</b>	<b>(-)80</b>
<i>जल संसाधन मंत्रालय-</i>			
बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	11,679.20	1,007.24	*
हर खेत को पानी	-	9,668.64	(-)100
सिंचाई गणना		-	
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	2,000.00	2,000.00	-
	<b>कुल-जल संसाधन मंत्रालय</b>	<b>12,675.88</b>	<b>(+)08</b>

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्त शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>			
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>			
<i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(समाप्त)</i>			
<b>101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(समाप्त)</b>			
<i>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-</i>			
मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा सेवा और बाल कल्याण सेवाएँ)	1,929.69	-	@
आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्ववर्ती कोर आईसीडीएस )		28,902.02	(-)100
बाल सुरक्षा योजना		1,490.54	(-)100
राष्ट्रीय शिशुगृह योजना		639.14	(-)100
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (अम्ब्रेला आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशुगृह योजना)	40,573.74	-	@
राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित)		492.24	(-)100
सामर्थ्य (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिशुगृह, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना/ लिंग बजट शोध कौशल प्रशिक्षण इत्यादि)	380.31	-	@
किशोर बालिकाओं हेतु योजना	-	23.04	(-)100
स्वाधार गृह	-	27.77	(-)100
<i>कुल-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</i>	<i>42,883.74</i>	<i>31,574.75</i>	<i>(+)36</i>
<b>कुल-101</b>	<b>6,71,376.69 (ग)</b>	<b>6,38,574.56</b>	<b>(+)05</b>
<b>102- बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान</b>			
बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	-	9,625.53	(-)100
भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज	-	5,149.00	(-)100
<b>कुल-102</b>	<b>-</b>	<b>14,774.53</b>	<b>(-)100</b>
<b>कुल-06</b>	<b>6,71,376.69 (ग)</b>	<b>6,53,349.09</b>	<b>(+)03</b>
<i>08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-</i>			
<b>108- केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान</b>	<b>32,078.00</b>	<b>7,940.00</b>	<b>*</b>

(ग) 31 मार्च 2021 को संबद्ध मंत्रालय द्वारा निर्माचित परंतु अप्रैल 2021 में सरकारी खाते में क्रेडिट किए गए ₹ 18,685.06 लाख सम्मिलित हैं।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
<b>ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी)</b>			
<b>1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)</b>			
<i>08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-</i>			
113- विशेष सहायता-			
<i>गृह मंत्रालय-</i>			
अन्य केन्द्रीय विविध व्यय-			
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं-			
प्रवासियों एवं प्रत्यावर्तितों हेतु राहत और पुनर्वास			
पश्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान			
स्थानीय ग्रामीण निकायों हेतु अनुदान			
संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि-जेएण्डके को अंशदान के प्रति अनुदान			
कर-सहभाजन			
कुल- अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं			
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को विशेष सहायता			
जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में हेलिकॉप्टर सेवाएँ			
अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएँ			
<i>कुल-गृह मंत्रालय</i>			
<i>मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी विकास मंत्रालय-</i>			
पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण			
<i>कुल-मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय-</i>			
<i>कुल-113</i>			

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/ कमी (-)
	2021-22	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>			
ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(समाप्त)			
1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(समाप्त)			
08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-(समाप्त)			
114- जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति	89,256.40	217,122.30	(-)59
कुल-08	35,97,700.27	33,00,862.30	(+)09
कुल-1601	42,69,076.96 (ग)	39,54,211.39	(+)08
कुल ग - सहायता अनुदान और अंशदान	42,69,076.96 (ग)	39,54,211.39	(+)08
कुल योग- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	59,23,850.21	52,49,548.43	(+)13
<b>प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-</b>			
4000- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ-			
01- नागरिक-			
105- सहकारी सोसाइटियों/ बैंकों की पूँजी/ विनिवेश की निवृत्ति	-	-	
कुल-4000	-	-	
कुल प्राप्तियाँ- (पूँजीगत लेखा)	-	-	
कुल योग	59,23,850.21	52,49,548.43	(+)13

(ग) 31 मार्च 2021 को संबद्ध मंत्रालय द्वारा निर्माचित परंतु अप्रैल 2021 में सरकारी खाते में क्रेडिट किए गए ₹ 18,685.06 लाख सम्मिलित हैं।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-

विवरण संख्या 14 की व्याख्यात्मक टिप्पणी						
राजस्व प्राप्तियाँ: - वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 52,49,548.43 लाख के प्रति ₹ 59,23,850.21 लाख थी। मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों में ₹ 6,74,301.78 लाख की वृद्धि थी।						
क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्णन	वास्तविक		वृद्धि	कारण (ई)
			2021-22	2020-21		
(₹ लाख में)						
1	0029-	भू-राजस्व-	11,328.43	6,056.59	5,271.84	भू-राजस्व कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
2	0030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-	51,201.52	32,553.63	18,647.89	मुख्यतः स्टाम्प की बिक्री के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
3	0040-	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर-	1,90,631.49	1,49,561.10	41,070.39	मुख्यतः राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
4	0042-	माल एवं यात्रियों पर कर-	572.98	90.43	482.55	मुख्यतः माल तथा यात्रियों पर कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
5	0055-	पुलिस-	6,867.78	3,991.41	2,876.37	मुख्यतः अन्य दलों को पुलिस की आपूर्ति तथा शुल्क, जुर्माना तथा जब्ती के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
6	0070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं-	4,163.11	1,915.04	2,248.07	मुख्यतः जुर्माना तथा जब्ती के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
7	0202-	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-	47,411.93	4,132.96	43,278.97	मुख्यतः प्रवेश शुल्क तथा अन्य शुल्क पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
8	0215-	जलापूर्ति एवं स्वच्छता-	11,188.17	9,388.97	1,799.20	मुख्यतः ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति योजनाओं पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
9	0801-	विद्युत-	2,71,574.68	2,34,973.94	36,600.74	मुख्यतः विद्युत की बिक्री पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि
10	1452-	पर्यटन-	989.53	212.96	776.57	मुख्यतः किराया, केटरिंग तथा अन्य प्राप्तियों पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि

(ई) सरकार द्वारा (जुलाई 2022) वृद्धि/ कमी के कारणों की सूचना नहीं दी गई।

## 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या 14 की व्याख्यात्मक टिप्पणी						
राजस्व प्राप्तियाँ: वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2020-21के दौरान ₹ 52,49,548.43 लाख के प्रति ₹ 59,23,850.21 लाख थी।						
क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्णन	वास्तविक		कमी	कारण (एफ)
			2021-22	2020-21		
1	0049-	ब्याज प्राप्तियाँ-	1,654.04	1,786.17	132.13	मुख्यतः अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी
2	0230-	श्रम एवं रोजगार-	758.37	935.22	176.85	मुख्यतः श्रम कानूनों के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी
3	0250-	अन्य समाज सेवाएं-	2.52	8.06	5.54	मुख्यतः अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी
4	0408-	खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण-	266.47	755.27	488.80	मुख्यतः अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी
5	0701-	मध्यम सिंचाई-	88,662.28	99,666.00	11,003.72	मुख्यतः अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी
6	0853-	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-	12,877.79	22,790.52	9,912.73	मुख्यतः खनिज रियायत, किराया तथा रॉयल्टियां के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी

(एफ) सरकार द्वारा (जुलाई 2022) वृद्धि/ कमी के कारणों की सूचना नहीं दी गई।



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-					
क- सामान्य सेवाएं-					
(क) राज्य के अंग-					
2011- संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल-					
02- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-विधानमण्डल-					
101- विधान सभा	-	-	-	9.25	(-)100
103- विधान सचिवालय	2,607.08	-	2,607.08	2,350.24	(+)11
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.05	-	(-)0.05	(-)0.32	(-)84
	<u>कुल-02</u>	<u>2,607.03</u>	<u>-</u>	<u>2,607.03</u>	<u>(+)11</u>
	<b>कुल-2011</b>	<b>2,607.03</b>	<b>-</b>	<b>2,359.17</b>	<b>(+)11</b>
2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक-					
03- राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक-					
090- सचिवालय	1,394.34	-	1,394.31	1,095.27	(+)27
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.27	(-)100
	<u>कुल-03</u>	<u>1,394.31</u>	<u>-</u>	<u>1,095.00</u>	<u>(+)27</u>
	<b>कुल-2012</b>	<b>1,394.31</b>	<b>-</b>	<b>1,095.00</b>	<b>(+)27</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय शीर्ष-</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(क) राज्य के अंग-(समाप्त)					
<b>2014- न्याय प्रशासन-</b>					
102- उच्च न्यायालय	974.32	-	6,641.20	5,673.03	(+17)
	<i>5,666.88</i>				
103- विशेष न्यायालय	1,504.52	-	1,504.52	1,293.68	(+16)
105- दीवानी एवं सत्र न्यायालय	18,160.93	263.58	18,424.51	16,453.46	(+10)
114- विधिक सलाहकार एवं परामर्शदाता	1,893.90	-	1,893.90	1,943.62	(-03)
116- राज्य प्रशासनिक अधिकरण	83.33	-	83.33	82.27	(+01)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-15.41)	-	(-15.41)	(-8.64)	(+78)
<b>कुल-2014</b>	<b>22,601.59</b>	<b>263.58</b>	<b>28,532.05</b>	<b>25,437.42</b>	<b>(+12)</b>
	<i>5,666.88</i>				
<b>2015- चुनाव-</b>					
102- निर्वाचन अधिकारी	5,599.18	-	5,599.18	10,434.07	(-46)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-280.50)	-	(-280.50)	(-83.72)	*
<b>कुल-2015</b>	<b>5,318.68</b>	<b>-</b>	<b>5,318.68</b>	<b>10,350.35</b>	<b>(-49)</b>
<b>कुल-(क)- राज्य के अंग</b>	<b>30,527.30</b>	<b>263.58</b>	<b>37,852.07</b>	<b>39,241.94</b>	<b>(-04)</b>
	<i>7,061.19</i>				

(\*) विवरण संख्या 15 में 100 प्रतिशत से अधिक

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व)-(जारी)</b>					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
ख राजकोषीय सेवाएं-					
(ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-					
<b>2029- भू-राजस्व-</b>					
800- अन्य व्यय	-	-	-	424.23	(-)100
<b>कुल-2029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>424.23</b>	<b>(-)100</b>
<b>2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण-</b>					
<i>01- स्टाम्प-न्यायिक-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	479.21	-	479.21	653.68	(-)27
101- स्टाम्प की लागत	0.09	-	0.09	3.24	(-)97
<b>कुल-01</b>	<b>479.30</b>	<b>-</b>	<b>479.30</b>	<b>656.92</b>	<b>(-)27</b>
<i>02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-</i>					
101- स्टाम्प की लागत	22.97	-	22.97	450.39	(-)95
<b>कुल-02</b>	<b>22.97</b>	<b>-</b>	<b>22.97</b>	<b>450.39</b>	<b>(-)95</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं					
(₹ लाख में)					
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व)-(जारी)</b>					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
ख राजकोषीय सेवाएं-					
(ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-(समाप्त)					
2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण-					
03- पंजीकरण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	473.43	-	473.43	137.31	*
	<i>कुल-03</i>	-	473.43	137.31	*
	<b>कुल-2030</b>	<b>-</b>	<b>975.70</b>	<b>1,244.62</b>	<b>(-)22</b>
	<b>कुल-(ii)- संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण</b>	<b>-</b>	<b>975.43</b>	<b>1,668.85</b>	<b>(-)42</b>
(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण-					
2039- राज्य उत्पाद शुल्क-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,247.92	-	3,247.92	2,677.96	(+)21
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.02	-	(-)1.02	(-)0.11	*
	<b>कुल-2039</b>	<b>-</b>	<b>3,246.90</b>	<b>2,677.85</b>	<b>(+)21</b>
2040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	22.85	-	22.85	725.44	(-)97
800- अन्य व्यय	126.79	-	126.79	116.30	(+)09
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)1.34	(-)100
	<b>कुल-2040</b>	<b>-</b>	<b>149.64</b>	<b>840.40</b>	<b>(-)82</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
क सामान्य सेवाएं- (जारी)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं-(जारी)					
(iii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण-(समाप्त)					
<b>2041- वाहनों पर कर-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,729.66	-	1,729.66	717.31	*
101- संग्रहण प्रभार	1,499.20	-	1,499.20	1,299.62	(+15)
800- अन्य व्यय	86.83	-	86.83	76.64	(+13)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.10	(-)100
<b>कुल-2041</b>	<b>3,315.69</b>	<b>-</b>	<b>3,315.69</b>	<b>2,093.47</b>	<b>(+88)</b>
<b>2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्रभारों का संग्रहण -</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	46,697.88	-	46,697.88	46,771.07	(एन)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)11.73	-	(-)11.73	(-)0.30	*
<b>कुल-2043</b>	<b>46,686.15</b>	<b>-</b>	<b>46,686.15</b>	<b>46,770.77</b>	<b>(एन)</b>
<b>2045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क-</b>					
101- संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर	22.59	-	22.59		@
104- संग्रहण प्रभार -वस्तुओं और यात्रियों पर कर	-	-	-	26.69	(-)100
<b>कुल-2045</b>	<b>22.59</b>	<b>-</b>	<b>22.59</b>	<b>26.69</b>	<b>(-)15</b>
<b>कुल-(iii) - वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण</b>	<b>53,420.97</b>	<b>-</b>	<b>53,420.97</b>	<b>52,409.18</b>	<b>(+)02</b>

(एन) विवरण संख्या 15 में नगण्य

@) विवरण संख्या 15 में लागू नहीं

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं					
(₹ लाख में)					
<b>व्यय शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
क सामान्य सेवाएँ-(जारी)					
(ख) राजकोषीय सेवाएँ-(समाप्त)					
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएँ-					
<b>2047- अन्य राजकोषीय सेवाएँ-</b>					
103- लघु बचतों को प्रोत्साहन	594.57	-	594.57	146.40	*
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)12.35	(-)100
<b>कुल-2047</b>	<b>594.57</b>	<b>-</b>	<b>594.57</b>	<b>134.05</b>	<b>*</b>
<b>कुल-(iv)-अन्य राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>594.57</b>	<b>-</b>	<b>594.57</b>	<b>134.05</b>	<b>*</b>
<b>कुल-(ख)-राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>54,991.24</b>	<b>-</b>	<b>54,991.24</b>	<b>54,212.08</b>	<b>(+)01</b>
<b>(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-</b>					
<b>2048- ऋण की कमी एवं परिहार्य हेतु विनियोजन-</b>					
101- ऋण शोधन निधि	4,500.00	-	4,500.00 (क)	5,563.00	(-)19
<b>कुल-2048</b>	<b>4,500.00</b>	<b>-</b>	<b>4,500.00</b>	<b>5,563.00</b>	<b>(-)19</b>
<b>2049- ब्याज भुगतान-</b>					
<b>01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-</b>					
101- बाजार ऋणों पर ब्याज	3,55,748.64	-	3,55,748.64	3,17,561.14	(+)12

(क) ऋण शोधन निधि मुख्य शीर्ष 8222-101-"ऋण शोधन निधि" अंशदान में अंशदान को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 21 के मुख्य शीर्ष 8222 के नीचे पाद टिप्पणी एवं पैरा 5 (ii) (ख)(क) "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I का अवलोकन करें।

(ख) डबल्यूएमए पर ₹ 3,849.62 लाख ब्याज तथा ओवरड्राफ्ट पर ₹ 2,264.28 लाख ब्याज को दर्शाते हैं।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय- शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-(जारी)</b>					
<b>2049- व्याज भुगतान-(जारी)</b>					
<i>01- आंतरिक ऋण पर ब्याज(समाप्त)</i>					
115- अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	6,113.90	-	6,113.90 (ख)	4,013.10	(+12)
123- राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभितियों पर ब्याज	27,624.14	-	27,624.14	30,989.40	(-11)
200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	1,25,349.25	-	1,25,349.25	69,398.93	(+81)
305- ऋणों का प्रबंधन	743.96	-	743.96	894.98	(-17)
<b>कुल -01</b>	<b>5,15,579.89</b>	<b>-</b>	<b>5,15,579.89</b>	<b>4,22,857.55</b>	<b>(+22)</b>
<i>03- लघु बचतें, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज</i>					
104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	1,81,268.04	-	1,81,268.04	1,84,507.99	(-102)
108- बीमा एवं पेन्शन निधि पर ब्याज	7,188.85	-	7,188.85	6,572.74	(+109)
<b>कुल-03</b>	<b>1,88,456.89</b>	<b>-</b>	<b>1,88,456.89 (ग)</b>	<b>1,91,080.73</b>	<b>(-101)</b>
<i>04- केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज -</i>					
101- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण पर ब्याज	1,801.43	-	1,801.43	2,056.21	(-12)

(ग) सरकार द्वारा सूचित किये गये तदर्थ/ सभावित आंकड़ों को दर्शाते हैं। कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड-1 के पैरा 3 (vii) (ख) का अवलोकन करें।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं					
(₹ लाख में)					
व्यय- शीर्ष					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-(समाप्त)					
2049- व्याज भुगतान-(समाप्त)					
04- केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज-(समाप्त)					
109- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज	3,338.72	-	3,338.72	4,006.47	(-)17
112- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र (विधानमण्डल सहित) योजनाओं हेतु अन्य ऋणों पर ब्याज	432.23	-	432.23	344.97	(-)25
	कुल-04		5,572.38	6,407.65	(-)13
05- आरक्षित निधियों पर ब्याज-					
105- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज	4,960.80	-	4,960.80 (घ)	4,389.03	(+)13
	कुल-05		4,960.80	4,389.03	(+)13
60- अन्य दायित्वों पर ब्याज-					
701- विविध	21,461.40	-	21,461.40	12,510.76	(+)72
	कुल-60		21,461.40	12,510.76	(+)72
	कुल-2049		7,36,031.36	6,37,245.72	(+)16
कुल- ग-ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा	4,500.00	-	7,40,531.36	6,42,808.72	(+)16
			7,36,031.36		

(घ) राज्य आपदा मोचन निधि मुख्य शीर्ष 8121-122-"एसडीआरएफ" पर प्रदत्त ब्याज को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 21 के मुख्य शीर्ष 8121 के नीचे पाद टिप्पणी एवं "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" पैरा 5 (ii) (ए) (ए) का अवलोकन करें।



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>घ प्रशासनिक सेवाएं-</b>					
<b>2051- लोक सेवा आयोग-</b>					
102- राज्य लोक सेवा आयोग	1,094.34	-	1,094.34	828.97	(+)32
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)24.57	-	(-)24.57	-	@
<b>कुल-2051</b>	<b>(-)24.57</b>	<b>-</b>	<b>1,069.77</b>	<b>828.97</b>	<b>(+)29</b>
<b>2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं-</b>					
090- सचिवालय	12,038.99	-	12,038.99	12,573.03	(-)04
092- अन्य कार्यालय	1,993.43	-	1,993.43	1,778.44	(+)12
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.55	-	(-)0.55	(-)5.20	(-)89
<b>कुल-2052</b>	<b>14,031.87</b>	<b>-</b>	<b>14,031.87</b>	<b>14,346.27</b>	<b>(-)02</b>
<b>2053- जिला प्रशासन-</b>					
093- जिला प्रतिष्ठान	6,331.82	-	6,331.82	6,200.32	(+)02
094- अन्य प्रतिष्ठान	43,344.95	-	43,344.95	39,631.13	(+)09
101- आयुक्त	1,855.93	-	1,855.93	1,791.62	(+)04
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)6.08	-	(-)6.08	(-)6.30	(-)03
<b>कुल -2053</b>	<b>51,526.62</b>	<b>-</b>	<b>51,526.62</b>	<b>47,616.77</b>	<b>(+)08</b>
<b>2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन-</b>					
003- प्रशिक्षण	524.54	-	524.54	410.05	(+)28
095- लेखा एवं कोष निदेशालय	2,553.24	-	2,553.24	2,562.96	N
097- कोषागार स्थापना	6,599.30	-	6,599.30	6,200.38	(+)06
098- स्थानीय निर्धि लेखापरीक्षा	688.43	-	688.43	616.06	(+)12
800- अन्य व्यय	5,030.41	-	5,030.41	5,023.34	N
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.01	-	(-)0.01	(-)0.49	(-)98
<b>कुल-2054</b>	<b>15,395.91</b>	<b>-</b>	<b>15,395.91</b>	<b>14,812.30</b>	<b>(+)04</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय सहायता			
	निधि व्यय	(सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>घ प्रशासनिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>2055 पुलिस-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	97,198.18	19.93	97,218.11	88,480.16	(+)10
003- शिक्षा एवं प्रशिक्षण	8,807.37	-	8,807.37	10,469.72	(-)16
101- आपराधिक जाँच एवं सतर्कता	70,086.57	15.17	70,101.74	67,649.61	(+)04
104- विशेष पुलिस	1,56,339.35	-	1,56,339.35	1,37,128.97	(+)14
109- जिला पुलिस	2,58,837.16	-	2,58,837.16	2,33,526.89	(+)11
111- रेलवे पुलिस	16,343.43	-	16,343.43	13,858.03	(+)18
115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	21,337.81	284.62	21,622.43	19,656.03	(+)33
116- न्यायिक विज्ञान	1,041.45	14.41	1,055.86	959.34	(+)10
117- आंतरिक सुरक्षा	1,33,527.93	-	1,33,527.93	1,40,463.51	(-)05
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)242.59	-	(-)242.59	(-)953.05	(-)75
<b>कुल-2055</b>	<b>7,63,276.66</b>	<b>334.13</b>	<b>7,63,610.79</b>	<b>7,11,239.21</b>	<b>(+)07</b>
<b>2056- कारावास-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	255.86	-	255.86	280.77	(-)09
101- कारावास	7,933.49	-	7,933.49	7,284.10	(+)09
102- कारावास विनिर्माण	33.78	-	33.78	32.96	(+)02
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.27	-	(-)0.27	(-)0.07	(+)74
<b>कुल-2056</b>	<b>8,222.86</b>	<b>-</b>	<b>8,222.86</b>	<b>7,597.76</b>	<b>(+)08</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>घ प्रशासनिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	212.25	-	212.25	176.67	(+)20
101- लेखन सामग्री भण्डार का क्रय एवं आपूर्ति	420.15	-	420.15	415.43	(+)01
103- राजकीय मुद्रणालय	3,228.89	-	3,228.89	3,068.92	(+)05
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)1.77	(-)100
<b>कुल-2058</b>	<b>3,861.29</b>	<b>-</b>	<b>3,861.29</b>	<b>3,659.25</b>	<b>(+)06</b>
<b>2059- लोक निर्माण कार्य-</b>					
<b>80- सामान्य-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	65,605.42	-	65,605.42	63,642.27	(+)03
103- साज-सज्जा	662.62	-	662.62	707.45	(-)06
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)19.07	-	(-)19.07	(-)1.28	*
<b>कुल-80</b>	<b>66,248.97</b>	<b>-</b>	<b>66,248.97</b>	<b>64,348.44</b>	<b>(+)03</b>
<b>कुल-2059</b>	<b>66,248.97</b>	<b>-</b>	<b>66,248.97</b>	<b>64,348.44</b>	<b>(+)03</b>
<b>2062- सतर्कता-</b>					
104- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का सतर्कता आयोग	-	-	-	58.07	(-)100
105- अन्य सतर्कता एजेन्सियाँ	6,885.48	-	6,885.48	5,387.95	(+)28
<b>कुल-2062</b>	<b>6,885.48</b>	<b>-</b>	<b>6,885.48</b>	<b>5,446.02</b>	<b>(+)28</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>क सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>घ प्रशासनिक सेवाएं- (समाप्त)</b>					
<b>2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-(समाप्त)</b>					
003- प्रशिक्षण	2,238.84	-	2,238.84	1,978.22	(+13)
105- विशेष जाँच आयोग	924.95	-	924.95	879.70	(+05)
106- नागरिक सुरक्षा	481.43	-	481.43	534.85	(+10)
107- होम गार्ड	12,681.17	-	12,681.17	11,593.95	(+09)
108- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण	18,234.31	-	18,234.31	15,287.24	(+19)
114- परिवहन की खरीद एवं अनुरक्षण	4,505.82	-	4,505.82	4,268.13	(+06)
800- अन्य व्यय	4,165.22	-	4,165.22	3,491.12	(+19)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)10.22	-	(-)10.22	(-)0.72	*
<b>कुल-2070</b>	<b>43,221.52</b>	<b>-</b>	<b>43,221.52</b>	<b>38,032.50</b>	<b>(+14)</b>
<b>कुल(घ) प्रशासनिक सेवाएं</b>	<b>9,72,646.61</b>	<b>334.13</b>	<b>9,74,075.08</b>	<b>9,07,927.49</b>	<b>(+07)</b>
	<b>1,094.34</b>				
<b>(ङ) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं-</b>					
<b>2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-</b>					
<b>01- नागरिक-</b>					
101- अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते	7,22,280.72	-	7,22,280.72	5,64,214.72	(+28)
102- पेन्शन की संराशीकृत राशि	99,386.84	-	99,386.84	90,952.91	(+09)

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं					
(₹ लाख में)					
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
क सामान्य सेवाएं-(समाप्त)					
(ड) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं-(समाप्त)					
2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- (समाप्त)					
01- नागरिक-					
104- उपदान	1,35,812.51	-	1,35,812.51	1,20,578.66	(+ )13
105- परिवार पेन्शन	30,305.08	-	30,305.08	24,115.21	(+ )26
111- विधायकों को पेन्शन	1,311.03	-	1,311.03	1,030.21	(+ )27
115- छुट्टी नकदीकरण	76,642.79	-	76,642.79	59,151.10	(+ )30
117- परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (नयी पेन्शन योजना) हेतु	93,457.88	-	93,457.88	50,040.72	(+ )87
सरकारी अंशदान					
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)2,896.77	-	(-)2,896.77	(-)2272.16	(+ )27
	<b>कुल-01</b>	<b>-</b>	<b>11,56,300.08</b> (ड)	<b>9,07,811.37</b>	<b>(+ )27</b>
	<b>कुल-2071</b>	<b>-</b>	<b>11,56,300.08</b> (ड)	<b>9,07,811.37</b>	<b>(+ )27</b>
2075- विविध सामान्य सेवाएं-					
104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेन्शन एवं पुरस्कार	35.87	-	35.87	14.81	*
800- अन्य व्यय	200.00	-	200.00 (घ)	100.00	(+ )100
	<b>कुल-2075</b>	<b>-</b>	<b>235.87</b>	<b>114.81</b>	<b>*</b>
	<b>कुल-(ड)- पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं</b>	<b>-</b>	<b>11,56,535.95</b>	<b>9,07,926.18</b>	<b>(+ )27</b>
	<b>कुल-क- सामान्य सेवाएं</b>	<b>597.71</b>	<b>29,63,985.7</b> (ख)	<b>25,52,116.41</b>	<b>(+ )16</b>
			<b>7,44,186.89</b>		

(ड) 2,20,671 को अधिवर्षिता/ परिवार पेन्शन के लिए सम्मिलित करता है जैसा कि सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

(घ) एमएच 8235-117 "प्रत्याभूति मोचन निधि" में हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया मुख्य शीर्ष-8235 विवरण संख्या 21, खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I अनुलग्नक क का अवलोकन करें।

(ख) ₹ 8,52,921.23 लाख वेतन तथा ₹ 7,276.26 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित है।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय-शीर्ष- (राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-</b>					
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-</b>					
<b>2202- सामान्य शिक्षा-</b>					
<i>01- प्रारम्भिक शिक्षा-</i>					
101- सरकारी प्राथमिक विद्यालय	2,09,394.97	-	2,09,394.97	2,05,363.74	(+02)
104- निरीक्षण	2,29,660.86	-	2,29,660.86	2,16,971.07	(+06)
112- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2,078.62	8,795.19	10,873.81	-	@
800- अन्य व्यय	-	-	-	5,260.75	(-100)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-163.79)	-	(-163.79)	(-128.76)	(+27)
<i>कुल-01</i>	<u>4,40,970.66</u>	<u>8,795.19</u>	<u>4,49,765.85</u>	<u>4,27,466.80</u>	<u>(+05)</u>
<i>02- माध्यमिक शिक्षा-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,84,795.77	67,847.43	4,52,643.20	4,02,177.81	(+13)
107- छात्रवृत्ति	1,167.23	-	1,167.23	1,472.85	(-21)
109- सरकारी माध्यमिक विद्यालय	7,995.57	-	7,995.57	7,983.78	एन
800- अन्य व्यय	-	-	-	46.69	(-100)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-19.98)	-	(-19.98)	(-27.48)	(-27)
<i>कुल-02</i>	<u>3,93,938.59</u>	<u>67,847.43</u>	<u>4,61,786.02</u>	<u>4,11,653.65</u>	<u>(+12)</u>
<i>03- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	176.22	-	176.22	165.47	(+06)
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	56,362.72	-	56,362.72	54,134.99	(+04)
103- सरकारी महाविद्यालय और संस्थाएं	57,955.36	-	57,955.36	56,260.87	(+03)
104- गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता	4,386.94	-	4,386.94	4,869.53	(-10)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-1.68)	-	(-1.68)	(-1.17)	(+44)
<i>कुल-03</i>	<u>1,18,879.56</u>	<u>-</u>	<u>1,18,879.56</u>	<u>1,15,429.69</u>	<u>(+03)</u>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(जारी)</b>					
<b>2202- सामान्य शिक्षा-(समाप्त)</b>					
<b>04- प्रौढ़ शिक्षा-</b>					
200- अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	-	-	-	117.00	(-)100
<b>कुल-04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.00</b>	<b>(-)100</b>
<b>80- सामान्य-</b>					
003- प्रशिक्षण	815.84	-	815.84	707.40	(+)15
004- अनुसंधान	369.92	-	369.92	341.77	(+)08
107- छात्रवृत्तियाँ	438.95	-	438.95	1,363.25	(-)08
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)5.92	-	(-)5.92	-	@
<b>कुल-80</b>	<b>1,618.79</b>	<b>-</b>	<b>1,618.79</b>	<b>2,412.42</b>	<b>(-)33</b>
<b>कुल-2202</b>	<b>9,55,407.60</b>	<b>76,642.42</b>	<b>10,32,050.22</b>	<b>9,57,079.55</b>	<b>(+)08</b>
<b>2203- तकनीकी शिक्षा-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	12,560.85	-	12,560.85	11,409.84	(+)10
112- अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान	-	700.00	700.00	-	@
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.82	-	(-)0.82	(-)0.02	*
<b>कुल-2203</b>	<b>12,560.03</b>	<b>700.00</b>	<b>13,260.03</b>	<b>11,409.82</b>	<b>(+)16</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)</b>					
<b>2204- खेल एवं युवा सेवाएं-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	32,465.02	-	32,465.02	30,097.05	(+08)
101- शारीरिक शिक्षा	2,375.00	-	2,375.00	5,100.00	(-53)
102- छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	1,313.54	-	1,313.54	1,244.34	(+06)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-6.62)	-	(-6.62)	(-7.33)	(-10)
<b>कुल-2204</b>	<b>36,146.94</b>	<b>-</b>	<b>36,146.94</b>	<b>36,434.06</b>	<b>(-01)</b>
<b>2205- कला एवं संस्कृति-</b>					
102- कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन	1,545.00	-	1,545.00	2,243.25	(-31)
104- अभिलेखागार	845.51	-	845.51	842.26	एन
105- सार्वजनिक पुस्तकालय	1,284.89	-	1,284.89	1,245.13	(+03)
<b>कुल-2205</b>	<b>3,675.40</b>	<b>-</b>	<b>3,675.40</b>	<b>4,330.64</b>	<b>(-15)</b>
<b>कुल (क)- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति</b>	<b>10,07,789.97</b>	<b>77,342.62</b>	<b>10,85,132.59</b>	<b>10,09,254.07</b>	<b>(+08)</b>



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)	
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)				
<b>व्यय-शीर्ष</b>						
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>						
<b>ख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-</b>						
<b>2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-</b>						
<b>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</b>						
<b>एलोपैथी-</b>						
001- निदेशन एवं प्रशासन	34,137.23	-	34,137.23	29,502.29	(+)16	
104- चिकित्सा भण्डार आगार	458.51	-	458.51	456.04	एन	
109- विद्यालय स्वास्थ्य योजना	215.55	-	215.55	179.16	(+)20	
110- अस्पताल एवं औषधालय	78,711.78	-	78,711.78	73,044.25	(+)08	
200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	814.50	2.76	817.26	693.61	(+)18	
800- अन्य व्यय	20.28	1,272.14	1,292.42	7,913.16	(-)84	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)49.00	-	(-)49.00	(-)99.08	(-)51	
	<b>कुल-01</b>	<b>1,14,308.85</b>	<b>1,274.90</b>	<b>1,15,583.75</b>	<b>1,11,689.43</b>	<b>(+)03</b>
<b>02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</b>						
<b>औषधि की अन्य पद्धतियाँ</b>						
101- आयुर्वेद	7,932.32	-	7,932.32	7,141.06	(+)11	
103- यूनानी	296.86	-	296.86	265.52	(+)12	
	<b>कुल-02</b>	<b>8,229.18</b>	<b>-</b>	<b>8,229.18</b>	<b>7,406.58</b>	<b>(+)11</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)	
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
	(₹ लाख में)					
<b>व्यय-शीर्ष</b>						
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>						
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)</b>						
<b>2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(जारी)</b>						
<b>03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</b>						
<b>ऐलोपैथी-</b>						
101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र	15,615.27	-	15,615.27	13,852.54	(+)13	
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	45,777.44	-	45,777.44	41,735.72	(+)10	
110- अस्पताल एवं औषधालय	73,013.39	15.59	73,028.98	72,129.82	(+)01	
800- अन्य व्यय	5,785.11	54,620.00	60,405.11	52,386.85	(+)15	
	<b>कुल-03</b>	<b>1,40,191.21</b>	<b>54,635.59</b>	<b>1,94,826.80</b>	<b>1,80,104.93</b>	<b>(+)08</b>
<b>05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-</b>						
101- आयुर्वेद	333.19	-	333.19	-	@	
103- यूनानी	9.47	-	9.47	-	@	
105- ऐलोपैथी	1,26,698.01	-	1,26,698.01	1,12,098.85	(+)13	
	<b>कुल-05</b>	<b>1,27,040.67</b>	<b>-</b>	<b>1,27,040.67</b>	<b>1,12,098.85</b>	<b>(+)13</b>
<b>06- जन स्वास्थ्य-</b>						
101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण	7,156.32	-	7,156.32	6,463.25	(+)11	
102- खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम	-	-	-	330.80	(-)100	
104- औषध नियंत्रण	2,947.51	-	2,947.51	2,247.16	(+)31	

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं				
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)</b>					
<b>2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(समाप्त)</b>					
<i>06- जन स्वास्थ्य-(समाप्त)</i>					
107- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	690.69	-	690.69	770.03	(-) <sup>10</sup>
112- जन स्वास्थ्य शिक्षा	50.16	-	50.16	39.77	(+) <sup>26</sup>
200- औषधियों की अन्य पद्धतियाँ	410.28	-	410.28	375.11	(+) <sup>09</sup>
800- अन्य व्यय	-	-	-	0.21	(-) <sup>100</sup>
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-) <sup>0.26</sup>	-	(-) <sup>0.26</sup>	-	@
<i>कुल-06</i>	<u>11,254.70</u>	<u>-</u>	<u>11,254.70</u>	<u>10,226.33</u>	<u>(+)<sup>10</sup></u>
<b>कुल-2210</b>	<b><u>4,01,024.61</u></b>	<b><u>55,910.49</u></b>	<b><u>4,56,935.10</u></b>	<b><u>4,21,526.12</u></b>	<b><u>(+)<sup>08</sup></u></b>
<b>2211- परिवार कल्याण-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	27,148.42	1,553.61	28,702.03	6,830.48	*
003- प्रशिक्षण	41.01	-	41.01	67.48	(-) <sup>39</sup>
004- अनुसंधान एवं मूल्यांकन	-	479.40	479.40	89.97	*

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)</b>					
<b>2211- परिवार कल्याण-(समाप्त)</b>					
101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	2,796.25	8,583.93	11,380.18	2,541.94	*
102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	-	156.92	156.92	53.24	*
104- परिवहन	24.24	-	24.24	23.85	(+)02
800- अन्य व्यय	-	-	-	11,630.53	(-)100
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.25	-	(-)0.25	(-)4.55	(-)95
<b>कुल-2211</b>	<b>30,009.67</b>	<b>10,773.86</b>	<b>40,783.53</b>	<b>21,232.94</b>	<b>(+)92</b>
<b>कुल (ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>	<b>4,31,034.28</b>	<b>66,684.35</b>	<b>4,97,718.63</b>	<b>4,42,759.06</b>	<b>(+)12</b>
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-</b>					
<b>2215- जलापूर्ति और स्वच्छता-</b>					
<b>01- जलापूर्ति-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,69,502.86	-	1,69,502.86	1,61,899.72	(+)05
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)136.11	-	(-)136.11	(-)58.13	*
<b>कुल-01</b>	<b>1,69,366.75</b>	<b>-</b>	<b>1,69,366.75</b>	<b>1,61,841.59</b>	<b>(+)05</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-(जारी)</b>					
<b>2215- जलापूर्ति और स्वच्छता-(समाप्त)</b>					
<i>02- सीवरेज और स्वच्छता-</i>					
105- स्वच्छता सेवाएं	-	-	-	3.00	(-)100
<i>कुल-02</i>	-	-	-	3.00	(-)100
<b>कुल-2215</b>	<b>1,69,366.75</b>	<b>-</b>	<b>1,69,366.75</b>	<b>1,61,844.59</b>	<b>(+)05</b>
<b>2216- आवास-</b>					
<i>05- सामान्य पूल आवास-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	6,115.15	-	6,115.15	6,615.71	(-)08
053- अनुरक्षण एवं मरम्मतें	1,888.83	-	1,888.83	2,813.29	(-)33
<i>कुल-05</i>	<i>8,003.98</i>	<i>-</i>	<i>8,003.98</i>	<i>9,429.00</i>	<i>(-)15</i>
<i>07- अन्य आवास-</i>					
053- अनुरक्षण एवं मरम्मतें	997.44	-	997.44	1,022.61	(-)02
<i>कुल-07</i>	<i>997.44</i>	<i>-</i>	<i>997.44</i>	<i>1,022.61</i>	<i>(-)02</i>
<b>कुल-2216</b>	<b>9,001.42</b>	<b>-</b>	<b>9,001.42</b>	<b>10,451.61</b>	<b>(-)14</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय सहायता			
	निधि व्यय	(सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-(समाप्त)</b>					
<b>2217- शहरी विकास-</b>					
<i>03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,292.65	-	1,292.65	1,194.98	(+)08
191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता	41,603.47	-	41,603.47	54,541.29	(-)24
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)296.35	-	(-)296.35	(-)0.36	*
<b>कुल-03</b>	<b>42,599.77</b>	<b>-</b>	<b>42,599.77</b>	<b>55,735.91</b>	<b>(-)24</b>
<i>05- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,041.74	-	5,041.74	5,233.89	(-)04
191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता	25,698.32	-	25,698.32	35,632.22	(-)28
<b>कुल-05</b>	<b>30,740.06</b>	<b>-</b>	<b>30,740.06</b>	<b>40,866.11</b>	<b>(-)25</b>
<i>80- सामान्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,238.16	-	2,238.16	2,113.87	(+)06
<b>कुल-80</b>	<b>2,238.16</b>	<b>-</b>	<b>2,238.16</b>	<b>2,113.87</b>	<b>(+)06</b>
<b>कुल-2217</b>	<b>75,577.99</b>	<b>-</b>	<b>75,577.99</b>	<b>98,715.89</b>	<b>(-)23</b>
<b>कुल-(ग)- जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास</b>	<b>2,53,946.16</b>	<b>-</b>	<b>2,53,946.16</b>	<b>2,71,012.09</b>	<b>(-)06</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(घ) सूचना एवं प्रसारण-</b>					
<b>2220- सूचना एवं प्रचार-</b>					
<i>60- अन्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,011.48	-	1,011.48	947.81	(+)07
101- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार	5,569.65	-	5,569.65	5,192.19	(+)07
102- सूचना केन्द्र	1,282.99	-	1,282.99	1,217.31	(+)05
106- क्षेत्र प्रचार	504.66	-	504.66	455.17	(+)11
109- फोटो सेवाएं	125.08	-	125.08	137.72	(-)09
	<i>कुल-60</i>				
	8,493.86	-	8,493.86	7,950.63	(+)07
	<b>कुल-2220</b>				
	<b>8,493.86</b>	<b>-</b>	<b>8,493.86</b>	<b>7,950.63</b>	<b>(+)07</b>
	<b>कुल-(घ)- सूचना एवं प्रसारण</b>				
	<b>8,493.86</b>	<b>-</b>	<b>8,493.86</b>	<b>7,950.63</b>	<b>(+)07</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं				
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-</b>					
<b>2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-</b>					
<b>02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-</b>					
277- शिक्षा	-	808.24	808.24	1,439.40	(-)44
800- अन्य व्यय	-	2,112.98	2,112.98	-	@
<b>कुल-02</b>	<b>-</b>	<b>2,921.22</b>	<b>2,921.22</b>	<b>1,439.40</b>	<b>*</b>
<b>03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-</b>					
<b>001- निदेशन एवं प्रशासन</b>					
102- आर्थिक विकास	7,152.34	-	7,152.34	6,712.66	(+)07
277- शिक्षा	272.74	-	272.74	173.24	(+)57
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)258.79	-	(-)258.79	(-)2.92	*
<b>कुल-03</b>	<b>7,166.29</b>	<b>-</b>	<b>7,166.29</b>	<b>6,882.98</b>	<b>(+)04</b>
<b>80- सामान्य-</b>					
800- अन्य व्यय	452.68	-	452.68	406.62	(+)11
<b>कुल-80</b>	<b>452.68</b>	<b>-</b>	<b>452.68</b>	<b>406.62</b>	<b>(+)11</b>
<b>कुल-2225</b>	<b>7,618.97</b>	<b>-</b>	<b>7,618.97</b>	<b>8,729.00</b>	<b>(+)21</b>
<b>कुल - (ङ)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>	<b>7,618.97</b>	<b>2,921.22</b>	<b>10,540.19</b>	<b>8,729.00</b>	<b>(+)21</b>



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(च) श्रम एवं श्रम कल्याण-</b>					
<b>2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास-</b>					
<i>01- श्रम-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,451.58	-	2,451.58	1,327.84	(+)85
101- औद्योगिक संबंध	92.74	-	92.74	73.22	(+)27
102- कामकाजी स्थितियाँ एवं सुरक्षा	233.39	-	233.39	226.65	(+)03
103- सामान्य श्रम कल्याण	-	-	-	524.59	(-)100
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)5.82	-	(-)5.82	(-)0.36	*
<b>कुल-01</b>	<b>2,771.89</b>	<b>-</b>	<b>2,771.89</b>	<b>2,151.94</b>	<b>(+)29</b>
<i>02- रोजगार सेवा -</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	2,923.16	-	2,923.16	2,454.48	(+)19
<b>कुल-02</b>	<b>2,923.16</b>	<b>-</b>	<b>2,923.16</b>	<b>2,454.48</b>	<b>(+)19</b>
<b>कुल-2230</b>	<b>5,695.05</b>	<b>-</b>	<b>5,695.05</b> (क)	<b>4,606.42</b>	<b>(+)24</b>
<b>कुल-(च)- श्रम एवं श्रम कल्याण</b>	<b>5,695.05</b>	<b>-</b>	<b>5,695.05</b>	<b>4,606.42</b>	<b>(+)24</b>

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यय अनुदानों हेतु मांग के अनुसार मुख्य शीर्ष 2203 "तकनीकी शिक्षा" के अंतर्गत बुक किया गया है।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-</b>					
<b>2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-</b>					
<i>01- पुनर्वास-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	21.78	-	21.78	20.98	(+)04
202- अन्य पुनर्वास योजना	1,344.28	-	1,344.28	1,044.74	(+)29
	<i>कुल-01</i>		<i>1,366.06</i>	<i>1,065.72</i>	<i>(+)28</i>
<i>02- समाज कल्याण-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	4,584.04	-	4,584.04	4,495.67	(+)02
101- दिव्यांगों का कल्याण	76.45	-	76.45	70.43	(+)09
102- बाल कल्याण	16,824.00	2,591.20	19,415.20	14,124.12	(+)37
103- महिला कल्याण	5,678.24	380.31	6,058.55	5,751.30	(+)05
104- वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण	1,02,349.22	75.00	1,02,424.22	97,024.41	(+)06
106- सुधारात्मक सेवाएं	-	-	-	1.95	(-)100
800- अन्य व्यय	161.58	-	161.58	137.83	(+)17
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1,811.67	-	(-)1,811.67	(-)1.57	*
	<i>कुल-02</i>	<i>3,046.51</i>	<i>1,27,861.86</i>	<i>1,21,604.14</i>	<i>(+)08</i>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)</b>					
<b>2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-(समाप्त)</b>					
<i>03- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-</i>					
102- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	-	4,362.66	4,362.66	2,111.46	*
	<i>कुल-03</i>	-	4,362.66	2,111.46	*
<i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</i>					
102- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेन्शन (ओएपी)	38.07	-	38.07	27.67	(+)38
104- जमा संबंधित बीमा योजना- सरकारी पी. एफ.	17.08	-	17.08	7.50	*
105- सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	1,592.03	-	1,592.03	1,615.01	(-)01
107- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेन्शन योजना	3.47	-	3.47	2.43	(+)43
200- अन्य कार्यक्रम	6.30	-	6.30	-	@
800- अन्य व्यय	128.25	0.49	128.74	148.90	(-)14
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)3.22	-	(-)3.22	-	@
	<i>कुल-60</i>	1,781.98	1,782.47	1,801.51	(-)01
<b>कुल-2235</b>	<b>1,31,009.90</b>	<b>7,409.66</b>	<b>1,38,419.56</b> (क)	<b>1,26,582.83</b>	<b>(+)09</b>

(क) ₹ 10.31 लाख पेन्शन भोगियों को भुगतान की गई पेन्शन सम्मिलित है।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)</b>					
<b>2236- पोषण-</b>					
<i>02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-</i>					
101- विशेष पोषण कार्यक्रम	9,916.70	44,057.25	53,973.95	36,585.30	(+)48
800- अन्य व्यय	-	-	-	425.10	(-)100
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.98	-	(-)0.98	-	@
<i>कुल-02</i>	<u>9,915.72</u>	<u>44,057.25</u>	<u>53,972.97</u>	<u>37,010.40</u>	<u>(+)46</u>
<i>80- सामान्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन					
101- विशेष पोषण कार्यक्रम	2,979.36	-	2,979.36	3,006.69	(-)01
800- अन्य व्यय	537.75	-	537.75	571.16	(-)06
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.08	(+)100
<i>कुल-80</i>	<u>3,517.11</u>	<u>-</u>	<u>3,517.11</u>	<u>3,577.77</u>	<u>(-)02</u>
<b>कुल-2236</b>	<b><u>13,432.83</u></b>	<b><u>44,057.25</u></b>	<b><u>57,490.08</u></b>	<b><u>40,588.17</u></b>	<b><u>(+)42</u></b>
<b>2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-</b>					
<i>02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि-</i>					
101- आनुग्रहिक राहत	26,826.07	-	26,826.07	16,434.73	(+)63
<i>कुल-02</i>	<u>26,826.07</u>	<u>-</u>	<u>26,826.07</u>	<u>16,434.73</u>	<u>(+)63</u>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ख समाज सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)</b>					
<b>2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-(समाप्त)</b>					
<b>05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-</b>					
101- आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं का हस्तांतरण-राज्य आपदा					
मोचन निधि	31,000.00	-	31,000.00 (क)	31,000.00	-
901- कटौती- राज्य आपदा मोचन निधि से प्राप्त राशि	(-)26,826.07	-	(-)26,826.07 (क)	(-)16,434.73	(+)63
<b>कुल-05</b>	<b>4,173.93</b>	<b>-</b>	<b>4,173.93</b>	<b>14,565.27</b>	<b>(-)71</b>
<b>80- सामान्य-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	80.57	-	80.57	145.30	(-)45
102- आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	-	27.42	27.42	12.93	*
<b>कुल-80</b>	<b>80.57</b>	<b>27.42</b>	<b>107.99</b>	<b>158.23</b>	<b>(-)32</b>
<b>कुल-2245</b>	<b>31,080.57</b>	<b>27.42</b>	<b>31,107.99</b>	<b>31,158.23</b>	<b>N</b>
<b>कुल-(छ)-समाज कल्याण एवं पोषण</b>	<b>1,75,523.30</b>	<b>51,494.33</b>	<b>2,27,017.63</b>	<b>1,98,329.23</b>	<b>(-)14</b>

(क) एमएच 8121-122 "राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" को हस्तांतरित राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियों" के खण्ड-II के विवरण संख्या 21 में एमएच-8121 के नीचे पाद टिप्पणियों तथा खण्ड-I के पैरा 5 (ii)

(क) (ग) का अन्वयोजन करें।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं					
(₹ लाख में)					
व्यय -शीर्ष					
(राजस्व लेख)-(जारी)					
ख समाज सेवाएं-(समाप्त)					
(ज) अन्य-					
2250- अन्य समाज सेवाएं-					
102- धार्मिक और धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम का प्रशासन	132.36	-	132.36	134.41	(-)02
800- अन्य व्यय	-	-	-	171.05	(-)100
<b>कुल-2250</b>	<b>132.36</b>	<b>-</b>	<b>132.36</b>	<b>305.46</b>	<b>(-)57</b>
2251- सचिवालय-समाज सेवाएं-					
090- सचिवालय	4,639.19	-	4,639.19	4,224.25	(+)10
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.52	-	(-)1.52	(-)0.70	(-)100
<b>कुल-2251</b>	<b>4,637.67</b>	<b>-</b>	<b>4,637.67</b>	<b>4,223.55</b>	<b>(-)10</b>
<b>कुल-(ज) -अन्य</b>	<b>4,770.03</b>	<b>-</b>	<b>4,770.03</b>	<b>4,529.01</b>	<b>(+)05</b>
<b>कुल-ख-समाज सेवाएं</b>	<b>18,94,871.62</b>	<b>1,98,442.52</b>	<b>20,93,314.14</b> (म)	<b>19,47,169.51</b>	<b>(+)08</b>

(म) ₹ 13,82,354.31 लाख वेतन एवं ₹ 2,88,838.58 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-</b>					
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-</b>					
<b>2401- फसल पैदावार-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	51,069.33	-	51,069.33	23,005.69	*
103- बीज	-	-	-	696.18	(-)100
104- कृषिगत फार्म	-	-	-	1,102.29	(-)100
105- खाद एवं उर्वरक	-	-	-	304.12	(-)100
107- पौध संरक्षण	-	-	-	3,588.64	(-)100
108- वाणिज्यिक फसलें	-	-	-	589.15	(-)100
109- विस्तारण तथा कृषकों का प्रशिक्षण	-	-	-	4,008.87	(-)100
111- कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	-	-	-	35.63	(-)100
113- कृषि अभियांत्रिकी	-	-	-	500.78	(-)100
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें	10,759.15	-	10,759.15	16,287.83	(-)34
800- अन्य व्यय	-	-	-	135.35	(-)100
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)10.49	-	(-)10.49	(-)12.41	(-)15
<b>कुल-2401</b>	<b>61,817.99</b>	<b>-</b>	<b>61,817.99</b>	<b>50,242.12</b>	<b>(+)23</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)</b>					
<b>2402- मृदा एवं जल संरक्षण</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	4,097.86	-	4,097.86	3,803.80	(+08)
101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	-	-	-	1,268.25	(-100)
102- मृदा संरक्षण	1,422.57	-	1,422.57	2,517.11	(-43)
103- भूमि सुधार एवं विकास	-	-	-	17.38	(-100)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.41	-	(-)0.41	(-)11.87	(-97)
<b>कुल-2402</b>	<b>5,520.02</b>		<b>5,520.02</b>	<b>7,594.67</b>	<b>(-27)</b>
<b>2403- पशुपालन-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	55,510.59	-	55,510.59	50,607.96	(+10)
107- चारा एवं खाद्य विकास	-	-	-	690.04	(-100)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)12.71	-	(-)12.71	(-)1.85	*
<b>कुल-2403</b>	<b>55,497.88</b>		<b>55,497.88</b>	<b>51,296.15</b>	<b>(+08)</b>



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय सहायता			
	निधि व्यय	(सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)</b>					
<b>2405- मत्स्यपालन-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	10,005.12	-	10,005.12	8,985.61	(+11)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	-	-	-	(-)0.05	(-)100
<b>कुल-2405</b>	<b>10,005.12</b>	<b>-</b>	<b>10,005.12</b>	<b>8,985.56</b>	<b>(+11)</b>
<b>2406- वानिकी एवं वन्य जीवन-</b>					
<b>01- वानिकी-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	62,751.50	-	62,751.50	58,890.73	(+07)
004- अनुसंधान	1,418.03	-	1,418.03	1,370.72	(+03)
070- संचार एवं इमारतें	42.48	-	42.48	38.52	(+10)
101- वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्थान	42.40	-	42.40	83.15	(-)49
102- सामाजिक एवं फार्म वानिकी	24,482.78	-	24,482.78	22,751.19	(+08)
105- वन उत्पाद	397.28	-	397.28	483.85	(-)18
800- अन्य व्यय	1.08	-	1.08	44.52	(-)98
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)2.66	-	(-)2.66	(-)15.93	(-)083
<b>कुल-01</b>	<b>89,132.89</b>	<b>-</b>	<b>89,132.89</b>	<b>83,646.75</b>	<b>(-)07</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं				
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)</b>					
<b>2406- वानिकी एवं वन्य जीवन-(समाप्त)</b>					
<i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	4.61	-	4.61	2,358.90	(-)100
110- वन्य जीवन संरक्षण	4,447.85	-	4,447.85	4,187.96	(+)06
112- सार्वजनिक उद्यान	9,542.57	-	9,542.57	6,895.14	(+)38
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)13.99	-	(-)13.99	(-)12.52	(+)12
<b>कुल-02</b>	<b>13,981.04</b>	<b>-</b>	<b>13,981.04</b>	<b>13,429.48</b>	<b>(+)04</b>
<i>04- वन-रोपण और पारिस्थितिकी-</i>					
103- राज्य प्रतिकर वन-रोपण (एससीए)	12,741.56	-	12,741.56	10,791.97	(+)18
<b>कुल-04</b>	<b>12,741.56</b>	<b>-</b>	<b>12,741.56</b>	<b>10,791.97</b>	<b>(+)18</b>
<b>कुल-2406</b>	<b>1,15,855.49</b>	<b>-</b>	<b>1,15,855.49</b>	<b>1,07,868.2</b>	<b>(+)07</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)</b>					
<b>2408- खाद्य, संग्रहण एवं भण्डारण-</b>					
<i>01- भोजन-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	14,938.33	-	14,938.33	14,289.88	(+)05
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)3.28	-	(-)3.28	-	@
<i>कुल-01</i>	<u>14,935.05</u>	<u>-</u>	<u>14,935.05</u>	<u>14,289.88</u>	<u>(+)05</u>
<i>02- संग्रहण एवं भण्डारण-</i>					
800- अन्य व्यय	-	-	-	105.12	(-)100
<i>कुल-02</i>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105.12</u>	<u>(-)100</u>
<b>कुल-2408</b>	<u>14,935.05</u>	<u>-</u>	<u>14,935.05</u>	<u>14,395.00</u>	<u>(+)04</u>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(समाप्त)</b>					
<b>2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा</b>					
<i>01- फसल पैदावार</i>					
004- अनुसंधान	-	-	-	347.08	(-)100
<i>कुल-01</i>	-	-	-	347.08	(-)100
<i>80- सामान्य</i>					
120- अन्य संस्थानों को सहायता	36,255.76	-	36,255.76	38,628.84	(-)06
<i>कुल-80</i>	36,255.76	-	36,255.76	38,628.84	(-)06
<b>कुल-2415</b>	<b>36,255.76</b>	<b>-</b>	<b>36,255.76</b>	<b>38,975.92</b>	<b>(-)07</b>
<b>2425- सहकारिता</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	4,437.09	-	4,437.09	3,212.00	(+)38
101- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा	-	-	-	883.60	(-)100
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	450.00	-	450.00	125.00	*
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.09	(-)100
<b>कुल-2425</b>	<b>4,887.09</b>	<b>-</b>	<b>4,887.09</b>	<b>4,220.51</b>	<b>(+)16</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
	तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं				
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(सम्पत्)</b>					
<b>2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-</b>					
<i>01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-</i>					
101- विपणन सुविधाएं	2,578.61	-	2,578.61	2,493.50	(+103)
102- ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं	-	-	-	631.41	(-)100
800- अन्य व्यय	-	-	-	356.66	(-)100
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)3.25	(-)100
	<i>कुल-01</i>	<i>2,578.61</i>	<i>-</i>	<i>2,578.61</i>	<i>(-)26</i>
	<b>कुल-2435</b>	<b>2,578.61</b>	<b>-</b>	<b>2,578.61</b>	<b>(-)26</b>
	<b>कुल-(क)- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ</b>	<b>3,07,353.01</b>	<b>-</b>	<b>3,07,353.01</b>	<b>(+)07</b>
<b>(ख) ग्रामीण विकास-</b>					
<b>2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-</b>					
<i>02- सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	2,092.70	(-)100

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(ख) ग्रामीण विकास-(समाप्त)</b>					
<b>2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-</b>					
<i>02- सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम-</i>					
800- अन्य व्यय	-	-	-	265.09	(-)100
	-	-	-	-	
<i>कुल-02</i>	-	-	-	2,357.79	(-)100
<i>04- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम -</i>					
105- परियोजना कार्यान्वयन	2,810.61	817.52	3,628.13	-	@
	2,810.61	817.52	3,628.13	-	@
<b>कुल-2501</b>	<b>2,810.61</b>	<b>817.52</b>	<b>3,628.13</b>	<b>2,357.79</b>	<b>(+)54</b>
<b>2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	16,612.97	-	16,612.97	13,840.44	(+)20
101- पंचायती राज	25.00	-	25.00	-	@
102- सामुदायिक विकास	22,875.22	-	22,875.22	21,346.16	(+)07
800- अन्य व्यय	8,603.79	-	8,603.79	7,266.60	(+)18
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.13	-	(-)0.13	(-)4.74	(-)97
<b>कुल-2515</b>	<b>48,116.85</b>	<b>-</b>	<b>48,116.85</b>	<b>42,448.46</b>	<b>(+)13</b>
<b>कुल-(ख)-ग्रामीण विकास</b>	<b>50,927.46</b>	<b>817.52</b>	<b>51,744.98</b>	<b>44,806.25</b>	<b>(+)15</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-</b>					
<b>2700- प्रमुख सिंचाई-</b>					
<i>01- प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	800.72	-	800.72	769.72	(+)04
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.61	(-)100
<i>कुल-01</i>	<u>800.72</u>	<u>-</u>	<u>800.72</u>	<u>769.11</u>	<u>(+)04</u>
<b>कुल-2700</b>	<u><b>800.72</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>800.72</b></u>	<u><b>769.11</b></u>	<u><b>(+)04</b></u>
<b>2701- मध्यम सिंचाई-</b>					
<i>04- मध्यम सिंचाई-गैर-वाणिज्यिक-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	48,889.75	-	48,889.75	5,252.55	(-)07
612- तवी लिफ्ट सिंचाई	1,503.13	-	1,503.13	1,587.19	(-)05
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)19.66	-	(-)19.66	(-)7.04	*
<i>कुल-04</i>	<u>6,373.22</u>	<u>-</u>	<u>6,373.22</u>	<u>6,832.70</u>	<u>(-)07</u>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-(जारी)					
2701- मध्यम सिंचाई-(समाप्त)					
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	500.62	-	500.62	262.29	(+)91
कुल-80	500.62	-	500.62	262.29	(+)91
कुल-2701	68,773.84	-	68,773.84	7,094.99	(-)03
2702- लघु सिंचाई-					
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	39,409.00	-	39,409.00	38,995.92	(+)01
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)7.85	-	(-)7.85	(-)3.16	*
कुल-80	39,401.15	-	39,401.15	38,992.76	(+)01
कुल-2702	39,401.15	-	39,401.15	38,992.76	(+)01
2705- कमान क्षेत्र विकास-					
602- कमान क्षेत्र कश्मीर	676.58	-	676.58	624.51	एन
603- कमान क्षेत्र जम्मू	2,176.07	-	2,176.07	2,203.62	@
800- अन्य व्यय	-	-	-	263.79	एन
कुल-2705	2,852.65	-	2,852.65	3,091.92	एन



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-(समाप्त)</b>					
<b>2711- बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह-</b>					
<i>01- बाढ़ नियंत्रण-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	11,278.31	-	11,278.31	11,235.85	एन
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)0.02	-	(-)0.02	-	@
<i>कुल-01</i>	<u>11,278.29</u>	<u>-</u>	<u>11,278.29</u>	<u>11,235.85</u>	<u>एन</u>
<b>कुल-2711</b>	<u>11,278.29</u>	<u>-</u>	<u>11,278.29</u>	<u>11,235.85</u>	<u>एन</u>
<b>कुल-(घ)- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</b>	<u>61,206.65</u>	<u>-</u>	<u>61,206.65</u>	<u>61,184.63</u>	<u>एन</u>
<b>(ङ) ऊर्जा-</b>					
<b>2801- विद्युत-</b>					
<i>01- जल विद्युत उत्पादन-</i>					
101- विद्युत की खरीद	1,94,475.63	-	1,94,475.63	1,69,993.38	(+)14
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)1.12	-	(-)1.12	-	@
<i>कुल-01</i>	<u>1,94,474.51</u>	<u>-</u>	<u>1,94,474.51</u>	<u>1,69,993.38</u>	<u>(+)14</u>
<i>05- संचारण एवं वितरण-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,17,879.36	-	1,17,879.36	1,10,588.70	(+)07
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)41.22	-	(-)41.22	-	@
<i>कुल-05</i>	<u>1,17,838.14</u>	<u>-</u>	<u>1,17,838.14</u>	<u>1,10,588.70</u>	<u>(+)07</u>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ड) ऊर्जा-(समाप्त)					
<b>2801- विद्युत-(समाप्त)</b>					
<i>80- सामान्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	209.28	-	209.28	241.24	(-)13
005- जाँच पड़ताल	588.53	-	588.53	552.32	(+)07
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)91.25	(-)100
<i>कुल -80</i>	<i>797.81</i>	<i>-</i>	<i>797.81</i>	<i>702.31</i>	<i>(+)14</i>
<b>कुल-2801</b>	<b>3,13,110.46</b>	<b>-</b>	<b>3,13,110.46</b>	<b>2,81,284.39</b>	<b>(+)11</b>
<b>कुल-(ड)-ऊर्जा</b>	<b>3,13,110.46</b>	<b>-</b>	<b>3,13,110.46</b>	<b>2,81,284.39</b>	<b>(+)11</b>
<b>(च)- उद्योग एवं खनिज-</b>					
<b>2851- गांव एवं लघु उद्योग-</b>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	14,814.91	-	14,814.91	695.88	*
003- प्रशिक्षण	400.00	-	400.00	400.00	-
004- अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	866.93	(-)100
101- औद्योगिक संपदा	185.27	-	185.27	168.05	(+)10
102- लघु पैमाना उद्योग	4,329.26	-	4,329.26	5,099.44	(-)15
103- हथकरघा उद्योग	185.50	-	185.50	2,114.85	(-)91
104- हस्तशिल्प उद्योग	-	-	-	9,867.85	(-)100
105- खादी एवं ग्रामोद्योग	2,156.00	-	2,156.00	2,479.50	(-)13
107- रेशम उत्पादन उद्योग	9,311.27	-	9,311.27	8,728.25	(+)07
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)2.28	-	(-)2.28	(-)0.51	*
<b>कुल-2851</b>	<b>31,379.93</b>	<b>-</b>	<b>31,379.93</b>	<b>30,420.24</b>	<b>(+)03</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
<b>व्यय-शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(च)- उद्योग एवं खनिज-(समाप्त)					
<b>2853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग-</b>					
02- खानों का विनियमन एवं विकास-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,644.94	-	5,644.94	5,408.43	(+04)
कुल-02	5,644.94	-	5,644.94	5,408.43	(+04)
<b>कुल-2853</b>	<b>5,644.94</b>	<b>-</b>	<b>5,644.94</b>	<b>5,408.43</b>	<b>(+04)</b>
<b>कुल-(च)-उद्योग एवं खनिज</b>	<b>37,024.87</b>	<b>-</b>	<b>37,024.87</b>	<b>35,828.67</b>	<b>(+03)</b>
<b>3054- सड़कें एवं पुल-</b>					
03- राज्य राजमार्ग-					
103- अनुरक्षण तथा मरम्मत	527.09	-	527.09	-	@
कुल-03	527.09	-	527.09	-	@
04- जिला एवं अन्य सड़कें					
337- सड़क निर्माण	14,048.16	-	14,048.16	-	
कुल-04	14,048.16	-	14,048.16	-	
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	15,425.38	-	15,425.38	13,097.16	(+17)
797- आरक्षित निधि/ जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण	32,078.00	-	32,078.00 (क)	7,940.00	*
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-0.07)		(-0.07)	-	@
कुल-80	47,503.31	-	47,503.31	21,037.16	*
<b>कुल-3054</b>	<b>62,078.56</b>	<b>-</b>	<b>62,078.56</b>	<b>21,037.16</b>	<b>*</b>
<b>कुल-(छ)- परिवहन</b>	<b>62,078.31</b>	<b>-</b>	<b>62,078.31</b>	<b>21,037.16</b>	<b>*</b>

(क) एमएच 8449-103 "केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी" को हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II विवरण संख्या 21 एमएच-8449 के नीचे पाद टिप्पणी का अवलोकन करें।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
<b>व्यय -शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण-</b>					
<b>3435- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण-</b>					
<i>04- प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण-</i>					
103- वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम	3,180.48	-	3,180.48	2,946.28	(+08)
800- अन्य व्यय	186.76	-	186.76	1,247.28	(-)85
	<b>कुल-04</b>	<b>-</b>	<b>3,367.24</b>	<b>4,193.56</b>	<b>(-)20</b>
<i>60- सामान्य-</i>					
800- अन्य व्यय	1,149.11	-	1,149.11	-	@
	<b>कुल-60</b>	<b>-</b>	<b>1,149.11</b>	<b>-</b>	<b>@</b>
	<b>कुल-3454</b>	<b>-</b>	<b>4,516.35</b>	<b>4,193.56</b>	<b>(+)08</b>
<b>कुल-(झ)- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण</b>	<b>4516.35</b>	<b>-</b>	<b>4,516.35</b>	<b>4,193.56</b>	<b>(+)08</b>
<b>(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-</b>					
<b>3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-</b>					
090- सचिवालय	8,081.54	-	8,081.54	7,299.10	(+)11
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)2.48	-	(-)2.48	(-)1.74	(+)42
	<b>कुल-3451</b>	<b>-</b>	<b>8,079.06</b>	<b>7,297.36</b>	<b>(+)11</b>

(ख) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-1 के पैरा 3 (xi) (ख) का संदर्भ लें।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
ग सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
<b>3452- पर्यटन-</b>					
<i>01- पर्यटक अवसंरचना-</i>					
101- पर्यटन केन्द्र	724.66	-	724.66	638.57	(+)13
102- पर्यटक आवास	1,418.59	-	1,418.59	1,280.89	(+)11
800- अन्य व्यय	4,702.04	-	4,702.04	4,762.29	(-)01
	<b>कुल-01</b>	<b>-</b>	<b>6,845.29</b>	<b>6,681.75</b>	<b>(+)02</b>
<i>80- सामान्य-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	5,008.61	-	5,008.61	4,302.37	(+)06
104- प्रोत्साहन एवं प्रचार	425.61	-	425.61	388.27	(+)10
800- अन्य व्यय	2,405.80	-	2,405.80	2,131.07	(+)13
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	(-)68.31	-	(-)68.31	(-)0.45	*
	<b>कुल-80</b>	<b>-</b>	<b>7,771.71</b>	<b>6,821.26</b>	<b>(+)14</b>
	<b>कुल-3452</b>	<b>-</b>	<b>14,617.00</b>	<b>13,503.01</b>	<b>(+)08</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
	(₹ लाख में)				
<b>व्यय शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>					
<b>ग सामान्य सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(जारी)</b>					
<b>3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-</b>					
<i>01- जनगणना-</i>					
001- निदेशन और प्रशासन	-	911.06	911.06	380.44	*
	<i>कुल-01</i>	-	911.06	380.44	*
<i>02- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-</i>					
110- स्थान-विवरणिका एवं सांख्यिकीय संस्मरण	36.76	-	36.76	64.96	(-)43
112- आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी	6,357.25	-	6,357.25	5,072.75	(+)25
201- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	1,121.88	-	1,121.88	674.07	(+)66
205- राज्य सांख्यिकीय अभिकरण	248.01	-	248.01	555.89	(-)55
800- अन्य व्यय	-	-	-	18.23	(-)100
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	(-)0.60	(-)100
	<i>कुल-02</i>	7,763.90	7,763.90	6,385.30	(+)22
	<b>कुल-3454</b>	<b>7,763.90</b>	<b>8,674.96</b>	<b>6,765.74</b>	<b>(+)28</b>

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े		कुल	2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी(-)
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (₹ लाख में)			
<b>व्यय शीर्ष</b>					
<b>(राजस्व लेखा)-(समाप्त)</b>					
<b>क सामान्य सेवाएं-(समाप्त)</b>					
<b>(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)</b>					
<b>3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-</b>					
106- वजन एवं माप का नियमन	1,045.35	-	1,045.35	996.18	(+)05
115- अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता	181.41	-	181.41	120.00	(+)51
800- अन्य व्यय	-	-	-	16.17	(-)100
<b>कुल-3475</b>	<b>1,226.76</b>	<b>-</b>	<b>1,226.76</b>	<b>1,132.35</b>	<b>(+)08</b>
<b>कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>	<b>31,686.72</b>	<b>911.06</b>	<b>32,597.78</b>	<b>28,698.46</b>	<b>(+)14</b>
<b>कुल-ग-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>8,67,904.08</b>	<b>1,728.58</b>	<b>8,69,632.66</b> (घ)	<b>7,64,089.57</b>	<b>(+)14</b>
<b>कुल-व्यय शीर्ष</b>	<b>49,81,976.80</b>	<b>2,00,768.81</b>	<b>59,26,932.50</b> (॥)	<b>52,63,375.49</b>	<b>(+)13</b>
<b>(राजस्व लेखा)</b>	<b>7,44,186.89</b>				
<b>वेतन</b>	<b>25,56,548.60</b>	<b>43,821.31</b>	<b>26,07,678.78</b>	<b>23,85,025.96</b>	<b>(+)09</b>
	<b>7,308.87</b>				
<b>सहायिकियाँ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.27</b>	<b>(-)100</b>
<b>सहायता अनुदान</b>	<b>3,52,363.52</b>	<b>1,28,362.04</b>	<b>4,80,725.56</b>	<b>6,47,027.22</b>	<b>(-)26</b>

(घ) ₹ 3,72,403.26 लाख वेतन तथा ₹ 19.27 लाख सहायिकी एवं ₹ 1,84,610.72 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

(॥) विनियोजन लेखों के सारांश में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों के साथ ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-						
विवरण संख्या 15 की अनुलग्नक "ख"						
राजस्व लेखा पर व्यय: - वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजस्व व्यय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 52,63,375.49 लाख के प्रति ₹ 59,26,932.50 लाख था। मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में ₹ 6,63,557.01 लाख की वृद्धि थी।						
क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्णन	वास्तविक		वृद्धि	कारण (एल)
			2021-22	2020-21		
(₹ लाख में)						
1	2014-	न्याय प्रशासन-	28,532.05	25,437.42	3,094.63	मुख्यतः उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
2	2041	वाहनों पर कर-	3,315.69	2,093.47	1,222.22	मुख्यतः संग्रहण प्रभारों तथा निदेशन एवं प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
3	2049-	ब्याज भुगतान-	7,36,031.36	6,37,245.72	98,785.64	मुख्यतः आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज के कारण देयताओं के सम्मिलन कारण वृद्धि
4	2053-	जिला प्रशासन-	51,526.62	47,616.77	3,909.85	मुख्यतः जिला तथा अन्य प्रतिष्ठान के अन्तर्गत बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
5	2055	पुलिस-	7,63,610.79	7,11,239.21	52,371.58	मुख्यतः विशेष पुलिस, जिला पुलिस तथा पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
6	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं-	43,221.52	38,032.50	5,189.02	मुख्यतः प्रशिक्षणों, गृह रक्षक तथा अग्नि सुरक्षा पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
7	2071	पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-	11,56,300.08	9,07,811.37	2,48,488.71	मुख्यतः परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना प्रतिशतता तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सरकारी अंशदान में परिशोधन के कारण वृद्धि
8	2202-	सामान्य शिक्षा-	10,32,050.22	9,57,079.55	74,970.67	मुख्यतः मध्याह्न भोजन पर व्यय तथा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा पर व्यय के कारण वृद्धि
9	2211	परिवार कल्याण-	40,783.53	21,232.94	19,550.59	मुख्यतः निदेशन एवं प्रशासन, ग्रामीण तथा शहरी परिवार कल्याण के अन्तर्गत बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
10	2236-	पोषण-	57,490.08	40,588.17	16,901.91	मुख्यतः पोषण कार्यक्रम पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि

(एल) वृद्धि/ कमी के कारणों को सरकार (जुलाई 2022) द्वारा सूचित नहीं किया गया।



## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(जारी)

विवरण संख्या 15 की अनुलग्नक "ख"

क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्णन	वास्तविक		वृद्धि	कारण (एम)
			2021-22	2020-21		
(₹ लाख में)						
11	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन-	1,15,855.49	1,07,868.20	7,987.29	मुख्यतः अनुसंधान, सामाजिक तथा फार्म वानिकी पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
12	2801-	विद्युत-	3,13,110.46	2,81,284.39	31,826.07	मुख्यतः विद्युत की खरीद, निदेशन एवं प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
13	3054-	सड़कें एवं पुल-	62,078.56	21,037.16	41,041.40	केंद्रीय सड़क निधि का अधिक हस्तांतरण तथा निदेशन एवं प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
14	3452-	पर्यटन-	14,617.00	13,503.01	1,113.99	पर्यटन केन्द्रों, प्रोन्नति तथा प्रचार पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि
15	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-	8,674.96	6,765.74	1,909.22	मुख्यतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि
मुख्यतः निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि को आंशिक रूप से कमी द्वारा पूरा किया गया:						
क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्णन	वास्तविक		कमी	कारण (एम)
			2021-22	2020-21		
(₹ लाख में)						
1	2030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण-	975.7	1,244.62	268.92	मुख्यतः स्टाम्प की लागत पर कम हुए व्यय के कारण कमी
2	2040-	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर-	149.64	840.4	690.76	मुख्यतः निदेशन एवं प्रशासन पर कम हुए व्यय के कारण कमी
3	2204-	खेल एवं युवा सेवाएं-	36,146.94	36,434.06	287.12	मुख्यतः शारीरिक शिक्षा पर कम हुए व्यय के कारण कमी

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(जारी)						
विवरण संख्या 15 की अनुलग्नक "ख"						
क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्णन	वास्तविक		कमी	कारण (एम)
			2021-22	2020-21		
(₹ लाख में)						
4	2216-	आवास-	9,001.42	10,451.61	1,450.19	मुख्यतः अनुरक्षण तथा मरम्मत पर कम हुए व्यय के कारण कमी
5	2217-	शहरी विकास-	75,577.98	98,715.89	23,137.91	मुख्यतः स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को कम सहायता के कारण कमी
6	2701-	मध्यम सिंचाई	6873.84	7094.99	221.15	मुख्यतः निदेशन एवं प्रशासन पर कम हुए व्यय के कारण कमी

(एम) वृद्धि/ कमी के कारणों को सरकार (जुलाई 2022) द्वारा सूचित नहीं किया गया।

## 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(समाप्त)								
विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक "ख"								
वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न मुख्य योजनाओं के लिए निधियों का निर्माण (क)								
योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्माचित राशि	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप में निर्माचित केन्द्रीय अंश	कमी (-) अधिकता (+)	वित्त पोषण प्रतिमान के अनुसार यूटी अंश	निर्माचित यूटी अंश	कमी (-) अधिकता (+)	कुल निर्गत राशि	व्यय
(₹ लाख में)								

संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022)।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण								
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)	
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल			
								(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-</b>								
<b>क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-</b>								
<b>4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>								
039- राज्य उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
						407.12		-
<b>कुल-4047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>407.12</b>		<b>-</b>
<b>4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-</b>								
117- आंतरिक सुरक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-
						14,429.18		
207- राज्य पुलिस	16,410.41 #	-	6,029.44	1,276.25	7,305.69	44,795.56 #		(-)55
						1,18,048.57		
214- सीमा प्रबंधन	-	-	3,255.78	-	3,255.78	3,255.78		*
216- अन्य पुलिस संगठन	-	-	611.69	-	611.69	611.69		*
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-		-
						3,209.38		
<b>कुल-4055</b>	<b>16,410.41 #</b>	<b>-</b>	<b>9,896.91</b>	<b>1,276.25</b>	<b>11,173.16</b>	<b>48,663.03 #</b>		<b>(-)32</b>
<b>4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>								
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-	-
						97.60		
103- सरकारी मुद्रणालय	274.20	-	112.92	-	112.92	605.44 #		(-)59
						2,988.77		
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-		-
						409.29		
<b>कुल-4058</b>	<b>274.20</b>	<b>-</b>	<b>112.92</b>	<b>-</b>	<b>112.92</b>	<b>605.44</b>		<b>(-)59</b>
						3,495.66		

(\*) विवरण संख्या 16 में लागू नहीं।

(#) विवरण संख्या 16 में मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 लाख की गिनत्ता।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- कार्यालय भवन-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	37,467.58	-	22,434.65	11,381.86	33,816.51	98,626.59	(-)10
						<b>174,440.11</b>	
051- निर्माण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>28,029.84</b>	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,093.61</b>	
201- भूमि का अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2.85</b>	
799- उंचत	-	-	-	-	-	-	-
						<b>0.12</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>25,511.73</b>	
<b>कुल-01</b>	<b>37,467.58</b>	<b>-</b>	<b>22,434.65</b>	<b>11,381.86</b>	<b>33,816.51</b>	<b>98,626.59</b>	<b>(-)10</b>
						<b>2,29,078.26</b>	
<i>60- अन्य भवन</i>							
051- निर्माण	13.30	-	12,406.90	1,516.29	13,923.19	13,936.49	^
						<b>958.87</b>	
117- आंतरिक सुरक्षा	-	-	-	-	-	-	-
						<b>252.15</b>	
800- अन्य व्यय	14,604.16	-	3,291.81	-	3,291.81	28,769.18	(-)77
						<b>3,63,890.55</b>	
<b>कुल-60</b>	<b>14,617.46</b>	<b>-</b>	<b>15,698.71</b>	<b>1,516.29</b>	<b>17,215.00</b>	<b>42,705.67</b>	<b>(+)18</b>
						<b>3,65,110.57</b>	

(\*) विवरण संख्या 16 में 100 प्रतिशत से अधिक

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>80- सामान्य-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>4,401.32</b>	
051- निर्माण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,883.58</b>	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	37.39	-	37.39	37.39	*
						<b>410.64</b>	
201- भूमि का अधिग्रहण	383.59	-	701.65	-	701.65	1,299.59 #	(+)83
						<b>8,151.65</b>	
800- अन्य व्यय	688.26	-	1,709.50	-	1,709.50	8,689.04	^
						<b>6,305.66</b>	
<i>कुल-80</i>	<u>1,071.85</u>	<u>-</u>	<u>2,448.54</u>	<u>-</u>	<u>2,448.54</u>	<u>10,026.02 #</u>	<u>^</u>
						<b>21,152.85</b>	
<b>कुल-4059</b>	<u>53,156.89</u>	<u>-</u>	<u>40,581.90</u>	<u>12,898.15</u>	<u>53,480.05</u>	<u>1,51,358.28 #</u>	<u>(+)01</u>
						<b>6,15,332.68</b>	
<b>4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>003- प्रशिक्षण</b>							
800- अन्य व्यय	736.60	-	1,031.06	-	1,031.06	2,182.04	(+)40
						<b>57.71</b>	
						<b>10,380.47</b>	
<b>कुल-4070</b>	<u>736.60</u>	<u>-</u>	<u>1,031.06</u>	<u>-</u>	<u>1,031.06</u>	<u>2,182.04</u>	<u>(+)40</u>
						<b>10,438.18</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
<b>(₹ लाख में)</b>							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4075- विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
204- आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-सी के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण							
	-	-	-	-	-	-	-
						<b>36.19</b>	
800- अन्य व्यय	7,045.67	-	105.76	-	105.76	14,074.56	(-) <b>98</b>
						<b>16,285.12</b>	
	<b>कुल-4075</b>	<b>7,045.67</b>	<b>105.76</b>	<b>-</b>	<b>105.76</b>	<b>14,074.56</b>	<b>(-)<b>98</b></b>
						<b>16,321.31</b>	
	<b>कुल क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	<b>77,623.77 #</b>	<b>-</b>	<b>51,728.55</b>	<b>14,174.40</b>	<b>65,902.95</b>	<b>2,16,883.35 #</b>
						<b>7,81,682.08</b>	<b>(-)<b>15</b></b>
<b>ख- सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>01- सामान्य शिक्षा-</b>							
201- प्रारंभिक शिक्षा	5,929.98	-	7,770.77	-	7,770.77	16,813.86	(+) <b>31</b>
						<b>2,14,749.84</b>	
202- माध्यमिक शिक्षा	6,904.60	-	5,571.16	-	5,571.16	15,805.67 #	(-) <b>19</b>
						<b>1,08,540.95</b>	
203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	35,732.50 #	-	19,189.63	491.70	19,681.33	69,149.75	(-) <b>45</b>
						<b>1,84,131.47</b>	
204- प्रौढ़ शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
						<b>127.81</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<b>01- सामान्य शिक्षा-(समाप्त)</b>							
600- सामान्य	-	-	-	-	-	-	-
						<b>688.69</b>	
800- अन्य व्यय	9,482.79	-	82.97	22,178.56	22,261.53	35,294.72 #	^
						<b>1,06,034.49</b>	
<b>कुल-01</b>	<b>58,049.88</b>	<b>-</b>	<b>32,614.53</b>	<b>22,670.26</b>	<b>55,284.79</b>	<b>1,37,064.00 #</b>	<b>(-)-05</b>
						<b>6,14,273.25</b>	
<b>02- तकनीकी शिक्षा-</b>							
103- तकनीकी विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>4,481.94</b>	
104- पॉलिटेक्निक	-	-	-	63.20	63.20	63.20	*
						<b>8,655.62</b>	
105- अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान	1,318.41 #	-	1,248.71	20.12	1,268.83	2949.11 #	(-)-04
						<b>41,647.20</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>619.15</b>	
<b>कुल-02</b>	<b>1,318.41</b>	<b>-</b>	<b>1,248.71</b>	<b>83.32</b>	<b>1,332.03</b>	<b>3,012.31 #</b>	<b>(+)-01</b>
						<b>55,403.91</b>	
<b>03- खेल एवं युवा सेवाएं-</b>							
101- युवा छात्रावास	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,509.81</b>	



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रिय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>03- खेल एवं युवा सेवाएं(समाप्त)</i>							
102- खेल स्टेडियम	-	-	-	-	-	-	-
						1,823.48	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						11,654.40	
						-	-
						14,987.69	
<i>कुल-03</i>							
<i>04- कला एवं संस्कृति-</i>							
101- ललित कला शिक्षा	-	-	71.80	-	71.80	271.80	*
						10,511.36	
104- अभिलेखागार	261.01 #	-	265.07	-	265.07	719.58	(+)02
						585.26	
105- सार्वजनिक पुस्तकालय	144.95 #	-	277.44	-	277.44	621.11	(+)91
						175.20	
106- संग्रहालय	-	-	-	-	-	-	-
						917.42	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						1,403.26	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय--(समाप्त)</b>							
<i>04- कला एवं संस्कृति-(समाप्त)</i>							
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	-
						(-)4.65	
<i>कुल-04</i>	405.96	-	614.31	-	614.31	1,612.49	(+)51
						<b>13,587.85</b>	
<i>कुल-4202</i>	59,774.24	-	34,477.55	22,753.58	57,231.13	1,41,688.80	(-)04
						<b>6,98,252.70</b>	
<b>कुल-(क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा</b>	59,774.24	-	34,477.55	22,753.58	57,231.13	1,41,688.80	(-)04
						<b>6,98,252.70</b>	
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>							
109- विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
						70.02	
110- अस्पताल एवं औषधालय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>11,950.31</b>	
200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	1,500.00	-	-	-	-	3,509.80	(-)100
						<b>4,389.42</b>	
800- अन्य व्यय	15,829.35	-	18,146.69	-	18,146.69	46,750.57 #	(+)15
						<b>3,62,688.22</b>	
<i>कुल-01</i>	17,329.35 #	-	18,146.69	-	18,146.69	50,260.37 #	(+)05
						<b>3,79,097.97</b>	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-(समाप्त)</i>							
105- एलोपैथी	13,885.44	-	3,220.31	16,773.22	19,993.53	48,721.42	(+) <b>44</b>
						<b>59,373.40</b>	
200- अन्य प्रणालियाँ	1,001.48	-	200.00	2,730.48	2,930.48	7,095.18	^
						<b>955.62</b>	
<i>कुल-03</i>	<i>14,886.92</i>	<i>-</i>	<i>3,420.31</i>	<i>19,503.70</i>	<i>22,924.01</i>	<i>55,816.60</i>	<i>(+)<b>54</b></i>
						<b>60,330.02</b>	
<i>04- जन-स्वास्थ्य-</i>							
101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण	5,798.05	-	-	5,342.71	5,342.71	11,546.30	(-) <b>08</b>
						<b>3,103.00</b>	
106- सेरा/ टीका का विनिर्माण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>70.37</b>	
107- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	46.51 #	-	-	1,561.45	1,561.45	1,610.93	^
						<b>2,317.55</b>	
112- जन स्वास्थ्य शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
						<b>864.53</b>	
200- अन्य कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,210.29</b>	
<i>कुल-04</i>	<i>5,844.56</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6,904.16</i>	<i>6,904.16</i>	<i>13,157.23</i>	<i>(+)<b>18</b></i>
						<b>7,565.74</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्ष-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
<b>ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>								
<b>4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>								
<i>80- सामान्य-</i>								
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>4,498.71</b>		
<i>कुल-80</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>4,498.71</b>		
<b>कुल-4210</b>	<b>52,984.52</b>	<b>-</b>	<b>33,111.73</b>	<b>30,566.82</b>	<b>63,678.55</b>	<b>1,56,287.15</b>	<b>(+)20</b>	
						<b>4,90,621.72</b>		
<b>4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>								
101- ग्रामीण परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>107.15</b>		
102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>108.96</b>		
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>580.93</b>		
<b>कुल-4211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>797.04</b>		
<b>कुल-(ख)- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा</b>	<b>52,984.52</b>	<b>-</b>	<b>33,111.73</b>	<b>30,566.82</b>	<b>63,678.55</b>	<b>1,56,287.15</b>	<b>(+)20</b>	
						<b>4,91,418.76</b>		

(5) सहायता अनुदान पर ₹ 2,314.06 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- जलापूर्ति-</i>							
101- शहरी जलापूर्ति-							
जलापूर्ति जम्मू शहर	-	-	-	-	-	-	-
ट्यूबवैल श्रीनगर	-	-	-	-	-	6,640.30	-
						3,094.16	-
श्रीनगर संवर्धन शहर की जलापूर्ति के लिए मास्टर प्लान	5,372.49	-	-	-	-	5,372.49	(-)100
						12,357.15	-
मास्टर प्लान के अंतर्गत जम्मू शहर की जलापूर्ति में सुधार/ संवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
						14,666.59	-
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						2,626.98	-
कुल-101	5,372.49	-	-	-	-	5,372.49	(-)100
						39,385.18	-
102- ग्रामीण जलापूर्ति-							
कश्मीर प्रभाग की जलापूर्ति योजनाओं में सुधार/ संवर्धन	10,776.31	-	8,606.77	-	8,606.77	22,947.21	(-)20
						1,67,403.05	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
01- जलापूर्ति-(जारी)							
102- ग्रामीण जलापूर्ति-(समाप्त)							
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कश्मीर)	-	-	-	-	-	11,533.50	-
						<b>24,964.69</b>	
जम्मू प्रभाग की शहर जलापूर्ति का सुधार	6,560.12	-	8,892.57	-	8,892.57	22,129.17	(+)36
						<b>1,12,989.39</b>	
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जम्मू)	8,419.44	-	-	-	-	23,138.76	(-)100
						<b>29,955.91</b>	
जलापूर्ति जम्मू कांडी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-
त्वरित जलापूर्ति योजना	-	-	-	-	-	1,354.70	-
						-	-
						<b>43,705.76</b>	
उचंत	-	-	-	-	-	-	-
						<b>(-)170.34</b>	
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>3,55,576.29</b>	
कुल-102	25,755.87	-	17,499.34	-	17,499.34	79,768.76	(-)32
						<b>7,35,779.45</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>01- जलापूर्ति-(समाप्त)</i>							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>5,380.19</b>	
<i>कुल-01</i>	<b>31,128.36</b>	-	<b>17,499.34</b>	-	<b>17,499.34</b>	<b>85,141.25</b>	<b>(-)44</b>
						<b>780,544.82</b>	
<i>02- सीवरेज एवं स्वच्छता-</i>							
101- शहरी स्वच्छता सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
						<b>785.84</b>	
102- ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,212.01</b>	
106- सीवरेज सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
						<b>11,275.22</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>858.31</b>	
<i>कुल-02</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>14,131.38</b>					<b>14,131.38</b>	
<b>कुल-4215</b>	<b>31,128.36</b>	-	<b>17,499.34</b>	-	<b>17,499.34</b>	<b>85,141.25</b>	<b>(-)44</b>
						<b>7,94,676.20</b>	





16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी)							
4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
80- सामान्य-							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						188.72	-
191- आवासीय निगमों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						3.00	-
201- आवासीय बोर्डों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						149.75	-
800- अन्य व्यय	31.95	-	6,735.00	14,147.63	20,882.63	21,237.49	^
						1,001.23	-
	कुल-80	31.95	6,735.00	14,147.63	20,882.63	21,237.49	^
						1,342.70	-
	कुल-4216	31.95	6,795.38	14,147.63	20,943.01	21,497.87	^
						37,407.10	-
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-							
01- राज्य पूँजीगत विकास-							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						18.05	-
050- भूमि	-	-	-	-	-	-	-
						1.21	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- राज्य पूँजीगत विकास-(समाप्त)</i>							
051- निर्माण	-	-	-	-	-	600.00	-
						<b>42.12</b>	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>137.51</b>	
191- स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता	-	-	-	-	-	-	-
						<b>807.04</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>73.76</b>	
<i>कुल-01</i>	-	-	-	-	-	600.00	-
						<b>1,079.69</b>	
<i>03- छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-</i>							
051- निर्माण	34,358.33 #	-	7,182.30	14,224.53	21,406.83	73,873.94	(-)38
						<b>52,833.39</b>	
191- स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों के नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता	-	-	3,349.10	-	3,349.10	3,349.10	*
						<b>5,567.34</b>	
800- अन्य व्यय	19,350.00	-	11,820.90	7,280.00	19,100.90	54,356.44	(-)01
						<b>4,38,159.98</b>	
<i>कुल-03</i>	53,708.32	-	22,352.30	21,504.53	43,856.83	1,31,579.48	(-)18
						<b>4,96,560.71</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्षक-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी)								
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
04- झुग्गीबस्ती क्षेत्र सुधार-								
050- भूमि		-	-	-	-	-	-	
						0.50		
051- निर्माण		-	-	-	-	-	-	
						36.17		
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	
						61.72		
	कुल-04	-	-	-	-	-	-	
						98.39		
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-								
001- निदेशन एवं प्रशासन		-	-	-	-	-	-	
						123.60		
051- निर्माण		-	-	1,241.18	-	1,241.18	1,241.18	
						746.89	*	
052- मशीनरी एवं उपकरण		-	-	-	-	-	-	
						880.28		
	कुल-60	-	-	1,241.18	-	1,241.18	1,241.18	
						1,750.77	*	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्षक-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-								
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
	कुल-4217	53,708.33 #	-	23,593.48	21,504.53	45,098.01	133,420.66	(-)16
							<b>4,99,489.56</b>	
	कुल-(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	84,868.64 #	-	47,888.20	35,652.16	83,540.36	2,40,059.78	(-)02
							<b>13,31,572.86</b>	
(घ) सूचना एवं प्रसारण पर पूँजीगत परिव्यय-								
4220- सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय-								
60- अन्य-								
	800- अन्य व्यय	44.03	-	21.89	-	21.89	100.72	(-)50
							<b>3,349.14</b>	
	कुल-60	44.03	-	21.89	-	21.89	100.72	(-)50
							<b>3,349.14</b>	
	कुल-4220	44.03	-	21.89	-	21.89	100.72	(-)50
							<b>3,349.14</b>	
	कुल-(घ)- सूचना एवं प्रसारण का पूँजीगत लेखा	44.03	-	21.89	-	21.89	100.72	(-)50
							<b>3,349.14</b>	



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्षक-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
<b>ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>								
<i>02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-(समाप्त)</i>								
794- जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		-	-	-	-	-	-	-
						121.21		
800- अन्य व्यय		2,759.84	-	6,563.56	4,459.01	11,022.57	15,380.63	^
						27,509.54		
	<i>कुल-02</i>	2,759.84	-	6,563.56	4,459.01	11,022.57	15,380.63	^
						27,701.65		
<i>03- पिछड़े वर्ग का कल्याण-</i>								
102- आर्थिक विकास		-	-	-	-	-	-	-
						309.95		
283- आवास		-	-	-	-	-	-	-
						3.00		
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	-
						367.76		
	<i>कुल-03</i>	-	-	-	-	-	-	-
						680.71		

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
80- सामान्य-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास निगमों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						510.00	
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	-	-	-	-	-	-	-
						92.62	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						1,103.49	
कुल-80	-	-	-	-	-	-	-
कुल-4225	3,127.90	-	6,563.56	5,971.16	12,534.72	17,299.67	^
						30,537.92	
कुल-(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा	3,127.90	-	6,563.56	5,971.16	12,534.72	17,299.67	^
						30,537.92	

(₹) सहायता अनुदान पर ₹ 3,34.54 लाख का व्यय सम्मिलित है।



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)	
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल			
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्ष-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
<b>ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>(ख) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-</b>								
<b>4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>								
<i>01- पुनर्वास-</i>								
201- अन्य पुनर्वास योजनाएं	43,968.30 #	-	44,666.01	4,251.28	48,917.29	98,273.01	(+) <sup>11</sup>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-	
						<b>0.82</b>		
	<b>कुल-01</b>	<b>43,968.30 #</b>	<b>-</b>	<b>44,666.01</b>	<b>4,251.28</b>	<b>48,917.29</b>	<b>98,273.01</b>	<b>(+)<sup>11</sup></b>
						<b>1,57,101.36</b>		
<i>02- समाज कल्याण-</i>								
101- दिव्यांगों का कल्याण	5.24	-	-	239.79	239.79	245.03	^	
						<b>36.33</b>		
102- बाल कल्याण-								
सकल व्यय	13.21	-	357.26	-	357.26	378.46	^	
						<b>57,056.46</b>		
कटीती प्राप्तिर्थाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-	
						<b>(-)<sup>0.05</sup></b>		
निवल व्यय	13.21	-	357.26	-	357.26	378.46	^	
						<b>57,056.41</b>		
103- महिला कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	
						<b>255.93</b>		
104- वृद्ध, अशक्त एवं निराश्रितों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	
						<b>224.53</b>		

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
02- समाज कल्याण-(समाप्त)							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास निगम में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						779.81	
(ii)- जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश	222.23	-	220.73	-	220.73	565.64 #	(-)01
						1,826.63	
कुल-190	222.23	-	220.73	-	220.73	565.64 #	(-)01
						2,606.44	
796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना	-	-	-	-	-	-	-
						66.44	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						2,097.15	
कुल-02	240.68	-	577.99	239.79	817.78	1,189.13 #	^
						62,343.23	
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-							
800- अन्य व्यय							
चीनी-							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	3,580.06	-
						1,62,793.53	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रिय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-(जारी)							
800- अन्य व्यय-							
चीनी-							
कटौती, प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-)1,27,548.24	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	3,580.06	-
						35,245.29	
मिठ्टी का तेल-							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						8,564.23	
कटौती, प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-)9474.71	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						(-)910.48	
हाई कोक -							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						820.43	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-)714.31	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						106.12	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-(समाप्त)</i>							
<b>800- अन्य व्यय-(समाप्त)</b>							
<i>अन्य व्यय-</i>							
सकल व्यय	996.37 #	-	1,235.18	-	1,235.18	2,231.56	(+)24
						<b>25,905.76</b>	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						<b>(-)2027.18</b>	
निवल व्यय	996.37 #	-	1,235.18	-	1,235.18	2,231.56	(+)24
						<b>23,878.58</b>	
<i>कुल-60</i>	<i>996.37 #</i>	<i>-</i>	<i>1,235.18</i>	<i>-</i>	<i>1,235.18</i>	<i>5,811.62</i>	<i>(+)24</i>
						<b>58,319.51</b>	
<b>कुल-4235</b>	<b>45,205.35</b>	<b>-</b>	<b>46,479.18</b>	<b>4,491.07</b>	<b>50,970.25</b>	<b>1,05,273.76 #</b>	<b>(+)13</b>
						<b>2,77,764.10</b>	
<b>4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-</i>							
102- बाल कल्याण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>41.57</b>	
800- अन्य व्यय	1,645.18 #	-	2,686.66	-	2,686.00	6,311.33 #	(+)63
						<b>2,535.59</b>	
<i>कुल-02</i>	<i>1,645.18 #</i>	<i>-</i>	<i>2,686.66</i>	<i>-</i>	<i>2,686.66</i>	<i>6,311.33 #</i>	<i>(+)63</i>
						<b>2,577.16</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
80- सामान्य-							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						34,505.14	
कुल-80	-	-	-	-	-	-	-
						34,505.14	
कुल-4236	1,645.18 #	-	2,686.66	-	2,686.66	6,311.33 #	(+)63
						37,082.30	
कुल-(छ)- समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा	46,850.53 #	-	49,165.84	4,491.07	53,656.91	1,11,585.09	(+)15
						3,14,846.40	
(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						0.20	
101- प्राकृतिक आपदाएं	-	-	-	-	-	-	-
						9,787.62	
191- श्रम सहकारिताएं	-	-	-	-	-	-	-
						2.27	
201- श्रम	175.37 #	-	145.21	-	145.21	381.30 #	(-)17
						710.42	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
203- रोजगार	910.13	-	281.71	123.81	405.52	1,416.91	(-)55
						<b>23,858.73</b>	
800- अन्य व्यय	521.84	-	1,046.25	-	1,046.25	1,991.52	(+)100
						<b>2,901.64</b>	
<b>कुल-4250</b>	<b>1,607.34 #</b>	<b>-</b>	<b>1,473.17</b>	<b>123.81</b>	<b>1,596.98</b>	<b>3,789.73</b>	<b>(-)01</b>
						<b>37,260.88</b>	
<b>कुल-(ज)-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत लेखा</b>	<b>1,607.34 #</b>	<b>-</b>	<b>1,473.17</b>	<b>123.81</b>	<b>1,596.98</b>	<b>3,789.73</b>	<b>(-)01</b>
						<b>37,260.88</b>	
<b>कुल-(ख)- सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत लेखा</b>	<b>2,49,257.20 #</b>	<b>-</b>	<b>1,72,701.94</b>	<b>99,558.59</b>	<b>2,72,260.53</b>	<b>6,70,810.94 #</b>	<b>(+)09</b>
						<b>29,07,238.66</b>	
<b>ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>46.05</b>	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>0.51</b>	
101- खेती सहकारी समितियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2,647.35</b>	
102- खाद्यान्न फसलें	-	-	-	-	-	-	-
						<b>0.38</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
103- बीज-								
सकल व्यय	149.55	-	195.75	39.70	235.45	2,703.27	(+)57	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	25,203.93	-	
निवल व्यय	149.54	-	195.75	39.70	235.45	(-)19627.91	(+)57	
104- कृषि फार्म-								
सकल व्यय	-	-	-	-	-	19,044.09	-	
कटौती- प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	(-)3732.25	-	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	15,311.84	-	
105- खाद एवं उर्वरक-								
सकल व्यय	-	-	-	-	-	5,017.56	-	
कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	(-)1717.96	-	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	3,299.60	-	

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
107- पौध संरक्षण-सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
							10,835.05	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
							(-3724.66)	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
							7,110.39	
108- वाणिज्यिक फसलें	-	-	-	-	-	-	-	-
							2,340.13	
113- कृषिगत अभियांत्रिकी-सकल व्यय	2,527.41	-	-	1,494.75	1,494.75	4,577.71	4,577.71	(-41)
							4,565.64	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
							(-199.88)	
निवल व्यय	2,527.41	-	-	1,494.75	1,494.75	4,577.71	4,577.71	(-41)
							4,365.76	
114- तिलहन का विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
							105.47	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिच्यय-(जारी)							
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें-सकल व्यय	13,416.82	-	5,467.05	9,637.68	15,104.73	38,391.07	(+)
						34,340.91	
कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-)	614.30
निवल व्यय	13,416.82	-	5,467.05	9,637.68	15,104.73	38,391.07	(+)
						33,726.61	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-
						256.18	
(ii)- जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-
						120.35	
(iii)- शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-
						1,953.86	
कुल-190	-	-	-	-	-	-	-
						2,330.39	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
800- अन्य व्यय-							
सकल व्यय	12,098.74 #	-	18,524.21	927.06	19,451.27	48,465.36	(+)61
						51,851.63	
कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-)215.00	
निवल व्यय	12,098.74 #	-	18,524.21	927.06	19,451.27	48,465.36	(+)61
						51,636.63	
कृषि उत्पादन-सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						3,593.91	
कटौती प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-)318.72	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						3,275.19	
अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						62,894.10	
कुल-800	12,098.74 #	-	18,524.21	927.06	19,451.27	48,465.36	(+)61
						1,17,805.92	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	-
						(-)26.29	
कुल-4401	28,192.51 #	-	24,187.01	12,099.19	36,286.20 \$	94,137.41	(+)29
						1,94,640.11	

(\$) सहायिकी पर ₹ 8,885.59 लाख तथा सहायता अनुदान पर ₹ 194.55 लाख का व्यय सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>3,246.43</b>	
101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	95.44	-	-	580.17	580.17	970.93	^
						<b>1,331.16</b>	
102- मृदा संरक्षण	194.89	-	269.65	-	269.65	638.29	(+)38
						<b>15,846.70</b>	
203- भूमि सुधार एवं विकास	0.40	-	-	-	-	0.40	-
						<b>4.49</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>18,667.22</b>	
<b>कुल-4402</b>	<b>290.73</b>	<b>-</b>	<b>269.65</b>	<b>580.17</b>	<b>549.82</b> \$	<b>1,609.59</b>	<b>^</b>
						<b>39,096.00</b>	
<b>4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,171.60</b>	
101- पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य	12,893.84	-	10,383.96	2,054.78	12,438.74	29,243.40	(-)04
						<b>26,074.64</b>	
102- मवेशी एवं भैंस विकास	-	-	-	-	-	-	-
						<b>360.23</b>	

(\$) ₹ 580.17 लाख सहायिकी पर व्यय सम्मिलित

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4403- पशुपालन पर पूँजीगत लेखा-(सम्पत्)</b>							
103- मुर्गी पालन विकास	-	-	-	-	-	-	-
						<b>384.27</b>	
104- भेड़ एवं ऊन विकास	-	-	-	-	-	-	-
						<b>5,635.90</b>	
106- अन्य पशुधन विकास	-	-	-	-	-	-	-
						<b>12.52</b>	
107- चारा एवं खादय विकास	8.19	-	-	-	-	147.25	(-100)
						<b>1,318.55</b>	
109- विस्तार एवं प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1.72</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2,182.98</b>	
<b>कुल-4403</b>	<b>12,902.03</b>	<b>-</b>	<b>10,383.96</b>	<b>2,054.78</b>	<b>12,438.74</b>	<b>29,390.65</b>	<b>(-04)</b>
						<b>37,142.41</b>	
<b>4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
102- डेयरी विकास परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-
						<b>410.85</b>	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
103- समुद्री मत्स्यपालन	-	-	-	-	-	-	-
						17.33	
105- प्रसंस्करण संरक्षण एवं विपणन	-	-	-	-	-	-	-
						19.99	
109- विस्तार एवं प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-
						11.48	
191- मछुआरों की सहकारिताएं	-	-	-	-	-	-	-
						13.30	
800- अन्य व्यय	3,470.20	-	503.76	2,612.93	3,116.69	7,278.38 #	(-) <sup>10</sup>
						20,705.20	
<b>कुल-4405</b>	<b>3,470.20</b>	<b>-</b>	<b>503.76</b>	<b>2,612.93</b>	<b>3,116.69</b>	<b>7,278.38 #</b>	<b>(-)<sup>10</sup></b>
						22,229.55	
<b>4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>01- वानिकी-</b>							
070- संचार एवं भवन	-	-	-	-	-	-	-
						649.06	
101- वन संरक्षण विकास एवं पुनरुत्थान	20.70	-	-	2,382.05	2,382.05	2,402.74	^
						49.43	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>01- वानिकी-(समाप्त)</i>							
102- सामाजिक एवं फार्म वानिकी	-	-	719.05	-	719.05	719.05	*
						<b>113.03</b>	
105- वन उत्पाद	-	-	-	-	-	-	-
						<b>285.78</b>	
800- अन्य व्यय	11,617.96	-	7,510.89	42.96	7,553.85	20,765.77	(-)35
						<b>60,812.42</b>	
<i>कुल-01</i>	<u>11,638.66</u>	<u>-</u>	<u>8,229.94</u>	<u>2,425.01</u>	<u>10,654.95</u>	<u>23,887.56</u>	<u>(-)08</u>
						<b>61,909.72</b>	
<i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i>							
<i>001- निदेशन एवं प्रशासन</i>							
	-	-	-	-	-	-	-
						<b>8.10</b>	
110- वन्य जीवन	2.35	-	-	197.43	197.43	227.56	^
						<b>1,399.61</b>	
112- सार्वजनिक उद्यान	1,714.52 #	-	1,932.14	-	1,932.14	4,778.99	(+)13
						<b>27,962.30</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2,064.29</b>	
<i>कुल-02</i>	<u>1,716.87 #</u>	<u>-</u>	<u>1,932.14</u>	<u>197.43</u>	<u>2,129.57</u>	<u>5,006.55</u>	<u>(+)24</u>
						<b>31,434.30</b>	
<b>कुल-4406</b>	<u>13,355.53 #</u>	<u>-</u>	<u>10,162.08</u>	<u>2,622.44</u>	<u>12,784.52</u>	<u>28,894.11</u>	<u>(-)04</u>
						<b>93,344.02</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-							
01- खाद्य-							
101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति-							
चावल/ धान-							
सकल व्यय	-	-	4,023.95	-	4,023.95	10,039.47	*
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ			-	-	-	7,81,167.80	
						(-)255.35	-
निवल व्यय	-	-	4,023.95	-	4,023.95	(-)5,92,052.99	
						9,784.12	*
						1,89,114.81	
गेहूँ/ आटा-							
सकल व्यय	-	-	6,759.01	-	6,759.01	12,561.15 #	*
						2,90,063.58	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-)2,37,782.28	
निवल व्यय	-	-	6,759.01	-	6,759.01	12,561.15 #	*
						52,281.30	
मक्का-							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						13.22	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-)1034.71	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						(-)1021.49	





16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
01- खाद्य-(समाप्त)							
800- अन्य व्यय-							
सकल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						20,205.92	
कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
						(-42,027.94)	
निवल व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						(-21,822.02)	
कुल-01	9,371.52	-	10,782.96	-	10,782.96	31,717.04 #	(+)15
						3,24,449.85	
02- संग्रहण एवं भण्डारण-							
101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-
						76.27	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- शीत भण्डारण संयंत्र की स्थापना के लिए शेयर पूँजी निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						37.62	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्ष-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>4408- संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>								
<i>02- संग्रहण एवं भण्डारण-(समाप्त)</i>								
800- अन्य व्यय		342.17	-	142.21	-	142.21	2,126.30	(-)58
							<b>2,185.63</b>	
911- अधिक भुगतानों पर वसुलियों की कटौती		-	-	-	-	-	-	-
							<b>(-)0.84</b>	
	<i>कुल-02</i>	342.17	-	142.21	-	142.21	2,126.30	(-)58
							<b>2,298.68</b>	
	<b>कुल-4408</b>	9,713.69	-	10,925.17	-	10,925.17	33,843.34	(+)12
							<b>3,26,748.53</b>	
<b>4415- कृषि अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-</b>								
<i>01- फसल पैदावार</i>								
<b>004- अनुसंधान-</b>								
<b>सकल व्यय</b>								
		-	-	-	-	-	-	-
							<b>509.62</b>	
<b>कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसुलियाँ</b>								
		-	-	-	-	-	-	-
							<b>(-)18.51</b>	
<b>निवल व्यय</b>								
		-	-	-	-	-	-	-
							<b>491.11</b>	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	-
							<b>13.19</b>	
	<i>कुल-01</i>	-	-	-	-	-	-	-
							<b>504.30</b>	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-								
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
004-	अनुसंधान एवं मूल्यांकन	-	-	-	-	-	2,507.79	-
106-	बहुद्वैतीय ग्रामीण सहकारिताओं में निवेश	-	-	-	-	-	32.34	-
							26.33	-
107-	क्रेडिट सहकारिता में निवेश-							
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर भूमि विकास बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	82.27	-
(ii)-	जम्मू एवं कश्मीर सहकारी बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	81.67	-
(iii)-	प्राथमिक कृषि सहकारिताओं में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	81.40	-
(iv)-	क्रेडिट सहकारिता में अन्य निवेश	-	-	-	-	-	125.55	-
कुल-107		-	-	-	-	-	370.89	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
108- अन्य सहकारिताओं में निवेश-							
(i)- भण्डारण एवं विपणन सहकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-
						49.30	
(ii)- प्रसंस्करण सहकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-
						104.47	
(iii)- उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-
						411.32	
(iv)- अन्य सहकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-
						4,392.94	
	कुल-108	-	-	-	-	-	-
						4,958.03	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियाँ कश्मीर में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						368.70	
(ii)- उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियाँ जम्मू में शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						44.08	
(iii)- जम्मू एवं कश्मीर सहकारी/ कृषि एवं ग्रामीण बैंक	814.63	-	1,013.06	-	1,013.06	2,162.89	(+)24
						26,518.50	
	कुल-190	814.63	-	1,013.06	-	1,013.06	2,162.89
						26,931.28	(+)24

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्षक-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4425- अन्य सहकारिताओं में निवेश-(समाप्त)								
200- अन्य निवेश-								
(i)- अन्य निवेश								
		-	-	-	-	-	-	-
	(ii)- उर्वरक विपणन के लिए मार्जिन मनी	-	-	-	-	-	1,811.48	-
							499.20	-
	कुल-200	-	-	-	-	-	2,310.68	-
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	3,023.60	-
	कुल-800	-	-	-	-	-	3,023.60	-
	कुल-4425	814.63	-	1,013.06	-	1,013.06	2,162.89	(+)24
							40,160.94	
4435- अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-								
01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-								
101- विपणन सुविधाएं								
		-	-	-	-	-	-	-
							387.37	-
	190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
							0.41	-
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
							16.87	-
	कुल-01	-	-	-	-	-	-	-
							404.65	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4435- अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>60- अन्य-</i>							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2.68</b>	
<i>कुल-60</i>	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2.68</b>	
<b>कुल-4435</b>	-	-	-	-	-	-	-
						<b>407.33</b>	
<b>कुल-(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा</b>	<b>70,231.03 #</b>	<b>-</b>	<b>59,635.88</b>	<b>19,969.51</b>	<b>79,623.39</b>	<b>2,02,786.72</b>	<b>(+)13</b>
						<b>7,88,532.87</b>	
<b>(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
101- पंचायती राज	42,900.00	-	65,656.03	-	65,656.03	1,08,556.03	(+)53
						<b>1,90,494.77</b>	
102- सामुदायिक विकास	6,803.01	-	4,895.23	5,944.58	10,839.81	24,618.79	(+)59
						<b>75,117.07</b>	
103- ग्रामीण विकास	2,842.00	-	7,253.33	30,731.60	37,984.93	69,457.52	^
						<b>2,21,061.99</b>	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
800- अन्य व्यय	1,49,741.49	-	-	12,284.20	12,284.20	1,94,832.58 #	^
						<b>5,39,262.00</b>	
	<b>कुल-4515</b>	<b>-</b>	<b>77,804.59</b>	<b>48,960.38</b>	<b>126,764.97 \$</b>	<b>3,97,464.92 #</b>	<b>(-37)</b>
						<b>10,25,935.83</b>	
	<b>कुल- (ख)- ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा</b>	<b>-</b>	<b>77,804.59</b>	<b>48,960.38</b>	<b>126,764.97</b>	<b>3,97,464.92 #</b>	<b>(-37)</b>
						<b>10,25,935.83</b>	
<b>(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>02- पिछड़े क्षेत्र-</b>							
253- जिला प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2,012.15</b>	
259- लोक निर्माण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>30,085.25</b>	
277- शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
						<b>83.10</b>	
280- चिकित्सा	-	-	-	-	-	-	-
						<b>38.12</b>	
282- जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल निर्माण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2,967.13</b>	

\$ ₹ 3,851.43 लाख का व्यय सहायता अनुदान के कारण सम्मिलित है।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्ष-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
02- पिछड़े क्षेत्र-(जारी)								
285-	सूचना एवं प्रचार	-	-	-	-	-	-	
						5.35	-	
288-	खाद्य की उचित मूल्य की दुकानें	-	-	-	-	-	-	
						882.85	-	
298-	सहकारिता	-	-	-	-	-	-	
						304.27	-	
305-	कृषि	-	-	-	-	-	-	
						46.32	-	
306-	लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	
						1,554.96	-	
307-	मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	
						181.92	-	
309-	खाद्य एवं पोषण	-	-	-	-	-	-	
						76.17	-	
310-	पशुपालन	-	-	-	-	-	-	
						15.69	-	
313-	वानिकी	-	-	-	-	-	-	
						1,137.54	-	
314-	सामुदायिक विकास	-	-	-	-	-	-	
						330.46	-	
321-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	
						22.08	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>02- पिछड़े क्षेत्र-(समाप्त)</i>							
333- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	-	-	-	-	-	2,988.00	-
334- विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	10,869.98	-
601- छोटी बस की खरीद	-	-	-	-	-	0.51	-
602- बाढ़ नियंत्रण एवं सागरीय अपरदन-रोधी परियोजनाएं	-	-	-	-	-	246.13	-
603- आठवें वित्त आयोग के अनुसार उन्नयन	-	-	-	-	-	220.23	-
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	782.03	-
						<b>54,850.24</b>	
<i>कुल-02</i>	-	-	-	-	-		
<i>04- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद</i>							
113- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	-	-	-	-	-	2,09,565.06	-
114- कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	-	-	-	-	-	1,03,880.92	-
						<b>3,13,445.98</b>	
<i>कुल-04</i>	-	-	-	-	-		

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
60- अन्य-							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						585.54	
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-
						585.54	
कुल-4575	-	-	-	-	-	-	-
						3,68,881.76	
कुल- (ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा	-	-	-	-	-	-	-
						3,68,881.76	
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-							
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-							
01- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						2,663.66	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
						159.81	
601- रणबीर नहर की रिमॉडलिंग	-	-	-	-	-	-	-
						16,456.77	
602- प्रताप नहर	-	-	-	-	-	-	-
						5,142.94	
603- कठुआ फीडर नहर	-	-	-	-	-	-	-
						1,828.32	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक-(समाप्त)</i>							
612- रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	-	-	-	-	-	2,885.65	-
619- मार्तण्ड नहर	-	-	-	-	-	1,770.62	-
630- दादी नहर	-	-	-	-	-	2,395.68	-
631- आजी नहर	-	-	-	-	-	1,610.55	-
632- जैनगौर नहर	-	-	-	-	-	8.75	-
						773.54	
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-
						41,541.88	
						8.75	
						77,229.42	
<i>02- प्रमुख सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						34.03	
						-	
						34.03	
<i>04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	836.10	-	1,201.58	-	1,201.58	2,234.02 #	(+)44
						36,902.44	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
<i>04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i>							
612- रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	255.82 #	-	469.49	-	469.49	924.21	(+)84
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-
						<b>441.74</b>	
<i>कुल-04</i>	<b>1,091.92 #</b>	<b>-</b>	<b>1,671.07</b>	<b>-</b>	<b>1,671.07</b>	<b>3,158.23</b>	<b>(+)53</b>
						<b>45,700.63</b>	
<i>80- सामान्य-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>18.66</b>	
005- सर्वेक्षण एवं जाँच-पड़ताल	-	-	-	-	-	-	-
						<b>13.56</b>	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>90.69</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2,675.22</b>	
<i>कुल-80</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>2,798.13</b>	
<b>कुल-4701</b>	<b>1,091.92 #</b>	<b>-</b>	<b>1,671.07</b>	<b>-</b>	<b>1,671.07</b>	<b>3,166.98 #</b>	<b>(+)53</b>
						<b>1,25,765.21</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4702- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
101- सतही जल	3,736.83	-	2,570.86	3,693.40	6,264.26	15,989.60	(+)68
						<b>1,71,228.94</b>	
102- भू-जल	-	-	-	-	-	-	-
						<b>17.04</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>34,816.62</b>	
<b>कुल-4702</b>	<b>3,736.83</b>	<b>-</b>	<b>2,570.86</b>	<b>3,693.40</b>	<b>6,264.26</b>	<b>15,989.60</b>	<b>(+)68</b>
						<b>2,06,062.60</b>	
<b>4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
602- कमान क्षेत्र कश्मीर	858.80	-	1,067.20	-	1,067.20	2,118.98	(+)24
						<b>17,518.79</b>	
603- कमान क्षेत्र जम्मू	799.90	-	647.70	-	647.70	1,633.45	(-)19
						<b>8,730.87</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>5,956.35</b>	
<b>कुल-4705</b>	<b>1,658.70</b>	<b>-</b>	<b>1,714.90</b>	<b>-</b>	<b>1,714.90</b>	<b>3,752.43</b>	<b>(+)03</b>
						<b>32,206.01</b>	
<b>4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>01- बाढ़ नियंत्रण-</b>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,620.14</b>	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
						<b>15.28</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- बाढ़ नियंत्रण(समाप्त)</i>							
103- सिविल निर्माण कार्य	8,284.54	-	4,363.27	223.62	4,586.89	20,254.34	(-) <sup>45</sup>
						<b>1,66,831.48</b>	
799- उचंत	-	-	-	-	-	-	-
						<b>(-)<sup>4.85</sup></b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,117.18</b>	
<i>कुल-01</i>	<b>8,284.54</b>	<b>-</b>	<b>4,363.27</b>	<b>223.62</b>	<b>4,586.89</b>	<b>20,254.34</b>	<b>(-)<sup>45</sup></b>
						<b>1,69,579.23</b>	
<i>03- अपवाह-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>16.22</b>	
103- सिविल निर्माण कार्य	-	-	-	-	-	-	-
						<b>6.01</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>0.05</b>	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>03- अपवाह-(समाप्त)</i>							
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	-
						(-)0.54	
<i>कुल-03</i>	-	-	-	-	-	-	-
						21.74	
<b>कुल-4711</b>	<b>8,284.54</b>	<b>-</b>	<b>4,363.27</b>	<b>223.62</b>	<b>4,586.89</b>	<b>20,254.34</b>	<b>(-)45</b>
						<b>1,69,600.97</b>	
<b>कुल-(ड) - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा</b>	<b>14,771.99</b>	<b>-</b>	<b>10,320.10</b>	<b>3,917.02</b>	<b>14,237.12</b>	<b>43,163.35</b>	<b>(-)04</b>
						<b>5,33,634.79</b>	
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<i>01- जल विद्युत उत्पादन-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
						414.58	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
						0.73	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i) राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						10.00	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रिय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
01- जल विद्युत उत्पादन (जारी)							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)							
(ii)- बगलिहार विद्युत परियोजना में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						14,781.72	
कुल-190	-	-	-	-	-	-	-
						14,791.72	
799- उचंत-							
विद्युत केन्द्रीय भण्डार प्रभाग पम्पोर-श्रीनगर	-	-	-	-	-	-	-
						(-)18.07	
चेनानी जल विद्युत परियोजना	-	-	-	-	-	-	-
						1,611.48	
निचली झेलम जल विद्युत परियोजना	-	-	-	-	-	-	-
						18,641.55	
ग्रिड स्टेशन वानपोह	-	-	-	-	-	-	-
						1,766.24	
नई सुरंग	-	-	-	-	-	-	-
						4,941.43	
ऊपरी सिंध जल विद्युत परियोजना-11 (कंगन)	-	-	-	-	-	-	-
						26,491.64	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्षक-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिचय-(जारी)</b>								
<b>01- जल विद्युत उत्पादन-(समाप्त)</b>								
<b>799- उर्ध्वत-(समाप्त)</b>								
	सूक्ष्म जल विद्युत स्टेशन कारनाह	-	-	-	-	-	-	-
	132-ग्रिड स्टेशन ग्लेडनी	-	-	-	-	-	2,697.24	-
	ग्रिड स्टेशन पम्पोर	-	-	-	-	-	1,476.25	-
	सेवा परियोजना बसोहली	-	-	-	-	-	1,236.92	-
	अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	-	-	-	-	-	17,619.48	-
							29,211.80	
	कुल-799	-	-	-	-	-	1,05,675.96	-
<b>800- अन्य व्यय-</b>								
	(i)- बगलिहार जल विद्युत परियोजना को सहायता	-	-	-	-	-	-	-
							20,463.39 (क)	
	(ii)- अन्य व्यय	20,150.00	-	60,000.00	-	60,000.00	80,462.94	^
							91,246.24	
	कुल-800	20,150.00	-	60,000.00	-	60,000.00	80,462.94	^
							1,11,709.63	
	कुल-01	20,150.00	-	60,000.00	-	60,000.00	80,462.94	^
							2,32,592.62 (क)	

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किए जाने पर 31 मार्च 2013 तक ₹ 167,00.00 लाख की राशि के शेष को प्रोफॉर्मों कम किया गया। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 में मुख्य शीर्षक -6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<b>02- ताप विद्युत उत्पादन-</b>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	-	-	-	-	-	377.15	-
	-	-	-	-	-	210.24	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	587.39	-
001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	25.70	-
648- डीजी स्टेशन	-	-	-	-	-	3,826.72	-
652- डीजी स्टेशन कारगिल	-	-	-	-	-	3,334.96	-
उत्पादन स्टेशन श्रीनगर की खरीद एवं संस्थापन सहित डीजल स्टेशन श्रीनगर	-	-	-	-	-	49,010.51	-
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	-	4,053.12	-
अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है।	-	-	-	-	-	3,793.51	-
	-	-	-	-	-	793.51	-
	-	-	-	-	-	64,044.52	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>05- संचारण एवं वितरण-</i>							
001- निदेशन एवं प्रशासन	38,807.49 #	-	61,688.17	-	61,688.17	1,18,688.45	(+59
						1,34,172.13	
052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
						27.47	
502- संचारण लाइन ग्लेडनी उधमपुर	-	-	-	-	-	-	-
						2.56	
503- संचारण लाइन हीरानगर बातल मनवाल	-	-	-	-	-	-	-
						1,028.61	
507- बिस्नाह मिरानसाहिब संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
						115.54	
536- बर्म नहर संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
						66.38	
537- बर्म बिस्नाह संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
						1,919.89	
540- 132/133 केवी ग्रिड स्टेशन संवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
						323.46	
601- 132-केवी बादामपुरा संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
						25,453.36	
602- 220 केवी ग्लेडनी उधमपुर संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
						71.26	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्षक-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
05- संचारण एवं वितरण-(जारी)								
604-	बुरान किशनपुर संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
							1,809.12	-
609-	राजौरी, पुंछ संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
							1,608.45	-
615-	रियासी-कलाकोट संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
							896.38	-
625-	ग्रिड स्टेशन बेमिना	-	-	-	-	-	-	-
							1,304.01	-
636-	ग्रिड स्टेशन हीरानगर	-	-	-	-	-	-	-
							101.73	-
637-	ग्रिड स्टेशन बुरान	-	-	-	-	-	-	-
							4,361.69	-
638-	ग्रिड स्टेशन सांबा	-	-	-	-	-	-	-
							1.78	-
639-	ग्रिड स्टेशन महानपुर	-	-	-	-	-	-	-
							159.97	-
640-	ग्रिड स्टेशन दरबा/ पुंछ	-	-	-	-	-	-	-
							1,028.41	-
641-	ग्रिड स्टेशन डोडा	-	-	-	-	-	-	-
							46.00	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>05- संचारण एवं वितरण-(जारी)</i>							
642- ग्रिड स्टेशन सिधा	-	-	-	-	-	24.49	-
670- उप-संचारण लाइनें और वितरण प्रणाली में सुधार	-	-	-	-	-	53,730.71	-
674- 132/66 केवी ग्रिड स्टेशन हीरानगर का 42.5 एमवीए से 72.5 एमवी तक संवर्धन	-	-	-	-	-	0.30	-
686- द्राबा चांडक संचारण लाइन	-	-	-	-	-	38.59	-
688- बुरान रियासी संचारण लाइन	-	-	-	-	-	66.01	-
697- ग्रिड स्टेशन बडी ब्राहमना	-	-	-	-	-	2,189.33	-
698- ग्रिड स्टेशन गंगयाल	-	-	-	-	-	1,405.17	-
699- ग्रिड स्टेशन बिस्नाह	-	-	-	-	-	5,647.88	-
700- ग्रिड स्टेशन चांडक	-	-	-	-	-	766.53	-
701- ग्रिड स्टेशन कटरा	-	-	-	-	-	1,234.48	-

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
व्यय शीर्षक-								
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
05- संचारण एवं वितरण-(जारी)								
704-	ग्रिड स्टेशन सीओट	-	-	-	-	-	19.05	-
705-	ग्रिड स्टेशन पोनी चक	-	-	-	-	-	-	-
719-	ग्रिड स्टेशन बर्न पर केवी लाइन बेयस	-	-	-	-	-	1,345.34	-
							73.85	
720-	132 बर्न-सीओट कालाकोट संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
							826.51	
721-	132 केवी एस/सी ट्राबा चांडक संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
							47.73	
723-	132 केवी लाइन बेयस 2. न. जी/एस चांडक	-	-	-	-	-	-	-
							7.60	
724-	220/132 केवी जी/एस बिस्नाह	-	-	-	-	-	-	-
							177.31	
725-	132 केवी डी/सी लिलो मुख्य रिंग से पानी पाउनी चक ग्रिड स्टेशन तक	-	-	-	-	-	-	-
							29.99	
727-	डी/सी बर्न बिस्नाह हीरानगर संचारण लाइन	-	-	-	-	-	-	-
							190.08	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)							
05- संचारण एवं वितरण(समाप्त)							
728- 132 केवी 2 न. लाइन बेयस द्राबा	-	-	-	-	-	-	-
						6.76	-
729- 132/33 केवीजी/ बटाल मनवाल ग्रिड स्टेशन	-	-	-	-	-	-	-
						1,132.98	-
730- 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन जोरियाँ कलीथ अखनूर	-	-	-	-	-	-	-
						1,188.84	-
731- 22 केवी लाइन ग्रिड स्टेशन बेयस हीरानगर	-	-	-	-	-	-	-
						285.35	-
750- 120 एमवीए ग्रिड स्टेशन रियासी	-	-	-	-	-	-	-
						29.76	-
799- उंचत	-	-	-	-	-	-	-
						(-)35.18	-
800- अन्य व्यय	-	-	1,311.84	-	1,311.84	1,326.84	*
						6,44,683.39	
अन्य निर्माण कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ या कम है	-	-	-	-	-	-	-
						82,384.21	
निर्माण/ परियोजनाएं जिनमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-
						1,20,924.05	
कुल-05	38,807.49	-	63,000.01	-	63,000.01	1,20,015.29	(+)62
						10,92,919.31	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्षक-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)								
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)								
80- सामान्य-(समाप्त)								
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	-
						17,380.09		
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती		-	-	-	-	-	-	-
						(-)-1.99		
	कुल-80	-	-	-	-	-	-	-
	कुल-4801	58,957.49 #	-	1,23,000.01	-	1,23,000.01	2,00,478.23	^
	कुल-(ड)- ऊर्जा का पूँजीगत लेखा	58,957.49 #	-	1,23,000.01	-	1,23,000.01	2,00,478.23	^
						14,21,279.98 (क)		
						14,21,279.98 (क)		
<b>(च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा</b>								
4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय								
001- निदेशन एवं प्रशासन		-	-	-	-	-	-	-
						195.70		
101- औद्योगिक संपदा		-	-	-	-	-	-	-
						73,455.39		
102- लघु पैमाना उद्योग		9,376.56	-	5,167.38	-	5,167.38	19,502.46 #	(-)-45
						41,969.19		
103- हथकरघा उद्योग		1,228.76	-	669.54	-	669.54	2,661.88	(-)-46
						9,623.50		

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किए जाने पर 31 मार्च, 2013 को ₹ 16700.00 लाख की राशि के शेष का प्रोफॉर्म कम कर दिया गया। कृपया खण्ड-11 के विवरण संख्या 18 में मुख्य शीर्षक -6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4851- ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
104- हस्तकला उद्योग	1,193.19	-	2,342.27	-	2,342.27	8,681.55	(+)19
						<b>16,840.01</b>	
105- खादी एवं ग्रामोद्योग	2,258.88	-	2,514.25	-	2,514.25	5,659.32	(+)11
						<b>4,495.08</b>	
107- रेशम उत्पादन उद्योग	426.43	-	837.11	-	837.11	1,587.45 #	(+)96
						<b>10,188.08</b>	
108- पावरलूम उद्योग	-	-	-	-	-	-	-
						<b>14.41</b>	
109- समग्र ग्राम और लघु उद्योग सहकारिताएं	-	-	-	-	-	-	-
						<b>6.20</b>	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (एसएण्डई) निगम के पूँजीगत शेयर में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,616.60</b>	
(ii)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,329.75</b>	
(iii)- जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,629.33</b>	
(iv)- औद्योगिक क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						<b>63.03</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)							
(v)- हथकरघा क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						1,538.93	
(vi)- हस्तशिल्प क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						18.50	
(vii)- एसआईडीसीओ में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						3,008.50	
(viii)- एसआसीओपी में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						125.00	
(ix)- जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-
						45.00	
(x)- बाजार विकास सहायता	-	-	-	-	-	-	-
						2,166.16	
कुल-190	-	-	-	-	-	-	-
						11,540.80	
200- अन्य ग्राम उद्योग	-	-	-	-	-	-	-
						4.84	
800- अन्य व्यय	1,130.00	-	999.96	-	999.96	3,642.46 #	(-)-12
						13,529.42	
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती	-	-	-	-	-	-	-
						(-)-3.13	
कुल-4851	15,613.82	-	12,530.51	-	12,530.51	41,735.12 #	(-)-20
						1,81,859.49	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>01- खनन-</b>							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>368.97</b>	
<b>कुल-01</b>	-	-	-	-	-	-	-
						<b>368.97</b>	
<b>02- विनिर्माण-</b>							
<b>190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-</b>							
(i)- एसआईसीओपी	200.00	-	90.00	-	90.00	386.00	(-)55
	-	-	-	-	-	-	-
(ii)- एसआईडीसीओ	340.00	-	181.29	-	181.29	693.78 #	(-)47
						<b>712.50</b>	
<b>कुल-190</b>	<b>540.00</b>	<b>-</b>	<b>271.29</b>	<b>-</b>	<b>271.29</b>	<b>1,079.78 #</b>	<b>(-)50</b>
						<b>712.50</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>19,842.77</b>	
<b>कुल-02</b>	<b>540.00</b>	<b>-</b>	<b>271.29</b>	<b>-</b>	<b>271.29</b>	<b>1,079.78 #</b>	<b>(-)50</b>
						<b>20,555.27</b>	
<b>कुल-4852</b>	<b>540.00</b>	<b>-</b>	<b>271.29</b>	<b>-</b>	<b>271.29</b>	<b>1,079.78 #</b>	<b>(-)50</b>
						<b>20,924.24</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रिय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्ष-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>4853- अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>								
<b>01- खनिज उत्खनन और विकास-</b>								
004-	अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	-	-	-
						<b>81.73</b>		
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)-	भू-विज्ञान एवं खनन	81.50	-	114.23	-	114.23	195.73	(+) <b>40</b>
						<b>1,746.16</b>		
(ii)-	जेएण्डके खनिज लिमिटेड	140.00	-	5.34	-	5.34	345.34	(-) <b>96</b>
						<b>274.78</b>		
(iii)-	जेएण्डके सीमेन्ट	-	-	-	-	-	-	-
						<b>501.08</b>		
कुल-190		221.50	-	119.57	-	119.57	541.07	(-) <b>46</b>
						<b>2,522.02</b>		
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>5,139.85</b>		
कुल-01		221.50	-	119.57	-	119.57	541.07	(-) <b>46</b>
						<b>7,743.60</b>		
60-	सामान्य-							
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>25.95</b>		
कुल-60		-	-	-	-	-	-	-
						<b>25.95</b>		
कुल-4853		221.50	-	119.57	-	119.57	541.07	(-) <b>46</b>
						<b>7,769.55</b>		

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(घ) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा (जारी)</b>							
<b>4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज लिमिटेड पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>01- सीमेन्ट-</b>							
004- अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	-	-	-
						24.06	
<b>कुल-01</b>	-	-	-	-	-	-	-
						24.06	
<b>कुल-4854</b>	-	-	-	-	-	-	-
						24.06	
<b>4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>60- अन्य अभियांत्रिकी उद्योग-</b>							
<b>190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-</b>							
<b>(i)- तवी स्कूटर्स लिमिटेड में निवेश</b>							
	-	-	-	-	-	-	-
						10.00	
<b>(ii)- अन्य उद्योग</b>	-	-	-	-	-	-	-
						115.23	
<b>कुल-190</b>	-	-	-	-	-	-	-
						125.23	
<b>कुल-60</b>	-	-	-	-	-	-	-
						125.23	
<b>कुल-4858</b>	-	-	-	-	-	-	-
						125.23	



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्षक-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>								
<b>4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>								
<b>01- वस्त्र-</b>								
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						139.40		
	<b>कुल-01</b>	-	-	-	-	-	-	-
						139.40		
<b>05- कागज एवं समाचार पत्र मुद्रण-</b>								
	800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						1.52		
	<b>कुल-05</b>	-	-	-	-	-	-	-
						1.52		
<b>60- अन्य उद्योग-</b>								
	600- अन्य- सीमेन्ट	-	-	-	-	-	-	-
						1,536.17		
	मिट्टी के पात्र	-	-	-	-	-	-	-
						28.36		
	ऊन	-	-	-	-	-	-	-
						159.92		
	माचिस कारखाना/ औषधीय	-	-	-	-	-	-	-
						4.00		
	जोड़नरी मिल	-	-	-	-	-	-	-
						60.00		

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
60- अन्य उद्योग-(समाप्त)							
600- अन्य-(समाप्त)							
जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						945.49	-
जम्मू एवं कश्मीर खनिजों की पूँजीगत हिस्सेदारी	-	-	-	-	-	-	-
						258.91	-
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-
						2,992.85	-
कुल-4860	-	-	-	-	-	-	-
						3,133.77	-
4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-							
60- अन्य उद्योग-							
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						6.01	-
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-
						6.01	-
कुल-4875	-	-	-	-	-	-	-
						6.01	-
4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-							
01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
						3,076.54	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश-(समाप्त)</i>							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)							
(ii)- जेएण्डके वित्तीय निगम लिमिटेड में शेयर पूँजीगत हिस्सेदारी	-	-	-	-	-	40.66	-
(iii)- जेएण्डके लघु पैमाना औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	-	347.50	-
कुल-190	-	-	-	-	-	3,464.70	-
<b>200- अन्य निवेश-</b>							
(i)- निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता	-	-	-	-	-	17.27	-
(ii)- ब्रिकेटिंग संयंत्र	-	-	-	-	-	14.59	-
(iii)- भवन उद्योग	-	-	-	-	-	192.05	-
कुल-200	-	-	-	-	-	223.91	-
कुल-01	-	-	-	-	-	3,688.61	-
<b>60- अन्य-</b>							
<b>800- अन्य व्यय-</b>							
(i)- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	-	-	-	-	-	443.66	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रिय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>							
60- अन्य-(समाप्त)							
800- अन्य व्यय-(समाप्त)							
(ii)- अन्य व्यय							
						140.64	
कुल-800							
						584.30	
कुल-60							
						584.30	
कुल-4885							
						4,272.91	
कुल-(च)- उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा	16,375.32		12,921.37		12,921.37	43,355.97	(-)21
						2,18,115.26	
<b>(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
01- राष्ट्रीय राजमार्ग-							
052- मशीनरी एवं उपकरण							
						24.25	
101- स्थायी पुल							
						182.39	
337- सड़क निर्माण कार्य							
						5,031.67	
800- अन्य व्यय							
						1,264.44	
कुल-01							
						6,502.75	



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>03- राज्य राजमार्ग-(समाप्त)</i>							
799- उंचत	-	-	-	-	-	-	-
						<b>4.60</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,78,261.01</b>	
<i>कुल-03</i>	<b>209,648.37</b>		<b>31,942.72</b>	<b>153,014.46</b>	<b>184,957.18</b>	<b>4,37,935.43</b>	<b>(-)12</b>
						<b>11,34,377.03</b>	
<i>04- जिला एवं अन्य सड़कें-</i>							
101- पुल	-	-	-	-	-	-	-
						<b>3,290.34</b>	
337- सड़क निर्माण कार्य	-	-	11,901.22	-	11,901.22	11,901.22	*
						<b>24,125.47</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,53,036.51</b>	
<i>कुल-04</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,901.22</b>	<b>-</b>	<b>11,901.22</b>	<b>11,901.22</b>	<b>*</b>
						<b>1,80,452.32</b>	
<i>05- सड़कें-</i>							
101- पुल	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1,173.87</b>	
337- सड़क निर्माण कार्य	47,400.44	-	67,106.26	401.15	67,507.41	1,34,225.80	(+)42
						<b>1,26,973.32</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)								
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्षक	व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	संघ शासित क्षेत्र का व्यय	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्षक-</b>								
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>								
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)								
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)								
05- सड़कें-(समाप्त)								
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	-
						305.72		
	कुल-03	47,400.44	-	67,106.26	401.15	67,507.41	1,34,225.80	(+ )42
							1,28,452.91	
<b>80- सामान्य-</b>								
001- निदेशन एवं प्रशासन		-	-	-	-	-	-	-
							250.86	
004- अनुसंधान		-	-	-	-	-	-	-
							0.38	
052- मशीनरी एवं उपकरण		-	-	-	-	-	-	-
							60.14	
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना		-	-	-	-	-	-	-
							90.78	
797- आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण		-	-	-	-	-	-	-
							39,959.00	
800- अन्य व्यय		-	-	-	-	-	-	-
							5,021.25	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी)</b>							
<i>80- सामान्य-(समाप्त)</i>							
902- केन्द्रीय सड़क निधि से संसाहयिकी राशि की कटौती	(-)2,735.96 #	-	(-)2,697.26	(-)401.15	(-)3,098.41 (ग)	(-)8,252.03 (घ)	(-)13
						<b>(-)1,25,283.82 (घ)</b>	
<i>कुल-80</i>	(-)2,735.96 #	-	(-)2,697.26	(-)401.15	(-)3,098.41 (ग)	(-)8,252.03 (घ)	(-)13
<b>कुल-5054</b>	<b>2,54,312.85 #</b>	<b>-</b>	<b>1,08,252.94</b>	<b>1,53,014.46</b>	<b>2,61,267.40</b>	<b>5,75,810.43</b>	<b>(+)03</b>
						<b>13,70,818.51</b>	
<b>5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
050- भूमि एवं भवन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>551.68</b>	
102- बेड़े का अधियहण	175.00	-	50.00	-	50.00	225.00	^
						<b>1,727.37</b>	
103- कार्यशाला सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-
						<b>158.26</b>	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड में निवेश	8,127.00	-	5,312.25	-	5,312.25	19,190.58	(-)35
						<b>16,880.44</b>	
800- अन्य व्यय	171.14	-	128.22	-	128.22	352.96	(-)25
						<b>7,007.27</b>	
<b>कुल-5055</b>	<b>8,473.14</b>	<b>-</b>	<b>5,490.47</b>	<b>-</b>	<b>5,490.47 (घ)</b>	<b>19,768.54</b>	<b>(-)35</b>
						<b>26,325.02</b>	

(घ) केन्द्रीय सड़क निधि से एमएच-8449-103 संसाहयिकी को हस्तान्तरित राशि दर्शाता है। कृपया खण्ड-11 विवरण संख्या-21 में एमएच-8449 के नीचे पाद टिप्पणी ग और लेखाओं पर टिप्पणियों के खण्ड-1 अनुलग्नक क का अवलोकन करें।

(ग) 31-10-2019 से 31-03-2021 तक।

(घ) सहायिकी पर ₹ 50.00 लाख के व्यय को सम्मिलित करता है।



16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>5056- अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
104- नौ परिवहन-							
तुलबुल नौ परिवहन लॉक	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2,774.37</b>	
<b>कुल-5056</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>2,774.37</b>	
<b>कुल-(छ)- परिवहन का पूँजीगत लेखा</b>	<b>2,62,785.99 #</b>	<b>-</b>	<b>1,13,743.41</b>	<b>1,53,014.46</b>	<b>2,66,757.87</b>	<b>5,95,578.97 #</b>	<b>(+)02</b>
						<b>13,99,917.9</b>	
<b>(ज) संचार का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
101- अन्य संचार सुविधारं							
	-	-	-	-	-	0.40	-
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1.69</b>	
<b>कुल-5275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>2.09</b>	
<b>कुल-(ज)- संचार का पूँजीगत लेखा</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>2.09</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)							
<b>व्यय शीर्ष-</b>							
<b>(पूँजीगत लेखा)-(जारी)</b>							
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>							
<b>(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>5425- अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
208- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	98.89	-	164.58	-	164.58	384.30	(+)66
						<b>2,389.33</b>	
800- अन्य व्यय	2,324.24 #	-	5,096.48	-	5,096.48	7,578.12 #	^
						<b>13,544.26</b>	
<b>कुल-5425</b>	<b>2,423.13 #</b>	<b>-</b>	<b>5,261.06</b>	<b>-</b>	<b>5,261.06</b>	<b>7,962.42 #</b>	<b>^</b>
						<b>15,933.59</b>	
<b>कुल-(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूँजीगत लेखा</b>	<b>2,423.13 #</b>	<b>-</b>	<b>5,261.06</b>	<b>-</b>	<b>5,261.06</b>	<b>7,962.42 #</b>	<b>^</b>
						<b>15,933.59</b>	
<b>(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-</b>							
<b>5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>01- पर्यटक अवसंरचना-</b>							
101- पर्यटक केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-
						<b>2,269.53</b>	
102- पर्यटक आवास	-	-	-	-	-	-	-
						<b>13,073.01</b>	
103- पर्यटक परिवहन	-	-	-	-	-	-	-
						<b>1.99</b>	
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-
						<b>4,458.10</b>	
<b>कुल-01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>19,802.63</b>	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय			31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
			संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
80- सामान्य-							
104- प्रोत्साहन एवं प्रचार	-	-	-	-	-	-	-
						4,185.42	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	-	-	-	-	-	-	-
						2,112.79	
(ii)- शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	-	-	-	-	-	-	-
						839.52	
(iii)- जवाहर पर्वतारोहण संस्थान बटोट	-	-	-	-	-	-	-
						7.00	
(iv)- केबल कार निगम	-	-	-	-	-	-	-
						1,028.25	
कुल-190	-	-	-	-	-	-	-
						3,987.56	
800- अन्य व्यय	7,657.35	-	13,396.94	-	13,396.94	31,391.73	(+)
						2,00,502.13	
कुल-80	7,657.35	-	13,396.94	-	13,396.94	31,391.73	(+)
						2,08,675.11	
कुल-5452	7,657.35	-	13,396.94	-	13,396.94	31,391.73	(+)
						2,28,477.74	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)							
(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति	2020-21 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र		वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय		31 मार्च 2022 के अंत तक व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
		जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि		संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)		
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष-							
(पूँजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश-							
01- सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश-							
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य बैंकों, उपक्रमों आदि में निवेश-							
(i)- जम्मू एवं कश्मीर बैंक में निवेश	-	-	-	-	-	55,531.35	-
(ii)- जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम में निवेश	-	-	-	-	-	4,483.64	-
(iii)- कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश	-	-	-	-	-	215.79	-
(iv)- जम्मू ग्रामीण बैंक में निवेश	-	-	-	-	-	125.96	-
(v)- अन्य निवेश	-	-	-	-	-	387.60	-
कुल-190	-	-	-	-	-	60,744.34 <sup>(ख)</sup>	-
800- अन्य व्यय	-	-	-	-	-	74.90	-
कुल-01	-	-	-	-	-	60,819.24	-
कुल-5465	-	-	-	-	-	60,819.24	-

(ख) भोफोंमें समायोजन द्वारा विनिवेश के कारण ₹ 2809.50 लाख की राशि को कम किया गया।



## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय			31 मार्च 2021 के अंत तक व्यय	2020-21 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)*
				संघ शासित क्षेत्र का व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)								
<b>व्यय शीर्ष-</b>								
<b>पूँजीगत लेखा (समाप्त)-</b>								
<b>ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>								
<b>(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>								
<b>5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त)</b>								
800- अन्य व्यय		74,802.50	-	1,02,840.99	1,164.52	1,04,005.51	2,53,608.34 #	(+39)
	<b>कुल-5475</b>	<b>84,667.78</b>	<b>-</b>	<b>1,23,412.83</b>	<b>1,164.52</b>	<b>1,24,577.35</b>	<b>2,84,084.16 #</b>	<b>(+47)</b>
							<b>5,49,623.65</b>	
	<b>कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	<b>92,325.13</b>	<b>-</b>	<b>1,36,809.77</b>	<b>1,164.52</b>	<b>1,37,974.29</b>	<b>3,15,475.89 #</b>	<b>(+49)</b>
							<b>8,38,920.63</b>	
	<b>कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	<b>7,20,156.58 #</b>	<b>-</b>	<b>5,39,514.19</b>	<b>2,27,025.89</b>	<b>7,66,540.08</b>	<b>18,06,266.47</b>	<b>(+06)</b>
							<b>66,11,154.70</b>	
	<b>कुल पूँजीगत लेखा</b>	<b>10,47,037.55</b>	<b>-</b>	<b>7,63,944.67</b>	<b>3,40,758.89</b>	<b>11,04,703.56 (+)</b>	<b>26,93,960.76</b>	<b>(+06)</b>
							<b>1,03,00,075.44 (ग)</b>	
	<b>वेतन</b>	<b>16.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-100)</b>
	<b>सहायिकी</b>	<b>12,805.20</b>	<b>-</b>	<b>50.00</b>	<b>9,465.76</b>	<b>9,515.76</b>	<b>-</b>	<b>(-26)</b>
	<b>सहायता अनुदान</b>	<b>6,159.02</b>	<b>-</b>	<b>6,359.86</b>	<b>-</b>	<b>6,359.86</b>	<b>-</b>	<b>(+03)</b>

(+\*) मशीन पूर्णांकन के कारण विनियोजन लेखाओं के सारांश में अपनाए गए आँकड़ों से ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।

(ग) प्रोफॉर्म समायोजन द्वारा विनिवेश और पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण ₹ 1,95,09.50 लाख की राशि को कम किया गया। कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष 4801 एवं 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का अवलोकन करें। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष-6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या 16 की व्याख्यात्मक टिप्पणी						
पूँजीगत लेखा पर व्यय: - वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का पूँजीगत व्यय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 10,47,037.56 लाख के प्रति ₹ 11,04,703.56 लाख था। मुख्यतः ₹ 57,666.00 लाख की वृद्धि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत थी।						
क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्णन	वास्तविक		कमी	कारण (एच)
			2021-22	2020-21		
(₹ लाख में)						
1	4059-	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-	53,480.05	53,156.89	323.16	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि
2	4210-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-	63,678.55	52,984.52	10,694.03	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि
3	4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं	12,534.72	3,127.90	9,406.82	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि
4	4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-	50,970.25	45,205.35	5,764.90	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि
5	4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-	1,23,000.01	58,957.49	64,042.52	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि
6	5054-	सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-	2,61,267.40	2,54,312.85	6,954.55	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि

(एच) सरकार (जुलाई 2022) द्वारा वृद्धि/ कमी के कारणों की सूचना नहीं दी गई।

## 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या 16 की व्याख्यात्मक टिप्पणी						
मुख्यतः निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि को आंशिक रूप से कमी द्वारा पूरा किया गया।						
क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्णन	वास्तविक		कमी	कारण (आई)
			2021-22	2020-21		
(₹ लाख में)						
1	4055-	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-	11,173.16	16,410.41	5,237.25	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी
2	4058-	लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय-	112.92	274.20	161.28	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी
3	4075-	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-	105.76	7,045.67	6,939.91	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी
4	4202-	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय-	57,231.13	59,774.24	2,543.11	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी
5	4215-	जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-	17,499.34	31,128.36	13,629.02	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी
6	4217-	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-	45,098.01	53,708.33	8,610.32	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी
7	4406-	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-	12,784.52	13,355.53	571.01	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी
8	4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-	1,26,764.97	2,02,286.50	75,521.53	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी

(आई) सरकार (जुलाई 2022) द्वारा वृद्धि/ कमी के कारणों की सूचना नहीं दी गई।



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं को विस्तृत विवरण

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
<b>(ड) लोक ऋण-</b>								
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-</b>								
101- बाजार ऋण (क)	9,43,521.96	-	856,200.00	2,97,500.00	15,02,221.96	(+)5,58,700.00	(+)59	3,55,748.64
	<b>34,29,080.04</b>				<b>34,29,080.04</b>			
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	(-)16,963.70	-	-	13,158.30	(-)30,122.00	(-)13,158.30	(-)78	8,522.19
	<b>1,14,871.40</b>				<b>1,14,871.40</b>			
104- भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	(-)69.28	-	-	20.00	(-)89.28	(-)20.00	(-)29	4.90
	<b>99.24</b>				<b>99.24</b>			
105- कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण	12,386.12 ^	-	53,317.93	37,679.78	28,024.27	(+)15,638.15	*	8,822.40
	<b>1,95,122.49</b>				<b>1,95,122.49</b>			
106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र								
(i)- विद्युत बंधपत्र	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)- यूडीएवाई बंधपत्र	-	-	-	21,400.00	(-)21,400.00	(-)21,400.00	#	28,412.21
	<b>3,53,755.00</b>				<b>3,53,755.00</b>			
कुल-106	-	-	-	21,400.00	(-)21,400.00	(-)21,400.00	#	28,412.21
	<b>3,53,755.00</b>				<b>3,53,755.00</b>			
109- अन्य संस्थानों से ऋण (क)	(-)4,578.00 ^	-	165.04	2,172.70	(-)6,585.66	(-)2,007.66	(-)44	79,472.19
	<b>43,737.40</b>				<b>43,737.40</b>			

(क) कृपया ब्यौरे हेतु इस विवरण के अनुलग्नक का अवलोकन करें।

(\*) विवरण में 100 प्रति शत से अधिक।

(#) विवरण में लागू नहीं।

(^) विवरण में अपनाए गए मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 17 में ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।

(\$) विवरण में ऋण शेष 30/10/2019 (पूर्ण-पूर्णगठन) के अनुसार शेष राशि के गैर-विभाजन के कारण है।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं को विस्तृत विवरण - (जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण - (जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल		भुगतान ब्याज
						वृद्धि(+)/कमी(-)	राशि प्रतिशत	
(इ) लोक ऋण-(जारी)								
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(समाप्त)</b>								
110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम-								
(i)- अर्थोपाय अग्रिम	71,589.00	-	20,07,539.00	20,29,174.00	49,954.00	(-)21,635.00	(-)30	3,849.62
	<b>69,211.00</b>				<b>69,211.00</b>			
(ii)- ओवरड्राफ्ट	1,06,864.94	-	16,02,764.32	17,09,629.25	0.01 <sup>@</sup>	(-)1,06,864.93	(-)100	2,264.28
	-				-			
कुल-110	1,78,453.94	-	36,10,303.32	37,38,803.25	49,954.01	(-)1,28,499.93	(-)72	6,113.90
	<b>69,211.00</b>				<b>69,211.00</b>			
111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ								
	(-)56,530.53	-	5,00,000.00	34,864.50	4,08,604.97	(+)4,65,135.50	*	27,624.14
	<b>3,37,032.49</b>				<b>3,37,032.49</b>			
कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	10,56,220.51	-	50,19,986.29	41,45,598.53	19,30,608.27	(+)8,74,387.76	(+)83	5,14,720.57
	<b>45,42,909.06</b>				<b>45,42,909.06</b>			
<b>6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-</b>								
01- गैर-नियोजित ऋण-								
201- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>107.59</b>				<b>107.59</b>			
800- अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>9,520.92</b>				<b>9,520.92</b>			
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>9,628.51</b>				<b>9,628.51</b>			

(@) पुरे रुपए के अनुसार वास्तविक अंत शेष शून्य है, तथापि, ₹ 0.01 लाख का मशीन पूर्णांकन के कारण है।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>								
<b>6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(जारी)</b>								
<i>02- राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हेतु ऋण-</i>								
101- ब्लॉक ऋण	(-)4,226.06	-	-	2,888.24	(-)7,114.30 \$	(-)2,888.24	(-)68	1,801.43
	<b>44,874.58</b>				<b>44,874.58</b>			
105- 12वें वित्त आयोग की 1979-2004 की अनुशंसाओं के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋण	(-)13,354.90	-	-	8,903.27	(-)22,258.17 \$	(-)8,903.27	(-)67	3,338.72
	<b>60,628.34</b>				<b>60,628.34</b>			
<i>कुल-02</i>	(-)17,580.96	-	-	11,791.51	(-)29,372.47 \$	(-)11,791.51	(-)67	5,140.15
	<b>1,05,502.92</b>				<b>1,05,502.92</b>			
<i>06- अर्थोपाय अग्रिम-</i>								
800- अन्य अर्थोपाय अग्रिम-बाढ़ राहत हेतु अग्रिम	<b>924.54</b>	-	-	-	<b>924.54</b>	-	-	-
	<b>924.54</b>	-	-	-	<b>924.54</b>	-	-	-
<i>07- 1984-85 से पूर्व ऋण</i>								
101- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, प्रत्यावर्तन इत्यादि।	<b>335.37</b>	-	-	-	<b>335.37</b>	-	-	-
102- राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	<b>15.46</b>	-	-	-	<b>15.46</b>	-	-	-
105- लघु बचत ऋण	<b>448.57</b>	-	-	-	<b>448.57</b>	-	-	-



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड अंकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
अन्य देयताएं- (घ)								
झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि-								
(ख) भविष्य निधियाँ-								
8009- राज्य भविष्य निधियाँ	2,05,910.54	-	5,68,810.82	6,38,868.87	1,35,852.49	(-)70,058.05	(-)34	1,81,268.04
	<b>26,15,586.49</b>				<b>26,15,586.49</b>			
कुल-(ख)- भविष्य निधियाँ	2,05,910.54	-	5,68,810.82	6,38,868.87	1,35,852.49	(-)70,058.05	(-)34	1,81,268.04
	<b>26,15,586.49</b>				<b>26,15,586.49</b>			
(ग) अन्य लेखे-								
8011- बीमा एवं पेन्शन निधि	12,686.12	-	33,588.47	22,985.74	23,288.85	(+)10,602.73	(+)84	7,188.85
	<b>1,00,575.13</b>				<b>1,00,575.13</b>			
कुल-(ग)- अन्य लेखे	12,686.12	-	33,588.47	22,985.74	23,288.85	(+)10,602.73	(+)84	7,188.85
	<b>1,00,575.13</b>				<b>1,00,575.13</b>			
कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधि	2,18,596.66	-	6,02,399.29	6,61,854.61	1,59,141.34	(-)59,455.32	(-)27	1,88,456.89
	<b>27,16,161.62</b>				<b>27,16,161.62</b>			
ज- आरक्षित निधियाँ-								
(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-								
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	78,089.23 ^	-	36,122.76	26,826.07	87,385.92	(+)9,296.69	(+)12	4,960.80
	<b>1,26,062.05</b>				<b>1,26,062.05</b>			
कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-	78,089.23 ^	-	36,122.76	26,826.07	87,385.92	(+)9,296.69	(+)12	4,960.80
	<b>1,26,062.05</b>				<b>1,26,062.05</b>			
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-								
8222- ऋण शोधन निधियाँ	5,563.00	-	4,500.00	-	10,063.00	(+)4,500.00	(+)81	-
	<b>35,586.76</b>				<b>35,586.76</b>			
8223- अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>866.96</b>				<b>866.96</b>			

(घ) कृपया ब्याज हेतु विवरण संख्या 21 का अवलोकन करें।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल		भुगतान ब्याज
						वृद्धि(+)/कमी(-)	राशि प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
अन्य देयताएं-(जारी)								
ज- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)								
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)								
8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>64,665.33</b>				<b>64,665.33</b>			
8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ	(-)9,038.39 ^	-	228.12	1,561.94	(-)10,372.21	(-)1,333.82	(-)15	-
	<b>34,384.93</b>				<b>34,384.93</b>			
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	2,499.77	-	2,438.42	2.00	4,936.19	(+)2,436.42	(+)97	-
	<b>17,890.93</b>				<b>17,890.93</b>			
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>(-)975.62</b>	<b>-</b>	<b>7,166.54</b>	<b>1,563.94</b>	<b>4,626.98</b>	<b>(+)5,602.60</b>	<b>*</b>	<b>-</b>
	<b>1,53,394.91</b>				<b>1,53,394.91</b>			
<b>कुल-ज-आरक्षित निधियाँ</b>	<b>77,113.61</b>	<b>-</b>	<b>43,289.30</b>	<b>28,390.01</b>	<b>92,012.90</b>	<b>(+)14,899.29</b>	<b>(+)19</b>	<b>4,960.80</b>
	<b>2,79,456.96</b>				<b>2,79,456.96</b>			
ट- जमाएं एवं अग्रिम-								
(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-								
8336- नागरिक जमाएं	47,525.65 ^	-	855.34	-	48,380.99	(+)855.34	(+)02	-
	-				-			
8342- अन्य जमाएं	(-)52.16	-	1,58,712.84	1,57,489.59	1,171.09	(+)1,223.25	*	-
	<b>5,367.44</b>				<b>5,367.44</b>			
<b>कुल-(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	<b>47,473.49 ^</b>	<b>-</b>	<b>1,59,568.18</b>	<b>1,57,489.59</b>	<b>49,552.08</b>	<b>(+)2,078.59</b>	<b>(+)04</b>	<b>-</b>
	<b>5,367.44</b>				<b>5,367.44</b>			

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## (क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		भुगतान ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
अन्य देयताएं-(समाप्त)								
ट- जमाएं एवं अग्रिम-(समाप्त)								
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-								
8443- नागरिक जमा	69,195.42 ^	-	1,74,569.23	1,68,457.37	75,307.28	(+)6,111.86	(+)09	-
	<b>5,26,876.70</b>				<b>5,26,876.70</b>			
8448- स्थानीय निधियों की जमाएं	11,116.17	-	61,979.74	66,088.64	7,007.27	(-)4,108.90	(-)37	-
	<b>1,01,816.64</b>				<b>1,01,816.64</b>			
8449- अन्य जमाएं	7,767.56	-	32,106.87	3,136.88	36,737.55	(+)28,969.99	*	-
	<b>57,362.51</b>				<b>57,362.51</b>			
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं</b>	<b>88,079.15</b>	<b>-</b>	<b>2,68,655.84</b>	<b>2,37,682.89</b>	<b>1,19,052.10</b>	<b>(+)30,972.95</b>	<b>(+)35</b>	<b>-</b>
	<b>6,86,055.85</b>				<b>6,86,055.85</b>			
<b>कुल-ट- जमाएं एवं अग्रिम</b>	<b>1,35,552.64</b>	<b>-</b>	<b>4,28,224.02</b>	<b>3,95,172.48</b>	<b>1,68,604.18</b>	<b>(+)33,051.54</b>	<b>(+)24</b>	<b>-</b>
	<b>6,91,423.29</b>				<b>6,91,423.29</b>			
<b>कुल- अन्य देयताएं</b>	<b>4,31,262.91</b>	<b>-</b>	<b>10,73,912.61</b>	<b>10,85,417.10</b>	<b>4,19,758.42</b>	<b>(-)11,504.49</b>	<b>(-)03</b>	<b>1,93,417.69</b>
	<b>36,87,041.87</b>				<b>36,87,041.87</b>			
<b>कुल-लोक ऋण एवं अन्य देयताएं</b>	<b>16,98,027.52</b>	<b>-</b>	<b>64,78,447.90</b>	<b>52,42,933.90</b>	<b>29,33,541.52 (ड)</b>	<b>(+)12,35,514.00</b>	<b>(+)73</b>	<b>7,13,710.64 (च)</b>
	<b>83,53,663.33</b>				<b>83,53,663.33</b>			

(ड) मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 6 (₹ 29,335.38 करोड़) में लिए गए आँकड़ों से ₹ 0.04 करोड़ की भिन्नता। इसके अतिरिक्त, जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले एक के बाद एक निर्माचित ऋणों के रूप में ₹ 5,94,529.00 लाख सम्मिलित हैं।

(च) ऋण के प्रबंधन पर ₹ 743.96 लाख प्रवर्तन प्रभार ₹ 115.36 लाख और अन्य दायित्व ₹ 2,1461.40 लाख पर भुगतान ब्याज सम्मिलित नहीं करता है।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि
-------------	-------------------------------	---	----------------------	-----------------------	------------------------------

(₹ लाख में)

## (ड) लोक ऋण-

## 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)

## 101- बाजार ऋण-

## (क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-

8.89% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	50,000.00	-	-	50,000.00
9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2022	60,000.00	-	-	60,000.00
7.60% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	20,000.00	-	-	20,000.00
7.83% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	30,000.00	-	-	30,000.00
8.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	20,000.00	-	-	20,000.00
8.66% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	50,000.00	-	-	50,000.00
8.74% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	55,000.00	-	-	55,000.00
8.80% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	50,000.00	-	-	50,000.00
9.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	30,000.00	-	-	30,000.00
8.89% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	30,000.00	-	-	30,000.00
8.96% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	30,000.00	-	-	30,000.00
8.99% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	15,000.00	-	-	15,000.00
9.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	15,000.00	-	-	15,000.00
9.25% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	40,000.00	-	-	40,000.00
9.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	30,000.00	-	-	30,000.00
9.46% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2024	18,000.00	-	-	18,000.00
8.06% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2025	20,000.00	-	-	20,000.00
8.03% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2025	50,000.00	-	-	50,000.00
8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2025	30,000.00	-	-	30,000.00
8.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2025	50,000.00	-	-	50,000.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2025	15,000.00	-	-	15,000.00
8.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2025	45,000.00	-	-	45,000.00
8.63% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2026	35,000.00	-	-	35,000.00
6.97% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2026	34,500.00	-	-	34,500.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2026	5,500.00	-	-	5,500.00
7.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2026	30,000.00	-	-	30,000.00
7.57% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2026	40,000.00	-	-	40,000.00
7.69% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2026	30,000.00	-	-	30,000.00



## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2021 तक	जम्मू एवं कश्मीर संघ	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को
	शेष राशि	शासित क्षेत्र को			शेष राशि
		आंबटित राशि			

(₹ लाख में)

## (ड) लोक ऋण-(जारी)

## 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)

## 101- बाजार ऋण-(जारी)

## (a) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)

8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	30,000.00	-	-	-	30,000.00
7.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	60,000.00	-	-	-	60,000.00
7.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	60,000.00	-	-	-	60,000.00
7.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	30,000.00	-	-	-	30,000.00
7.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	30,000.00	-	-	-	30,000.00
7.50% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	30,000.00	-	-	-	30,000.00
7.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	40,000.00	-	-	-	40,000.00
7.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	60,000.00	-	-	-	60,000.00
7.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	50,000.00	-	-	-	50,000.00
8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	39,000.00	-	-	-	39,000.00
8.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	80,000.00	-	-	-	80,000.00
8.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	50,000.00	-	-	-	50,000.00
8.33% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	40,000.00	-	-	-	40,000.00
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	60,000.00	-	-	-	60,000.00
8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	60,000.00	-	-	-	60,000.00
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	60,000.00	-	-	-	60,000.00
8.52% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	40,000.00	-	-	-	40,000.00
8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	70,000.00	-	-	-	70,000.00
8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	47,540.00	-	-	-	47,540.00
8.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	50,000.00	-	-	-	50,000.00
8.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8.86% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	32,460.00	-	-	-	32,460.00
8.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	80,000.00	-	-	-	80,000.00

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2021 तक	जम्मू एवं कश्मीर संघ	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को
	शेष राशि	शासित क्षेत्र को			शेष राशि
		आंबटित राशि			(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(जारी)					
(a) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)					
8.37% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	58,400.00	-	-	-	58,400.00
8.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	80,000.00	-	-	-	80,000.00
8.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	30,000.00	-	-	-	30,000.00
6.90% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	30,000.00	-	-	-	30,000.00
7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	30,000.00	-	-	-	30,000.00
7.24% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	24,900.00	-	-	-	24,900.00
7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7.39% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	40,000.00	-	-	-	40,000.00
7.94% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	40,000.00	-	-	-	40,000.00
8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	40,000.00	-	-	-	40,000.00
8.22% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	33,400.00	-	-	-	33,400.00
7.19% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	30,000.00	-	-	-	30,000.00
7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	30,900.00	-	-	-	30,900.00
7.30% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7.07% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	60,300.00	-	-	-	60,300.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	60,000.00	-	-	-	60,000.00
7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	60,000.00	-	-	-	60,000.00
7.95% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	1,07,400.00	-	-	-	1,07,400.00
6.46% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	80,000.00	-	-	-	80,000.00
6.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	80,000.00	-	-	-	80,000.00
6.62% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	40,000.00	-	-	-	40,000.00
6.65% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	50,000.00	-	-	-	50,000.00
6.70% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	40,000.00	-	-	-	40,000.00

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2021 तक	जम्मू एवं कश्मीर संघ	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को
	शेष राशि	शासित क्षेत्र को आंबटित राशि			शेष राशि
					(₹ लाख में)
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(जारी)					
(क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी)					
6.79% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	50,000.00	-	-	-	50,000.00
8.15% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030	80,000.00	-	-	-	80,000.00
6.84% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2031	20,100.00	-	-	-	20,100.00
6.99% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2031	70,000.00	-	-	-	70,000.00
6.70% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2032	1,00,500.00	-	-	-	1,00,500.00
7.15% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2032	50,000.00	-	-	-	50,000.00
6.80% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2035	60,000.00	-	-	-	60,000.00
6.96% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2035	1,00,500.00	-	-	-	1,00,500.00
6.64% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	50,000.00	-	-	-	50,000.00
7.24% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	61,700.00	-	-	-	61,700.00
6.78% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033	-	-	50,000.00	-	50,000.00
6.90% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033	-	-	40,000.00	-	40,000.00
7.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033	-	-	50,000.00	-	50,000.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033	-	-	90,000.00	-	90,000.00
7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033	-	-	50,000.00	-	50,000.00
7.08% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033	-	-	40,000.00	-	40,000.00
7.13% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2034	-	-	60,000.00	-	60,000.00
6.94% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	-	-	50,000.00	-	50,000.00
6.98% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	-	-	50,000.00	-	50,000.00
7.04% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	-	-	80,000.00	-	80,000.00
7.08% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	-	-	60,000.00	-	60,000.00
7.14% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036	-	-	80,000.00	-	80,000.00
7.12% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2037	-	-	61,400.00	-	61,400.00
7.39% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2037	-	-	94,800.00	-	94,800.00
कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाले ऋण	6,46,021.96	-	8,56,200.00	-	15,02,221.96
	<b>32,48,208.00</b>				<b>32,48,208.00</b>

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

## वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि
<b>(₹ लाख में)</b>					
<b>(ड) लोक ऋण-(जारी)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)</b>					
101- बाजार ऋण-(समाप्त)					
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण-					
9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 1999	22.04	-	-	-	-
11.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2002	1.00	-	-	-	1.00
14.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2005	1.00	-	-	-	1.00
8.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2021	70,000.00	-	-	70,000.00	-
8.83% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2021	20,000.00	-	-	20,000.00	-
9.06% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2021	50,000.00	-	-	50,000.00	-
9.33% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2021	17,500.00	-	-	17,500.00	-
9.01% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2022	20,000.00	-	-	20,000.00	-
9.49% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2022	1,20,000.00	-	-	1,20,000.00	-
कुल-(ख)-ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण	2,97,500.00	-	-	2,97,500.00	-
	<b>24.04</b>	-	-		<b>24.04</b>
कुल-101- बाजार ऋण	9,43,521.96	-	8,56,200.00	2,97,500.00	15,02,221.96
	<b>34,29,080.04</b>				<b>34,29,080.04</b>
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	(-)16,963.70	-	-	13,158.30	(-)30,122.00 \$
	<b>1,14,871.40</b>				<b>1,14,871.40</b>
104- सामान्य भारतीय बीमा निगम से ऋण	(-)69.28	-	-	20.00	(-)89.28 \$
	<b>99.24</b>				<b>99.24</b>

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
<b>ई- लोक ऋण-(समाप्त)</b>					
<b>6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- (समाप्त)</b>					
105- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	12,386.12 ^	-	53,317.93	37,679.78	28,024.27
	<b>195,122.49</b>				<b>195,122.49</b>
106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र-					
(i)- विद्युत बंधपत्र	-	-	-	-	-
(ii)- यूडीएवाई बंधपत्र	-	-	-	21,400.00	(-)21,400.00
	<b>3,53,755.00</b>				<b>3,53,755.00</b>
कुल-106-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	-	-	-	21,400.00	(-)21,400.00
	<b>3,53,755.00</b>				<b>3,53,755.00</b>
109- अन्य संस्थानों से ऋण-					
(i)- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण	(-)4,546.00	-	165.04	2,156.70	(-)6,537.66
	<b>3,689.40</b>				<b>3,689.40</b>
(ii)- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरन्स कम्पनी से ऋण	(-)32.00	-	-	16.00	(-)48.00
	<b>48.00</b>				<b>48.00</b>
(iii)- विद्युत वित्तीय निगम से ऋण	-	-	-	-	-
	<b>40,000.00</b>				<b>40,000.00</b>
कुल-109- अन्य संस्थानों से ऋण	(-)4,578.00 ^	-	165.04	2,172.70	(-)6,585.66
	<b>43,737.40</b>				<b>43,737.40</b>

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

ऋण का विवरण	01 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2022 को शेष राशि
(₹ लाख में)					
ई- लोक ऋण-(समाप्त)					
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- (समाप्त)					
110- आईबीआई से अर्थोपाय अग्रिम-					
(i)- अर्थोपाय अग्रिम	71,589.00	-	20,07,539.00	20,29,174.00	49,954.00
	<b>69,211.00</b>				<b>69,211.00</b>
(ii)- ओवरड्राफ्ट	1,06,864.94	-	16,02,764.32	17,09,629.25	0.01
	-				-
कुल-110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम	1,78,453.94	-	36,10,303.32	37,38,803.25	49,954.01
	<b>69,211.00</b>				<b>69,211.00</b>
111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	(-)56,530.53	-	5,00,000.00	34,864.50	4,08,604.97
	<b>3,37,032.48</b>				<b>3,37,032.48</b>
कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	10,56,220.51	-	50,19,986.29	41,45,598.53	19,30,608.27
	<b>45,42,909.06</b>				<b>45,42,909.06</b>

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

## (ख) परिपक्वता प्रोफाइल

## (1) आंतरिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2022 को समाप्त) (क)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

वर्ष	बाजार ऋणों का विवरण (जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण/ स्टॉक)	से ऋण			आरईसी/ पीएफसी	विद्युत बंधपत्र (यूडीएवाई)	जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ एनएसएसएफ	अन्य संस्थानों से ऋण एचडीएफसी	कुल
		एलआईसी	जीआईसी/ ओआईसी/ एनआईएसी/ यआईआईसी	एनएबीएआरडी					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2020-21									
2021-22									
2022-23									
2023-24									
2024-25									
2025-26									
2026-27									
2027-28									
2028-29									
2029-30									
2030-31									
2031-32									
2032-33									
2033-34									
2034-35									
2035-36									
2036-37									
2037-38									
2038-39									
2039-40									
2040-41									
2041-42									
2042-43									
कुल									

(क) यथा सूचित सूचना लागू नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति के शेषों को अभी तक दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों में प्रभाजित (जुलाई 2022) किया जाना है।

## 17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल-(समाप्त)

(i) आंतरिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2022 को समाप्त) (ख)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

वर्ष	गैर-नियोजित ऋण	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण	केन्द्रीय योजनाओं हेतु ऋण	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	1984-85 से पूर्व ऋण	विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
2026-27							
2027-28							
2028-29							
2029-30							
2030-31							
2031-32							
2032-33							
2033-34							
2034-35							
2035-36							
2036-37							
2037-38							
2038-39							
<b>कुल</b>							

(ख) यथा सूचित सूचना लागू नहीं है क्योंकि कि 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति के शेषों को अभी तक दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों में प्रभाजित (जुलाई 2022) किया जाना है।



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>च-ऋण तथा अग्रिम-</b>								
<b>ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-</b>								
<b>(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-</b>								
6202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण-								
01- सामान्य शिक्षा-								
203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>0.01</b>					<b>0.01</b>		
600- सामान्य	(-7.11)	-	-	2.33	-	(-9.44) (\$)	(-2.33)	
	<b>153.59</b>					<b>153.59</b>		
<i>कुल-01</i>	(-7.11)	-	-	2.33	-	(-9.44) (\$)	(-2.33)	
	<b>153.60</b>					<b>153.60</b>		
02- तकनीकी शिक्षा-								
800- अन्य ऋण	(-6.95)	-	-	9.69	-	(-16.64) (\$)	(-9.69)	
	<b>388.31</b>					<b>388.31</b>		
<i>कुल-02</i>	(-6.95)	-	-	9.69	-	(-16.64) (\$)	(-9.69)	
	<b>388.31</b>					<b>388.31</b>		
03- खेल एवं युवा सेवाएं-								
800- अन्य ऋण	(-0.19)	-	-	-	-	(-0.19) (\$)	-	
	<b>3.67</b>					<b>3.67</b>		
<i>कुल-03</i>	(-0.19)	-	-	-	-	(-0.19) (\$)	-	
	<b>3.67</b>					<b>3.67</b>		
<b>कुल-6202</b>	(-14.25)	-	-	12.02	-	(-26.27) (\$)	(-12.02)	
	<b>545.58</b>					<b>545.58</b>		
<b>कुल (क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति</b>	(-14.25)	-	-	12.02	-	(-26.27) (\$)	(-12.02)	
	<b>545.58</b>					<b>545.58</b>		

(क) पूरे विवरण में सरकार (जुलाई 2022) से सूचना प्रतीक्षित।

(\$ 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को शेषों के अपभाजन के कारण विवरण में घटाव शेष।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9) (₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-								
6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-								
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-	(-)1.94	-	-	1.46	-	(-)3.40 (\$)	(-)1.46	
800- अन्य ऋण	<b>22.90</b>					<b>22.90</b>		
	(-)1.94	-	-	1.46	-	(-)3.40 (\$)	(-)1.46	
कुल-01	<b>22.90</b>					<b>22.90</b>		
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-								
105- एलोपैथी	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>124.72</b>					<b>124.72</b>		
200- अन्य प्रणालियाँ	(-)0.88	-	-	0.41	-	(-)1.29 (\$)	(-)0.41	
	<b>0.83</b>					<b>0.83</b>		
कुल-03	(-)0.88	-	-	0.41	-	(-)1.29 (\$)	(-)0.41	
	<b>125.55</b>					<b>125.55</b>		
04- जन स्वास्थ्य-								
800- अन्य ऋण	(-)0.07	-	-	0.14	-	(-)0.21 (\$)	(-)0.21	
	<b>0.14</b>					<b>0.14</b>		
कुल-04	(-)0.07	-	-	0.14	-	(-)0.21 (\$)	(-)0.21	
	<b>0.14</b>					<b>0.14</b>		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)								
6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-(समाप्त)								
80- सामान्य-								
800- अन्य ऋण	(-)0.98	-	-	1.35	-	(-)2.33 (\$)	(-)1.35	
	<b>43.94</b>					<b>43.94</b>		
कुल-80	(-)0.98	-	-	1.35	-	(-)2.33 (\$)	(-)1.35	
	<b>43.94</b>					<b>43.94</b>		
कुल-6210	(-)3.87	-	-	3.36	-	(-)7.23 (\$)	(-)3.36	
	<b>192.53</b>					<b>192.53</b>		
6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण-								
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>0.09</b>					<b>0.09</b>		
कुल-6211	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>0.09</b>					<b>0.09</b>		
कुल-(ख) - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(-)3.87	-	-	3.36	-	(-)7.23 (\$)	(-)3.36	
	<b>192.62</b>					<b>192.62</b>		
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-								
6216- आवास हेतु ऋण-								
02- शहरी आवास-								
201- आवास बोर्डों को ऋण-								
मध्यम आय समूह आवास योजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>56.81</b>					<b>56.81</b>		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)
								(₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी)								
6216- आवास हेतु ऋण-(समाप्त)								
02- शहरी आवास-								
800- अन्य ऋण	(-)0.74	-	-	0.95	-	(-)1.69 (\$)	(-)0.95	
	<b>179.47</b>					<b>179.47</b>		
कुल-02	(-)0.74	-	-	0.95	-	(-)1.69 (\$)	(-)0.95	
	<b>236.28</b>					<b>236.28</b>		
03- ग्रामीण आवास-								
201- आवास बोर्डों को ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>290.33</b>					<b>290.33</b>		
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>182.93</b>					<b>182.93</b>		
कुल-03	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>473.26</b>					<b>473.26</b>		
कुल-6216	(-)0.74	-	-	0.95	-	(-)1.69 (\$)	(-)0.95	
	<b>709.54</b>					<b>709.54</b>		
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-								
01- राज्य का पूँजीगत विकास-								
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-								
(i) नगरपालिकाओं को ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>517.45</b>					<b>517.45</b>		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)
								(₹ लाख में)
<b>च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)</b>								
<b>ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)</b>								
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी)</b>								
<b>6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(जारी)</b>								
<i>01- राज्य का पूँजी विकास-(समाप्त)</i>								
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-(समाप्त)								
(ii) विकास प्रधिकरण, श्रीनगर के ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल-191	<b>191.78</b>	-	-	-	-	<b>191.78</b>	-	-
800- अन्य ऋण	<b>709.23</b>	-	-	-	-	<b>709.23</b>	-	-
कुल-800	<b>413.72</b>	-	-	-	-	<b>413.72</b>	-	-
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1,122.95</b>	-	-	-	-	<b>1,122.95</b>	-	-
<i>03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-</i>								
191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>756.54</b>	-	-	-	-	<b>756.54</b>	-	-
कुल-03	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>756.54</b>	-	-	-	-	<b>756.54</b>	-	-
<i>60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i>								
800- अन्य ऋण-								
(i) फल बाजार के विकास हेतु ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>127.11</b>	-	-	-	-	<b>127.11</b>	-	-

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)
								(₹ लाख में)
<b>च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)</b>								
<b>ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)</b>								
<b>(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(समाप्त)</b>								
6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(समाप्त)								
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-(समाप्त)								
800- अन्य ऋण-(समाप्त)								
(ii) अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>813.72</b>					<b>813.72</b>		
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>940.83</b>					<b>940.83</b>		
कुल-6217	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2,820.32</b>					<b>2,820.32</b>		
कुल-(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	(-)0.74	-	-	0.95	-	(-)1.69 <sup>(\$)</sup>	(-)0.95	
	<b>3,529.86</b>					<b>3,529.86</b>		
<b>(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य</b>								
<b>पिछड़े वर्ग का कल्याण-</b>								
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य								
पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-								
01- अनुसूचित जातियों कल्याण-								
800- अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>8.20</b>					<b>8.20</b>		
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>8.20</b>					<b>8.20</b>		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)
								(₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य								
पिछड़े वर्ग का कल्याण-(समाप्त)								
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं								
अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-(समाप्त)								
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-								
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.03					4.03		
कुल-02	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.03					4.03		
03- अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-								
800- अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.42					0.42		
कुल-03	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.42					0.42		
कुल-6225	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.65					12.65		
कुल-ड-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं								
अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.65					12.65		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-								
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-								
01- पुनर्वास-								
112- भारत-पाक संघर्ष, 1971 में प्रभावित व्यक्तियों को								
राहत एवं पुनर्वास-								
(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे एवं सैन्य अभियानों से								
प्रभावित व्यक्तियों को ऋण								
		-	-	-	-	-	-	-
	48.21					48.21		
(ii) छम्ब एवं जोरियन शरणार्थियों को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	395.15					395.15		
कुल-112	-	-	-	-	-	-	-	-
	443.36					443.36		
202- अन्य पुनर्वास योजनाएं								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.08					61.08		
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	504.44					504.44		
02- समाज कल्याण-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण								
	72.63	-	-	1.06	-	71.37	(-)	1.06
	8,744.34					8,744.34		
कुल-02	72.63	-	-	1.06	-	71.37	(-)	1.06
	8,744.34					8,744.34		



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
<b>च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)</b>								
<b>ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)</b>								
<b>(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी)</b>								
<b>6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-(समाप्त)</b>								
<i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</i>								
<i>200- अन्य कार्यक्रम-</i>								
<i>स्वर्णकारों को ऋण</i>								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>37.84</b>						<b>37.84</b>	
<i>800- अन्य ऋण-</i>								
<i>(i) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम</i>								
	(-)0.33	-	-	3.95	-	(-)4.28 (\$)	(-)3.95	
	<b>463.58</b>					<b>463.58</b>		
<i>(ii) विपत्ति ऋण</i>								
	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>94.78</b>					<b>94.78</b>		
कुल-800	(-)0.33	-	-	3.95	-	(-)4.28 (\$)	(-)3.95	
	<b>558.36</b>					<b>558.36</b>		
<i>कुल-60</i>	(-)0.33	-	-	3.95	-	(-)4.28 (\$)	(-)3.95	
	<b>596.20</b>					<b>596.20</b>		
<b>कुल-6235</b>	72.30	-	-	5.01	-	67.29	(-)5.01	
	<b>9,844.98</b>					<b>9,844.98</b>		
<b>6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण-</b>								
<i>03- आगजनी एवं अन्य आपदाएं-</i>								
<i>800- अन्य ऋण-</i>								
<i>(i) आगजनी एवं अन्य आपदाओं से पीड़ितों को ऋण</i>								
	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>448.20</b>					<b>448.20</b>		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)								
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)								
6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण-(समाप्त)								
03- आगजनी एवं अन्य आपदाएं-(समाप्त)								
800- अन्य ऋण-(समाप्त)								
(ii) प्राकृतिक आपदाएं								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	60.28					60.28		
कुल-800	-	-	-	-	-	-	-	-
	508.48					508.48		
कुल-03	-	-	-	-	-	-	-	-
	508.48					508.48		
कुल-6245	-	-	-	-	-	-	-	-
	508.48					508.48		
कुल-(छ)- समाज कल्याण एवं पोषण	72.30	-	-	5.01	-	67.29	(-)5.01	
	10,353.46					10,353.46		
(ज) अन्य समाज सेवाएं-								
6250- अन्य समाज सेवाओं हेतु ऋण-								
60- अन्य-								
800- अन्य ऋण-								
रोजगार								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.17					13.17		
कुल-6250	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.17					13.17		
कुल-(ज) अन्य समाज सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.17					13.17		
कुल-ख-समाज सेवाओं हेतु ऋण	53.44	-	-	21.34	-	32.10	(-)21.34	
	14,647.34					14,647.34		

(₹ लाख में)

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ हेतु ऋण-								
6401- फसल पैदावार हेतु ऋण-								
106- उच्च पैदावार किस्मों के लिए कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>38.17</b>					<b>38.17</b>		
111- कृषिगत शिक्षा	(-)0.37	-	-	0.18	-	(-)0.55 (\$)	(-)0.18	
	<b>698.49</b>					<b>698.49</b>		
113- कृषिगत अभियांत्रिकी	(-)0.60	-	-	0.43	-	(-)1.02 ^(\$)	(-)0.43	
	<b>289.86</b>					<b>289.86</b>		
119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>47.51</b>					<b>47.51</b>		
800- अन्य ऋण								
(i) तकावी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>128.10</b>					<b>128.10</b>		
(ii) अन्य कृषि ऋण	(-)1.09	-	-	0.83	-	(-)1.92 (\$)	(-)0.83	
	<b>730.54</b>					<b>730.54</b>		
कुल-800	(-)1.09	-	-	0.83	-	(-)1.92 (\$)	(-)0.83	
	<b>858.64</b>					<b>858.64</b>		
कुल -6401	(-)2.06	-	-	1.44	-	(-)3.49 ^(\$)	(-)1.44	
	<b>1,932.67</b>					<b>1,932.67</b>		
6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण-								
102- मृदा संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>5.12</b>					<b>5.12</b>		
कुल-6402	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>5.12</b>					<b>5.12</b>		

(१) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 18 में ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)
								(₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)								
6403- पशुपालन हेतु ऋण-								
109- विस्तारण एवं प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.06					43.06		
800- अन्य ऋण	(-)0.82	-	-	0.78	-	(-)1.60 (\$)	(-)0.78	
	8.25					8.25		
कुल-6403	(-)0.82	-	-	0.78	-	(-)1.60 (\$)	(-)0.78	
	51.31					51.31		
6404- डेयरी विकास हेतु ऋण-								
102- डेयरी विकास परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.08					30.08		
कुल-6404	-	-	-	-	-	-	-	
	30.08					30.08		
6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण-								
104- वानिकी- वन हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.64					1.64		
कुल-6404	-	-	-	-	-	-	-	
	1.64					1.64		
6425- सहकारिता हेतु ऋण-								
107- क्रेडिट सहकारिताओं को ऋण-								
(i) सहकारी बैंकों को ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	44.95					44.95		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)
								(₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)								
6425- सहकारिता हेतु ऋण-(समाप्त)								
107- क्रेडिट सहकारिताओं को ऋण-(समाप्त)								
(ii) स्थानीय अनाज की खरीद हेतु सहकारी बैंकों को								
अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
	77.87						77.87	
(iii) भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्र	-	-	-	-	-	-	-	-
	65.52						65.52	
कुल-107	-	-	-	-	-	-	-	-
	188.34						188.34	
108- अन्य सहकारिताओं को ऋण-								
(i) उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.87						23.87	
(ii) अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	405.26						405.26	
(iii) अन्य सहकारिताएं को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	133.67						133.67	
कुल-108	-	-	-	-	-	-	-	-
	562.80						562.80	
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-								
(i) औद्योगिक सहकारिताएं								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	26.33						26.33	
कुल-6425	-	-	-	-	-	-	-	-
	777.47						777.47	

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(₹ लाख में)							
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(समाप्त)								
6435- अन्य कृषि कार्यक्रमों हेतु ऋण-								
01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों								
(जेएण्डकेएचपीएमसी को ऋण)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,266.58					1,266.58		
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,266.58					1,266.58		
कुल-6435	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,266.58					1,266.58		
कुल-(क)- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण	(-)2.88	-	-	2.22	-	(-)5.09 <sup>^</sup> (\$)	(-)2.22	
	4,064.87					4,064.87		
(ख) ग्रामीण विकास हेतु ऋण-								
6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण-								
101- पंचायती राज								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.12					1.12		
102- सामुदायिक विकास								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.29					4.29		
कुल-6515	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.41					5.41		
कुल-(ख)- ग्रामीण विकास हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.41					5.41		

(^) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 18 में ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)
								(₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण-								
6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण-								
02- पिछड़े क्षेत्र-								
299- लहाख का विकास								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	136.26					136.26		
कुल-02	-	-	-	-	-	-	-	-
	136.26					136.26		
60- अन्य-								
800- अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.88					6.88		
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.88					6.88		
कुल-6575	-	-	-	-	-	-	-	-
	143.14					143.14		
कुल-(ग)- विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	143.14	-	-	-	-	143.14	-	-
(ङ) ऊर्जा-								
6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण-								
800- विद्युत बोर्ड को ऋण (1) जेकेपीडीसी								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,504.81					8,504.81		
कुल-6801	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,504.81					8,504.81	(ख)	
कुल-(ङ)-ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,504.81					8,504.81		

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67,00.00 लाख की राशि के रूप में शेष में प्रोफार्मा वृद्धि की गई।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-								
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-								
101- औद्योगिक संपदाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>0.06</b>					<b>0.06</b>		
102- लघु पैमाना उद्योग-								
(i) औद्योगिक ऋण	(-1.99)	-	-	1.26	-	(-3.25) (\$)	(-1.26)	
	<b>421.41</b>					<b>421.41</b>		
(ii) छोटे व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>45.13</b>					<b>45.13</b>		
(iii) लघु पैमाना उद्योगों को अन्य विविध ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>359.97</b>					<b>359.97</b>		
कुल-102	(-1.99)	-	-	1.26	-	(-3.25) (\$)	(-1.26)	
	<b>826.51</b>					<b>826.51</b>		
103- हथकरघा उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>262.47</b>					<b>262.47</b>		
105- खादी एवं ग्राम उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>0.12</b>					<b>0.12</b>		
108- पावरलूम उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>24.45</b>					<b>24.45</b>		



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(₹ लाख में)								
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)									
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)									
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)									
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-(समाप्त)									
200- अन्य ग्राम उद्योग-									
(i) अन्य ग्राम उद्योग									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2,553.80</b>						<b>2,553.80</b>		
(ii) अन्य ऋण									
	(-0.60)	-	-	-	-	-	(-0.60) (\$)	-	
	<b>31.22</b>						<b>31.22</b>		
कुल-200	(-0.60)	-	-	-	-	-	(-0.60) (\$)	-	
	<b>2,585.02</b>						<b>2,585.02</b>		
कुल-6851	(-2.59)	-	-	1.26	-	-	(-3.85) (\$)	(-1.26)	
	<b>3,698.63</b>						<b>3,698.63</b>		
6853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों हेतु ऋण-									
01- खनिज समन्वेषण एवं विकास-									
800- अन्य ऋण-									
जेएण्डके मिनरल्स को ऋण									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>186.16</b>						<b>186.16</b>		
कुल-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>186.16</b>						<b>186.16</b>		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)								
6853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों हेतु ऋण-(समाप्त)								
60- अन्य खनन एवं धातुकर्म उद्योग-								
800- अन्य ऋण-								
धातुकर्म उद्योग								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.00					12.00		
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.00					12.00		
कुल-6853	-	-	-	-	-	-	-	-
	198.16					198.16		
6858 अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण-								
02- अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग-								
800- अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.84					33.84		
कुल-02	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.84					33.84		
कुल-6858	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.84					33.84		

(₹ लाख में)

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)
								(₹ लाख में)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी)								
6860 उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण-								
60- अन्य-								
600- अन्य								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1,004.11</b>					<b>1,004.11</b>		
कुल-60	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1,004.11</b>					<b>1,004.11</b>		
कुल-6860	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1,004.11</b>					<b>1,004.11</b>		
6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-								
01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण -								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-								
(i) कृषि उद्योगों को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4,446.52</b>					<b>4,446.52</b>		
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता								
	4,328.37	-	3,377.01	-	-	7,705.38	(+3,377.01)	
	<b>8,625.29</b>					<b>8,625.29</b>		
(iii) अर्थापाय अग्रिम (जेएण्डके इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>30,543.43</b>					<b>30,543.43</b>		
कुल-190	4,328.37	-	3,377.01	-	-	7,705.38	(+3,377.01)	
	<b>43,615.24</b>					<b>43,615.24</b>		
800- अन्य ऋण-								
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>20,897.48</b>					<b>20,897.48</b>		
कुल-01	4,328.37	-	3,377.01	-	-	7,705.38	(+3,377.01)	
	<b>64,512.72</b>					<b>64,512.72</b>		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त)								
6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त)								
02- पिछड़े क्षेत्रों का विकास-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-								
अग्रगामी परियोजनाएं (ग्रामीण औद्योगीकरण)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3,048.55</b>					<b>3,048.55</b>		
कुल-02	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3,048.55</b>					<b>3,048.55</b>		
60- अन्य-								
800- अन्य ऋण								
	(-)312.50	-	-	-	-	(-)312.50 (\$)	-	-
	<b>7,466.91</b>					<b>7,466.91</b>		
कुल-60	(-)312.50	-	-	-	-	(-)312.50 (\$)	-	-
	<b>7,466.91</b>					<b>7,466.91</b>		
कुल-6885	4,015.87	-	3,377.01	-	-	7,392.88	(+)3,377.01	
	<b>75,028.18</b>					<b>75,028.18</b>		
कुल-(च)- उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण	4,013.28	-	3,377.01	1.26	-	7,389.03	(+)3,377.01	
	<b>79,962.92</b>					<b>79,962.92</b>		
(ज) परिवहन-								
7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण-								
101- सड़क परिवहन निगम को शाश्वत ऋण-								
परिवाहकों हेतु ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>22,135.04</b>					<b>22,135.04</b>		

(₹ लाख में)

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)								
(ज) परिवहन-(समाप्त)								
7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण-(समाप्त)								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-								
जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम								
लिमिटेड को ऋण								
	5,550.00	-	4,000.00	-	-	9,550.00	(+4,000.00)	
	<b>38,372.76</b>					<b>38,372.76</b>		
कुल-7055	5,550.00	-	4,000.00	-	-	9,550.00	(+4,000.00)	
	<b>60,507.80</b>					<b>60,507.80</b>		
7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण-								
01- सड़कें एवं पुल-								
800- अन्य ऋण-								
जिला एवं अन्य सड़कें								
	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>554.42</b>					<b>554.42</b>		
कुल-7075	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>554.42</b>					<b>554.42</b>		
कुल-(च) परिवहन	5,550.00	-	4,000.00	-	-	9,550.00	(+4,000.00)	
	<b>61,062.22</b>					<b>61,062.22</b>		
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-								
7452- पर्यटन हेतु ऋण-								
60- अन्य-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>1,493.68</b>					<b>1,493.68</b>		

(₹ लाख में)

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2022 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7- 2)	बकार्यों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)								
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)								
7452- पर्यटन हेतु ऋण-(समाप्त)								
60- अन्य-(समाप्त)								
800- अन्य ऋण								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>128.37</b>					<b>128.37</b>		
कुल-7452	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1,622.05</b>					<b>1,622.05</b>		
7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-								
101- सामान्य वित्तीय संस्थान								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>906.97</b>					<b>906.97</b>		
102- व्यापारिक संस्थान								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>966.75</b>					<b>966.75</b>		
कुल-7475	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1,873.72</b>					<b>1,873.72</b>		
कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3,495.77</b>					<b>3,495.77</b>		
कुल-ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	9,560.40	-	7,377.01	3.48	-	16,933.94 ^	(+7,373.54	
	<b>1,57,239.14</b>					<b>1,57,239.14</b>		
7610- सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण-								
201- आवास निर्माण अग्रिम								
	(-)56.47	-	-	76.48	-	(-)132.95 (\$)	(-)76.48	
	<b>1,882.93</b>					<b>1,882.93</b>		
202- मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम								
	(-)6.07	-	-	1.37	-	(-)7.44 (\$)	(-)1.37	
	<b>201.61</b>					<b>201.61</b>		

(\*) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 18 में ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(समाप्त)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला	31 मार्च 2021 को शेष राशि (2+4)-(5+6)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2)\$	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
<b>च-ऋण तथा अग्रिम-(समाप्त)</b>								
<b>7610- सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण-(समाप्त)</b>								
203- अन्य वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.27					22.27		
204- कंप्यूटरों की खरीद हेतु अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.35					0.35		
800- अन्य अग्रिम								
(i) अन्य अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
	49.55					49.55		
<b>कुल-7610</b>	<b>(-)62.54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.85</b>	<b>-</b>	<b>(-)140.39 \$</b>	<b>(-)77.85</b>	
	2,156.71					2,156.71		
<b>कुल योग</b>	<b>9,551.30</b>	<b>-</b>	<b>7,377.01</b>	<b>102.66</b>	<b>-</b>	<b>16,825.65</b>	<b>(+)7,274.35</b>	
	1,74,043.19					1,74,043.19 (ग)		

(ग) कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-1 के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग: 2 अन्य ऋणी अधिष्ठानों से बकायों में पुनर्भुगतान					
ऋणी अधिष्ठान	31 मार्च 2022 को बकाया राशि			पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2022 को अधिष्ठान के प्रति बकाया कुल ऋण (₹ लाख में)
	मूलधन	ब्याज	कुल		

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022)।



## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन

वर्ष 2021-22 के दौरान लिये गये नये ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान	ऋणों की संख्या	ऋण की कुल राशि	निबंधन एवं शर्तें	
			ब्याज दर	ऋण स्थगन अवधि, यदि कोई हो
जम्मू-कश्मीर, सड़क परिवहन निगम	5	4,000.00	15%	2 साल
जम्मू-कश्मीर, हथकरघा निगम लिमिटेड	3	430.00	15%	2 साल
जम्मू-कश्मीर, एससी/एसटी/बीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	732.00	15%	2 साल
जम्मू-कश्मीर, महिला विकास निगम लिमिटेड	4	300.00	15%	2 साल
जम्मू-कश्मीर, सीमेंट्स लिमिटेड	1	557.00	15%	2 साल
जम्मू और कश्मीर, हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) निगम लिमिटेड	3	375.00	15%	2 साल
जम्मू-कश्मीर, बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	4	315.00	15%	2 साल
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, वित्तीय निगम लिमिटेड	5	555.00	15%	2 साल
जम्मू-कश्मीर, व्यापार संवर्धन संगठन	2	63.01	15%	2 साल
जम्मू और कश्मीर, सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (जेएकेएफईडी)	1	50.00	15%	2 साल
	<b>33</b>	<b>7,377.01</b>		

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

1. निम्नलिखित मामले जिनमें ऋणों को 'शाश्वत ऋण' के रूप में संस्वीकृत किया गया।

(₹ लाख में)				
क्र. स.	संस्वीकृति वर्ष	संस्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर

सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (जुलाई 2022)।

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

वर्ष 2021-22 के दौरान नए ऋण तथा अग्रिम:

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान	ऋणों की संख्या	कुल राशि	प्रारंभिक अवधि जिससे ऋण संबंधित हैं।
--------------	----------------	----------	--------------------------------------

शुन्य

## 18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अतिरिक्त प्रकटन-(समाप्त)

वर्ष 2021-22 के दौरान उन ऋणी अधिष्ठानों, जिनसे पूर्व ऋणों का पुनर्भुगतान बकायों में है, को नये ऋण एवं अग्रिम दिये गये:

(₹ लाख में)

ऋणी अधिष्ठान का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान संवितरित ऋण		31 मार्च 2022 को बकायों की राशि			पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया	(वर्ष 2021-22 के दौरान संवितरण हेतु कारण
	ब्याज दर	मूलधन	मूलधन	ब्याज	कुल		

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022)।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण										
(बोल्ड अंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त	वर्ष के दौरान	घोषित परंतु	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
						पूँजी पर सरकार का निवेश	जमा एवं प्राप्त	सरकारी खाते में जमा न किए गए	लाभांश/ ब्याज	
						प्रतिशत	लाभांश/ ब्याज	लाभांश/ ब्याज		
(₹ लाख में)										
<b>I. सांविधिक निगम-कार्यशील निगम-</b>										
1	जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख वित्तीय निगम	1959-60 से 30-10-2019 2019-20 (30-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण	1,72,35,400	100	17,235.40	99.69	शून्य	शून्य	2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार निगम ने ₹ 317.57 लाख का लाभ बुक किया।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						17,235.40		शून्य	शून्य	
2	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	1976-77 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण	शेयरों को जारी नहीं किया गया	-	19,595.43	-	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार निगम ने ₹ 11,762.42 लाख की हानि बुक की। निगम इसकी अंश पूँजी में पूँजीगत व्यय नियतन को जोड़ रहा है, निगम द्वारा अभी तक की तिथि तक कोई अंश आबंटित नहीं किया गया है।
				शून्य	शून्य	13,878.33	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	5,312.25	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	19,190.58		शून्य	शून्य	
						19,595.43 (क)				

(क) निगम द्वारा प्रदत्त नवीनतम सूचना के कारण वित्त लेखा 2020-21 में दर्शाई गई राशि से ₹ 300.03 लाख की भिन्नता।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						
(₹ लाख में)										
I. सांविधिक निगम--(समाप्त)										
कार्यशील निगम--(समाप्त)										
			कुल-I	सांविधिक निगम.	19,190.58					
				कार्यशील निगम-	36,830.83 (ख)					
II. ग्रामीण बैंक-										
1	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021 2021-22	साधारण	1,457,000	10.00	1,457.00	15.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2020-21 तक लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार बैंक को ₹ 1,813.86 लाख की हानि हुई।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
					शून्य					
						1,457.00				

(ख) वित्त लेखा 2020-21 में दर्शाई गई राशि से ₹ 602.96 लाख की भिन्नता (सांविधिक निगमों की सूची से जेएण्डके राज्य वन निगम को हटाने के कारण ₹ 903.00 लाख का घटाव) जैसा कि इसे दिसंबर 2020 में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जेएण्डके राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 ए 477 को निरस्त करने के पश्चात "जेएण्डके राज्य वन विकास निगम लिमिटेड" के नाम से निगमित किया गया है तथा जेएण्डके सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदान की गई नवीनतम सूचना के

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						
(₹ लाख में)										
<b>II ग्रामीण बैंक-(समाप्त)</b>										
	2 इलाकाई देहाती बैंक		साधारण	3,12,48,000	10.00	3,124.80	15.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2021-22 तक अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, बैंक को ₹ 3,394.53 लाख की हानि हुई और संचित हानि ₹ 30,056.80 लाख रही।
		30-10-2019 तक 31-10-2019 से								
		2020-21		23,50,000	10.00	235.00	शून्य	शून्य	शून्य	
		2021-22		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						235.00		शून्य		
						3,124.80				
						235.00				
			<b>कुल-II</b>	<b>ग्रामीण बैंक</b>		<b>4,581.80</b>				
<b>III सरकारी कंपनियाँ-कार्यशील कंपनियाँ-</b>										
	1 जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड	1960-61 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इन्विटी			800.00	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार कम्पनी को ₹ 838.23 लाख की हानि हुई।
						शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						शून्य				
						शून्य				
						शून्य				
						800.00				

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण										
19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)										
अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ(जारी)</b>										
2	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	1939-40 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021)	इक्विटी	32,98,33,032	1	3,298.33	59.23	-	शून्य	वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, बैंक ने ₹ 49,485.11 लाख के लाभ को बूक किया। वर्ष 2021-22 के दौरान, ( प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) ₹ 29.82 प्रति शेयर के जारी मूल्य पर प्रत्येक 1 के 167672702 इक्विटी शेयरों की संख्या को जम्मू एवं कश्मीर सरकार को आबंटित किया गया।
		2021-22		15,65,92,546	1	1,565.92	-	-	-	
				16,76,72,702	1	1,676.73	शून्य	शून्य	शून्य	
						3,242.65				
						3,298.33				
3	जम्मू एवं कश्मीर परियोजनाएं निर्माण निगम लिमिटेड	1965-66 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021)	इक्विटी	15,250	1000	152.50	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 315.89 लाख का लाभ अर्जित किया।
		2021-22		-	-	-	-	-	-	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						152.50				



## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/न्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/न्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
i. सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ(जारी)										
4	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	1997-98 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	2,00,000	100	200.00	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 1,222.61 लाख का लाभ अर्जित किया।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						200.00				
5	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2009-10 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	40,600	1000	406.00	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने शून्य लाभ अर्जित किया, तथापि, वर्ष 2020-21 के अलेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 35.80 लाख का लाभ अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 256.00 लाख की राशि तक के इक्विटी शेयरों को सरकार को जारी किया गया तथा ₹ 150.00 लाख के शेष बचे हुए शेयरों को अभी तक जारी नहीं किया गया है।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						406.00				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>I. सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ(जारी)</b>										
6	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीओ)	1968-69 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इन्विटी	17,64,640	1000	1,764.64	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 2,054.05 लाख की हानि बुक की। इसके अतिरिक्त, प्रदत्त तथा आर्बटित पूंजी ₹ 1,447.39 लाख के रूप में शेष रही तथा ₹ 317.25 लाख की राशि पूंजीगत शेयर के रूप में अग्रिम रूप में प्राप्त हुई।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						1,764.64				
7	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1975-76 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इन्विटी	2,59,920	100	259.92	73.49	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 4.19 लाख का लाभ बुक किया था।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						259.92				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ व्यय	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ(जारी)										
8	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1969-70 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	50,000	10.00	500.00	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6,14.46 लाख की हानि बुक की थी। पिछली अवधि के दौरान ₹ 1,096.13 लाख की राशि भी जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा शेयर अनुप्रयोग राशि की ओर, जिसके प्रति आवंटन लंबित है।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						500.00				
9	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात निगम लिमिटेड)	1970-71 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	7,08,120	100	708.12	88.83	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 859.52 लाख की हानि हुई।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						708.12				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ व्यय	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कम्पनियाँ-(जारी)</b>										
10	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	1963-64 से 2019-20	इन्विटी	1,62,664	100	1,626.64	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 36,38.74 लाख की हानि बुक की थी।
		(31-10-2019 से 31-03-2021)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		2021-22		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						<b>1,626.64</b>				
11	जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	1976-77 से 30-10-2019	इन्विटी	14,99,670	100	1,499.67	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2011-12 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कम्पनी ने ₹ 1,798.68 लाख का लाभ अर्जित किया। कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 31.03.2022 को अंशदान राशि ₹ 4,985.67 लाख थी (पुराने संयंत्र हेतु ₹ 1,499.67 लाख, ₹ 26.78 लाख नए संयंत्र हेतु तथा गार्इडिंग इकाई हेतु ₹ 8.08 लाख) जिसमें से ₹ 34.68 लाख की राशि शेयर प्रमाण पत्र हेतु आरओसी के साथ लंबित है।
		2019-20								
		(31-10-2019 से 31-03-2021)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		2021-22		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						<b>1,499.67</b>				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्र्य का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ(जारी)										
12	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम (एसआईसीओपी)	1975-76 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021)	इक्विटी	89,91,160	100	8,991.16	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2016-17 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 1,56.98 लाख का लाभ बुक किया था।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						8,991.16				
13	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1978-79 से 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021)	इक्विटी	6,00,000	100	600.00	65.21	शून्य	शून्य	वर्ष 2014-15 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी को ₹ 1,433.68 लाख की हानि हुई थी।
			शून्य	शून्य	80.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		2021-22			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
					80.00					
					600.00					

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनियाँ(जारी)										
14	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1981-82 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	3,49,430	100	349.43	69.96	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 1,28.48 लाख की हानि हुई थी।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						-		शून्य		
						349.43				
15	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1985-86 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी		100	1,932.00	40.78	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 616.95 लाख की हानि हुई थी।
			शून्य	शून्य	शून्य	145.00	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	120.00	शून्य	शून्य	शून्य	
						265.00				
						1,932.00				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)									
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)									
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ न्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ न्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>									
<b>कार्यशील कंपनियाँ(जारी)</b>									
16	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	1988-89 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	2,35,700	1000	2,357.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 9,93.70 लाख का लाभ अर्जित किया।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						-			
						<b>2,357.00</b>			
17	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	1,187,850,000	10	1,18,785.00	47.90	शून्य	वर्ष 2021-22 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 467.14 लाख की हानि बुक की थी।
			शून्य	शून्य	शून्य	14,373.00 (क)	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	26,542.00 (ख)	शून्य	शून्य	
						40,915.00			
						<b>1,18,785.00</b>			

(क) दिनांक 10.03.2021 (₹ 43,73.00 लाख ) तथा 24.03.2021 (₹ 1,00.00 लाख) को शेयर अनुप्रयोग राशि के लिए राशि प्राप्त की गई जिसके लिए दिनांक 31.03.2021 तक आबंटन लंबित था। कंपनी द्वारा सूचना अब प्रदान की गई है, अतः तदनुसार ऑफ़िज़ों को अद्यतित किया गया है।

(ख) इसमें ₹ 10,000.00 लाख लंबित आबंटन हेतु शेयर अनुप्रयोग धनराशि सम्मिलित है जैसा कि दिनांक 31.03.2022 को राशि निवेश की गई थी।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)									
कार्यशील कंपनियाँ(जारी)									
18	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	1991-92 से 30-10-2019	इक्विटी	10,00,000	100	1,000.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 24.87 लाख का लाभ बुक किया था।
		2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		2021-22		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						1,000.00			
19	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्तियाँ निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021)	इक्विटी	50,000	10	5.00	100.00	शून्य	कंपनी ने अब तक की तिथि (जुलाई 2022) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को इसके लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। तथापि, निगम द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान इसने ₹ 479.57 लाख का लाभ बुक किया।
		2021-22		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						-			
						5.00			



## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्दम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनियाँ(जारी)</b>										
20	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक	इन्विटी	2,59,33,443	1,000	2,59,334.00	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 20,41.69 लाख का लाभ अर्जित किया था।
		2019-20								
		(31-10-2019 से								
		31-03-2021)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		2021-22		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						2,59,334.00				
21	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	1957-58 से	इन्विटी	1,000	1,000	10.00	100.00	शून्य	शून्य	कंपनी से सूचना (जुलाई 2022) प्रतीक्षित।
		30-10-2019								
		2019-20								
		(31-10-2019 से								
		31-03-2021)		प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
		2021-22		प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
						10.00				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कम्पनियों-(जारी)</b>										
<b>कार्यशील कंपनीयन्त्र-(जारी)</b>										
22	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	25,500	100	255.00	51.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी को ₹ 110.40 लाख की हानि हुई।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						<b>255.00</b>				
23	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम	2019-20 तक (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	कम्पनी कार्यशील नहीं है।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						<b>प्रतीक्षित</b>				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कम्पनियाँ-(जारी)										
कार्यशील कंपनीयन्त्र-(जारी)										
24	जेएण्डके परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड	28-04-2017 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	निगम को 2019 में दिनांक 24.10.2019 के सरकारी आदेश सं. 43-एफडी के माध्यम बंद किया गया था।	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
					शून्य					
					प्रतीक्षित					
25	जम्मू स्मार्ट शहर	2019-20 (01-04-2019 से 30-10-2019) 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी	1,00,000	10	10.00	100	शून्य	शून्य	वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कम्पनी ने ₹ 202.46 लाख का लाभ बुक किया।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
					शून्य					
						10.00				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)									
कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
26	श्रीनगर स्मार्ट शहर	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	1,00,000	10	10.00	100	शून्य	शून्य	वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कम्पनी ने शून्य लाभ बुक किया।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
					10.00				
27	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी 20,000	10.00	2.00	100	शून्य	शून्य	कंपनी ने अब तक की तिथि (जुलाई 2022) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
					2.00				
28	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी 20,000	10	2.00	100	शून्य	शून्य	कंपनी ने अब तक की तिथि (जुलाई 2022) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
					2.00				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी) कार्यशील कंपनियाँ-(जारी)									
29	जम्मू एवं कश्मीर उद्यमिता विकास निगम	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	शून्य शून्य	शून्य शून्य	9,647.75 शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	सूचना प्रतीक्षित है। कंपनी ने अब तक की तिथि (जुलाई 2022) तक लेखापरीक्षा हेतु सीएण्डएजी को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
					9,647.75				
30	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचरण निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	50,000 शून्य	10.00 शून्य	5.00 शून्य	100 शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6,135.54 लाख की हानि को बुक किया।
					5.00				
31	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	49,960 शून्य	10.00 शून्य	4.99 शून्य	99.92 शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 0.35 लाख की हानि को बुक किया।
					4.99				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)									
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)									
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)									
कार्यशील कंपनियाँ(जारी)									
32	जम्मू विद्युत वितरण लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	50,000	10.00	5.00	100	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 0.35 लाख का लाभ अर्जित किया था।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			5.00						
33	जेएण्डके विद्युत निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	इक्विटी 50,000	10.00	5.00	100	शून्य	शून्य	वर्ष 2016-17 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी को ₹ 0.59 लाख की हानि बुक की।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			5.00						
34	जेएण्डके अवसंरचना विकास वित्त निगम	2019-20 तक (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	50,000	10.00	50.00	100	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी को ₹ 6.45 लाख की हानि बुक की।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			50.00						

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)									
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)									
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या					
(₹ लाख में)									
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)</b>									
<b>कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त)</b>									
35	जेएण्डके, आईटी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	50,000	10.00	50.00	100	शून्य	शून्य	वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6.35 लाख की हानि बुक की थी।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			<b>50.00</b>						
36	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण शेयरों को जारी नहीं किया गया	एनए	903.00	100.00	शून्य	शून्य	1 जुलाई 1979 को निगम को निगमित किया गया तथा सीएजी को 1996-97 में लेखापरीक्षा सौंपी गई। जेएण्डके राज्य वन अधिनियम, 2013 को हटाने के पश्चात दिसंबर 2020 में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 399.26 लाख की हानि हुई।
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			<b>903.00</b>						
			44,502.65				शून्य	शून्य	
			<b>कुल सरकारी कंपनियाँ (कार्यशील कंपनियाँ)</b>			<b>4,15,529.15</b> ग			

(ग) जेएण्डके वन विकास निगम लिमिटेड के निगमन के कारण ₹ 903.00 लाख तक की वृद्धि। जैसा कि इसे जे एण्डके राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 को निरस्त करने के पश्चात कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी के रूप में दिसंबर 2020 में निगमित किया गया था।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियाँ-(जारी)										
गैर-कार्यशील कंपनियाँ-										
1	तवी स्कूटर लिमिटेड	1976-77 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021)	इक्विटी	8,04,000	10	80.40	100.00	शून्य	शून्य	उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, कंपनी को मेसर्स मेडले फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को नवंबर 2004 में बेच दिया गया था। जुलाई 2004 में आयोजित एपेक्स प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की 9वीं बैठक में मामले को स्वीकृति दी गई थी।
		2021-22	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	
						80.40				
2	हिमालय वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	1977-78 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021)	इक्विटी	1,36,500	100	136.50	100.00	शून्य	शून्य	कंपनी को दिनांक 16.08.2000 के कैबिनेट निर्णय सं. 129/12 के माध्यम से 2000-2001 में बंद किया गया तथा वर्ष 2000-01 के लिए लेखा बकाया थे। कंपनी 2003 से परिसमापक की अभिरक्षा में है।
		2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						136.50				



## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)										
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्दय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>III सरकारी कंपनियाँ-(समाप्त)</b>										
<b>गैर-कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त)</b>										
3	जेएण्डके राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण	40,000	100	40.00	100.00	शून्य	शून्य	कंपनी 2003 से परिसमापक की अभिरक्षा में है।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						-		शून्य	शून्य	
						40.00				
						कुल सरकारी कंपनियाँ (गैर-कार्यशील कंपनियाँ)	256.90			
							44,502.65	शून्य	शून्य	
						<b>कुल III सरकारी कंपनियाँ</b>	<b>4,15,786.05</b> (ख)			
<b>IV संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ</b>										
1	प्लाई बोर्ड इण्डस्ट्री लिमिटेड	1961-62 से 1964-65 2021-22	साधारण	50,000	10	5.00	20.00	शून्य	शून्य	कम्पनी गैर-कार्यशील है
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				50,000	10	5.00	20.00	शून्य	शून्य	
2	कश्मीर सेरामिक्स लिमिटेड	1961-62 से 1970-71 2021-22	साधारण	29,400	100	29.40	49.00	शून्य	शून्य	कम्पनी गैर-कार्यशील है
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				29,400	100	29.40	49.00	शून्य	शून्य	
						<b>कुल-IV संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ</b>	<b>34.40</b>	शून्य	शून्य	

(ख) जेएण्डके वन निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दिसंबर 2020 में सरकारी कंपनी के रूप में सम्मिलित करने के कारण ₹ 903.00 लाख तक की वृद्धि।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुदय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>V सहकारी बैंकों/ सोसायटियों में निवेश -</b>										
1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीनगर	1965-66 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण	68,45,000	1000	68.45	8.49	शून्य	शून्य	वर्ष 2020-21 तक के बैंक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। 31.03.2021 तक बैंक की संचित हानि ₹ 24,423.55 लाख रही।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						68.45				
2	नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जम्मू	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण	26,960	25	6.74	0.44	शून्य	शून्य	वर्ष 2021-22 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। बैंक को ₹ 137.10 लाख की हानि हुई।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						6.74				
3	जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू	1962-63 से 30-10-2019 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण			150.50	41.08	शून्य	शून्य	वर्ष 2020-21 तक के बैंक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। बैंक की संचित हानि ₹ 22,141.30 लाख रही।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	18,014.01	शून्य	शून्य	शून्य	
						18,014.01				
						150.50				

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

## अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	समुद्र्यम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
V सहकारी बैंकों/ सोसायटियों में निवेश-(जारी)										
4	शहरी सहकारी बैंक, लिमिटेड अनंतनाग	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण	285	1000	2.85	24.97	शून्य	शून्य	वर्ष 2020-21 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष के दौरान अर्जित लाभ ₹ 1.92 लाख रहा।
				प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	
						2.85				
5	बारामूला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण	2,715	1000	27.15	34.43	शून्य	शून्य	वर्ष 2020-21 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,682.89 लाख की हानि रही। जबकि ₹ 15,527.45 लाख का संचयी हानि रही।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				563,600	1000	5,636.00	शून्य	शून्य	शून्य	
						5,636.00				
						27.15				
6	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लिमिटेड, श्रीनगर	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण			2,637.40	87.20	शून्य	शून्य	वर्ष 2020-21 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, संचित हानि ₹ 11,693.18 लाख रही।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
						2,637.40	87.20			

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशों का विवरण-(समाप्त)										
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)										
क्र. सं.	समुद्रयम का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज	अभ्युक्तियाँ	
			प्रकार	शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक शेयर/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(₹ लाख में)										
<b>V सहकारी बैंक/सोसायटियाँ में निवेश-(समाप्त)</b>										
7	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी सोसायटियाँ	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22	साधारण	508	100	0.51	33.66	शून्य	शून्य	कंपनी से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022) है।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
						-				
						0.51				
8	पंजीयक, सहकारी सोसायटी जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर	30-10-2019 तक 2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2021) 2021-22				1,889.60		शून्य	शून्य	अधिष्ठान को केवल जम्मू एवं कश्मीर सरकार से सहायिकी प्राप्त हुई।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
						1,889.60		शून्य	शून्य	
						23,985.20 (क)		शून्य	शून्य	
			<b>कुल V- सहकारी बैंक/सोसायटियाँ</b>			<b>4,783.20</b>				
						87,913.43 (ख)				
			<b>कुल योग I+II+III+IV+V</b>			<b>4,62,016.28 (ग)</b>				

(क) पंजीयक सहकारी सोसायटी जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा सूचित ₹ 335.20 निवेश सम्मिलित, तथापि बैंक सोसायटी वार ब्यौरा प्रतीक्षित।

(ख) कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-1 के पैरा 3 (ix) का अवलोकन करें।

(ग) जेएण्डके वन निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दिसंबर 2020 में सरकारी कंपनी के रूप में सम्मिलित करने के कारण ₹ 903.00 लाख तक की वृद्धि।

## 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अनुभाग 2:- वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेशों का विवरण  
(केवल वही मामले जिनके आँकड़े विवरण सं. 16 में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल नहीं खाते)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

विवरण सं. 19 की क्रम संख्या	मुख्य/ लघु शीर्ष	31 मार्च 2021 की समाप्ति पर निवेश	वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश	वर्ष 2021-22 के दौरान विनिवेश	31 मार्च 2022 (क) की समाप्ति पर निवेश
					(₹ लाख में)
I/1	4885      190	-	-	-	-
		<b>40.66</b>			<b>40.66</b>
I/2	5055      190	13,878.33	5,312.25	-	19,190.58
		<b>16,880.44</b>			<b>16,880.44</b>
II/2	5465      190	-	-	-	-
		<b>54,064.30</b>			<b>54,064.30</b>
III/6/12	4852      190	808.50	271.29	-	1,079.79
		<b>697.50</b>			<b>697.50</b>
III/11	4853      190	421.50	119.57	-	541.07
		<b>2,522.02</b>			<b>2,522.02</b>
III/15	4225      190	-	-	-	-
		<b>510.00</b>			<b>510.00</b>
III/18	4235      190	344.92	220.73	-	565.65
		<b>1,916.63</b>			<b>1,916.63</b>
V/6	4425      190	1,149.83	1,013.06	-	2,162.89
		<b>26,518.50</b>			<b>26,518.50</b>
V/8	4425      190	-	-	-	-
		<b>368.70</b>			<b>368.70</b>

(क) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड -I के पैरा 3 (ix) का अवलोकन करें।

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण

क श्रेणी वार ब्योरा: [1]

क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम राशि		1 अप्रैल 2021 के आरंभ में बकाया		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान लोप		वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2022 के अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य		

(₹ लाख में)

श्रेणी-वार ब्योरा सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2022)।

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण																
क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2021 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान लोप		वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2022 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्त	

(₹ लाख में)

## 1 विद्युत (3)\*

## (i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत बोर्ड

[1]

आरईसी लिमिटेड/ भारतीय जीवन बीमा निगम/ विद्युत वित्त निगम से प्राप्त बंधपत्रों को जारी करने से ऋण/ बाजार उधार राशि के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति

## (ii) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास

निगम

विद्युत वित्त निगम (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) एचयूडीसीओ, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड, कैनरा बैंक और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बॉण्ड, निवेश और लिये गये ऋण के संबंध में प्रत्याभूति प्रदान की गयी है।

प्रतीक्षित

प्रतीक्षित

-

प्रतीक्षित

-

प्रतीक्षित

-

-

-

-

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

\* पूरे विवरण संख्या 20 में कोष्ठकों में ऑफ़ेस संस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।

[1] 2004 के सरकारी आदेश संख्या 37-पीडीडी दिनांक 13-02-2004 द्वारा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं को विकास आयुक्त (विद्युत) को हस्तांतरित कर दिया गया।

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण																	
क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2021 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान लोप		वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2022 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य		
(₹ लाख में)																	
<b>1 विद्युत (3)*-(समाप्त)</b>																	
	(iii) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	11,02,447.00	-	6,01,224.00	-	4,30,959.00	-	-	-	-	-	-	10,32,183.00	-	-	-	-
	आरईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा विद्युत वित्तीय निगम से प्राप्त बंधपत्रों को जारी करने से बाजार उधारियों की उठायी गयी राशि और ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में	प्रतीक्षित		प्रतीक्षित		प्रतीक्षित		प्रतीक्षित					प्रतीक्षित				
	<b>कुल-1</b>	<b>12,23,430.00</b>	<b>-</b>	<b>7,55,195.00</b>	<b>-</b>	<b>4,30,959.00</b>	<b>-</b>	<b>(-)32,988.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,53,166.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>65,370.00</b>		<b>22,931.00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>22,931.00</b>				
<b>2-क सहकारी बैंक (2)*</b>																	
	(i) जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू	-	-	-	-	-	-	(-)400.00	-	-	-	-	(-)400.00	-	-	-	-
	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड से प्राप्त नकद क्रेडिट सीमा के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्च 2008 से ₹ 04 करोड़ की 20 समान किस्तों में पुनर्भुगतान किये जाने वाली प्रत्याभूति	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-



## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2021 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान लोप		वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2022 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	

(₹ लाख में)

## 2-क सहकारी बैंक (2)\*-(समाप्त)

(ii) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, श्रीनगर

अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त

ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति

10,216.00

-

336.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

कुल-2क

10,216.00

-

3,536.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

## 2-ख सहकारी सोसाइटियाँ (4)\*

(i) पंजीयक सहकारी सोसाइटियाँ, जम्मू एवं कश्मीर

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ii) जम्मू सहकारी थोक बिक्री भण्डार, जम्मू

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(iii) जम्मू एवं कश्मीर भूतपूर्व सैनिक स्टोर, जम्मू

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(iv) जम्मू एवं कश्मीर सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ, जम्मू

प्रतीक्षित

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

कुल-2

10,216.00

-

3,536.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(^) ₹ 57.44 लाख तक घटाया गया। यह राशि 31.10.2019 (पुनर्गठन परेचात) पूर्ववर्ती प्रत्याभूति के ऑफ़सेटों में सम्मिलित थी।

## 3 राज्य वित्तीय निगम (1)

(i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम

-

-

(-)413.32

-

404.77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(-)8.55

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण																	
क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2021 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान लोप		वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2022 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य		
(₹ लाख में)																	
अल्पसंख्यक क्षेत्र के वित्तीय उद्यमियों के लिए एनएमडीएफसी से प्राप्त निधि																	
		5,000.00	-	4,502.87	-	-	-	-	-	-	-	-	4,502.87	-	-	-	-
				(-413.32)		404.77		(-4,13.32)					(-8.55)				
	कुल-3	5,000.00	-	4,502.87	-								4,502.87	-	-	-	-
4 अन्य संस्थान-(9)*																	
4-क निजी फर्म-(3)*																	
	(i) वन पहाधारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) टेक्नोक्रेटस-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iii) टोंगा वाले	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल-4(क)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-ख सरकारी कंपनियाँ (6)*																	
	(i) जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	1,67,15.46	-	(-810.84)	-	3,732.99	-	-	-	-	-	-	2,922.12	-	-	-	-

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2021 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान लोप		वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2022 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
	अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति	-	-	7,215.46	-	-	-	-	-	-	-	7,215.46	-	-	-	-
4	अन्य संस्थान (9)* (जारी)															
4-ख	सरकारी कंपनियाँ (6)*-(समाप्त)															
	(ii) जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	-	-	466.40	-	2,685.22	-	(-911.08)	-	-	-	2,240.54	-	-	-	-
	अन्य वित्तीय संस्थानों से उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति	10,149.89	-	6,920.53	-	-	-	-	-	-	-	6,920.53	-	-	-	-
	(iii) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड															
	अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति	118.45	-	118.45	164.66	-	-	-	-	-	-	118.45	164.66	-	-	-
	(iv) जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड	-	-	(-40.00)	-	-	-	-	-	-	-	(-40.00)	-	-	-	-
	कंपनी 2000-01 के मंत्रिमण्डल निर्णय संख्या- 129/12 दिनांक 18-08-2010 के माध्यम से बंद हो गई थी।	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-
	(v) जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम लिमिटेड	1,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-
	वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण हेतु प्रत्याभूति दी गई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

## ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि		1 अप्रैल 2021 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान लोप		वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2022 को अंत में बकाया		प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क		अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	

(₹ लाख में)

## 4 अन्य संस्थान (9)\*- (समाप्त)

## 4-ख सरकारी कंपनियाँ (6)\* (समाप्त)

(vi) जम्मू एवं कश्मीर, सीमेंट लिमिटेड	4,804.00	-	प्रतीक्षित	-	प्रतीक्षित	-	प्रतीक्षित	-	-	-	-	प्रतीक्षित	-	-	-	-
सांबा परियोजना तथा जीएसटी देयता की निकासी के लिए ऋण उठाने हेतु प्रत्याभूति दी गई।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल-4 (ख)</b>	<b>1,21,519.46</b>	<b>-</b>	<b>(-)384.47</b>	<b>-</b>	<b>81418.21</b>	<b>-</b>	<b>(-)911.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80122.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>10,308.34</b>	<b>-</b>	<b>14,294.44</b>	<b>164.66</b>								<b>14,294.44</b>	<b>164.66</b>			
<b>कुल-1+2+3+4</b>	<b>13,44,949.45</b>	<b>-</b>	<b>7,54,397.21*</b>	<b>-</b>	<b>5,12,781.98</b>	<b>(-)34,299.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,32,880.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>90,894.34</b>	<b>-</b>	<b>45,265.03*</b>	<b>164.66</b>							<b>45,265.03</b>	<b>164.66</b>				

(\* वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार ऑफ़े परिशोधित हैं।)

## 20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

## व्याख्यात्मक टिप्पणी

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक शेषों को दर्शाते हैं)

(क) प्रत्याभूति मोचन निधि: सरकार ने वर्ष 2005-06 में प्रत्याभूति मोचन निधि को स्थापित किया था। निधि का विस्तृत लेखा निम्नानुसार है:	(₹ लाख में)
(i) 31.03.2021 तक अथ शेष	200.00
	<b>2,042.00</b>
(ii) जोड़: वर्ष 2021-22 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि	200.00
(iii) कुल	400.00
	<b>2,042.00</b>
(iv) घटाव: आहूत प्रत्याभूतियों के उन्मोचन हेतु निधि से प्राप्त राशि	शून्य
(v) 31.03.2022 तक अंत शेष	400.00
	<b>2,042.00</b>
(vi) प्रत्याभूति से निर्मित निवेश की राशि	शून्य
(ख) आहूत प्रत्याभूतियों का निवेश	शून्य
(ग) वर्ष 2021-22 के दौरान जारी 'लैटर ऑफ कंफर्ट' का ब्योरा।	शून्य

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2022 तक	वर्ष 2021-22 के दौरान	
	को अथ शेष	संघ शासित क्षेत्र	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
		को आंबटित राशि				राशि	प्रतिशत
						(₹ लाख में)	
<b>भाग-II आकस्मिकता निधि</b>							
<b>8000- आकस्मिकता निधि</b>							
201 समेकित निधि से विनियोग	₹. 2,500.00	-	-	-	₹. 2,500.00	-	-
	₹. 100.00				₹. 100.00		
कुल-भाग II-आकस्मिकता निधि	₹. 2,500.00	-	-	-	₹. 2,500.00	-	-
	₹. 100.00				₹. 100.00		
<b>भाग III-लोक लेखा-</b>							
<b>झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि-</b>							
<b>(ख) राज्य भविष्य निधि-</b>							
<b>8009- राज्य भविष्य निधि-</b>							
<i>01- नागरिक-</i>							
101- सामान्य भविष्य निधि	₹. 2,05,813.92	-	5,68,794.59	6,38,868.87	₹. 135,739.64	(-)70,074.28	(-)34
	₹. 26,06,400.20				₹. 26,06,400.20		
102- अंशदायी भविष्य निधि	₹. 97.12	-	-	-	₹. 97.12	-	-
	₹. 5,557.68				₹. 5,557.68		
104- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	₹. (-)0.50	-	16.23	-	₹. 15.73	(+)16.23	*
	₹. 3,528.61				₹. 3,528.61		
कुल-01	₹. 2,05,910.54	-	5,68,810.82 (क)	6,38,868.87	₹. 1,35,852.49	(-)70,058.05	(-)34
	₹. 26,15,586.49				₹. 26,15,586.49		
कुल-8009	₹. 2,05,910.54	-	5,68,810.82	6,38,868.87	₹. 1,35,852.49	(-)70,058.05	(-)34
	₹. 26,15,586.49				₹. 26,15,586.49 (ख)		
कुल-(ख)- राज्य भविष्य निधि	₹. 2,05,910.54	-	5,68,810.82	6,38,868.87	₹. 1,35,852.49	(-)70,058.05	(-)34
	₹. 26,15,586.49				₹. 26,15,586.49		

(क) वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किया गया ₹ 1,81,268.04 लाख ब्याज सम्मिलित है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 15 में मुख्य शीर्ष- 2049 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ ले।

(ख) आंकड़े समाधान (जुलाई 2022) के अधीन हैं।

(\*) विवरण में 100 प्रति शत से अधिक।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान			
						निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत	(₹ लाख में)		
<b>भाग III-लोक लेखा-(जारी)</b>									
<b>झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि-(जारी)</b>									
<b>(ग) अन्य लेखा-</b>									
<b>8011- बीमा एवं पेन्शन निधियाँ-</b>									
105- राज्य सरकार बीमा निधि	क्रे.	13,266.34	-	13,535.60 (क)	4,854.16	क्रे.	21,947.78	(+)8,681.44	(+)65
	क्रे.	<b>87,253.99</b>				क्रे.	<b>87,253.99</b>		
106- अन्य निधि बीमा एवं पेन्शन-									
(i) श्रीनगर नगरपालिका पेन्शन निधि	क्रे.	(-)5,538.83	-	4,738.85	5,152.17	क्रे.	(-)5,952.15 (\$)	(-)413.32	(-)07
	क्रे.	<b>1,083.12</b>				क्रे.	<b>1,083.12</b>		
(ii) जम्मू नगरपालिका पेन्शन निधि	क्रे.	(-)86.92	-	3,696.11	2,753.89	क्रे.	855.30	(+)942.22	*
	क्रे.	<b>3,855.44</b>				क्रे.	<b>3,855.44</b>		
(iii) टीएसी/ एनएसी पेन्शन निधि	क्रे.	4,456.78	-	10,917.00	9,645.95	क्रे.	5,727.83	(+)1,271.05	(+)29
	क्रे.	<b>8,174.58</b>				क्रे.	<b>8,174.58</b>		
(iv) अन्य बीमा एवं पेन्शन निधियाँ	क्रे.	588.75	-	700.91	579.57	क्रे.	710.09	(+)121.34	(+)21
	क्रे.	<b>208.00</b>				क्रे.	<b>208.00</b>		
कुल-106	क्रे.	(-)580.22	-	20,052.87	18,131.58	क्रे.	1,341.07	(+)1,921.29	*
	क्रे.	<b>13,321.14</b>				क्रे.	<b>13,321.14</b>		
कुल-8011	क्रे.	12,686.12	-	33,588.47	22,985.74	क्रे.	23,288.85	(+)10,602.73	(+)84
	क्रे.	<b>1,00,575.13</b>				क्रे.	<b>1,00,575.13</b>		
कुल-(ग)- अन्य लेखा	क्रे.	12,686.12	-	33,588.47	22,985.74	क्रे.	23,288.85	(+)10,602.73	(+)84
	क्रे.	<b>1,00,575.13</b>				क्रे.	<b>1,00,575.13</b>		
कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	क्रे.	2,18,596.66	-	6,02,399.29	6,61,854.61	क्रे.	1,59,141.34 (ख)	(-)59,455.32	(-)27
	क्रे.	<b>27,16,161.62</b>				क्रे.	<b>27,16,161.62</b> (ख)		

(क) वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किया गया ₹ 7,188.85 लाख ब्याज सम्मिलित है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 15 में मुख्य शीर्ष- 2049 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ ले।

(ख) आँकड़े मिलानाधीन हैं (जुलाई 2021)।

(\$) 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) शेषों के अप्रभाजन के कारण विवरण में घटाव शेष।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत (₹ लाख में)
<b>भाग-III-लोक लेखा-(जारी)</b>							
<b>ज-आरक्षित निधियाँ-</b>							
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>							
<b>8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-</b>							
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	क्रे. 1,632.08	-	36,122.76 (क)	26,826.07 (ख)	क्रे. 10,928.77	(+)9,296.69	*
	क्रे. 1,27,148.12				क्रे. 1,27,148.12		
126- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष-निवेश लेखा	डे. -	-	-	-	डे. -		
	डे. 1,086.07				डे. 1,086.07		
129- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा	क्रे. 76,457.15 ^	-	-	-	क्रे. 76,457.15		
	क्रे. -				क्रे. -		
<b>कुल-8121</b>							
	क्रे. 1,27,148.12				क्रे. 1,27,148.12		(+)12
<b>निवेश</b>	डे. -	-	-	-	डे. -		-
	डे. 1,086.07				डे. 1,086.07		
<b>कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>							
<b>सकल शेष</b>	क्रे. 78,089.23 ^	-	36,122.76	26,826.07	क्रे. 87,385.92 (ग)	(+)9,296.69	(+)12
	क्रे. 1,27,148.12				क्रे. 1,27,148.12 (ग)		
<b>निवेश</b>	डे. -	-	-	-	डे. -		
	डे. 1,086.07				डे. 1,086.07 (ग)		

(क) मुख्य शीर्ष-2245-05-101-"आरक्षित निधि और जमाओं को हस्तांतरण " के डेबिट द्वारा ₹ 2,79,00.00 लाख भारत सरकार की हिस्सेदारी, ₹ 31,00.00 लाख संघ शासित क्षेत्र की हिस्सेदारी तथा ₹ 4,960.80 लाख ब्याज को सम्मिलित करता है। निधि में प्रत्यक्ष रूप से क्रेडिट किए गए ₹ 161.97 लाख भी सम्मिलित हैं। "कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड -1 के पैरा 5 (ii) (क) (क) का अवलोकन करें।

(ख) मुख्य शीर्ष 2245-05-901 "एसडीआरएफ से कटौती राशि " को कटौती डेबिट द्वारा हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-II के विवरण संख्या 15 के मुख्य शीर्ष 2245 की पाद टिप्पणी क का संदर्भ लें।

(ग) शेष विचारधौन (जुलाई 2022)

(घ) विवरण संख्या 21 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।



## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान			
						निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत		
(₹ लाख में)									
भाग-III- लोक लेखा -(जारी)									
ज- आरक्षित निधियाँ-(जारी)									
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-									
8222- ऋण शोधन निधियाँ									
01- ऋण परिहार या अभाव हेतु विनियोजन									
101- ऋण शोधन निधियाँ	क्रे.	5,563.00	-	4,500.00	-	क्रे.	10,063.00	(+)4,500.00	(+)81
	क्रे.	<b>35,586.76</b>				क्रे.	<b>35,586.76</b>		
कुल-8222	क्रे.	5,563.00	-	4,500.00	-	क्रे.	10,063.00	(+)4,500.00	(+)81
	क्रे.	<b>35,586.76</b>				क्रे.	<b>35,586.76</b>		
8223- अकाल राहत कोष									
101- अकाल राहत कोष	क्रे.	866.96	-	-	-	क्रे.	-	-	-
	क्रे.	<b>866.96</b>				क्रे.	<b>866.96</b>		
कुल-8223	क्रे.	866.96	-	-	-	क्रे.	-	-	-
	क्रे.	<b>866.96</b>				क्रे.	<b>866.96</b>		
8226- आरक्षित निधि का मूल्यहास/ नवीनीकरण									
101- सरकार के वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की									
आरक्षित निधियों का मूल्यहास	क्रे.	-	-	-	-	क्रे.	-	-	-
	क्रे.	<b>57,379.34</b>				क्रे.	<b>57,379.34</b>		
102- सरकार के गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित									
निधियों का मूल्यहास	क्रे.	-	-	-	-	क्रे.	-	-	-
	क्रे.	<b>7,285.99</b>				क्रे.	<b>7,285.99</b>		
कुल-8226	क्रे.	-	-	-	-	क्रे.	-	-	-
	क्रे.	<b>64,665.33</b>				क्रे.	<b>64,665.33</b>		

(घ) मुख्य शीर्ष 2048-101-" ऋण शोधन निधि" से हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणी" के खण्ड - II के विवरण संख्या 15 में मुख्य शीर्ष-2048 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत (₹ लाख में)
<b>भाग-III- लोक लेखा -(जारी)</b>							
<b>ज- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)</b>							
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ -(समाप्त)</b>							
<b>8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ-</b>							
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 4,052.06				क्र. 4,052.06		
109- सहकारी विकास निधियाँ	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 0.10				क्र. 0.10		
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ	क्र. (-)9,038.39 ^	-	228.12	1,561.94	क्र. (-)10,372.21 \$	(-)1,333.82	(-)15
	क्र. 30,332.77				क्र. 30,332.77		
<b>कुल-8229</b>	क्र. (-)9,038.39 ^	-	228.12	1,561.94	क्र. (-)10,372.21 \$	(-)1,333.82	(-)15
	क्र. 34,384.93				क्र. 34,384.93		
<b>8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-</b>							
105- सामान्य बीमा निधि-जनता बीमा	क्र. 2,012.31	-	1,688.42	-	क्र. 3,700.73	(+)1,688.42	(+)84
	क्र. 4,119.21				क्र. 4,119.21		
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	क्र. 200.00	-	200.00 (ड)	-	क्र. 400.00	(+)2,00.00	(+)100
	क्र. 2,042.00				क्र. 2,042.00		
200- अन्य निधियाँ	क्र. 287.46	-	550.00	2.00	क्र. 835.46	(+)548.00	*
	क्र. 11,729.72				क्र. 11,729.72		
<b>कुल-8235</b>	क्र. 2,499.77	-	2,438.42	2.00	क्र. 4,936.19	(+)2,436.42	(+)97
	क्र. 17,890.93				क्र. 17,890.93		
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>							
	क्र. (-)975.62 ^	-	7,166.54	1,563.94	क्र. 4,626.98	(+)5,602.60	*
	क्र. 1,53,394.91				क्र. 1,53,394.91		
<b>कुल-ज- आरक्षित निधियाँ</b>							
<b>सकल शेष</b>	क्र. 77,113.61	-	43,289.30	28,390.01	क्र. 92,012.90	(+)14,899.29	(+)19
	क्र. 2,80,543.03				क्र. 2,80,543.03		
<b>निवेश</b>	डे. -	-	-	-	डे. -		
	डे. 1,086.07				डे. 1,086.07		

(ड) एम एच 2075-800 "अन्य व्यय" से अंशदान के रूप में हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II विवरण सख्या -15 के मुख्य शीर्ष -2075 के नीचे पाद टिप्पणी (ख) तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड-I के पैरा 5 (ii) (ख) (ख) का भी अवलोकन

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)								
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान		
						निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत (₹ लाख में)	
<b>भाग-III- लोक लेखा-(जारी)</b>								
<b>ट-जमा एवं अग्रिम-</b>								
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-</b>								
<b>8336- नागरिक जमा-</b>								
103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा-	₹.	47,525.65	-	855.34	-	₹.	48,380.99	(+)855.34 (+)02
	₹.	-	-	-	-	₹.	-	-
<b>कुल-8336</b>	₹.	47,525.65	-	855.34	-	₹.	48,380.99	(+)855.34 (+)02
	₹.	-	-	-	-	₹.	-	-
<b>8342- अन्य जमा</b>								
117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित पेन्शन								
अंशदायी योजना (नयी पेन्शन योजना)	₹.	(-)52.16	-	1,58,712.84 (क)	1,57,489.59	₹.	1,171.09	(+)1,223.25 *
	₹.	5,367.44	-	-	-	₹.	5,367.44	-
<b>कुल-8342</b>	₹.	(-)52.16	-	1,58,712.84	1,57,489.59	₹.	1,171.09	(+)1,223.25 *
	₹.	5,367.44	-	-	-	₹.	5,367.44	-
<b>कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	₹.	47,473.49	-	1,59,568.18	1,57,189.59	₹.	49,552.08	(+)2,078.59 (+)04
	₹.	5,367.44	-	-	-	₹.	5,367.44	-
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं -</b>								
<b>8443- सिविल जमा-(ख)</b>								
101- राजस्व जमा	₹.	19,161.95	-	1,06,145.74	1,21,105.76	₹.	4,201.93	(-)14,960.02 (-)78
	₹.	2,41,009.78	-	-	-	₹.	2,41,009.78	-
102- सीमा शुल्क और अफीम जमा	₹.	-	-	-	-	₹.	-	-
	₹.	7,090.86	-	-	-	₹.	7,090.86	-
103- सुरक्षा जमा	₹.	2,816.57	-	8,467.39	2,023.23	₹.	9,260.73	(+)6,444.16 *
	₹.	15,961.11	-	-	-	₹.	15,961.11	-
104- सिविल न्यायालयों की जमा राशियाँ	₹.	2,303.94	-	627.19	77.69	₹.	2,853.44	(+)549.50 (+)24
	₹.	25,434.61	-	-	-	₹.	25,434.61	-
105- आपराधिक न्यायालयों की जमा राशियाँ	₹.	16.21	-	16.58	1.13	₹.	31.66	(+)15.45 (+)95
	₹.	1,898.64	-	-	-	₹.	1,898.64	-

(क) ₹ 65,254.96 लाख की कर्मचारी हिस्सेदारी और ₹ 93,457.88 लाख के सरकारी अंश को दर्शाता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड-1 के पैरा 5 (i) का अवलोकन करें।

(ख) कृपया विवरण सं 13 खण्ड-1 के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी ख को देखें।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान			
						निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत (₹ लाख में)		
भाग III- लोक लेखा-(जारी)									
ट-जमा एवं अयिम-(जारी)									
(ख) ब्याज वहन नहीं वाली जमाएं-(जारी)									
<b>8443- सिविल जमा-(समाप्त)</b>									
108- लोक निर्माण कार्य जमा	क्रे. 45,231.18	-	55,674.27	42,877.61	क्रे. 58,027.84	(+)12,796.66	(+)28		
	<b>क्रे. 1,58,013.85</b>				<b>क्रे. 1,58,013.85</b>				
109- वन जमाएं	क्रे. -	-	-	-	क्रे. -	-	-		
	<b>क्रे. 284.44</b>				<b>क्रे. 284.44</b>				
111- अन्य विभागीय जमाएं	क्रे. (-)7,913.04	-	1,814.31	1,052.32	क्रे. (-)7,151.05	(+)761.99	(+)10		
	<b>क्रे. 3,980.48</b>				<b>क्रे. 3,980.48</b>				
115- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा प्राप्त जमाएं	क्रे. -	-	-	-	क्रे. -	-	-		
	<b>क्रे. 34.90</b>				<b>क्रे. 34.90</b>				
116- विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों - अनुबंधित श्रम के अधीन जमा (नियामक उन्मूलन अधिनियम 1970) के अधीन जमा	क्रे. -	-	-	-	क्रे. -	-	-		
	<b>क्रे. 0.01</b>				<b>क्रे. 0.01</b>				
118- सरकारी सेवकों द्वारा निजी निकायों हेतु किये गये कार्यों के लिए प्राप्त शुल्क	क्रे. -	-	-	-	क्रे. -	-	-		
	<b>क्रे. 0.20</b>				<b>क्रे. 0.20</b>				
121- निर्वाचन संबन्धी जमाएं	क्रे. 155.85	-	1.00	1.15	क्रे. 155.70	(-)0.15	#		
	<b>क्रे. 99.06</b>				<b>क्रे. 99.06</b>				
123- शिक्षा संस्थानों की जमाएं	क्रे. -	-	-	-	क्रे. -	-	-		
	<b>क्रे. 264.63</b>				<b>क्रे. 264.63</b>				
124- भविष्य निधि में गैर-दावाकृत जमाएं	क्रे. -	-	-	-	क्रे. -	-	-		
	<b>क्रे. 92.35</b>				<b>क्रे. 92.35</b>				
800- अन्य जमा	क्रे. 7,422.76	-	1,822.75	1,318.48	क्रे. 7,927.03	(+)504.27	(+)07		
	<b>क्रे. 72,711.78</b>				<b>क्रे. 72,711.78</b>				
<b>कुल-8443</b>	<b>क्रे. 69,195.42</b>	<b>-</b>	<b>1,74,569.23</b>	<b>1,68,457.37</b>	<b>क्रे. 75,307.28</b>	<b>(+)6,111.86</b>	<b>(+)09</b>		
	<b>5,26,876.70</b>				<b>क्रे. 5,26,876.70</b>				

#) विवरण में नगण्य।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2022 तक	वर्ष 2021-22 के दौरान	
	को अथ शेष	संघ शासित क्षेत्र	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि प्रतिशत
		को आंबटित राशि					(₹ लाख में)
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>							
<b>ट-जमा एवं अयिम-(जारी)</b>							
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(जारी)</b>							
<b>8448- स्थानीय निधियों की जमाएं-</b>							
101- जिला निधियाँ	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 2,275.15				क्र. 2,275.15		
102- नगरपालिका निधियाँ	क्र. 27,526.81	-	61,638.18	63,877.91	क्र. 25,287.08	(-)2,239.73	(-)08
	क्र. 13,339.66				क्र. 13,339.66		
107- राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियाँ	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 79.04				क्र. 79.04		
108- राज्य आवास बोर्ड निधियाँ	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 8.07				क्र. 8.07		
109- पंचायत निकाय निधियाँ	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 27.48				क्र. 27.48		
110- शिक्षा निधियाँ	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 258.98				क्र. 258.98		
111- चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाँ	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 58.02				क्र. 58.02		
113- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि	क्र. -	-	-	-	क्र. -	-	-
	क्र. 78,725.48				क्र. 78,725.48		
120- अन्य निधियाँ	क्र. (-)16,410.64	-	341.56	2,210.73	क्र. (-)18,279.81	(-)1,869.71	(-)11
	क्र. 7,044.76				क्र. 7,044.76		
	क्र. 11,116.17	-	61,979.74	66,088.64	क्र. 7,007.27	(-)4,108.90	(-)37
<b>कुल-8448</b>	क्र. 1,01,816.64				क्र. 1,01,816.64		
<b>8449- अन्य जमाएं</b>							
103- केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त संसाहायिकी	क्र. 7,734.38	-	32,078.00 (ग)	3,098.41 (ग)	क्र. 36,713.97	(+)28,979.59	*
	क्र. 57,332.94				क्र. 57,332.94		

(ग) एम एच 3054-80-797 आरक्षित निधि जमा को हस्तांतरित और एम एच -5054-80-902 "कटौती -केन्द्रीय सड़क निधि" से सरकारी अनुदान से हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया विवरण संख्या 15 में एम एस -3054 के नीचे पाद टिप्पणी क का तथा विवरण संख्या 16 खण्ड -II के एम एच -5054 के नीचे क का और लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I के अनुलग्नक क का संदर्भ लें।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान			
						निवल वृद्धि (+) राशि	कमी (-) प्रतिशत		
(₹ लाख में)									
भाग III- लोक लेखा-(जारी)									
ट- जमा एवं अग्रिम-(समाप्त)									
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(समाप्त)									
8449- अन्य जमा-(समाप्त)									
123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमा	₹.	33.18	-	28.87	38.47	₹.	23.58	(-9.60	(-)29
	₹.	<b>29.57</b>				₹.	<b>29.57</b>		
कुल-8449	₹.	7,767.56	-	32,106.87	3,136.88	₹.	36,737.55	(+)28,969.99	#
	₹.	<b>57,362.51</b>				₹.	<b>57,362.51</b>		
कुल-(ख)-ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	₹.	88,079.15	-	2,68,655.84	2,37,682.89	₹.	1,19,052.10	(+)30,972.95	#
	₹.	<b>6,86,055.85</b>				₹.	<b>6,86,055.85</b>		
(ग) अग्रिम-									
8550- सिविल अग्रिम-									
101- वन अग्रिम	₹.	-	-	-	-	₹.	-	-	-
	₹.	<b>671.51</b>				₹.	<b>671.51</b>		
103- अन्य विभागीय अग्रिम	₹.	-	-	-	-	₹.	-	-	-
	₹.	<b>212.25</b>				₹.	<b>212.25</b>		
104- अन्य अग्रिम	₹.	-	-	-	-	₹.	-	-	-
	₹.	<b>385.43</b>				₹.	<b>385.43</b>		
कुल-8550	₹.	-	-	-	-	₹.	-	-	-
	₹.	<b>1,269.19</b>				₹.	<b>1,269.19</b>		
कुल-(ग)- अग्रिम	₹.	-	-	-	-	₹.	-	-	-
	₹.	<b>1,269.19</b>				₹.	<b>1,269.19</b>		
कुल-ट- जमा एवं अग्रिम	₹.	1,35,552.64	-	4,28,224.02	3,95,172.48	₹.	1,68,604.18	(+)33,051.54	(+)24
	₹.	<b>6,90,154.10</b>				₹.	<b>6,90,154.10</b>		
ठ- उचंत एवं विविध-									
(ख) उचंत-									
8658- उचंत लेखा-									
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय का उचंत	₹.	5,665.83	-	114.86	5,167.86	₹.	10,718.83	(+)5,053.00	(-)89
	₹.	<b>33,926.93</b>				₹.	<b>33,926.93</b>		

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान	
						निवल वृद्धि (+) राशि	कमी (-) प्रतिशत
(₹ लाख में)							
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>							
<b>ठ- उचंत एवं विविध-(जारी)</b>							
<b>(ख) उचंत-(जारी)</b>							
<b>8658- उचंत लेखा-(जारी)</b>							
102- उचंत लेखा (सिविल)	₹. 4,553.33	-	30,702.32	29,300.69	₹. 3,151.70	(-)1,401.63	(+)31
	<b>₹. 7,911.24</b>				<b>₹. 7,911.24</b>		
107- रोकड़ निपटान उचंत लेखा	₹. -	-	-	-	₹. -	-	-
	<b>₹. 669.05</b>				<b>₹. 669.05</b>		
109- आरबीआई उचंत (मुख्यालय)	₹. 10.71	-	(-)6.48	(-)48.61	₹. 31.42	(+)42.13	*
	<b>₹. 303.73</b>				<b>₹. 303.73</b>		
110- आरबीआई (उचंत लेखा )	₹. 83.30	-	0.01	(-)34.00	₹. 49.31	(-)33.99	(-)41
	<b>₹. 151.91</b>				<b>₹. 151.91</b>		
111- विभागीय समायोजन लेखा	₹. 0.01 ^	-	-	-	₹. 0.01	-	-
112- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	₹. 22,099.89	-	104,738.32	88,367.60	₹. 38,470.61	(+)16,370.72	(+)74
	<b>₹. 10,996.60</b>				<b>₹. 10,996.60</b>		
113- भविष्य निधि उचंत	₹. -	-	-	-	₹. -	-	-
	<b>₹. 225.35</b>				<b>₹. 225.35</b>		
120- अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा उचंत लेखा	₹. -	-	-	-	₹. -	-	-
	<b>₹. 152.56</b>				<b>₹. 152.56</b>		
123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	₹. 84.94	-	0.95	4.38	₹. 88.37	(+)3.43	(+)04
	<b>₹. 215.20</b>				<b>₹. 215.20</b>		
136- सीमा शुल्क	₹. -	-	-	-	₹. -	-	-
	<b>₹. 67.00</b>				<b>₹. 67.00</b>		
137- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	₹. -	-	-	-	₹. -	-	-
	<b>₹. 2,825.68</b>				<b>₹. 2,825.68</b>		

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021		जम्मू एवं कश्मीर		वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान		31 मार्च 2022 तक		वर्ष 2021-22 के दौरान	
	को अथ शेष		संघ शासित क्षेत्र		प्राप्तियाँ		संवितरण		अंत शेष		निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
											राशि	प्रतिशत
											(₹ लाख में)	
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>												
<b>ठ- उचंत एवं विविध-(जारी)</b>												
<b>(ख) उचंत-(जारी)</b>												
<b>8658- उचंत लेखा-(समाप्त)</b>												
139- जीएसटी- स्रोत उचंत पर कर कटौती	क्रे.	412.56	-	1,037.06	1,005.64	क्रे.	443.98	(+)	31.42	(+)	08	
	डे.	-				डे.	-					
<b>कुल-8658</b>	क्रे.	12,114.35 ^	-	1,36,587.02	1,23,763.56	क्रे.	24,937.81	(+)	12,823.46	*		
	डे.	34,414.18				डे.	34,414.18					
<b>कुल-(ख)-उचंत</b>	क्रे.	12,114.35 ^	-	1,36,587.02	1,23,763.56	क्रे.	24,937.81	(+)	12,823.46	*		
	डे.	34,414.18				डे.	34,414.18					
<b>(ग) अन्य लेखा-</b>												
<b>8671- विभागीय शेष-</b>												
101- नागरिक	क्रे.	0.03 ^	-			क्रे.	0.03	-		-		
	डे.	496.97				डे.	496.97					
<b>कुल-8671</b>	क्रे.	0.03 ^	-			क्रे.	0.03	-		-		
	डे.	496.97				डे.	496.97					
<b>8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय-</b>												
101- नागरिक	डे.	-	-	-	-	डे.	-	-	-	-		
	डे.	12.59				डे.	12.59					
<b>कुल-8672</b>	डे.	-	-	-	-	डे.	-	-	-	-		
	डे.	12.59				डे.	12.59					
<b>8673- रोकड़ शेष निवेश लेखा-</b>												
101- रोकड़ शेष निवेश लेखा	डे.	-	-	15,07,247.40	15,07,247.39	डे.	0.01 (@)	(+)	01	-		
	डे.	38,391.91				डे.	38,391.91					
<b>कुल-8673</b>	डे.	-	-	15,07,247.40	15,07,247.39	डे.	0.01 (@)	(+)	01	-		
	डे.	38,391.91				डे.	38,391.91 ***					
<b>कुल-(ग)- अन्य लेखा</b>	क्रे.	0.03 ^	-	15,07,247.40	15,07,247.39	क्रे.	0.04	(+)	01	-		
	डे.	38,901.47				डे.	38,901.47					

\*\*\* निवेश का ब्योरा सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2022)

(@) पूरे ₹ के कारण वास्तविक अंत शेष शून्य है, तथापि ₹ 0.01 लाख का अंत शेष मशीन पूर्णिकन के कारण है।



## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2022 तक	वर्ष 2021-22 के दौरान	
	को अथ शेष	संघ शासित क्षेत्र	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
		को आंबटित राशि				राशि	प्रतिशत
						(₹ लाख में)	
<b>भाग III- लोक लेखा-(जारी)</b>							
<b>ठ- उचंत एवं विविध-(समाप्त)</b>							
<b>(ख) उचंत-(समाप्त)</b>							
<b>(ड) विविध-</b>							
<b>8680- विविध सरकारी लेखे-</b>							
102- लेखा शीर्ष के अंत शेष से बढ़े खाते में डालना	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल- 8680</b>							
<b>कुल-(ड) विविध</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल-ठ - उचंत एवं विविध</b> क्रे.	12,114.38 ^	-	16,43,834.42	16,31,010.95	क्रे. 24,937.85	(+)12,823.47	*
	डे.	73,315.65			डे. 73,315.65		
<b>ड-प्रेषण-</b>							
<b>(क) धन आदेश एवं अन्य प्रेषण-</b>							
<b>8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों</b>							
<b>के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-</b>							
101- कोषागारों एवं करेंसी चेस्ट्स के मध्य रोकड़ प्रेषण	क्रे.	-	-	-	क्रे.	-	-
	क्रे.	5,761.34	-	-	क्रे.	5,761.34	-
102- लोक निर्माण प्रेषण	क्रे.	-	-	-	क्रे.	-	-
	क्रे.	46,041.57	-	-	क्रे.	46,041.57	-
103- वन प्रेषण	क्रे.	-	-	-	क्रे.	-	-
	क्रे.	5,285.62	-	-	क्रे.	5,285.62	-
104- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों का प्रेषण	क्रे.	-	-	-	क्रे.	-	-
	डे.	1,119.77	-	-	डे.	1,119.77	-
108- अन्य विभागीय प्रेषण	क्रे.	-	-	-	क्रे.	-	-
	डे.	18,706.55	-	-	डे.	18,706.55	-

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को अथ शेष	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान		
						निवल वृद्धि (+) राशि	कमी (-) प्रतिशत	
(₹ लाख में)								
भाग III- लोक लेखा-(जारी)								
ड-प्रेषण-(जारी)								
(क) धनादेश एवं अन्य प्रेषण-(समाप्त)								
समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले								
8782-	अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन- (समाप्त)							
110- विविध प्रेषण	क्रे.	63,256.82	-	4,590.80	डे.	68,907.02	(-)1,32,163.84 *	
	क्रे.	<b>2,10,999.12</b>			डे.	<b>2,10,999.12</b>		
	कुल-8782	क्रे.	63,256.82	-	4,590.80	डे.	68,907.02	(-)1,32,163.84 *
		क्रे.	<b>2,85,674.43</b>			डे.	<b>2,85,674.43</b>	
	कुल-(क)- धनादेश एवं अन्य प्रेषण	क्रे.	63,256.82	-	4,590.80	डे.	68,907.02	(-)1,32,163.84 *
		क्रे.	<b>2,85,674.43</b>			डे.	<b>2,85,674.43</b>	
(ख) अंतर सरकार लेखा समायोजन-								
8786- केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य लेखा	डे.	-	-	-	डे.	-	-	
	डे.	<b>546.43</b>			डे.	<b>546.43</b>		
कुल-8786	डे.	-	-	-	डे.	-	-	
	डे.	<b>546.43</b>			डे.	<b>546.43</b>		
8793- अंतरराज्यीय उंचत लेखा-	क्रे.	192.82	-	10.34	डे.	924.63	(-)1,117.45 *	
	डे.	<b>379.44</b>			डे.	<b>379.44</b>		
	कुल-8793	क्रे.	192.82	-	10.34	डे.	924.63	(-)1,117.45 *
	डे.	<b>379.44</b>			डे.	<b>379.44</b>		

(ड) आग में अगिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण मार्च 1977 से पूर्व अयोचित किए गए शेषों का समायोजन एवं विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण कठिन है, मामला अभी भी जांच के अधीन है (जुलाई 2022)।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)							
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2021	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2022 तक	वर्ष 2021-22 के दौरान	
	को अथ शेष	संघ शासित क्षेत्र को आंबटित राशि	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि प्रतिशत
(₹ लाख में)							
<b>भाग III- लोक लेखा-(समाप्त)</b>							
<b>ड-प्रेषण-(समाप्त)</b>							
कुल-(ख)- अंतर सरकार समायोजन लेखा	क्रे. 192.82	-	10.34	1,127.79	डे. 924.63	(-)1,117.45	*
	डे. <b>925.87</b>				डे. <b>925.87</b>		
कुल-ड - प्रेषण	क्रे. 1,39,830.70	-	4,601.14	137,882.43	डे. 69,831.65	(-)1,33,281.29	*
	क्रे. <b>2,84,748.56</b>				क्रे. <b>2,84,748.56</b>		
कुल-भाग- III-लोक लेखा			27,22,348.17	28,54,310.48			
कुल-भाग I, भाग II और भाग III- प्राप्तियाँ/ संवितरण			1,40,50,836.34	1,40,50,840.36			
ढ- रोकड़ शेष- 8999-रोकड़ शेष (क)			1,44,768.61	1,44,764.58			
			-	-			
			<b>(-)44195.18</b>	<b>(-)44195.18</b>			
कुल योग			1,41,95,604.95	1,41,95,604.94 #			
(क) आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेषों का सार							
			(₹ लाख में)				
	आरंभिक शेष			अंत शेष			
(i) कोषागारों में रोकड़	676.64			676.64			
(ii) बैंक में रोकड़	2,101.92			2,101.92			
(iii) आरबीआई के पास जमा	1,44,768.61			1,44,764.58 (ख)			
	<b>(-)46973.74</b>			<b>(-)46,973.74</b>			
कुल	1,44,768.61			1,44,764.58			
	<b>(-)44195.18</b>			<b>(-)44195.18</b>			

(ख) रिजर्व बैंक के पास जमा के प्रति शेष सरकारी लेखा के अनुसार शेष को प्रस्तुत करता है जिसमें 10 अप्रैल 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्शनुसार सरकारी समायोजन शामिल हैं। लेखाओं में, जैसा कि आँकड़े प्रतिबिंबित हुए हैं, के मध्य ₹ 192.49 लाख (डे) का निवल अंतर है, (₹ 1,44,764.58 लाख (डे) और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किया गया है (₹ 1,44,572.29 लाख (क्रे))। यह अंतर आरबीआई के साथ-साथ संघ शासित सरकार के समायोजन के अधीन है (जुलाई 2022)।

(#) वितरण संख्या 21 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण कुल प्राप्तियाँ तथा संवितरणों में ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक					
उत्त शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण					
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)					
(₹ लाख में)					
क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2022 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
	डे.	क्रे.			
<b>(क) 8658- उत्त लेखा-</b>					
<b>1 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उत्त</b>					
(i) सीपीएओ, नई दिल्ली	10,667.69	-		31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	<b>32,239.34</b>	<b>471.59</b>		2003-04	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
(ii) अन्य	51.93	0.79	ये बहुत पुराने शेष हैं, अतः संव्यवहारों की वास्तविक प्रकृति ज्ञात नहीं है।	31.10.2019	समायोजन पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी।
	<b>8,133.38</b>	<b>5,974.19</b>		1976-77	
<b>2 102- उत्त लेखा (सिविल)</b>					
(i) सीडीए, पेन्शन, इलाहाबाद	-	3.35	राज्य/ संघ शासित सरकार द्वारा रक्षा पेन्शनभोगियों को किया गया भुगतान।	31.10.2019	निकासी पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी
	<b>2,245.79</b>	<b>1,091.52</b>		2003-04	
(ii) सीडीए (डब्ल्यूसी), चण्डीगढ़	14.03	-	पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।	31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा
	<b>186.01</b>	-		2003-04	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
(iii) सीडीए (एससी), पुणे	-	10.37	पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान।	31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	<b>88.43</b>	<b>80.02</b>		2003-04	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(जारी)					
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(जारी)					
(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)					
(₹ लाख में)					
क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2022 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
	डे.	क्रे.			
<b>(क)</b>					
<b>8658- उचंत लेखा - (जारी)</b>					
<b>102- उचंत लेखा (सिविल)-(जारी)</b>					
(iv) सीडीए (एनसी), जम्मू	575.56	-	पेन्शन, परिवहन इत्यादि के कारण किया गया भुगतान।	31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	<b>556.98</b>	<b>253.49</b>		2003-04	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
(v) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	16.00	-	उत्तर रेलवे के पेन्शनभोगियों को पेन्शन का भुगतान किया गया।	31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	<b>371.27</b>	<b>9.29</b>		1998-99	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
(vi) पीएण्डटी, कपूरथला	-	-	प्रेषण एवं पीएलआई की वसूली के कारण संव्यवहार।	31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	<b>1,113.98</b>	<b>67.13</b>		2003-04	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।
(vii) अन्य	4,553.41	1,993.58	पुराना शेष मामला संबंधित अभिकरणों के साथ पत्राचाराधीन।	31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	<b>32,240.13</b>	<b>27,389.90</b>		1976-77	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढेगा और कम होगा।

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(जारी)					
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(जारी)					
(बोल्ड आँकड़े जम्म एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)					
क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2022 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
	डे.	क्रे.			
<b>(क) 8658- उचंत लेखा-(जारी)</b>					
3 107- रोकड़ समायोजन उचंत लेखा (सिविल)	-	-		31.10.2019	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
	669.05	-	लोक/ निर्माण प्रभागों के मध्य स्टॉक/ सेवा संव्यवहारों का अंतिम रोकड़ समायोजन लंबित।	1976-77	
4 109- रिजर्व बैंक का उचंत-(मुख्यालय)	8.97	40.39		31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	159.27	463.00	वर्ष 2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान।	2011-12	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
5 110- रिजर्व बैंक का उचंत-केन्द्रीय लेखा	67.31	18.00		31.10.2019	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा
	534.17	382.26	2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान।	2011-12	निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
6 112- स्रोत पर कर कटौती	-	38,470.61		31.10.2019	बकाया क्रेडिट की सीमा तक रोकड़ शेष निकासी
	-	10,996.60	सीबीडीटी को देय स्रोत पर आय कर आदि की कटौती के कारण प्राप्तियाँ।	2009-10	पर कम होगा।
7 113- भविष्य निधि उचंत	-	-		31.10.2019	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
	225.35	-	सामान्य भविष्य निधि खाते क्रेडिट/ डेबिट जमा को अभिदाताओं के खाते में समायोजन प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अंतिम समायोजन तक प्रतीक्षित।	1976-77	

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(जारी)						
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(जारी)						
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
(₹ लाख में)						
क्र. सं.	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2022 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		डे.	क्रे.			
(क)	8658- उचंत लेखा-(समाप्त)					
8	123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना	88.37	-	केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना कटौती/ वसूलियों को समायोजित करती है।	31.10.2019 1976-77	निकासी पर रोकड़ शेष में बढ़ोतरी होगी।
9	139-जीएसटी स्रोत उचंत पर कर कटौती	72.37	516.35	केन्द्र और राज्यों/ संघ शासित सरकारों के प्रति सीजीएसटी/ एसजीएसटी/ आईजीएसटी का समायोजन।	2019-20	निकासी पर रोकड़ शेष में बढ़ोतरी होगी।
(ख)	8782-समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन					
1	102- लोक निर्माण प्रेषण	-	-	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) लोक निर्माण चैकों को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्त पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करती है।	31.10.2019 1976-77	रोकड़ या लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
		1,27,882.95	1,73,924.52			
2	103- वन प्रेषण	-	-	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) वन चैक को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्त पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करती है।	31.10.2019 1976-77	रोकड़ पर कोई प्रभाव नहीं।
		10,726.09	16,011.71			

## 21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(समाप्त)						
उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(समाप्त)						
(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)						
(₹ लाख में)						
क्र. सं.	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2022 तक शेष		संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		₹.	क्र.			
(ख)	8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-(समाप्त)					
3	108- अन्य विभागीय प्रेषण	-	-	यह शीर्ष उन विभागों जैसे उत्पाद शुल्क इत्यादि द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें कोषागारों के साथ प्रेषण संव्यवहार की सुविधा प्रदान की जाती है।	31.10.2019 1976-77	रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
		-	18,706.55			
	110- विविध प्रेषण	68,907.02	-	यह शीर्ष उन विभागों के द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें कोषागारों के साथ प्रेषण लेन देन की सुविधा प्रदान की गयी होती है।	31.10.2019 1976-77	रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
		-	2,10,999.12			
1	8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	928.98	4.35	पेन्शन/ टीए इत्यादि के कारण किए गए भुगतान को निरूपित करता है।	31.10.2019 2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक रोकड़ शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा।
		401.64	22.20			



## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण

(बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

आरक्षित निधि या जमा लेखा का नाम	1 अप्रैल 2021 को शेष राशि			31 मार्च 2022 को शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
<b>अ आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-</b>						
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	1,632.08	-	1,632.08	10,928.77	-	10,928.77
	<b>1,26,062.05</b>	<b>1,086.07</b>	<b>1,27,148.12</b>	<b>1,27,148.12</b>	<b>1,086.07</b>	<b>1,27,148.12</b>
129- राज्य प्रतिकर वनरोपण कोष	76,557.15 ^	-	76,457.15 ^	76,457.15	-	76,457.15
	-	-	-	-	-	-
<b>कुल-क- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ</b>	<b>78,089.23 ^</b>	<b>-</b>	<b>78,089.23 ^</b>	<b>87,385.92</b>	<b>-</b>	<b>87,385.92</b>
	<b>1,26,062.05</b>	<b>1,086.07</b>	<b>1,27,148.12</b>	<b>1,27,148.12</b>	<b>1,086.07</b>	<b>1,27,148.12</b>
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-</b>						
<b>8222- ऋण-शोधन निधियाँ-</b>						
	5,563.00	-	5,563.00	10,063.00	-	10,063.00
	<b>35,586.76</b>	<b>-</b>	<b>35,586.76</b>	<b>35,586.76</b>	<b>-</b>	<b>35,586.76</b>
<b>कुल-8222</b>	<b>5,563.00</b>	<b>-</b>	<b>5,563.00</b>	<b>10,063.00</b>	<b>-</b>	<b>10,063.00</b>
	<b>35,586.76</b>	<b>-</b>	<b>35,586.76</b>	<b>35,586.76</b>	<b>-</b>	<b>35,586.76</b>
<b>8223- अकाल राहत कोष-</b>						
101- अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-
	<b>866.96</b>	<b>-</b>	<b>866.96</b>	<b>866.96</b>	<b>-</b>	<b>866.96</b>
<b>कुल-8223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>866.96</b>	<b>-</b>	<b>866.96</b>	<b>866.96</b>	<b>-</b>	<b>866.96</b>
<b>8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण-</b>						
<b>101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का</b>						
मूल्यहास	-	-	-	-	-	-
	<b>57,379.34</b>	<b>-</b>	<b>57,379.34</b>	<b>57,379.34</b>	<b>-</b>	<b>57,379.34</b>
102- सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास	-	-	-	-	-	-
	<b>7,285.99</b>	<b>-</b>	<b>7,285.99</b>	<b>7,285.99</b>	<b>-</b>	<b>7,285.99</b>
<b>कुल-8226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>64,665.33</b>	<b>-</b>	<b>64,665.33</b>	<b>64,665.33</b>	<b>-</b>	<b>64,665.33</b>

(^) विवरण संख्या 22 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ₹ 0.01 लाख की भिन्नता।

## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम	1 अप्रैल 2021 को शेष राशि			31 मार्च 2022 के शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
ज आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)						
(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त)						
8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ-						
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ	-	-	-	-	-	-
	4,052.06		4,052.06	4,052.06		4,052.06
109- सहकारी विकास निधियाँ	-	-	-	-	-	-
	0.10		0.10	0.10		0.10
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ	(-)9,038.39 ^	-	(-)9,038.39 ^	(-)10,372.21	-	(-)10,372.21
	30,332.77		30,332.77	30,332.77		30,332.77
कुल-8229	(-)9,038.39 ^	-	(-)9,038.39 ^	(-)10,372.21	-	(-)10,372.21
	34,384.93		34,384.93	34,384.93		34,384.93
8235- सामान्य और आरक्षित निधियाँ-						
105- सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	2,012.31	-	2,012.31	3,700.73	-	3,700.73
	4,119.21		4,119.21	4,119.21		4,119.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	200.00	-	200.00	400.00	-	400.00
	2,042.00		2,042.00	2,042.00		2,042.00
200- अन्य निधियाँ	287.46	-	287.46	835.46	-	835.46
	11,729.72		11,729.72	11,729.72		11,729.72
कुल-8235	2,499.77	-	2,499.77	4,936.19	-	4,936.19
	17,890.93		17,890.93	17,890.93		17,890.93
कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	(-)975.62 ^	-	(-)975.62 ^	4,626.98	-	4,626.98
	1,53,394.91		1,53,394.91	1,53,394.91		1,53,394.91
कुल-ज- आरक्षित निधियाँ	77,113.61	-	77,113.61	92,012.90	-	92,012.90
	2,79,456.96	1,086.07	2,80,543.03	2,79,456.96	1,086.07	2,80,543.03

## 22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम	1 अप्रैल 2021 को शेष राशि			31 मार्च 2022 के शेष राशि		
	रोकड़	निवेश	कुल	रोकड़	निवेश	कुल
(₹ लाख में)						
<b>ट-जमाएं एवं अग्रिम-</b>						
<b>(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं-</b>						
<b>8336- सिविल जमाएं-</b>						
103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा	47,525.65 ^	-	47,525.65 ^	48,380.99	-	48,380.99
	-	-	-	-	-	-
<b>कुल-8336</b>	<b>47,525.65 ^</b>	<b>-</b>	<b>47,525.65 ^</b>	<b>48,380.99</b>	<b>-</b>	<b>48,380.99</b>
	-	-	-	-	-	-
<b>कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली जमाएं</b>	<b>47,525.65 ^</b>	<b>-</b>	<b>47,525.65 ^</b>	<b>48,380.99</b>	<b>-</b>	<b>48,380.99</b>
	-	-	-	-	-	-
<b>(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-</b>						
<b>8449- अन्य जमाएं-</b>						
103- केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी	7,734.38 ^	-	7,734.38 ^	36,713.97	-	36,713.97
	<b>57,332.93</b>		<b>57,332.93</b>	<b>57,332.93</b>		<b>57,332.93</b>
123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमाएं	33.18 ^	-	33.18 ^	23.58	-	23.58
	<b>29.57</b>		<b>29.57</b>	<b>29.57</b>		<b>29.57</b>
<b>कुल-8449</b>	<b>7,767.56</b>	<b>-</b>	<b>7,767.56</b>	<b>36,737.55</b>	<b>-</b>	<b>36,737.55</b>
	<b>57,362.50</b>		<b>57,362.50</b>	<b>57,362.50</b>		<b>57,362.50</b>
<b>कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं</b>	<b>7,767.56</b>	<b>-</b>	<b>7,767.56</b>	<b>36,737.55</b>	<b>-</b>	<b>36,737.55</b>
	<b>57,362.50</b>		<b>57,362.50</b>	<b>57,362.50</b>		<b>57,362.50</b>
<b>कुल ट- जमाएं एवं अग्रिम</b>	<b>55,293.21 ^</b>	<b>-</b>	<b>55,293.21 ^</b>	<b>85,118.54</b>	<b>-</b>	<b>85,118.54</b>
	<b>57,362.50</b>		<b>57,362.50</b>	<b>57,362.50</b>		<b>57,362.50</b>
<b>कुल योग</b>	<b>1,32,406.82 ^</b>	<b>-</b>	<b>1,32,406.82 ^</b>	<b>1,77,131.44</b>	<b>-</b>	<b>1,77,131.44 (क)</b>
	<b>3,36,819.46</b>	<b>1,086.07</b>	<b>3,37,905.53</b>	<b>3,36,819.46</b>	<b>1,086.07</b>	<b>3,37,905.53 (क)</b>

(क) आंकड़े मिलानाधीन हैं (जुलाई 2022)।

## 22. चिह्नित शेर्षों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

## विवरण संख्या-22 की व्याख्यात्मक टिप्पणी

## ऋण शोधन निधि का ब्योरा

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेर्षों को दर्शाते हैं)

ऋण का वर्णन	1 अप्रैल 2021 को शेष राशि	राजस्व से विनियोजित राशि का जोड़	निवेश पर ब्याज जोड़	कुल	प्रतिभूतियों के क्रय पर प्रदत्त ब्याज	वर्ष के दौरान कम उन्मोचन	ऋण की परिपक्वता पर विविध सरकारी लेखा में हस्तांतरित राशि	31 मार्च 2022 को शेष	अभ्युक्तियों
									(₹ लाख में)
ऋण शोधन निधि	5,563.00	4,500.00	-	10,063.00	-	-	-	10,063.00	-
	<b>35,586.76</b>	-	-	<b>35,586.76</b>	-	-	-	<b>35,586.76</b>	-

## ऋण शोधन निधि निवेश लेखा का ऋण परिशोधन विवरण

ऋण का वर्णन	1 अप्रैल 2021 को शेष राशि	प्रतिभूतियों का क्रय	कुल	प्रतिभूतियों का विक्रय	31 मार्च 2022 को शेष	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
							(₹ लाख में)

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई राशि निवेशित नहीं की गयी है (31 मार्च 2022)।

---

**भाग-II**  
**परिशिष्ट**

---



## परिशिष्ट-I

## वेतन पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-								
सामान्य प्रशासन	2012-	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक	-	-	865.14	-	-	752.99
			865.14			752.99		
	2015-	चुनाव	23.01	-	23.01	26.29	-	26.29
	2051-	लोक सेवा आयोग		-	904.30	-	-	673.45
			904.30			673.45		
	2052-	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	10,908.28	-	10,908.28	10,502.45	-	10,502.45
	2062-	सतर्कता	6,092.89	-	6,092.89	4,685.25	-	4,685.25
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	441.01	-	441.01	382.49	-	382.49
	2251-	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	4,048.65	-	4,048.65	3,639.51	-	3,639.51
	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	167.76	-	167.76	177.64	-	177.64
	3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	7,195.11	-	7,195.11	6,427.16	-	6,427.16
3452-	पर्यटन	519.52	-	519.52	514.77	-	514.77	
कुल-सामान्य सेवाएं			29,396.23	-	31,165.67	26,355.56	-	27,782.00
			1,769.44			1,426.44		
गृह	2055-	पुलिस	6,04,510.78	-	6,04,510.78	5,49,070.82	-	5,49,070.82
	2056-	कारावास	6,909.16	-	6,909.16	6,314.33	-	6,314.33
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	28,670.59	-	28,670.59	24,881.61	-	24,881.61
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	659.71	-	659.71	614.65	-	614.65
कुल-गृह			6,40,750.24	-	6,40,750.24	5,80,881.41	-	5,80,881.41
योजना	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	709.52	-	709.52	372.16	-	372.16
	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	7,267.74	-	7,267.74	6,352.31	-	6,352.31
कुल-योजना			7,977.26	-	7,977.26	6,724.47	-	6,724.47

## परिशिष्ट-I-(जारी)

## वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
सूचना	2220-	सूचना एवं प्रचार	2,668.83	-	2,668.83	2,527.45	-	2,527.45
कुल-सूचना			<b>2,668.83</b>	-	<b>2,668.83</b>	<b>2,527.45</b>	-	<b>2,527.45</b>
विद्युत विकास	2801-	विद्युत	753.92	-	753.92	731.43	-	731.43
कुल-विद्युत विकास			<b>753.92</b>	-	<b>753.92</b>	<b>731.43</b>	-	<b>731.43</b>
शिक्षा	2202-	सामान्य शिक्षा	8,25,762.93	26,176.64	8,51,939.57	7,69,862.20	-	7,69,862.20
	2204-	खेल और युवा सेवाएं	1,109.11	-	1,109.11	984.10	-	984.10
कुल-शिक्षा			<b>8,26,872.04</b>	<b>26,176.04</b>	<b>8,53,048.68</b>	<b>7,70,829.30</b>	-	<b>7,70,829.30</b>
वित्त	2030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण	286.62	-	286.62	274.07	-	274.07
	2039-	राज्य उत्पाद शुल्क	2,701.69	-	2,701.69	2,381.18	-	2,381.18
	2040-	बिक्री कर	118.00	-	118.00	108.30	-	108.30
	2043-	राज्य वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	8,604.80	-	8,604.80	7,673.50	-	7,673.50
	2045-	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	22.36	-	22.36	26.61	-	26.61
	2054-	कोषागार और लेखे प्रशासन	13,947.03	-	13,947.03	13,456.34	-	13,456.34
कुल-वित्त			<b>25,680.50</b>	-	<b>25,680.50</b>	<b>23,920.00</b>	-	<b>23,920.00</b>
संसदीय मामले	2011-	संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल	2,021.10	-	2,021.10	1,881.07	-	1,881.07
कुल-संसदीय मामले			<b>2021.10</b>	-	<b>2021.10</b>	<b>1,881.07</b>	-	<b>1,881.07</b>



## परिशिष्ट-I-(जारी)

## वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
विधि	2014-	न्याय प्रशासन	18,757.66	-	24,297.08	17,353.53	-	22,115.71
			5,539.42			4,762.18		
	2015-	चुनाव	1,226.04	-	1,226.04	1,152.31	-	1,152.31
	2030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण	112.83	-	112.83	122.49	-	122.49
	2041-	वाहनों पर कर	85.00	-	85.00	75.70	-	75.70
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	79.46	-	79.46	44.03	-	44.03
2230-	श्रम एवं रोजगार	71.22	-	71.22	59.90	-	59.90	
कुल-विधि			20,332.21	-	25,871.63	18,807.96	-	23,570.14
			5,539.42			4,762.18		
उद्योग और वाणिज्य	2851-	ग्राम एवं लघु उद्योग	17,494.32	-	17,494.32	15,375.68	-	15,375.68
	2853-	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	5,404.73	-	5,404.73	5,207.32	-	5,207.32
कुल-उद्योग और वाणिज्य			22,899.65	-	22,899.65	20,583.00	-	20,583.00
कृषि	2029-	भू-राजस्व	-	-	-	309.06	-	309.06
	2250-	अन्य सामाजिक सेवाएं	-	-	-	159.05	-	159.05
	2401-	फसल पैदावार	48,088.94	-	48,088.94	38,502.59	-	38,502.59
	2402-	मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	2,178.23	-	2,178.23
	2403-	पशुपालन	-	-	-	651.82	-	651.82
	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	8,026.71	-	8,026.71	7,621.45	-	7,621.45
	2415-	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	-	-	-	326.83	-	326.83
	2435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	-	-	-	956.64	-	956.64
	2705-	कमान क्षेत्र विकास	2,729.67	-	2,729.67	2,956.54	-	2,956.54
	2851-	ग्राम एवं लघु उद्योग	8,334.05	-	8,334.05	9,750.34	-	9,750.34
कुल-कृषि			67,179.37	-	67,179.37	63,412.55	-	63,412.55
पशु/ भेड़पालन	2403-	पशुपालन	51,328.95	-	51,328.95	47,133.16	-	47,133.16
कुल-पशु/ भेड़पालन			51,328.95	-	51,328.95	47,133.16	-	47,133.16

## परिशिष्ट-I-(जारी)

## वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
राजस्व	2030-	स्टाम्प एवं पंजीकरण	284.35	-	284.35	-	-	-
	2053-	जिला प्रशासन	48,222.67	-	48,222.67	43,518.04	-	43,518.04
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	130.65	-	130.65	110.07	-	110.07
	2250-	अन्य सामाजिक सेवाएं	116.07	-	116.07	114.38	-	114.38
कुल-राजस्व			<b>48,753.74</b>	-	<b>48,753.74</b>	<b>43,742.49</b>	-	<b>43,742.49</b>
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	2408-	खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण	14,312.90	-	14,312.90	13,888.32	-	13,888.32
	3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	966.02	-	966.02	908.43	-	908.43
कुल-खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले			<b>15,278.92</b>	-	<b>15,278.92</b>	<b>14,796.75</b>	-	<b>14,796.75</b>
लोक निर्माण	2059-	लोक निर्माण	60,853.10	-	60,853.10	58,840.02	-	58,840.02
	3054-	सड़कें एवं पुल	22.63	-	22.63	18.29	-	18.29
कुल-लोक निर्माण			<b>60,875.73</b>	-	<b>60,875.73</b>	<b>58,858.31</b>	-	<b>58,858.31</b>
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2210-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2,74,006.26	18.35	2,74,024.61	2,46,258.70	1.30	2,46,260.00
	2211-	परिवार कल्याण	3,207.38	10,773.86	13,981.24	2,971.26	11,773.74	14,745.00
कुल-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			<b>2,77,213.64</b>	<b>10,792.21</b>	<b>2,88,005.85</b>	<b>2,49,229.96</b>	<b>11,775.04</b>	<b>2,61,005.00</b>
समाज कल्याण	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	202.37	-	202.37	179.55	-	179.55
	2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	659.21	-	659.21	613.42	-	613.42
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,663.21	125.42	5,788.63	5,236.25	1,820.05	7,056.30
	2236-	पोषण	4,531.20	6,727.05	11,258.24*	4,156.90	4,194.30	8,351.20
कुल-समाज कल्याण			<b>11,055.99</b>	<b>6,852.46*</b>	<b>17,908.45</b>	<b>10,186.12</b>	<b>6,014.35</b>	<b>16,200.47</b>
आवास एवं शहरी विकास विभाग	2217-	शहरी विकास	6,352.11	-	6,352.11	6,563.96	-	6,563.96
कुल-आवास एवं शहरी विकास विभाग			<b>6,352.11</b>	-	<b>6,352.11</b>	<b>6,563.96</b>	-	<b>6,563.96</b>

(\*) परिशिष्ट में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ₹ 0.01 लाख की कुल वास्तविक भिन्नता।

## परिशिष्ट-I-(जारी)

## वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)								
पर्यटन	3452-	पर्यटन	3,491.69	-	3,491.69	3,342.84	-	3,342.84
<b>कुल-पर्यटन</b>			<b>3,491.69</b>	<b>-</b>	<b>3,491.69</b>	<b>3,342.84</b>	<b>-</b>	<b>3,342.84</b>
वन	2402-	मृदा एवं जल संरक्षण	5,066.90	-	5,066.90	4,782.06	-	4,782.06
	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	71,584.24	-	71,584.24	66,576.62	-	66,576.62
	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	3,049.96	-	3,049.96	2,810.63	-	2,810.63
<b>कुल-वन</b>			<b>79,701.10</b>	<b>-</b>	<b>79,701.10</b>	<b>74,169.31</b>	<b>-</b>	<b>74,169.31</b>
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2700-	मुख्य सिंचाई	435.99	-	435.99	350.80	-	350.80
	2701-	मध्यम सिंचाई	2,923.37	-	2,923.37	2,792.07	-	2,792.07
	2702-	लघु सिंचाई	33,205.60	-	33,205.60	32,666.50	-	32,666.50
	2711-	बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह	9,253.61	-	9,253.61	8,803.45	-	8,803.45
<b>कुल-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</b>			<b>45,818.57</b>	<b>-</b>	<b>45,818.57</b>	<b>44,612.82</b>	<b>-</b>	<b>44,612.82</b>
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2055-	पुलिस	475.12	-	475.12	579.42	-	579.42
	2215-	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,02,926.76	-	1,02,926.76	1,02,502.13	-	1,02,502.13
<b>कुल-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी</b>			<b>1,03,401.88</b>	<b>-</b>	<b>1,03,401.88</b>	<b>1,03,081.55</b>	<b>-</b>	<b>1,03,081.55</b>
आतिथ्य और प्रोटोकॉल	2055-	पुलिस	1,508.46	-	1,508.46	1,818.18	-	1,818.18
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,185.14	-	2,185.14	2,036.75	-	2,036.75
	2216-	आवास	3,932.31	-	3,932.31	3,751.61	-	3,751.61
<b>कुल-आतिथ्य और प्रोटोकॉल</b>			<b>7,625.91</b>	<b>-</b>	<b>7,625.91</b>	<b>7,606.54</b>	<b>-</b>	<b>7,606.54</b>
श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2058-	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2,939.14	-	2,939.14	2,936.09	-	2,936.09
	2230-	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	3,017.69	-	3,017.69	3,300.85	-	3,300.85
<b>कुल-श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण</b>			<b>5,956.83</b>	<b>-</b>	<b>5,956.83</b>	<b>6,236.94</b>	<b>-</b>	<b>6,236.94</b>
मत्स्यपालन	2405-	मत्स्यपालन	8,913.03	-	8,913.03	8,302.85	-	8,302.85
<b>कुल-मत्स्यपालन</b>			<b>8,913.05</b>	<b>-</b>	<b>8,913.05</b>	<b>8,302.85</b>	<b>-</b>	<b>8,302.85</b>

## परिशिष्ट-I-(जारी)

## वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
<b>व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी)</b>								
उच्चतर शिक्षा	2202-	सामान्य शिक्षा	53,249.25	-	53,249.25	49,045.48	-	49,045.48
	2203-	तकनीकी शिक्षा	1,767.35	-	1,767.35	1,600.92	-	1,600.92
<b>कुल-उच्चतर शिक्षा</b>			<b>55,016.60</b>	<b>-</b>	<b>55,016.60</b>	<b>50,646.40</b>	<b>-</b>	<b>50,646.40</b>
ग्रामीण विकास	2236-	पोषण	512.70	-	512.70	558.19	-	558.19
	2501-	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	2,791.96	-	2,791.96	2,229.09	-	2,229.09
	2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	41,246.02	-	41,246.02	37,000.74	-	37,000.74
<b>कुल-ग्रामीण विकास</b>			<b>44,550.68</b>	<b>-</b>	<b>44,550.68</b>	<b>39,788.02</b>	<b>-</b>	<b>39,788.02</b>
परिवहन	2041-	वाहनों पर कर	1,640.02	-	1,640.02	1,409.42	-	1,409.42
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,952.95	-	3,952.95	3,767.00	-	3,767.00
<b>कुल-परिवहन</b>			<b>5,592.97</b>	<b>-</b>	<b>5,592.97</b>	<b>5,176.42</b>	<b>-</b>	<b>5,176.42</b>
जनजातीय मामले	2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,252.86	-	1,252.86	1,200.97	-	1,200.97
	<b>कुल-जनजातीय मामले</b>			<b>1,252.86</b>	<b>-</b>	<b>1,252.86</b>	<b>1,200.97</b>	<b>-</b>
संस्कृति	2202-	शिक्षा	346.86	-	346.86	322.05	-	322.05
	2205-	कला और संस्कृति	1,812.40	-	1,812.40	1,728.80	-	1,728.80
	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	36.41	-	36.41	62.82	-	62.82
<b>कुल-संस्कृति</b>			<b>2,195.67</b>	<b>-</b>	<b>2,195.67</b>	<b>2,113.67</b>	<b>-</b>	<b>2,113.67</b>
उद्यान कृषि	2236-	पोषण	-	-	-	385.57	-	385.57
	2401-	फसल पैदावार	9,987.16	-	9,987.16	8,531.12	-	8,531.12
	2435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	2,422.64	-	2,422.64	2,350.00	-	2,350.00
<b>कुल-उद्यान कृषि</b>			<b>12,409.80</b>	<b>-</b>	<b>12,409.80</b>	<b>11,266.69</b>	<b>-</b>	<b>11,266.69</b>

## परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(समाप्त)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
								(₹ लाख में)
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(समाप्त)								
आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण	2055-	पुलिस	17,700.11	-		14,666.59	-	14,666.59
	2235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	20.84	-		20.15	-	20.15
	2245-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	74.41			59.67	12.93	72.60
कुल-आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण			17,795.36			14,746.41	12.93	14,759.34
युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा	2203-	तकनीकी शिक्षा	9,611.01	-		8,829.23	-	8,829.23
	2204-	खेल और युवा सेवाएं	29,449.93	-		26,960.43	-	26,960.43
	2230-	श्रम एवं रोजगार	993.22	-		860.26	-	860.26
कुल-युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा			40,054.16	-		36,649.92	-	36,649.92
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,064.10	-		952.45	-	952.45
	कुल-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		1,064.10	-		952.45	-	952.45
सहकारी	2425-	सहकारिता	4,317.56	-		3,976.28	-	3,976.28
	कुल-		4,317.56	-		3,976.28	-	3,976.28
कुल-वेतन पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)			25,56,548.63*	43,821.31	26,07,678.80	23,61,035.03	17,802.32	23,85,025.97
व्यय शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)-								
योजना	4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	16.53	-	16.53
	कुल-योजना		-	-	-	16.53	-	16.53
	कुल-वेतन पर व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)		-	-	-	16.53	-	16.53
कुल-योग-वेतन पर व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत लेखा)			25,56,548.63*	43,821.31	26,07,678.80	23,61,051.56	17,802.32	23,85,042.50
			7,308.86			6,188.62		

(\*) परिशिष्ट में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ₹ 0.01 लाख की कुल वास्तविक भिन्नता।

## परिशिष्ट-II

## सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल
व्यय शीर्ष- (राजस्व लेखा)								(₹ लाख में)
कृषि	2402-101-0016	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण पर सहायिकी	-	-	-	-	19.27	19.27
		कुल-कृषि	-	-	-	-	19.27	19.27
		कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	-	-	-	-	19.27	19.27
व्यय शीर्ष- (पूँजीगत लेखा)-								
कृषि	4401-103-0081	बीजों के क्रय पर सहायिकी	-	-	-	-	-	-
	4401-103-2221	तिलहनों के विकास पर सहायिकी	-	-	-	-	7.25	7.25
	4401-108-2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर सहायिकी	-	-	-	-	486.58	486.58
	4401-113-0054	उन्नत कृषि सुधारों पर सहायिकी	-	-	-	-	30.88	30.88
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	4401-800-2417	कृषि विस्तारण एवं प्रशिक्षण पर सहायिकी	-	-	-	-	4.00	4.00
	4401-800-2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सहायिकी	-	-	-	-	8.73	8.73
	4401-800-2449	कृषि सिंचाई योजना पर सहायिकी	-	13.70	13.70	-	1,553.27	1,553.27
	4402-101-0016	मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी	-	580.17	580.17	-	46.30	46.30
		कुल-कृषि	-	593.87	593.87	-	2,137.01	2,137.01

## परिशिष्ट-II

## सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2021-22			2020-21		
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित)	कुल
व्यय शीर्ष- (राजस्व लेखा)								(₹ लाख में)
उद्यान कृषि	4401-119-2381	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी	-	-	-	-	-	-
	4401-119-2415	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी	-	8,871.89	8,871.89	-	10,483.20	10,483.20
	4401-800-0222	राष्ट्रीय उद्यान कृषि निर्माण कार्यक्रम पर सहायिकी	-	-	-	9.99	-	9.99
		कुल- उद्यान कृषि	-	8,871.89	8,871.89	9.99	10,483.20	10,493.19
परिवहन	5055-102-1317	पुराने बेड़े के पुनर्स्थापन पर सहायिकी	50.00	-	50.00	175.00	-	175.00
		कुल-परिवहन	50.00	-	50.00	175.00	-	175.00
		कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	50.00	9,465.76	9,515.76	184.99	12,620.21	12,805.20
		कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा)	50.00	9,465.76	9,515.76	184.99	12,639.48	12,824.47

## परिशिष्ट-III

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान											
(संस्थान-वार और योजना-वार)											
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2021-22			परिसंपत्तियों		2020-21			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(₹ लाख में)											
जम्मू नगरपालिका	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	20,527.50	-	20,527.50	-	20,345.63	-	20,345.63	-	-
श्रीनगर नगरपालिका	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	18,316.20	-	18,316.20	-	29,869.20	-	29,869.20	-	-
शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	15,284.61	-	15,284.61	-	23,095.83	-	23,095.83	-	-
शहरी स्थानीय निकाय, जम्मू	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	10,317.99	-	10,317.99	-	12,536.39	-	12,536.39	-	-
शहरी विकास	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	178.07	-	178.07	-	69.24	-	69.24	-	-
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	838.60	-	838.60	-	985.27	-	985.27	-	-
राष्ट्रीय ग्रामिण आजीविका मिशन	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	-	3,851.24	3,851.24	-	-	-	-	-	-
आदिवासी उपयोजना	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	टीएसपी	-	2,112.98	2,112.98	-	-	-	-	-	-
डल विकास	बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल	सामान्य	1,908.04	-	1,908.04	-	3,250.00	-	3,250.00	-	-

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी थी (जुलाई 2022)।



## परिशिष्ट-III-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान										
(संस्थान-वार और योजना-वार)										
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2021-22			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	2020-21			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	बजटीय सहायता	सामान्य	26,587.00	-	26,587.00	-	26,300.32	-	26,300.32	-
विश्वविद्यालय कश्मीर	बजटीय सहायता	सामान्य	9,669.75	-	9,669.75	-	12,329.52	-	12,329.52	-
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	बजटीय सहायता	सामान्य	2,156.00	-	2,156.00	-	2,879.50	-	2,879.50	-
जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद	बजटीय सहायता	सामान्य	2,375.00	-	2,375.00	-	510.00	-	510.00	-
जम्मू एवं कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	बजटीय सहायता	सामान्य	1,545.00	-	1,545.00	-	2,243.25	-	2,243.25	-
जम्मू विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	19,700.00	-	19,700.00	-	20,102.86	-	20,102.86	-

(₹ लाख में)

## परिशिष्ट-III-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान										
(संस्थान-वार और योजना-वार)										
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2021-22			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	2020-21			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)										
कश्मीर विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	28,000.00	-	28,000.00	-	26,500.00	-	26,500.00	-
अन्य विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	8,662.72	-	8,662.72	-	7,532.13	-	7,532.13	-
गैर-सरकारी महाविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	4,386.94	-	4,386.94	-	4,869.53	-	4,869.53	-
गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान	बजटीय सहायता	सामान्य	-	-	-	-	1,416.61	64,004.14	65,420.75	-
सरकारी शैक्षणिक	बजटीय	सामान्य	6,070.62	50,465.98	56,536.60	-	-	-	-	-
अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	-	700.00	700.00	-	131.11	-	131.11	-
विविध विकास प्राधिकरण	बजटीय सहायता	सामान्य	7,107.83	-	7,107.83	-	6,843.31	-	6,843.31	-
प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान	बजटीय सहायता	सामान्य	2,238.84	-	2,238.84	-	1,978.22	-	1,978.22	-
जेएण्डके राज्य उच्च न्यायालय/ राज्य विधिक	बजटीय सहायता	सामान्य	1,492.45	263.58	1,756.03	-	1,220.64	-	1,220.64	-

## परिशिष्ट-III-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान										
(संस्थान-वार और योजना-वार)										
प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2021-22			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)	2020-21			परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क)
			संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(₹ लाख में)										
समाज कल्याण	मरकज बहबूदी खवातीन मिस्कीन बाग की स्थापना	सामान्य	246.42	-	246.42	-	25.00	-	25.00	-
	गुज्जर एवं बकरवाल आवास मिस्कीन बाग	सामान्य	26.32	-	26.32	-	148.24	-	148.24	-
जम्मू एवं कश्मीर पावर कम्पनियां*	संचारण और वितरण	सामान्य	1,18,823.19	-	1,18,823.19	-	2,75,998.04	-	2,75,998.04	-
सहकारिता	बजटीय सहायता	सामान्य	450.00	-	450.00	-	125.00	-	125.00	-
एकीकृत बाल विकास	बजटीय सहायता		724.81	14,691.43	15,416.24	-	3,889.25	56,603.85	60,493.10	-
युवा मिशन	बजटीय सहायता		553.70		553.70					
चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान	आयुष/ एनआरएचएम/ नये चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्यान्वयन	सामान्य	7,441.63	56,644.74	64,086.37	-	3,889.25	56,603.85	60,493.10	-
अन्य	बजटीय सहायता	सामान्य	36,735.29	5,991.94	42,727.23	-	31,835.63	15,549.53	47,385.16	-
		<b>कुल</b>	<b>3,52,363.52</b>	<b>1,34,721.89</b>	<b>4,87,085.41</b>	<b>\$</b>	<b>5,17,028.72</b>	<b>1,36,157.52</b>	<b>6,53,186.24</b>	<b>-</b>

(₹) पूंजीगत व्यय से प्राप्त ₹ 6,359.85 लाख सम्मिलित हैं।

(\*) जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन ₹ 943.92 लाख, जम्मू पावर डिस्कॉम ₹ 38,945.03 लाख, कश्मीर पावर डिस्कॉम ₹ 55,529.74 लाख और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ₹ 23,404.50 लाख।

## परिशिष्ट-IV

## बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						पुनर्भुगतान की गयी राशि		व्यय		
		अनुदान	ऋण	कुल	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	
					अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल					
															(₹ लाख में)
एशियन विकास बैंक	2151-जेएण्डके में अवसंरचना पुनर्वास हेतु आईएनडी बहुक्षेत्रक परियोजना	1,01,250.00	11,250.00	1,12,500.00	-	-	-	1,08,982.80	12,109.20	1,21,092.00	(क)	(क)	-	1,21,092.00	
एशियन विकास बैंक	2331-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-1	16,740.00	1,860.00	18,600.00	-	-	-	18,282.11	2,031.35	20,313.46	(क)	(क)	-	20,313.46	
एशियन विकास बैंक	2925-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-I एवं II	42,750.00	4,750.00	47,500.00	-	-	-	45,720.37	5,080.04	50,800.41	(क)	(क)	-	50,800.41	

(क) सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022) थी।

## परिशिष्ट-IV-(समाप्त)

बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण-(समाप्त)														
सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						पुनर्भुगतान की गयी राशि		व्यय	
					वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक
		अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल				
														(₹ लाख में)
एशियन विकास बैंक	3132-आईएनडी जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-III	3,240.00	3,600.00	36,000.00	-	-	-	26,522.86	2,950.32	29,503.18			-	29,503.18
अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन	5695-आईएन झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना	(क)	(क)	(क)	-	-	-	(क)	(क)	(क)	(क)	(क)	(क)	(क)

(क) सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022) थी।

परिशिष्ट-V										
योजनाओं पर व्यय										
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)										
क्र. सं.	जीओआई (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान : संघ शासित क्षेत्र	व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	सामान्य/जनजातीय उप योजना/अनुसूचित जाति उप योजना	बजट प्रावधान 2021-22 (क)			वास्तविक 2021-22 (क)			
				जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल	व्यय			
							जीओआई निर्माण (ख)	जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल
(₹ लाख में)										
1	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अवसरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	पीएमएबीवाई	सामान्य				1,611.00			
2	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज	स्वास्थ्य					318.00			
3	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण) (90:10)	आवास	सामान्य				12,000.00			
4	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-शहरी) (90:10)	आवास	सामान्य				2,798.10			
5	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (90:10)	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	सामान्य				1,287.03			
6	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	पीएमएमएसवाई	सामान्य				1,493.26			
7	100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन (90:10)	आवास	सामान्य				13,600.00			
8	राज्य/ यूटी घटक-पीएमएवाई शहरी की अन्य मदें	आवास	सामान्य				14,653.46			
9	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-500 शहर (90:10)	आवास	सामान्य				10,587.75			
10	औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण	पीएचवाई/ टीईसीएच	सामान्य				88.00			
11	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (100)	आरजीडबल्यूवाई	सामान्य				4,000.00			
12	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निशक्तता पेन्शन योजना	निशक्तता पेन्शन योजना	सामान्य				67.47			
13	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	वृद्धावस्था पेन्शन योजना	सामान्य				3,506.85			
14	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना	विधवा पेन्शन योजना	सामान्य				202.40			
15	मध्याह्न भोजन (90:10)	मध्याह्न भोजन	सामान्य				12,221.88			
16	समग्र शिक्षा (90:10)	उच्चतर शिक्षा	सामान्य				95,498.01			
(क)	पूरे परिशिष्ट में सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022)									
(ख)	पूरे परिशिष्ट में आँकड़े वित्त लेखा 2021-22 के विवरण संख्या 14 से लिए गए हैं।									

परिशिष्ट-V-(जारी)										
योजनाओं पर व्यय-(जारी)										
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)-(जारी)										
क्र. सं.	जीओआई (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान : संघ शासित क्षेत्र	व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	सामान्य/जनजातीय उप योजना/अनुसूचित जाति उप योजना	बजट प्रावधान 2021-22 (क)			वास्तविक 2021-22 (क)			
				जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल	जीओआई निर्माण (ख)	जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल
(₹ लाख में)										
17	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	परिवार लाभ योजना	सामान्य				33.27			
18	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (90:10)	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	सामान्य				341.00			
19	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	जनजातीय	जनजातीय				200.00			
20	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (90:10)	एनआरएचएम	सामान्य				55,337.98			
21	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)-राज्य घटक (90:10)	आवास	सामान्य				624.53			
22	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) 90:10	योजना	सामान्य				11,679.20			
23	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	सिंचाई	सामान्य				2,000.00			
24	सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण (अम्ब्रेला आईसीडीएस- आंगनवाड़ी सेवाएँ किशोर बालिकाओं हेतु पोषण अभियान योजना राष्ट्रीय शिशुशाला योजना)	आईसीडीएस	सामान्य				40,573.74			
25	सामर्थ्य (बीबीबीपी शिशुशाला पीएमएमवीवाई लिंग बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण इत्यादि)	सामर्थ्य	सामान्य				380.31			
26	एमजीएनआरईजीए (90:10)	एनआरईजीए	सामान्य				9,524.24			
27	न्यायपालिका के विकास हेतु अवसंरचना सुविधाएं (90:10)	न्यायपालिका के विकास हेतु अवसंरचना सुविधाएं	सामान्य				2,000.00			
28	एससी के लिए उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति (90:10)	एससी के लिए उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति	सामान्य				5.00			
29	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (90:10)	एनआरएलएम	सामान्य				11,608.02			
30	राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (90:10)	आयुष	सामान्य				1,313.10			
31	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) (90:10)	उच्चतर शिक्षा	सामान्य				78.67			
32	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (90:10)	कृषि	सामान्य				271.59			
33	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन (90:10)	कृषि	सामान्य				6,775.00			
34	कृषि यंत्रिकरण पर उप-मिशन (एसएमएमएम) (90:10)	कृषि	सामान्य				1,400.00			
35	केंद्रीय सड़क निधि (100)	पीडबल्यूडी (आरएण्डबी)	सामान्य				32,078.00			

परिशिष्ट-V-(जारी)											
योजनाओं पर व्यय-(जारी)											
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)-(जारी)											
क्र. सं.	जीओआई (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान : संघ शासित क्षेत्र	व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	सामान्य/जनजातीय उप योजना/अनुसूचित जाति उप योजना	बजट प्रावधान 2021-22 (क)			वास्तविक 2021-22 (क)				
				जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल	जीओआई निर्मोचन (ख)	व्यय			कुल (ख)
								जीओआई अंश	संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	कुल (ख)	
(₹ लाख में)											
36	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	गृह	सामान्य				166,610.00				
37	पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण	एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण	सामान्य				100.00				
38	बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन	कृषि	सामान्य				139.43				
39	तृतीयक देखभाल कार्यक्रम	स्वास्थ्य	सामान्य				2,700.00				
40	प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई) (90:10)	पीएमएवाई	सामान्य				12,342.60				
41	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (90:10)	पीएमजीएसवाई	सामान्य				132,834.46				
42	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	वाटरशेड विकास घटक	सामान्य				1,186.99				
43	संस्थागत प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना का सशक्तिकरण	कौशल विकास	सामान्य				5,876.00				
44	ओबीसी ईबीसी तथा डीएनटी के लिए उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति-पीएम यशस्वी	ओबीसी					530.25				
45	एससी छात्रों के लिए पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	एससी	सामान्य				23.00				
46	ओबीसी ईबीसी तथा डीएनटी के लिए पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति-पीएम यशस्वी	ओबीसी					80.00				
47	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण-II	स्वास्थ्य					27,848.00				
48	महिलाओं की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन (निर्भया निधि)	महिलाओं की सुरक्षा	सामान्य				263.50				
49	पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता पीएम-एफएमई	खाद्य प्रसंस्करण					125.07				
50	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	एससी हेतु छात्रवृत्ति					615.63				
51	नागरिक अधिकार अधिनियम 1995 तथा अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 (डीएमए) के प्रवर्तन हेतु मशीनरी का सशक्तिकरण						93.20				
52	मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा सेवाएँ तथा बाल कल्याण सेवाएँ)	सीपीएस					1,929.69				





<b>परिशिष्ट-V -(जारी)</b>
<b>योजनाओं पर व्यय-(जारी)</b>
<b>ख-संघ शासित क्षेत्र योजनाएं-(जारी)</b>

संघ शासित क्षेत्र/ जीओआई योजनाएं अनुदान विवरण:

क्र. सं. योजना का नाम-	(₹ लाख में)
1 राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन	6,775.00
2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	271.59
3 कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन	1,400.00
4 बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन	139.43
5 पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता पीएम-एफएमई	125.07
6 भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण-II	27,848.00
7 भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज ईएसी	318.00
8 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	1,611.00
9 तृतीयक देखभाल कार्यक्रम	2,700.00
10 राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	1,313.10
11 राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन (एनआरएचएम)	55,337.98
12 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	341.00
13 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूसए)	78.67
14 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1,66,610.00
15 न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	2,000.00
16 महिलाओं की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन (निर्भया निधि)	263.50
17 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण)	12,000.00
18 पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण	100.00
19 राष्ट्रीय पशुधन मिशन	1,287.03
20 प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	1,493.26
21 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	13,600.00
22 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-राज्य घटक	624.53

<b>परिशिष्ट-V -(जारी)</b>
<b>योजनाओं पर व्यय-(जारी)</b>
<b>ख-संघ शासित क्षेत्र योजनाएं-(जारी)</b>

संघ शासित क्षेत्र/ जीओआई योजनाएं अनुदान विवरण:- (जारी)

क्र. सं. योजना का नाम-

	(₹ लाख में)
23 राज्य/ यूटी घटक-पीएमएवाई शहरी की अन्य मदें	14,653.00
24 स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-शहरी)	2,798.10
25 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-500 शहर	10,587.75
26 संस्थागत प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना का सशक्तिकरण	5,876.00
27 औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण	88.00
28 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	4,000.00
29 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निशक्तता पेन्शन योजना	67.47
30 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	3,506.85
31 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना	202.40
32 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीए)	9,524.24
33 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	33.27
34 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	11,608.02
35 प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण	12,342.60
36 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	1,32,834.46
37 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	1,186.99
38 मध्याह्न भोजन (एमडीएम)	12,221.88
39 समग्र शिक्षा	95,498.01
40 ओबीसी ईबीसी तथा डीएनटी के लिए उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति-पीएम यशस्वी	530.25
41 एससी के लिए उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति	5.00
42 प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	615.63
43 ओबीसी ईबीसी तथा डीएनटी के लिए पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति-पीएम यशस्वी	80.00
44 एससी छात्रों के लिए पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	23.00

परिशिष्ट-V -(समाप्त)		
योजनाओं पर व्यय-(समाप्त)		
ख-संघ शासित क्षेत्र योजनाएं-(समाप्त)		
संघ शासित क्षेत्र/ जीओआई योजनाएं अनुदान विवरण:- (समाप्त)		
क्र. सं.	योजना का नाम-	
	(₹ लाख में)	
45	नागरिक अधिकार अधिनियम 1995 तथा अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 (डीएमए) के प्रवर्तन हेतु मशीनरी का सशक्तिकरण	93.20
46	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	200.00
47	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	11,679.20
48	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	2,000.00
49	मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा सेवाएँ तथा बाल कल्याण सेवाएँ)	1,929.69
50	सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण (अम्ब्रेला आईसीडीएस- आंगनवाड़ी सेवाएँ किशोर बालिकाओं हेतु पोषण अभियान योजना राष्ट्रीय शिशुशाला योजना)	40,573.74
51	सामर्थ्य (बीबीबीपी शिशुशाला पीएमएमवीवाई लिंग बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण इत्यादि)	380.31
	<b>कुल योग</b>	<b>6,71,376.69 <sup>(क)</sup></b>

(क) 31 मार्च 2021 को संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्माचित ₹ 18,685.06 लाख सम्मिलित है परंतु 01 अप्रैल 2021 को सरकारी खाते में क्रेडिट किए गए।

## परिशिष्ट-VI

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2021-22 (क)	2020-21	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)
योजना का नाम		(₹ लाख में)		
स्व रोजगार और प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)	विभिन्न सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	336.00	110.00	24.00
एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों और एफपीएस डीलर मार्जिन की अंतर्राज्यीय गतिशीलता हेतु राज्य एजेन्सियों को सहायता	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	4,750.57	13,784.68	-
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	महिलाओं के लिए सरकारी महाविद्यालय, एमए रोड, श्रीनगर, एसकेआईएसएस, सौरा, श्रीनगर	-	68.00	-
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	विभिन्न उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	-	320.52	141.90
स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु अवसंरचना का विकास	चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	32.19	47.99	42.20
नर्सिंग सेवाओं का विकास	जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न नर्सिंग विद्यालय	-	1,125.00	2,625.00
आर्थिक जनगणना	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर	-	-	18.90
स्थापना व्यय (ईएफ & सीएल)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जम्मू एवं कश्मीर	138.46	-	-
जोनोटिक रोगों और अन्य नेगेलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के नियंत्रण और तैयारी हेतु एनसीडीसी शाखाओं और स्वास्थ्य पहल अंतर क्षेत्रीय समन्वयन का सशक्तिकरण और स्थापना वायरल हेपेटाइटिस एन्टी माइक्रोबियल रिजिस्टेंस की निगरानी	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू/ श्रीनगर	-	3.96	-
ई-न्यायालय चरण-II	महा पंजीयक, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय	-	100.12	-
अनुसंधान संस्थानों इत्यादि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ती अनुसंधान परियोजनाएं	सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, जम्मू	-	9.00	-

(क) आँकड़े दिनांक 12.04.2022 को अडनलोड किये गये महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

## परिशिष्ट-VI-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियों) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2021-22 (क)	2020-21	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)
योजना का नाम		(₹ लाख में)		
अनुसंधान संस्थानों इत्यादि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजनाएं	सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, जम्मू	-	-	5.65
उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी तथा जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	उच्चतर शिक्षा, जम्मू एवं कश्मीर	17.52	6.54	-
मानव संसाधन तथा क्षमता विकास	सरकारी चिकित्सा अस्पताल, जम्मू	124.26	-	-
स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं हेतु मानव संसाधन विकास	सरकारी चिकित्सा अस्पताल, जम्मू			
कृषि संगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उत्पादन विभाग	207.17	313.78	-
लोक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	64.80	45.42	68.14
नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिणियोजन	जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	20.26	198.60	-
अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजनाएं	जिला विकास आयुक्त, बडगाम	-	103.58	-
पंचायत का प्रोत्साहनीकरण	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	-	60.00	5.00
सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न जिला उपायुक्त	1,300.00	2,250.00	2,000.00
राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरएफ से वित्त पोषित	परिवहन उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	-	20.00	-
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता तथा जिला योजना प्रक्रिया का सशक्तिकरण	क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र, बडगाम	16.61	-	-
राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम	सरकारी चिकित्सा अस्पताल, जम्मू	22.00	-	-
वन स्टॉप सेन्टर	उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	-	218.84	73.36
धारणीय हेतु आधिकारिक विकास सहायता	एसपीवी-आकांक्षा-बारामूला/ कुपवाड़ा	1,602.40	-	-
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	-	750.11	1,204.84
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	66,458.12	70,883.40	26,362.32
प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना-मेगा फूड पार्क	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	-	150.00	-
पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज पीएम-एफएमई	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	2.33	668.64	-

## परिशिष्ट-VI-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण				
(संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)				
जीओआई योजना	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ	2021-22 (क)	2020-21	2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)
योजना का नाम		(₹ लाख में)		
मूल्य अनुवीक्षण संरचना	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर		3.42	-
प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों हेतु राहत और पुनर्वास	जम्मू एवं कश्मीर के उपायुक्त/ अपर उपायुक्त	12.00	-	26.50
अल्पसंख्यकों हेतु विकास योजनाओं का अनुसंधान/ अध्ययन, प्रचार, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन	सरकारी डिग्री महाविद्यालय सोपोर, कश्मीर	2.50	2.50	-
अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	373.15	104.65	954.66
सामर्थ्य (बीबीबीबी शिशुगृह पीएमएमवीवाई लिंग बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	4,037.77	-	-
दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं	अवर सचिव, दिव्यांगजनों हेतु आयुक्त, जम्मू	-	-	0.30
संबल (वन स्टॉप सेन्टर महिला पुलिस स्वयंसेवक महिला हेल्पलाइन स्वाधार उज्ज्वला विधवा आवास इत्यादि)	विभिन्न वन स्टॉप केंद्र	388.85	-	-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	सरकारी डिग्री महाविद्यालय	42.27	13.50	-
लोक वितरण प्रणाली परिचालनों का सशक्तिकरण	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	-	-	1.35
पीडीएस के अंतर्गत भुगतान योग्य चीनी सहायिकी	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	254.13	208.26	-
सांख्यिकी सशक्तिकरण हेतु सहायता	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर	-	137.75	-
महिला हैल्प लाइन	उपायुक्त, जम्मू	-	60.07	-
अन्य		0.25	-	-
	<b>कुल</b>	<b>80,203.61 (ख)</b>	<b>91,768.33</b>	<b>33,554.12</b>

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्माचित ₹ 3,99,276.12 लाख की कुल राशि में से ₹ 80,203.61 लाख की राशि जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों तथा ₹ 3,19,072.50 लाख की राशि सरकार के विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों/ अन्य अधिष्ठानों को हस्तांतरित की गयी है। कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-1 के पैरा 3 (xvi) (क) का संदर्भ लें।

## परिशिष्ट-VII

(क) शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में प्रदर्शित है)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष और संस्थान का नाम	प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित हैं	अंतर की राशि
----------	------------------------------	----------------------------------	--	--------------

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों को ऋण के अधीनस्थ लघु शीर्ष 201-आवास निर्माण अग्रिम और 202-मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम के विस्तृत लेखा को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। शेषों को अभी तक संबंधित ऋणियों को सूचित किया जाना है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक के शेषों को अभी भी दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।



## परिशिष्ट-VII-(समाप्त)

(ख) शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में प्रदर्शित है)

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष जिससे अंतर संबंधित हैं	अंतर की राशि	विभागीय अधिकारी/ कोषागार अधिकारी जिनके साथ अंतर समाधानाधीन है	प्रतीक्षित दस्तावेज/ विवरण इत्यादि का ब्योरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ लाख में)				
<b>7610- सरकारी सेवकों को ऋण-</b>				
201- आवास निर्माण अग्रिम	2002-03	1.30	सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान
202- मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	2002-03	7.64	सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान

## परिशिष्ट-VIII

## सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(बॉलड में आकड़े यूटी जम्मू एव कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों का दर्शाते हैं)

क्र. सं.	परियोजना का नाम\$	वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्च और अनुरक्षण			ब्याज रहित निवल राजस्व		ब्याज प्राप्ति के पश्चात् निवल लाभ या हानि					
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	वर्ष के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ	प्रत्यक्ष#	अप्रत्यक्ष	कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रत्यक्ष व्यय (+) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(₹ लाख में)																					
1	कठुआ फीडर नहर	-	-	-	1,828.32	420.51	2,248.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	प्रताप नहर	-	-	-	5,142.94	3,729.50	8,872.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	रणबीर नहर	-	-	-	16,456.77	3,614.74	20,071.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	मार्तण्ड नहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1,770.62	407.25	2,177.87														

\$ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

# कॉलम 14 के अंतर्गत आँकड़ों को एम एच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701- "मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

## परिशिष्ट-VIII-(समाप्त)

## सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम-(समाप्त)

(बोर्ड में आंकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

क्र. सं.	परियोजना का नाम\$	वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्च और अनुरक्षण			ब्याज रहित निवल राजस्व		ब्याज प्राप्त के पश्चात् निवल लाभ या हानि				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्तियाँ	अप्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	कुल	वर्ष के दौरान कुल राजस्व	वर्ष के दौरान कुल खर्च	प्रत्यक्ष#	अप्रत्यक्ष	कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रत्यक्ष व्यय (+) पर राजस्व	वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹ लाख में)																				
5	जैनगौर नहर	-	-	-	8.75	2.01	10.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					773.54	51.45	824.99													
6	आजी नहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,610.55	370.43	1,980.98													
7	दादी नहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,395.68	64.44	2,460.12													
	कुल	-	-	-	8.75	2.01	10.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					29,978.42	8,658.32	38,636.74													

\$ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

# कॉलम 14 के अंतर्गत आंकड़ों को एमएच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701-"मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

## परिशिष्ट-IX

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर</b>											
1	आहिल चतरहम्मा	390.09	2017-18	2018-19	2021-22	80	20.02	316.49	73.60	-	
2	बदरकुंड	399.28	2017-18	2018-19	2021-22	70	28.73	287.95	111.33	-	
3	गोजूर पट्टी तेलई बस्ती वौसान	362.26	2017-18	2018-19	2021-22	65	40.00	245.99	116.27	-	
4	रायल गूंड़ो	354.56	2017-18	2018-19	2021-22	50	0.72	172.27	182.29	-	
5	ज्वलपोरा	331.48	2017-18	2018-19	2021-22	70	21.48	242.50	88.98	-	
6	लबर्टल चांदपोरा	174.46	2017-18	2018-19	2021-22	70	-	133.61	40.85	-	
7	न्यू कॉलोनी मममठ	111.94	2017-18	2018-19	2021-22	40	-	86.75	25.19	-	
8	रसू	340.67	2017-18	2018-19	2021-22	80	13.84	275.49	65.18	-	
9	उन्नयन त्जान	229.50	2017-18	2018-19	2021-22	85	-	224.33	5.17	-	
10	अमीरपोरा नंबली	440.13	2017-18	2018-19	2021-22	75	13.37	387.01	53.12	-	
11	बागी नौगाम	295.39	2017-18	2018-19	2021-22	75	31.16	223.94	71.45	-	
12	ब्रेंटी बटापोरा	744.50	2017-18	2018-19	2021-22	98	49.90	623.86	120.64	-	
13	चाकी ट्रैफ़	196.11	2017-18	2018-19	2021-22	80	-	163.08	33.03	-	
14	खेरबूधी	153.44	2017-18	2018-19	2021-22	85	4.00	140.94	12.50	-	
15	वांगीदार लिङ्गो	394.29	2017-18	2018-19	2021-22	60	1.05	230.14	164.15	-	
16	बटगुंड-ए का विस्तार	293.61	2017-18	2018-19	2021-22	60	19.78	156.68	136.93	-	
17	ब्रिन्नाल का विस्तार	307.29	2017-18	2018-19	2021-22	55	0.34	114.36	192.93	-	
18	चेक पथ	230.51	2017-18	2018-19	2021-22	55	0.32	100.81	129.70	-	
19	चौंटीपोरा भगवानपोरा	585.38	2017-18	2018-19	2021-22	85	8.83	461.95	123.43	-	
20	बोनागम डब्ल्यूएसएस बकरवाल में उत्पादन कुएं और संबद्ध संरचना का निर्माण	195.87	2017-18	2018-19	2021-22	65	10.20	110.53	85.34	-	
21	काचीपोरा बागठपोरा	266.32	2017-18	2018-19	2021-22	55	19.45	96.98	169.34	-	
22	काचीपोरा फतेहपोरा	303.59	2017-18	2018-19	2021-22	40	0.73	140.35	163.24	-	

(§) परिशिष्ट भर में सूचना सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई (जुलाई 2022)।

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
<b>(क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर-(जारी)</b>											
23	लिस्सार गूज्जर बस्ती	167.32	2017-18	2018-19	2021-22	75	1.98	90.52	76.80	-	
24	पहलू किलाम	256.76	2017-18	2018-19	2021-22	60	3.69	153.48	103.28	-	
25	तंजीलू	243.39	2017-18	2018-19	2021-22	90	0.66	155.29	88.10	-	
26	जल्दूरा	154.10	2017-18	2018-19	2021-22	65	2.31	101.20	52.90	-	
27	हस्बूघ	398.96	2017-18	2018-19	2021-22	67	51.97	270.36	128.60	-	
28	नोवपोरा ग्रतबल	337.49	2017-18	2018-19	2021-22	70	5.01	245.53	91.96	-	
29	शाबाशी	179.19	2017-18	2018-19	2021-22	70	20.84	129.96	49.23	-	
30	रामभामा मार्गू	300.51	2017-18	2018-19	2021-22	65	41.00	205.62	94.89	-	
31	सैंड्रो बोगंड	507.20	2017-18	2018-19	2021-22	50	4.85	257.83	249.37	-	
32	शूरतो	388.30	2017-18	2018-19	2021-22	55	2.17	223.43	164.87	-	
33	चांदगाम	352.99	2017-18	2018-19	2021-22	80	32.74	276.06	76.93	-	
34	रेशीपोरा उल्लारी	229.95	2017-18	2018-19	2021-22	75	12.79	158.89	71.06	-	
35	अमीराबाद	249.83	2017-18	2018-19	2021-22	55	18.51	145.48	104.35	-	
36	संवर्द्धन नूरपोरा	333.23	2017-18	2018-19	2021-22	55	13.79	164.21	169.02	-	
37	बदील साहब अरिगम	313.50	2017-18	2018-19	2021-22	50	-	107.38	206.12	-	
38	दूसू	158.17	2017-18	2018-19	2021-22	80	16.80	129.33	28.84	-	
39	सतपूखरेन	160.00	2017-18	2018-19	2021-22	85	5.72	145.47	14.53	-	
40	2 नंबर जल भंडारण टैंक (ओएचटी) जैनपोरा का निर्माण	215.24	2017-18	2018-19	2021-22	85	24.11	197.58	17.66	-	
41	कंडलन	257.89	2017-18	2018-19	2021-22	85	22.83	201.39	56.50	-	
42	नारापोरा	219.78	2017-18	2018-19	2021-22	80	23.37	204.48	15.30	-	
43	राशीपोरा शोपियां	221.47	2017-18	2018-19	2021-22	65	6.09	146.38	75.09	-	
44	मूकदमरिया बक्शीबाल	213.24	2017-18	2018-19	2021-22	60	33.11	128.85	84.39	-	
45	बाबाफ्रीड घरकोटे	242.33	2017-18	2018-19	2021-22	55	8.25	106.52	135.81	-	
46	अरागाम	331.41	2017-18	2018-19	2021-22	65	49.33	184.41	147.00	-	
47	जल योजना आजस का फिल्टरेशन प्लांट	291.46	2017-18	2018-19	2021-22	85	11.39	251.23	40.23	-	

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
<b>(क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर-(जारी)</b>											
48	चेकवाली अब्दुलियान	136.58	2017-18	2018-19	2021-22	80	10.01	115.54	21.04	-	
49	चेक मोहल्ला मार्कोटा	450.96	2017-18	2018-19	2021-22	65	36.62	302.57	148.39	-	
50	वजीरथल द्क़्रम	174.90	2017-18	2018-19	2021-22	60	12.56	102.92	71.98	-	
51	झगमूल्ला	234.70	2017-18	2018-19	2021-22	85	20.62	213.47	21.23	-	
52	कंठपोरा	430.43	2017-18	2018-19	2021-22	70	73.84	318.36	112.07	-	
53	गीरीपोरा	330.38	2017-18	2018-19	2021-22	55	21.08	186.51	143.88	-	
54	वाटरखा	235.33	2017-18	2018-19	2021-22	45	26.35	106.81	128.52	-	
55	बोनापुंछ गुंडो	124.00	2015-16	2016-17	2020-21	85	6.00	115.00	9.00	-	
56	बिकमनारी	170.36	2015-16	2016-17	2020-21	85	-	156.94	13.42	-	
57	नारु	399.81	2015-16	2016-17	2020-21	60	9.60	271.14	128.67	-	
58	गोगोलैंड	233.55	2015-16	2016-17	2020-21	85	0.28	214.75	18.80	-	
59	हांजीगुंडो	254.31	2015-16	2016-17	2020-21	85	1.00	227.65	26.66	-	
60	हंजुरा	327.15	2015-16	2016-17	2020-21	80	-	283.98	43.17	-	
61	पुशेरी	472.00	2015-16	2016-17	2020-21	80	50.35	321.87	150.13	-	
62	डब्ल्यूपएसएस लारन का उन्नयन	503.96	2015-16	2016-17	2020-21	49	20.59	156.66	347.30	-	
63	चीरवाडी डॉडमोह	341.49	2015-16	2016-17	2020-21	70	1.84	239.47	102.02	-	
64	बाबागंड गोनीपोरा	167.50	2015-16	2016-17	2020-21	90	3.06	154.57	12.93	-	
65	यादीपोरा	266.00	2015-16	2016-17	2020-21	70	17.64	219.38	46.62	-	
66	तक्या खान मोहम्मद मंदजी	372.69	2015-16	2016-17	2020-21	30	0.39	198.39	174.30	-	
67	द्रांग	193.00	2015-16	2016-17	2020-21	55	5.81	104.12	88.88	-	
68	लारिधर	251.00	2015-16	2016-17	2020-21	80	20.00	200.69	50.31	-	
69	राकेने	318.96	2015-16	2016-17	2020-21	75	20.39	242.36	76.60	-	
70	नजबल मारकंदल	398.12	2015-16	2016-17	2020-21	55	14.33	141.26	256.86	-	
71	गडडेर	266.00	2015-16	2016-17	2020-21	80	3.73	233.72	32.28	-	
72	बोटाटाचल	254.40	2015-16	2016-17	2020-21	75	15.00	202.11	52.29	-	
73	मुनन्दो	234.26	2015-16	2016-17	2020-21	75	4.90	197.27	36.99	-	

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर-(जारी)</b>											
74	बागवानपोरा	233.86	2015-16	2016-17	2020-21	75	14.68	183.66	50.20	-	-
75	बोनापोरा चेरस फेज-II	195.00	2015-16	2016-17	2020-21	80	3.00	187.09	7.91	-	-
76	हैदरगंड सोफीपोरा	356.42	2015-16	2016-17	2020-21	85	-	320.78	35.64	-	-
77	चानागंड बचिनार	259.26	2015-16	2016-17	2020-21	85	8.00	218.36	40.90	-	-
78	शिशेरमारी वडर	399.37	2015-16	2016-17	2020-21	80	51.40	271.72	127.65	-	-
79	मजीदाबाद	139.33	2015-16	2016-17	2020-21	85	0.20	125.71	13.62	-	-
80	बाबरेसी चीरदार	448.00	2015-16	2016-17	2020-21	60	3.90	260.70	187.30	-	-
81	येमरच दादकट फेज-II	168.84	2015-16	2016-17	2020-21	60	11.85	130.05	38.79	-	-
82	पेठकनिहामा	366.00	2013-14	2014	2020-21	80	-	352.45	13.55	-	-
83	मलशला रानीपोरा	294.00	2012-13	2014	2020-21	80	-	282.98	11.02	-	-
84	शालकट	598.00	2012-13	2014	2020-21	85	-	548.72	49.28	-	-
85	चन	318.20	2012-13	2014	2020-21	75	16.00	249.44	68.76	-	-
86	न्य कॉलोनी नवपोरा	359.00	2012-13	2014	2020-21	85	-	355.80	3.20	-	-
87	शाह मोहल्ला डंगरपोरा	384.28	2013-14	2014	2020-21	85	47.58	335.48	48.80	-	-
88	जगीपोरा	365.23	2009-10	2011	2018-19	85	-	352.28	12.95	-	-
89	शेखपोरा पतलाब	192.22	2012-13	2013	2019-20	85	-	191.51	0.71	-	-
90	करेवा चेतीसिंहपरा	581.06	2012-13	2013	2019-20	70	-	440.63	140.43	-	-
91	ब्रारिआंगन	232.00	2012-13	2013	2019-20	80	17.00	205.95	26.05	-	-
92	हसनपोरा टवैला	294.00	2012-13	2013	2019-20	70	-	229.51	64.49	-	-
93	मौउराह वेहदान	164.27	2012-13	2013	2019-20	75	-	140.24	24.03	-	-
94	केरेवा वाघमा	497.00	2013-14	2014	2020-21	60	48.29	292.18	204.82	-	-
95	क्षेत्रीय डब्ल्यूएसएस वल्लारी	2,514.93	2012-13	2014	2020-21	55	256.48	1,279.90	1,235.03	-	-
96	नयन (गंडी बाबा)	321.00	2012-13	2014	2020-21	50	-	154.40	166.60	-	-
97	नेल्फान	578.00	2012-13	2014	2020-21	80	79.07	480.06	97.94	-	-
98	पेपैल अनंतनाघी	175.00	2013-14	2014	2020-21	40	-	54.47	120.53	-	-
99	प्रकाशस्पोरा	340.00	2012-13	2014	2020-21	85	-	241.26	98.74	-	-
100	क्षेत्रीय पेंट्टीपोरा सिलिगाम	1,927.53	2012-13	2014	2020-21	60	-	1,228.48	699.05	-	-
101	रूपरी दांडीपोरा	216.00	2012-13	2014	2020-21	75	44.44	98.49	117.51	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर-(जारी)</b>											
102	क्षेत्रीय शांगस	1,333.47	2012-13	2014	2020-21	95	69.48	1,048.33	285.14	-	-
103	सेमथाना	554.00	2012-13	2014	2020-21	80	-	450.69	103.31	-	-
104	आरडब्ल्यूएस दचनीपोरा	1,890.00	2013-14	2014	2020-21	50	200.00	932.20	957.80	-	-
105	बाल्यारी	930.00	2012-13	2014	2020-21	0	120.00	601.81	328.19	-	-
106	खताना बस्ती	508.00	2012-13	2014	2020-21	70	22.55	377.61	130.39	-	-
107	करेवा बिजबेहरा	280.00	2010-11	2012	2020-21	70	-	204.52	75.48	-	-
108	अनिचेक	201.00	2012-13	2014	2020-21	70	49.06	153.01	47.99	-	-
109	विदया	163.00	2012-13	2014	2020-21	85	-	161.61	1.39	-	-
110	तेंगपोरा (पंजाथ)	188.44	2012-13	2014	2020-21	90	0.91	187.44	1.00	-	-
111	शेखपोरा गचान	161.75	2012-13	2014	2020-21	75	3.72	108.08	53.67	-	-
112	मंजगाम शेखपोरा	266.50	2012-13	2014	2020-21	45	-	98.42	168.08	-	-
113	शेषतरगाम लोनपोरा	172.00	2012-13	2014	2020-21	85	4.90	110.99	61.01	-	-
114	गटलीगंड	137.40	2012-13	2014	2020-21	85	-	132.09	5.31	-	-
115	हेडवर्ड	133.85	2013-14	2014	2020-21	85	-	133.10	0.75	-	-
116	मंजमोह	172.30	2012-13	2014	2020-21	85	-	146.48	25.82	-	-
117	टंगल चक-ए-वांगंड (लिफ्ट)	234.00	2012-13	2014	2020-21	85	-	174.68	59.32	-	-
118	सी.आर.पोरा	300.00	2013-14	2014	2020-21	70	18.62	128.62	171.38	-	-
119	कांजीकल्ला	223.00	2013-14	2014	2020-21	70	10.11	173.41	49.59	-	-
120	ऑगमेंटेशन चामगंड	210.00	2014-15	2015	2020-21	70	-	167.30	42.70	-	-
121	प्राणहल्ली	142.00	2012-13	2015	2020-21	65	-	93.35	48.65	-	-
122	हंजीपोरा	261.00	2008-09	2010	2020-21	70	14.03	243.69	17.31	-	-
123	फेरोडस कॉलोनी दबगाम	498.00	-	2012	2020-21	70	-	292.86	205.14	-	-
124	ऑगमेंटेशन नोपोरा	289.98	2013-14	2014	2020-21	80	3.00	154.74	135.24	-	-
125	राजपोर लिफ्ट	538.50	2013-14	2014	2020-21	70	-	411.24	127.26	-	-
126	रेशीपोरा कशायारी	606.51	2013-14	2014	2020-21	70	4.70	601.50	5.01	-	-
127	हंजन बाल	390.00	2013-14	2014	2020-21	70	-	283.60	106.40	-	-
128	हरगम राम	676.80	2013-14	2014	2020-21	65	49.49	365.32	311.48	-	-
129	उगर गुंड	175.52	2013-14	2014	2020-21	75	-	153.52	22.00	-	-



## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर-(जारी)</b>											
130	जंडावल बंदजो	711.50	2014-15	2015	2020-21	80	-	691.54	19.96	-	-
131	करीमाबाद बाल	671.18	2014-15	2015	2020-21	80	-	594.63	76.55	-	-
132	मुंघामा	654.50	2014-15	2015	2020-21	70	1.56	524.65	129.85	-	-
133	शाहूरा बंदरपोरा	496.00	2007-08	2015	2020-21	45	23.89	189.96	306.04	-	-
134	इंदरवाली जीबी	464.27	2012-13	2015	2020-21	80	-	445.50	18.77	-	-
135	वानपोरा बांगुंड	450.00	2012-13	2015	2020-21	85	37.67	319.50	130.50	-	-
136	ज़गीगम अतानी	696.60	2014-15	2015	2020-21	90	6.90	660.91	35.69	-	-
137	वृद्धि	676.40	2013-14	2015	2020-21	90	27.87	577.91	98.49	-	-
139	अशमंदर	681.00	2014-15	2015	2020-21	90	17.24	585.94	95.06	-	-
139	बभरी	361.57	-	2015	2020-21	90	13.50	215.60	145.97	-	-
140	चंपोरा शालीहार्ड	643.30	2014-15	2015	2020-21	80	-	615.11	28.19	-	-
141	बारापोरा	199.94	2012-13	2015	2020-21	80	-	179.01	20.93	-	-
142	चेकी दीवान बेद्रीनाथ	506.00	2012-13	2015	2020-21	75	-	391.02	114.98	-	-
143	महज़ूराबाद मित्रगाम	323.91	2007-08	2010	2014-15	85	-	198.21	125.70	-	-
144	पलपोरा अस्तनपोरा	707.00	2006-07	2010	2014-15	90	28.94	661.17	45.83	-	-
145	सैकलू	594.10	2012-13	2014	2020-21	90	-	589.40	4.70	-	-
146	अगलर मेन	583.00	2012-13	2014	2020-21	85	-	577.69	5.31	-	-
147	अचथन अस्तनपोरा	180.00	2007-08	2010	2014-15	60	-	111.19	68.81	-	-
148	नागपथरी चाणकतारी	299.13	2014-15	2015	2020-21	60	-	189.26	109.87	-	-
149	गोरीपोरा अस्तनपोरा	427.00	2013-14	2015	2020-21	85	47.55	377.11	49.89	-	-
150	हरिपरिगाम	351.46	2013-14	2015	2020-21	80	6.00	304.49	46.97	-	-
151	नेहामा	453.84	2013-14	2015	2020-21	80	29.35	382.07	71.77	-	-
152	चेकी गुलाबतांग	631.90	2013-14	2015	2020-21	70	-	466.78	165.12	-	-
153	कुन्सो नोलि	300.00	2013-14	2015	2020-21	75	10.22	282.06	17.94	-	-
154	दाचीपोरा अरशो	296.00	2013-14	2015	2020-21	75	-	254.13	41.87	-	-
155	विभिन्न योजनाओं के लिए स्रोत का विस्तार	248.60	2013-14	2015	2020-21	75	-	211.50	37.10	-	-
156	कुंगनू छत्तीसगढ़	298.60	2013-14	2015	2020-21	65	28.35	150.08	147.92	-	-
157	नासरपोरा	256.00	2013-14	2015	2020-21	55	-	142.17	113.83	-	-
158	न्यू कॉलोनी हेयरमैन	445.00	2013-14	2015	2020-21	75	-	342.39	102.61	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर-(जारी)</b>											
159	दुरारू	250.00	2013-14	2015	2020-21	75	-	188.86	61.14	-	-
160	मुजपथरी	327.72	2013-14	2015	2020-21	80	14.51	288.69	39.03	-	-
161	टूलीहल्लान	397.71	2013-14	2015	2020-21	90	-	364.49	33.22	-	-
162	ज़मनपथरी	465.00	2013-14	2015	2020-21	85	16.97	433.31	31.69	-	-
163	जरकानो	334.58	2013-14	-	2020-21	80	-	288.02	46.56	-	-
164	छत्सू शेखपोरा	203.44	2013-14	2014	2020-21	85	1.06	168.10	35.34	-	-
165	अस्तनपोरा	532.00	2008-09	2010	2014-15	85	6.81	525.18	6.82	-	-
166	अगस्त सिंहपोरा	327.25	2013-14	2013-14	2020-21	72	1.44	241.59	85.66	-	-
167	गुर्जरपथरी रफियाबाद	873.00	2009-10	2009-10	2014-15	80	27.81	838.26	34.74	-	-
168	गटियारी	243.20	2013-14	2014	2020-21	80	2.77	120.53	122.67	-	-
169	खानपति गुंड चेक	321.00	2012-13	2014	2020-21	55	-	120.95	200.05	-	-
170	ख्वाजा गुंडी कासिम	366.00	-	2014	2020-21	55	31.42	159.82	206.18	-	-
171	नाजी भाटो	214.71	2013-14	2014	2020-21	75	2.31	207.75	6.96	-	-
172	चेकी गुजरिन बिनर डंगरपोरा (चिझामा)	1,016.00	2013-14	2014	2020-21	75	-	864.14	151.86	-	-
173	थंडकासी राजपोरार	416.60	2013-14	2014	2020-21	70	-	350.09	66.51	-	-
174	सिंघपोरा (डेलिना)	327.25	2013-14	2014	2020-21	78	-	114.57	212.68	-	-
175	वुसन अगलारी	791.00	2013-14	2014	2020-21	65	15.44	555.86	235.14	-	-
176	सुल्तानपोरा कांदिक	296.72	2013-14	2014	2020-21	65	2.71	191.21	105.51	-	-
177	वजीरो	475.00	2013-14	2014	2020-21	65	9.71	289.67	185.33	-	-
178	वालरामन मशजीद आंगन (4 नंबर एसआर का निर्माण)	200.31	2013-14	2014	2020-21	75	2.68	141.28	59.03	-	-
179	द्रंगपट्टी चेकी दुडदबाग	294.00	2012-13	2014	2020-21	70	-	179.06	114.94	-	-
180	पाकीपोरा	253.00	2013-14	2014	2020-21	80	5.87	186.60	66.40	-	-
181	परियाहस्पोरा क्षेत्रीय (लिफ्ट)	2,324.00	2011-12	2014	2020-21	50	231.38	1,078.37	1,245.63	-	-
182	द्रष्टा जागीरो	719.20	2013-14	2014	2020-21	52	19.96	281.76	437.44	-	-
183	हमरे पट्टन	319.45	2013-14	2014	2020-21	56	25.86	210.64	108.81	-	-
184	खोई	756.96	2013-14	2014	2020-21	80	12.45	739.04	17.92	-	-
185	सैदपोरा डंगरपोरा	767.00	2012-13	2014	2020-21	55	-	372.03	394.97	-	-
186	चांडील वानीगम	515.72	2013-14	2014	2020-21	50	-	247.22	268.50	-	-
187	ब्रूनार काहिपोरा	625.53	2008-09	2010	2014-15	75	-	551.49	74.04	-	-
188	वेलू कालपोरा	570.00	2007-08	2010	2014-15	75	-	482.91	87.09	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
<b>(क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर-(समाप्त)</b>											
189	हाजीबल शालगाम	506.73	2008-09	2010	2014-15	75	2.70	447.88	58.85	-	
190	हरचिन् जस्पोरा	623.93	2008-09	2010	2014-15	80	3.90	508.35	115.58	-	
191	नंबलनार सतरेसेरन	291.78	2013-14	2014	2020-21	80	-	234.62	57.16	-	
192	अगस्त कुनेने	284.49	2013-14	2014	2020-21	85	104.34	254.13	30.36	-	
192	बुडबाथ बांदीपोरा	350.00	2013-14	2014	2020-21	80	-	42.79	307.21	-	
194	कनिबाची कहनोसा	390.88	2008-09	2014	2020-21	80	3.88	385.77	5.11	-	
195	मित्रिगम	469.00	2013-14	2014	2020-21	80	89.39	440.59	28.41	-	
196	अजस बाजीपोरा	165.70	2012-13	2014	2020-21	85	3.60	154.03	11.67	-	
197	लोनपोरा लॉदारा	651.00	2011-12	2014	2020-21	80	-	522.11	128.89	-	
198	अशम बोनपोरा/जोनीपोरा	739.98	2013-14	2014	2020-21	70	16.57	690.87	49.11	-	
199	गुलाम यारी हस्ती खान	413.00	2011-12	2014	2020-21	56	31.34	203.86	209.14	-	
200	नौपोरा गलशनपोरा	298.00	2012-13	2014	2020-21	80	-	167.95	130.05	-	
201	मलिकपोरा त्रिगम	292.80	2011-12	2014	2020-21	90	-	218.33	74.47	-	
202	पथपोरा गंडी गेहंगेर	492.33	2013-14	2014	2020-21	90	-	444.61	47.72	-	
203	शाह मोहल्ला पंजनार	352.75	2013-14	2014	2020-21	90	-	277.79	74.96	-	
204	बाबापोरा मछलीपोरा	254.00	2013-14	2014	2020-21	55	-	131.11	122.89	-	
205	चनवारी मछली	166.00	2013-14	2014	2020-21	95	-	165.52	0.48	-	
206	हंजीपोरा कनेन	223.00	2013-14	2014	2020-21	55	-	98.77	124.23	-	
207	काशीरा खबनार्ड	378.00	2013-14	2014	2020-21	90	23.47	272.09	105.91	-	
208	बडीबैरा तांगेचेक	440.18	2013-13	2014	2020-21	95	9.02	431.16	9.02	-	
209	दलिपोरा	192.00	2013-14	2014	2020-21	55	-	79.42	112.58	-	
210	फाकिन	237.69	2013-14	2014	2020-21	65	-	151.19	86.50	-	
211	चेक हेयान	150.00	2013-14	2014	2020-21	55	-	22.73	127.27	-	
212	दारापोरा	303.83	2013-14	2014	2020-21	80	31.33	295.30	8.53	-	
213	डड चेक	425.66	2007-08	2009	2013-14	85	15.50	393.47	32.19	-	
214	फैजाबाद चाडपोरा	248.00	2013-14	2014	2020-21	50	17.64	127.68	120.32	-	
215	हफरदा	152.00	2013-14	2014	2020-21	95	-	150.29	1.71	-	
216	शतपाल लॉथन	269.78	2008-09	2009	2013-14	90	19.31	250.47	19.31	-	

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग-जम्मू</b>											
1	सिंचाई डिवीजन नंबर -1 जम्मू के अधिकार क्षेत्र के तहत बेलीचरण में तवी नदी के पार बैराज (कृत्रिम झील) का डिजाइन और निर्माण	6,970.00	2009-10	2009-10	मार्च-21	84	13.87	5,832.40	-	7,334.00	-
2	ग्राम तालूर जिले के पास बसंतर नदी पर 1 नंबर चेक डैम और संबद्ध कार्यों का निर्माण। सांबा	1,471.00	2017-18	2017-18	मार्च-21	96	-	1,411.25	-	-	-
3	जल संग्रहण योजना खुबुन (आईडी उधमपुर)	109.52	2011-12	2011-12	मार्च-21	79	-	86.15	-	-	-
4	थंगेर खुल (उधमपुर) का निर्माण	111.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	81	-	89.61	-	-	-
5	सरल सलामाबाद खुल्ली का निर्माण	174.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	73	-	126.82	-	-	-
6	सलोत्री खुल्ली का निर्माण	202.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	68	28.30	136.58	-	-	-
7	सैकलू खुलो का निर्माण	152.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	72	3.23	108.76	-	-	-
8	बिजीवाली खुल्ली का निर्माण	143.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	87	2.50	123.83	-	-	-
9	डिस्टी सिस का निर्माण। जयनेर बाउली खुल (D1, D2) का	111.72	2011-12	2011-12	मार्च-21	66	21.18	73.81	-	-	-
10	डिंगला खुल का निर्माण (जिला संख्या :- 2 और 4)	188.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	88	-	165.11	-	-	-
11	शाही खुलों के डिस्टी सिस्टम का निर्माण	188.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	72	-	135.81	-	-	-
12	बनिया में दग्गर माधोता खुल का निर्माण	148.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	88	-	129.66	-	-	-
13	तहसील बिलवाड़ में चेक डैम भिनी का निर्माण	2,200.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	22	-	486.90	-	-	-
14	तहसील बिलावड़ में चेक डैम टालियान का निर्माण	393.10	2011-12	2011-12	मार्च-21	61	-	239.56	-	-	-
15	लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण राजवालता	344.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	68	-	233.34	-	-	-
16	जल संग्रहण योजना घटयाल (धन्नू) उधमपुर	163.01	2011-12	2011-12	मार्च-21	68	4.47	113.51	-	-	-
17	तहसील और जिला रामबाणी में राजघर खुल का निर्माण	159.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	90	-	142.34	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
<b>(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग-जम्मू-(जारी)</b>											
18	एएनएस सिंचाई नहर का निर्माण	5,399.00	2011-12	2011-12	मार्च-21	15	-	849.28	-	-	-
19	सरार खुल का निर्माण (जिला संख्या: -(1 और 2)	192.14	2011-12	2011-12	मार्च-21	77	10.56	147.38	-	-	-
20	जिला कठुआ की बिलावर तहसील में लुडेरा खुल का निर्माण	204.92	2015-16	2015-16	मार्च-21	71	-	145.82	-	-	-
21	बिलावड़ी तहसील में मुधल खुल का निर्माण	204.44	2015-16	2015-16	मार्च-21	63	-	129.02	-	-	-
22	तहसील बिलावड़ी में धन खुल का निर्माण	280.88	2015-16	2015-16	मार्च-21	70	-	195.77	-	-	-
23	तहसील बिलावड़ी में धन खुल का निर्माण	298.04	2015-16	2015-16	मार्च-21	61	-	182.73	-	-	-
24	गोला खुल्ली का निर्माण	139.05	2015-16	2015-16	मार्च-21	74	-	103.37	-	-	-
25	लोअर केया खुल्ली का निर्माण	103.99	2015-16	2015-16	मार्च-21	65	-	67.12	-	-	-
26									-	-	-
	चेनानी तहसील में खारा से पास्कूर खुल ईआरडी 0-1500M का	163.06	2015-16	2015-16	मार्च-21	62	-	101.80	-	-	-
27	तहसील रामनगर जिला उधमपुर में आरडी 0-1850 एम से तरनाह, फुरो खुल का निर्माण	108.90	2015-16	2015-16	मार्च-21	62	-	67.67	-	-	-
28	तहसील रामनगर जिला उधमपुर में आरडी 0-1535एम से समफारी खुल का निर्माण	108.56	2015-16	2015-16	मार्च-21	66	-	71.62	-	-	-
29	कुलीनी से नीली खुल का निर्माण	157.93	2015-16	2015-16	मार्च-21	71	-	111.54	-	-	-
30	बुद्ध केदार खुल्ली का निर्माण	262.83	2015-16	2015-16	मार्च-21	68	-	179.03	-	-	-
31	आरडी 0-1000 मीटर से लल्ली-द्वितीय खुल का निर्माण। उधमपुर जिले में	106.52	2015-16	2015-16	मार्च-21	77	-	82.42	-	-	-
32	आरडी 0-1000 मीटर से शावर लल्ली खुल का निर्माण। उधमपुर जिले में	106.56	2015-16	2015-16	मार्च-21	67	-	71.23	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग-जम्मू-(जारी)</b>											
33	बलूती वाली खुल्ली का निर्माण	197.66	2015-16	2015-16	मार्च-21	62	6.34	121.87	-	-	-
34	तहसील बिलावरी में खोरा खुल का निर्माण	273.06	2015-16	2015-16	मार्च-21	49	8.49	134.34	-	-	-
35	ढांडियां खुल्ली का निर्माण	185.12	2015-16	2015-16	मार्च-21	61	11.11	113.50	-	-	-
36	हीरानगर जिला कठुआ में मान्यारी खुल का निर्माण	127.18	2015-16	2015-16	मार्च-21	22	-	27.36	-	-	-
37	लोअर केया खुल्ली का निर्माण	103.99	2015-16	2015-16	मार्च-21	65	-	67.12	-	-	-
38	तहसील एवं जिला उधमपुर में आरडी 0-2550 एम से जामवाल हरियाण खुल का निर्माण	120.91	2015-16	2015-16	मार्च-21	65	5.92	78.86	-	-	-
39	नगना पानी से त्रिओली कटहल खुल का निर्माण	218.26	2015-16	2015-16	मार्च-21	77	-	168.00	-	-	-
40	प्रताप कोटे स्वेनु खुलो के माध्यम से चरत जावोट का निर्माण	349.50	2015-16	2015-16	मार्च-21	61	10.52	213.02	-	-	-
41	प्रखंड गूल जिला रामबन में दीदा से डब्बर खुल आरडी 0-2500 मीटर का निर्माण	353.81	2015-16	2015-16	मार्च-21	65	-	229.09	-	-	-
42	प्रखंड गूल जिला रामबन में गार्गर सुला खुल आरडी 0-2500 एम का निर्माण	275.13	2015-16	2015-16	मार्च-21	70	11.41	193.18	-	-	-
43	सिधरा टाउन और आसपास के क्षेत्रों में तवी नदी के डी/एस पर बाढ़ सुरक्षा कार्य का निर्माण	1,466.00	2007-08	2007-08	मार्च-21	91	-	1,334.86	-	-	-
44	कलगोनी नाला गंडोह (भल्लेसा) जिला डोडा के एल एंड आर/साइड पर गंडोह में हेलीपैड और उप जिला अस्पताल में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1,113.67	2014-15	2014-15	मार्च-21	94	-	1,051.05	-	-	-
45	जम्मू के अखनूर जिले में कथार तवी/क्वीर/नाला में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण।	1,006.46	2014-15	2014-15	मार्च-21	76	-	764.86	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
<b>(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग-जम्मू-(जारी)</b>											
46	जम्मू के अखनूर जिले में मावा ब्राहमण में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1,065.07	2014-15	2014-15	मार्च-21	77	-	815.95	-	-	-
47	जम्मू के अखनूर जिले के सुमा नाला में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1,051.00	2014-15	2014-15	मार्च-21	76	-	798.48	-	-	-
48	जम्मू के अखनूर जिले के टांडा नाला में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण	1,050.93	2014-15	2014-15	मार्च-21	77	-	804.73	-	-	-
49	चंगा स्टेडियम-पीएचसी चंगा, डिग्गी दुद्वार में कहलजुगासेर कलगोनी नाला पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण, इसकी सहायक नदियों चंटी, इचियर, सोती और धोसा नाला के साथ एल / साइड और आर / साइड जिला डोडा	1,159.02	2014-15	2014-15	मार्च-21	94	-	1,089.64	-	-	-
50	कलगोनी नाले पर गंडोह, शोरान, भाटिया, बांस, बथरी में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण, इसकी सहायक नदियों के साथ जितोला नाला और मिर्च नाला एल / साइड और आर / साइड गंडोह (भल्लेसा) जिला डोडा	1,183.97	2014-15	2014-15	मार्च-21	94	-	1,110.93	-	-	-
51	एएमके पोस्ट से अल्फा मचैल पोस्ट (आरएमबीए) के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मकवाल कैंप के आगे निक्की तवी के एल/आर साइड पर बाढ़ सुरक्षा कार्य का निर्माण	1,469.00	2014-15	2014-15	मार्च-21	97	-	1,419.05	-	-	-
52	कॉस्टेंस के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा कार्य का निर्माण। देवक और बसंतारी नदी के किनारे रक्षा चौकी की रक्षा के लिए तटबंधों और प्रत्यावर्तन की	800.00	2014-15	2014-15	मार्च-21	66	-	528.71	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग-जम्मू--(समाप्त)</b>											
53	ज्वालापुर खुल (बंजवा) फेज-II का निर्माण	100.00	2018-19	2018-19	मार्च-21	51	-	51.21	-	-	
54	मसवाह खुल्ली का निर्माण	141.66	2018-19	2018-19	मार्च-21	51	-	72.13	-	-	
55	पल्लियां खुल पार्ट 3 का निर्माण	107.17	2018-19	2018-19	मार्च-21	28	-	30.09	-	-	
56	नीरू नाला के दोनों किनारों पर एफपीडब्ल्यू का निर्माण (चरण-I)	302.39	2020-21	2020-21	मार्च-21	17	-	50.52	-	-	
57	बिलावर में नज भिनी नदी (मूल्यवान स्थान) भाग-2 के बायीं ओर के नाले को भरकर एफपीडब्ल्यू का निर्माण	310.26	2020-21	2020-21	मार्च-21	16	-	49.85	-	-	
58	ऊझ नदी के तट पर विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण।	279.25	2020-21	2020-21	मार्च-21	0	-	0.00	-	-	
59	कठुआ नहर के संवेदनशील स्थानों का सुदृढ़ीकरण	133.23	2017-18	2021-22	2021-22	68	35.00	90.00	-	-	
60	अखनूर/नौशेरा के विभिन्न एलआईएस के वेर्नआउट राइजिंग मेन का उन्नयन	76.40	2020-21	2020-21	मार्च-22	73	16.95	55.76	-	100.10	
61	भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान जम्मू प्रांत	500.00	2020-21	2020-21	मार्च-22	8	7.10	40.10	-	-	
<b>(ग) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू</b>											
1	जलापूर्ति योजना कथारू	161.21	08.02.2014	2013-14	2019-20	93	-	163.00	-	175.05	
2	जलापूर्ति योजना चिब्बा चक मचलियन	156.70	16.08.2018	2011-12	2019-20	91	-	142.73	-	-	
3	जलापूर्ति योजना खेतियां बंटलाब	199.00	06.08.2018	2011-12	2019-20	99	-	197.12	-	-	
4	जलापूर्ति योजना सहानू	330.40	24.08.2018	2012-13	2019-20	99	-	327.30	-	-	
5	जलापूर्ति योजना डागेर सलुरा	268.00	26.12.2017	2010-11	2019-20	95	3.92	254.75	-	-	
6	जलापूर्ति योजना बामयाल गोंडला	268.94	-	2011-12	2019-20	95	-	255.30	-	-	
7	जलापूर्ति योजना कृष्णपुर कथार तवी नदी के बायीं ओर	270.70	-	2011-12	2019-20	90	-	244.31	-	-	



## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
<b>(ग) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)</b>											
8	जल आपूर्ति योजना जमोटियां/कोगर खू	149.78	21.12.2015	2013-14	2018-19	78	-	117.40	-	-	-
9	टी/वेल चीयरियन जलापूर्ति योजना मावा ब्राह्मण	126.38	22.01.2016	2010-11	2018-19	76	-	95.57	-	-	-
10	जलापूर्ति योजना भूमि कुलियां	197.50	01.09.2018	2010-11	2018-19	92	-	208.49	227.13	-	-
11	जलापूर्ति योजना मन्याल ब्राह्मण	225.63	24.08.2018	2006-07	2018-19	93	-	208.98	-	-	-
12	जलापूर्ति योजना श्रोनी जोथल	758.50	-	2014-15	2019-20	73	93.20	553.97	-	-	-
13	जलापूर्ति योजना राह/हरदू मलारा	142.50	01.09.2018	2012-13	2019-20	79	-	113.16	-	-	-
14	जलापूर्ति योजना मकर-II	188.77	16.08.2018	2013-14	2019-20	95	46.50	179.94	188.50	-	-
15	जलापूर्ति योजना सजवाल खराह	161.17	14.08.2018	2013-14	2019-20	84	62.74	152.96	182.54	-	-
16	जलापूर्ति योजना नरबीरा	176.52	14.08.2018	2013-14	2019-20	61	-	107.81	-	-	-
17	जलापूर्ति योजना दम्मी	226.80	13.08.2018	2013-14	2019-20	59	-	133.09	-	-	-
18	जलापूर्ति योजना पूरन नगर/कबीर नगर	199.50	16.04.2015	2012-13	2017-18	83	-	204.46	247.50	-	-
19	जलापूर्ति योजना लाले-दा-बाघ	198.53	-	2012-13	2019-20	84	0.79	167.26	-	-	-
20	जलापूर्ति योजना थाथर पलौरा	291.80	12.03.2015	2012-13	2019-20	92	-	267.00	-	-	-
21	जलापूर्ति योजना कर्ण बाग	157.00	-	2007-08	2012-13	97	-	351.71	362.22	-	-
22	जलापूर्ति योजना राजीव गांधी अस्पताल गंग्याल	146.19	-	2011-12	2019-20	74	-	108.41	-	-	-
23	जलापूर्ति योजना एससी बस्ती जोगियां मोहल्ला	190.00	-	2011-12	2017-18	88	-	166.46	-	-	-
24	जलापूर्ति योजना नोनाथ-I	186.00	-	2003-04	2019-20	97	1.44	179.69	-	-	-
25	जलापूर्ति योजना निकला बदला	130.00	-	2012-13	2019-20	99	1.98	129.34	-	-	-
26	जलापूर्ति योजना विजय ग्रामीण	203.47	-	2021-22	2021-22	59	119.11	119.11	-	-	-
27	जलापूर्ति योजना स्वंखा खंड	573.44	05.12.2020	2021-22	2021-22	48	272.52	272.52	-	-	-
28	जलापूर्ति योजना सुजवां	228.65	10.02.2020	2021-22	2021-22	49	112.02	112.02	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(ग) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)</b>											
29	जलापूर्ति योजना रामलू	474.60	22.11.2021	2021-22	2021-22	47	224.48	224.48	-	-	-
30	जलापूर्ति योजना पल्ली	143.40	20.11.2021	2021-22	2021-22	60	85.39	85.39	-	-	-
31	जलापूर्ति योजना रामगढ़ प्रखंड	221.75	03.10.2020	2021-22	2021-22	51	114.16	114.16	-	-	-
32	जलापूर्ति योजना रामपोरा (विजयपुर)	439.23	22.11.2020	2021-22	2021-22	46	202.00	202.00	-	-	-
33	नलकूप खराटे की कमीशनिंग	127.00	-	2003-04	2019-20	99	3.14	125.81	-	-	-
34	जलापूर्ति योजना क्रेकर	170.00	-	2012-13	2019-20	85	-	143.81	-	-	-
35	जलापूर्ति योजना एयरवान	124.45	-	2012-13	2019-20	91	-	112.74	-	-	-
36	जलापूर्ति योजना बूढी	149.53	-	2012-13	2019-20	96	8.55	143.55	-	-	-
37	बूढी, निहालपुर और गोविंदसारी में 3 नलकूपों का कमीशन	210.35	-	2010-11	2019-20	87	27.59	182.57	-	-	-
38	जलापूर्ति योजना दाबोवाल	184.44	-	2010-11	2019-20	76	-	139.26	-	-	-
39	जलापूर्ति योजना गडयाल	115.00	-	2012-13	2019-20	90	5.25	103.25	-	-	-
40	जलापूर्ति योजना जुथाना	215.74	-	2006-07	2019-20	91	-	196.87	-	-	-
41	जलापूर्ति योजना भगतपुर	174.67	-	2011-12	2019-20	90	-	156.95	-	-	-
42	जलापूर्ति योजना तेहर - II	208.89	-	2010-11	2019-20	82	-	171.75	-	-	-
43	जलापूर्ति योजना में सुधार डूंगा पंगा (होतर)	296.35	-	2011-12	2019-20	92	29.93	272.55	-	-	-
44	जलापूर्ति योजना स्लदा पार्थ	174.50	-	2011-12	2019-20	73	-	127.27	-	-	-
45	जलापूर्ति योजना महानपुर	184.50	-	2012-13	2019-20	90	-	165.44	-	-	-
46	जलापूर्ति योजना प्लाही (बटेराह)	325.00	-	2010-11	2019-20	93	5.98	309.69	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
----------	------------------------	---------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------	--	-----------------

(₹ लाख में)

## (ग) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)

47	जलापूर्ति योजना मल्लमण	199.30	-	2006-07	2019-20	88	-	175.86	-	-	-
48	जलापूर्ति योजना सैंडरून	156.43	-	2012-13	2019-20	90	16.49	144.87	-	-	-
49	जलापूर्ति योजना दुलंगल	161.83	-	2011-12	2019-20	80	-	129.29	-	-	-
50	जलापूर्ति योजना मल्हार	177.64	-	2006-07	2019-20	87	-	154.66	-	-	-
51	जलापूर्ति योजना बंजाल भटवाल	167.56	-	2012-13	2019-20	99	24.70	163.63	-	-	-
52	जलापूर्ति योजना सैरकोरीबार	393.65	11.01.2016	2012-13	2019-20	95	5.84	375.51	-	-	-
53	जल आपूर्ति योजना का पुनः निर्माण एवं संवर्धन सुएल पटवार	292.08	03.09.2020	2021-22	2021-22	59	171.20	171.20	-	-	-
54	जल आपूर्ति योजना कुन कन्याला की रेट्रोफिटिंग और संवर्धन	254.53	28.11.2020	2021-22	2021-22	47	120.27	120.27	-	-	-
55	जल आपूर्ति योजना चन्नी का पुनः निर्माण एवं संवर्धन	303.82	22.11.2020	2021-22	2021-22	53	160.68	160.68	-	-	-
56	आगर जिल्लो	457.13	22.11.2020	2021-22	2021-22	57	259.81	259.81	-	-	-
57	भरखी	386.33	22.11.2020	2021-22	2021-22	60	231.53	231.53	-	-	-
58	जलापूर्ति योजना फेंटी गुरसाई	258.00	18.09.2018	2012-13	2019-20	79	101.48	204.27	-	-	-
59	जलापूर्ति योजना बिगरा	302.64	06.10.2018	2005-06	2019-20	99	1.35	299.11	-	-	-
60	चिरल दर्शीपुर	493.37	-	2009-10	2019-20	44	-	214.97	-	-	-
61	जलापूर्ति योजना पोगल	466.51	15.09.2018	2002-03	2019-20	82	-	382.14	-	-	-
62	चांगिलू	174.14	-	2009-10	2019-20	93	-	162.80	-	-	-
63	जलापूर्ति योजना हबास तंचाल	325.55	12.09.2018	2010-11	2019-20	78	10.55	255.22	-	-	-
64	जलापूर्ति योजना हेला	210.00	13.08.2018	2012-13	2019-20	85	-	179.46	-	-	-
65	जलापूर्ति योजना गिरी मोहल्ला संघधन	174.75	13.08.2018	2012-13	2019-20	74	-	128.73	-	-	-
66	जलापूर्ति योजना मो. डेढा का डब्बर	232.00	13.08.2018	2011-12	2019-20	77	-	178.67	-	-	-
67	अस्तन मार्ग	242.34	04.02.2010	2009-10	2019-20	93	1.19	224.22	-	-	-
68	चुचवा	186.70	20.01.2010	2009-10	2019-20	83	-	154.97	-	-	-
69	जलापूर्ति योजना चिचा दखन	177.50	08.08.2018	2003-04	2019-20	95	-	169.29	-	-	-
70	जलापूर्ति योजना मसूगढ़	229.00	06.09.2018	2010-11	2019-20	96	-	218.84	-	-	-
71	जलापूर्ति योजना माखैल ल्हासिनी	191.38	08.03.2008	2009-10	2019-20	91	-	174.86	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(ग) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)</b>											
72	जलापूर्ति योजना पालमार	359.10	29.07.2017	2000-01	2019-20	97	-	350.05	-	-	-
73	जलापूर्ति योजना शाई बेली	342.10	20.03.2015	2011-12	2019-20	71	5.46	242.67	-	-	-
74	जलापूर्ति योजना मसरी मालनी	245.72	14.08.2018	2011-12	2019-20	96	-	237.07	-	-	-
75	जलापूर्ति योजना मोहरा गुजरी	305.38	20.03.2015	2008-09	2019-20	93	-	284.33	-	-	-
76	जलापूर्ति योजना चक्का मथोल	228.16	05.09.2018	2011-12	2019-20	97	-	221.35	-	-	-
77	जलापूर्ति योजना बंजाला (भद्रवाह)	120.58	05.09.2018	2011-12	2019-20	89	-	107.60	-	-	-
78	जलापूर्ति योजना हुदल	324.89	-	2011-12	2019-20	89	-	289.03	-	-	-
79	जलापूर्ति योजना समसमत	485.00	-	2010-11	2019-20	74	274.90	457.12	-	-	-
80	जलापूर्ति योजना डोडासनबाला	415.41	-	2011-12	2019-20	83	83.74	343.19	-	-	-
81	जलापूर्ति योजना ढोक बटाली	396.25	-	2003-04	2019-20	99	156.16	392.82	-	-	-
82	जलापूर्ति योजना खाह / जमोला	428.00	-	2011-12	2019-20	82	114.99	351.79	-	-	-
83	जलापूर्ति योजना प्लासी हिल	190.65	02.06.2008	2011-12	2019-20	87	5.17	166.72	-	-	-
84	जलापूर्ति योजना जब्बार कनारा	226.00	07.05.2016	2011-12	2019-20	66	-	149.52	-	-	-
85	जलापूर्ति योजना चौकी चैपर	290.00	07.05.2016	2012-13	2019-20	85	0.46	246.51	-	-	-
86	जलापूर्ति योजना अपर कलदुबी	108.60	02.06.2008	2012-13	2019-20	94	1.13	101.82	-	-	-
87	जलापूर्ति योजना भवानी	178.40	02.06.2008	2012-13	2019-20	88	-	157.20	-	-	-
88	जलापूर्ति योजना तपस्वी मोहल्ला	144.44	02.06.2008	2012-13	2019-20	92	1.56	133.29	-	-	-
89	रेडियन लोअर नॉनियल	172.74	31.10.2017	2007-08	2019-20	92	-	159.69	-	-	-
90	जलापूर्ति योजना नरसिंहपुरा	160.94	01.10.2010	2010-11	2019-20	90	-	144.83	-	-	-
91	जल आपूर्ति योजना बुइन	182.70	26.11.2015	2010-11	2019-20	87	1.80	158.60	-	-	-
92	जलापूर्ति योजना दल	249.40	23.10.2015	2011-12	2019-20	95	1.31	237.91	-	-	-
93	जलापूर्ति योजना टाटापानी	195.30	26.10.2015	2011-12	2019-20	98	12.50	191.62	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(जारी)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
<b>(₹ लाख में)</b>											
<b>(ग) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(जारी)</b>											
94	जलापूर्ति योजना चक मियां मथानी	253.00	23.10.2015	2011-12	2019-20	56	-	142.76	-	-	-
95	सौंजियान	199.00	-	2009-10	2019-20	88	5.77	174.55	-	-	-
96	जलापूर्ति योजना चिकरीबन	197.00	-	2011-12	2019-20	94	9.01	184.21	-	-	-
97	जलापूर्ति योजना पठाना तीर	320.00	-	2006-07	2019-20	86	-	276.04	-	-	-
98	जलापूर्ति योजना फजलाबाद चम्ब्रा	240.00	-	2011-12	2019-20	97	0.84	233.39	-	-	-
99	जलापूर्ति योजना दरबा	275.00	-	2011-12	2019-20	75	-	207.52	-	-	-
100	जलापूर्ति योजना पंज धारा	268.43	-	2018-19	2021-22	46	4.18	123.73	-	-	-
101	जलापूर्ति योजना अस्तंगम	394.61	-	2018-19	2021-22	61	14.62	240.19	-	-	-
102	जलापूर्ति योजना भरसाला	255.68	-	2018-19	2021-22	75	30.50	191.95	-	-	-
103	जलापूर्ति योजना लह खब्लान	338.60	-	2018-19	2021-22	74	28.19	251.71	-	-	-
104	जलापूर्ति योजना मुरादपुर में सुधार एवं संवर्धन	367.52	-	2018-19	2021-22	92	8.47	339.24	-	-	-
105	जलापूर्ति योजना टंडवाल	373.35	-	2018-19	2021-22	82	28.50	306.41	-	-	-
106	जलापूर्ति योजना मंगीधारा	343.23	-	2018-19	2021-22	95	84.36	326.15	-	-	-
107	जलापूर्ति योजना छटियार खड़ियाला	375.98	-	2018-19	2021-22	80	34.16	301.86	-	-	-
108	जलापूर्ति योजना तैल कलाचांग	273.68	-	2018-19	2021-22	83	21.00	226.44	-	-	-
109	जलापूर्ति योजना राम कुंड छज्जला	398.19	-	2018-19	2021-22	75	-	299.64	-	-	-
110	जलापूर्ति योजना फ़ज़ाबाद आवां	381.82	-	2018-19	2021-22	63	-	239.85	-	-	-
111	जलापूर्ति योजना चांडक बेला	361.45	-	2018-19	2021-22	58	5.68	211.10	-	-	-
112	जलापूर्ति योजना झूला	395.70	-	2018-19	2021-22	54	-	214.35	-	-	-
113	जलापूर्ति योजना डौलियान	190.12	-	2018-19	2021-22	85	13.50	161.22	-	-	-

## परिशिष्ट-IX-(समाप्त)

## सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ का वर्ष	समापन का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि	प्रास्थिति (\$)
(₹ लाख में)											
<b>(ग) जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू-(समाप्त)</b>											
114	जलापूर्ति योजना करिलार एवं द्रबलेयर	365.14	-	2018-19	2021-22	84	17.46	305.55	-	-	-
115	जलापूर्ति योजना टांडा	283.45	-	2018-19	2021-22	84	12.00	238.36	-	-	-
116	जलापूर्ति योजना समोले	232.68	-	2018-19	2021-22	76	-	177.27	-	-	-
117	जलापूर्ति योजना चिगला बालोथा	226.53	-	2018-19	2021-22	92	8.94	208.34	-	-	-
118	जलापूर्ति योजना सत्तौरा	233.17	-	2018-19	2021-22	92	7.53	214.27	-	-	-
119	जलापूर्ति योजना बिज्जित	255.36	-	2018-19	2021-22	89	17.52	227.60	-	-	-
<b>(घ) मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, कश्मीर-</b>											
1	अतिरिक्त का निर्माण। बडगाम में यार्ड के वर्टिकल कंसर्टिंग के साथ स्नो क्लीयरेंस गैरेज और ऑल वेदर वर्क शॉप बे	70.00	-	2018-19	2021-22	70	14.94	69.91	-	100.00	-

## परिशिष्ट-X

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-						
1	सामान्य प्रशासन	2012-03-090-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	9.74	9.74
		2051-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.88	5.88
		2052-00-090-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	17.49	17.49
		3451-00-090-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.51	1.51
		3452-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	699.71	699.71
		<b>कुल-सामान्य प्रशासन</b>		-	<b>734.33</b>	<b>734.33</b>
2	गृह	2055-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,056.03	1,056.03
		2055-00-116-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	18.62	18.62
		2056-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.40	0.40
		2056-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	259.69	259.69
		2070-00-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.34	1.34
		2070-00-108-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	81.09	81.09
		2070-00-108-363	बाह्य स्रोतन और समारक्षण	11.97	-	11.97
		2235-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	9.84	9.84
		<b>कुल-गृह</b>		<b>11.97</b>	<b>1,427.01</b>	<b>1,427.01</b>
3	योजना	3454-02-112-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.60	1.60
		<b>कुल-योजना</b>		-	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>
4	सूचना	2220-60-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.25	7.25
		<b>कुल-सूचना</b>		-	<b>7.25</b>	<b>7.25</b>
6	विद्युत विकास	2801-80-001-025	मजदूरियाँ	0.03	-	0.03
		<b>कुल-विद्युत विकास</b>		<b>0.03</b>	-	<b>0.03</b>
7	शिक्षा	2202-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	23.63	23.63
		2202-01-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	13.58	13.58
		2202-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	73.47	75.47
		2202-02-109-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	54.03	54.03
		2202-80-003-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.30	0.30
		2204-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.11	0.11
		<b>कुल-शिक्षा</b>		-	<b>107.51</b>	<b>107.51</b>

## परिशिष्ट-X-(जारी)

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)						
8	वित्त	2030-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.23	0.23
		2039-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.57	2.57
		2043-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	103.33	103.33
		2054-00-003-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.20	5.20
		2054-00-095-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	13.25	13.25
		2054-00-097-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	40.97	40.97
		2054-00-098-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.53	1.53
		2054-00-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.14	2.14
		2054-00-003-363	बाह्य स्रोतन और समारक्षण	2.32	-	2.32
		<b>कुल-वित्त</b>		<b>2.32</b>	<b>169.22</b>	<b>171.54</b>
09	संसदीय मामले	2011-02-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	38.71	38.71
		<b>कुल-संसदीय मामले</b>		<b>-</b>	<b>38.71</b>	<b>38.71</b>
10	विधि	2014-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	49.51	49.51
		2014-00-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	24.84	24.84
		2014-00-114-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.32	1.32
		2015-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.49	0.49
		<b>कुल-विधि</b>		<b>-</b>	<b>76.16</b>	<b>76.16</b>
11	उद्योग और वाणिज्य	2851-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.59	6.59
		2851-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.18	0.18
		2851-00-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.95	5.95
		2851-00-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.98	7.98
		2851-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-		
		2853-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	4.03	4.03
		<b>कुल-उद्योग और वाणिज्य</b>		<b>-</b>	<b>24.73</b>	<b>24.73</b>



## परिशिष्ट-X-(जारी)

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)						
12	कृषि	2401-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	27.73	27.73
		2401-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत			
		2401-00-119-363	समारक्षण का बाह्य स्रोतन	0.24	-	0.24
		2402-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत			
		2406-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत			
		2406-02-112-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	131.15	131.15
		2705-00-602-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.68	1.68
		2705-00-603-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	21.42	21.42
		2851-00-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.96	6.96
		<b>कुल-कृषि</b>		<b>0.24</b>	<b>188.94</b>	<b>189.18</b>
13	पशु/ भेड़पालन	2403-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.19	3.19
		<b>कुल-पशु/ भेड़पालन</b>		<b>-</b>	<b>3.19</b>	<b>3.19</b>
15	खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले	2408-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	22.25	22.25
		<b>कुल-खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले</b>		<b>-</b>	<b>22.25</b>	<b>22.25</b>
16	लोक निर्माण	2059-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2,924.03	2,924.03
		2059-80-001-025	मजदूरियाँ			
		2216-07-053-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	997.43	997.43
		3054-03-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	527.09	527.09
		3054-04-337-023	अनुरक्षण और मरम्मत		14,048.16	14,048.16
		3054-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत		9,608.86	9,608.86
		3054-80-001-025	मजदूरियाँ	5.89	-	5.89
		<b>कुल-लोक निर्माण</b>		<b>5.89</b>	<b>28,105.57</b>	<b>28111.46</b>

## परिशिष्ट-X-(जारी)

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	2210-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	288.20	288.20
		2210-01-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.49	1.49
		2210-01-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2,729.55	2,729.55
		2210-02-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.79	3.79
		2210-03-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	59.54	59.54
		2210-03-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.71	6.71
		2210-06-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2,460.64	2,460.64
		2210-06-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	8.00	8.00
		2210-06-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.09	5.09
		2210-06-107-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.09	6.09
		2211-00-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.14	6.14
		<b>कुल-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा</b>		-	<b>5,575.23</b>	<b>5,575.23</b>
18	समाज कल्याण	2225-03-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.97	7.97
		2235-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.52	0.52
		2235-02-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.91	0.91
		2235-02-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.70	1.70
		<b>कुल-समाज कल्याण</b>		-	<b>11.10</b>	<b>11.10</b>

## परिशिष्ट-X-(जारी)

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
19	आवास एवं शहरी विकास	2217-03-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.54	0.54
		2217-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	534.86	534.86
		<b>कुल-आवास एवं शहरी विकास</b>		-	<b>535.40</b>	<b>535.40</b>
20	पर्यटन	3452-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	17.03	17.03
		3452-01-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	47.92	47.92
		3452-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	101.74	101.74
		3452-80-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	13.51	13.51
		<b>कुल-पर्यटन</b>		-	<b>180.20</b>	<b>180.20</b>
21	वन	2402-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	7.94	7.94
		2406-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1.00	1.00
		2406-01-004-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.39	5.39
		2406-01-070-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	42.48	42.48
		2406-01-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	26.24	26.24
		2406-02-110-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	6.35	6.35
		2406-04-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	285.90	285.90
		2406-04-103-363	समारक्षण का बाह्य स्रोतन	745.82	-	745.82
		3435-04-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.75	0.75
		<b>कुल-वन</b>		<b>745.82</b>	<b>376.05</b>	<b>1,121.87</b>
22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2700-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	352.12	352.12
		2701-04-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	781.3	781.3
		2701-04-612-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	237.11	237.11
		2702-80-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,588.40	1,588.40
		2711-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,338.23	1,338.23
		<b>कुल-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण</b>		-	<b>4,297.16</b>	<b>4,297.16</b>

## परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)</b>						
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2215-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3,545.75	3,545.75
		<b>कुल-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी</b>		-	<b>3,545.75</b>	<b>3,545.75</b>
24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल	2070-00-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	111.53	111.53
		2070-00-800-363	समारक्षण का बाह्य स्रोतन	41.60	-	41.60
		2216-05-053-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	1,888.83	1,888.83
		<b>कुल-आतिथ्य और प्रोटोकॉल</b>		-	<b>2,000.36</b>	<b>2,041.96</b>
25	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण	2058-00-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	24.23	24.23
		2230-01-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.34	3.34
		<b>कुल-श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण</b>		-	<b>27.57</b>	<b>27.57</b>
26	मत्स्यपालन	2405-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	39.95	39.95
		<b>कुल-मत्स्यपालन</b>		-	<b>39.95</b>	<b>39.95</b>
27	उच्चतर शिक्षा	2202-03-103-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	24.94	24.94
		<b>कुल-उच्चतर शिक्षा</b>		-	<b>24.94</b>	<b>24.94</b>
28	ग्रामीण विकास	2515-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	66.62	66.62
		<b>कुल-ग्रामीण विकास</b>			<b>66.62</b>	<b>66.62</b>
29	परिवहन	2041-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	5.53	5.53
		2070-00-114-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	0.77	0.77
		<b>कुल-परिवहन</b>		-	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>
30	जनजातीय मामले	2225-03-102-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	8.88	8.88
		<b>कुल-जनजातीय मामले</b>		-	<b>8.88</b>	<b>8.88</b>

## परिशिष्ट-X-(समाप्त)

## वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(समाप्त)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय का घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
(₹ लाख में)						
<b>व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(समाप्त)</b>						
31	संस्कृति	2205-00-104-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	15.62	15.62
		2205-00-105-023	अनुरक्षण और मरम्मत		0.68	0.68
		<b>कुल-संस्कृति</b>		-	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>
32	उद्यान कृषि	2236-02-800-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	-	-
		2401-00-119-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	16.76	16.76
		2435-01-101-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	14.28	14.28
		<b>कुल-उद्यान कृषि</b>		-	<b>31.04</b>	<b>31.04</b>
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण	2055-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.00	3.00
		<b>कुल-पदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण</b>		-	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा	2203-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.90	3.90
		2203-00-001-025	मजदूरियाँ	0.54	-	0.54
		2204-00-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	3.27	3.27
		2230-02-001-023	अनुरक्षण और मरम्मत	-	2.83	2.83
		<b>कुल-युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा</b>		<b>0.54</b>	<b>10.00</b>	<b>10.54</b>
		<b>कुल-व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)</b>		<b>808.41</b>	<b>47,662.32</b>	<b>48,470.73</b>
<b>व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-</b>						
		<b>कुल-व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)</b>		-	-	-
		<b>कुल-योग- व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा)</b>		<b>808.41</b>	<b>47,662.32</b>	<b>48,470.73</b>

## परिशिष्ट-XI

वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं (क)

क्र. सं.	नीति निर्धारण की प्रकृति/ नयी योजनाएं	प्राप्ति/ व्यय/ दोनों	आवर्ती/ एक बार	आवर्ती के मामले में निवल नकद प्रवाह पर वार्षिक आंकलन का प्रभाव		वार्षिक व्यय		संभावित स्रोत जिनसे नयी योजनाओं के लिए व्यय किया जाना है		
				निश्चित अवधि	स्थायी	राजस्व	पूँजीगत	संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण

(क) यूटी सरकार द्वारा आँकड़े/ सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी (जुलाई 2022)।

परिशिष्ट-XII								
सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं								
क्र. सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि (01 अप्रैल 2021 को)	संभावित स्रोत जिन से प्राप्ति प्रस्तावित			उन्मोचन का संभाव्य वर्ष	वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2021-22)	शेष बाकी (31 मार्च 2022 की समाप्ति पर)
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण (विशेषीकृत)			
( ₹ लाख में)								
I	देय लेखे							
	1 विद्युत							
	2 चिकित्सा प्रतिपूर्ति							
	3 टीएण्डडी प्रणाली का सधार							
	4 अवकाश वेतन							
	5 निर्माण							
	6 बाह्य स्रोतन और समारक्षण							
	7 आर.आर.टी.							
	कुल							
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य का अंश							
	1 भूमि प्रतिकर							
	कुल							
III	गैर-नियोजित शीर्षों को आयोजना योजनाओं के अंतरण के रूप में देयताएं							
	कुल							
IV	अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न देयताएं							
	1 पीएमआरपी निर्माण							
	कुल							

परिशिष्ट-XII-(समाप्त)								
सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं-(समाप्त)								
क्र. सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि (01 अप्रैल 2021 को) (क)	संभावित स्रोत जिन से प्राप्ति प्रस्तावित			उन्मोचन का संभाव्य वर्ष	वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2021-22)	शेष बाकी (31 मार्च 2022 की समाप्ति पर) (ख)
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय हस्तांतरण	सृजित ऋण (विशेषीकृत)			
(₹ लाख में)								
V	अन्य/ विविध							
1	भूमि अधिग्रहण प्रभार	2,69,162.00						
2	निर्माण और आपूर्ति पर अप्रदत्त बिल	4,28,489.00						
3	मुख्य निर्माण और संविदाएं	67186.00						
	कुल	7,64,837.00						
	कुल योग	7,64,837.00						
(क)	वर्ष 2022-23 हेतु ऑकड़े एफआरबीएम अधिनियम 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए डाटा संसद में प्रस्तुत किए गए (मार्च 2022)। कृपया पैरा 3 (xiv) को "वित्त खाते पर टिप्पणियां" खण्ड-1 देखें							
(ख)	सरकार से प्रतिभित डेटा जुलाई 2022							



## परिशिष्ट-XIII

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
				(₹ लाख में)
<b>पूँजीगत लेखा-</b>				
1	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	407.12	- डे. 407.12
2	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	1,35,687.13	- डे. 1,35,687.13
3	4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	3,495.66	- डे. 3,495.66
4	4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	6,15,332.68	- डे. 6,15,332.68
5	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	10,438.18	- डे. 10,438.18
6	4075- अन्य विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	16,321.31	- डे. 16,321.31
7	4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	6,98,252.70	- डे. 6,98,252.70
8	4210- स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	4,90,621.72	- डे. 4,90,621.72
9	4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	797.04	- डे. 797.04
10	4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	7,94,676.20	- डे. 7,94,676.20
11	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	37,407.10	- डे. 37,407.10
12	4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	4,99,489.56	- डे. 4,99,489.56
13	4220- सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	3,349.14	- डे. 3,349.14
14	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर	डे.	30,537.92	- डे. 30,537.92
15	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	2,77,764.10	- डे. 2,77,764.10
16	4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	37,082.30	- डे. 37,082.30
17	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	37,260.88	- डे. 37,260.88
18	4401- फसल पैदावार पूँजीगत परिव्यय	डे.	1,94,640.11	- डे. 1,94,640.11
19	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	39,096.00	- डे. 39,096.00
20	4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	37,142.41	- डे. 37,142.41
21	4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	1,156.14	- डे. 1,156.14
22	4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	22,229.55	- डे. 22,229.55

## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)					
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जन्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में	(₹ लाख में)
	<b>पूँजीगत लेखा-(जारी)</b>				
23	4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	93,344.02	- ₹.	93,344.02
24	4408- खाद्य भण्डार एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,26,748.53	- ₹.	3,26,748.53
25	4415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	33,607.44	- ₹.	33,607.44
26	4416- कृषिगत एवं वित्तीय संस्थानों में निवेश	₹.	0.40	- ₹.	0.40
27	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	40,160.94	- ₹.	40,160.94
28	4435- अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	407.33	- ₹.	407.33
29	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	10,25,935.83	- ₹.	10,25,935.83
30	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,68,881.76	- ₹.	3,68,881.76
31	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,25,765.21	- ₹.	1,25,765.21
32	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,06,062.60	- ₹.	2,06,062.60
33	4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	32,206.01	- ₹.	32,206.01
34	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,69,600.97	- ₹.	1,69,600.97
35	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	14,21,279.98	- ₹.	14,21,279.98
36	4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	1,81,859.49	- ₹.	1,81,859.49
37	4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	20,924.24	- ₹.	20,924.24
38	4853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	7,769.55	- ₹.	7,769.55
39	4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	24.06	- ₹.	24.06
40	4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	125.23	- ₹.	125.23
41	4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	3,133.77	- ₹.	3,133.77
42	4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	6.01	- ₹.	6.01
43	4885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	4,272.91	- ₹.	4,272.91
44	5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	13,70,818.51	- ₹.	13,70,818.51
45	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	26,325.02	- ₹.	26,325.02
46	5056- अंतर्देशीय एवं जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2,774.37	- ₹.	2,774.37
47	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	₹.	2.09	- ₹.	2.09

## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
				(₹ लाख में)
<b>पूँजीगत लेखा-(समाप्त)</b>				
48	5425- अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	15,933.59	- डे. 15,933.59
49	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	2,28,477.74	- डे. 2,28,477.74
50	5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थानों में निवेश	डे.	60,819.24	- डे. 60,819.24
51	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	डे.	5,49,623.65	- डे. 5,49,623.65
<b>कुल पूँजीगत लेखा</b>		<b>डे.</b>	<b>1,03,00,075.44</b>	<b>- डे. 1,03,00,075.44</b>
<b>ड- सार्वजनिक ऋण-</b>				
1	6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	क्रे.	45,42,909.06	- क्रे. 45,42,909.06
2	6004- केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	क्रे.	123,712.40	- क्रे. 123,712.40
<b>कुल सार्वजनिक ऋण</b>		<b>क्रे.</b>	<b>46,66,621.46</b>	<b>- क्रे. 46,66,621.46</b>
<b>च- ऋण और अग्रिम-</b>				
1	6202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति हेतु ऋण	डे.	545.58	- डे. 545.58
2	6210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य हेतु ऋण	डे.	192.53	- डे. 192.53
3	6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण	डे.	0.09	- डे. 0.09
4	6216- आवास हेतु ऋण	डे.	709.54	- डे. 709.54
5	6217- शहरी विकास हेतु ऋण	डे.	2,820.32	- डे. 2,820.32
6	6225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण	डे.	12.65	- डे. 12.65
7	6235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ऋण	डे.	9,844.98	- डे. 9,844.98
8	6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण	डे.	508.48	- डे. 508.48
9	6250- अन्य सामाजिक सेवाओं हेतु ऋण	डे.	13.17	- डे. 13.17
10	6401- फसल पैदावार हेतु ऋण	डे.	1,932.67	- डे. 1,932.67
11	6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण	डे.	5.12	- डे. 5.12
12	6403- पशुपालन हेतु ऋण	डे.	51.31	- डे. 51.31
13	6404- डेयरी विकास हेतु ऋण	डे.	30.08	- डे. 30.08
14	6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण	डे.	1.64	- डे. 1.64

## परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है-(जारी)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि		
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में
		(₹ लाख में)		
<b>च- ऋण और अग्रिम-(समाप्त)</b>				
15	6425- सहकारिता हेतु ऋण	डे.	777.47	- डे. 777.47
16	6435- अन्य कृषिगत कार्यक्रमों हेतु ऋण	डे.	1,266.58	- डे. 1,266.58
17	6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण	डे.	5.41	- डे. 5.41
18	6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	डे.	143.14	- डे. 143.14
19	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	डे.	8,504.81	- डे. 8,504.81
20	6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण	डे.	3,698.63	- डे. 3,698.63
21	6853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों हेतु ऋण	डे.	198.16	- डे. 198.16
22	6858- अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण	डे.	33.84	- डे. 33.84
23	6860- उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण	डे.	1,004.11	- डे. 1,004.11
24	6885- उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	डे.	75,028.18	- डे. 75,028.18
25	7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण	डे.	60,507.80	- डे. 60,507.80
26	7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण	डे.	554.42	- डे. 554.42
27	7452- पर्यटन हेतु ऋण	डे.	1,622.05	- डे. 1,622.05
28	7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	डे.	1,873.72	- डे. 1,873.72
29	7610- सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण	डे.	2,156.71	- डे. 2,156.71
	<b>कुल ऋण और अग्रिम</b>	डे.	<b>1,74,043.19</b>	- डे. <b>1,74,043.19</b>
<b>आकस्मिकता निधि-</b>				
1	8000- आकस्मिकता निधि	क्रे.	100.00	- क्रे. 100.00
	<b>कुल आकस्मिकता निधि</b>	क्रे.	<b>100.00</b>	- क्रे. <b>100.00</b>
<b>लोक लेखा-</b>				
1	8009- राज्य भविष्य निधियाँ	क्रे.	26,15,586.49	- क्रे. 26,15,586.49
2	8011- बीमा और पेन्शन निधियाँ	क्रे.	1,00,575.13	- क्रे. 1,00,575.13
3	8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	क्रे.	1,26,062.05	- क्रे. 1,26,062.05
4	8222- ऋण शोधन निधियाँ	क्रे.	35,586.76	- क्रे. 35,586.76
5	8223- अकाल राहत कोष	क्रे.	866.96	- क्रे. 866.96

## परिशिष्ट-XIII-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (समाप्त)					
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि			
		पुनर्गठन के समय	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्तमान में	(₹ लाख में)
	<b>लोक लेखा-(समाप्त)</b>				
6	8226- मूल्यहास/ नवीकरणीय आरक्षित निधि	क्रे.	64,665.33	- क्रे.	64,665.33
7	8229- विकास और कल्याण निधियाँ	क्रे.	34,384.93	- क्रे.	34,384.93
8	8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ	क्रे.	17,890.93	- क्रे.	17,890.93
9	8342- अन्य जमाएं	क्रे.	5,367.44	- क्रे.	5,367.44
10	8443- सिविल जमाएं	क्रे.	5,26,876.70	- क्रे.	5,26,876.70
11	8448- स्थानीय निधियों की जमाएं	क्रे.	1,01,816.64	- क्रे.	1,01,816.64
12	8449- अन्य जमाएं	क्रे.	57,362.51	- क्रे.	57,362.51
13	8550- सिविल अग्रिम	डे.	1,269.19	- डे.	1,269.19
14	8658- उचंत लेखे	डे.	34,414.18	- डे.	34,414.18
15	8671- विभागीय शेष	डे.	496.97	- डे.	496.97
16	8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय	डे.	12.59	- डे.	12.59
17	8673- नकद शेष निवेश लेखा	डे.	38,391.91	- डे.	38,391.91
18	8782- समान लेखा कार्यालय को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन	क्रे.	2,85,674.43	- क्रे.	2,85,674.43
19	8786- केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य लेखा समायोजन	डे.	546.43	- डे.	546.43
20	8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखे	डे.	379.44	- डे.	379.44
21	8999- रोकड़ शेष	क्रे.	44,195.18	- क्रे.	44,195.18
	<b>निवल लोक लेखा</b>	<b>क्रे.</b>	<b>39,41,400.77</b>	<b>- क्रे.</b>	<b>39,41,400.77</b>





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
2022  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ae/jammu-and-kashmir/en>